सोमवार, 4 अगस्त 1980

13 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 42, सोमवार, 4 अगस्त, 1980/13 श्रावण, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख :	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	
*तारांकित प्रश्न संख्या 817 से 823	...	2-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	
*तारांकित प्रश्न संख्या 824 से 836	...	16-23
अतारांकित प्रश्न संख्या 6586, 6587, 6589 से 6612, 6614 से 6625, 6627 से 6634, 6636 से 6648, 6650 से 6673, 6675 से 6677, 6679, 6681 से 6711, 6713 से 6717, 6719, 6720, 6722 से 6725, 6727 से 6762 और 6764 से 6785	...	23-149
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	150-159
मनाली तेल शोधनशाला से सद्रास बन्दरगाह तक भारतीय तेल निगम की पाइपलाइन से एक लाख रुपये मूल्य के स्नेहक तेल की हर रोज हो रही चोरी का समाचार		
श्री विजय कुमार यादव	...	150-152
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	152-153
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	...	153-154
श्री जैनुल बशर	...	154-156
श्री नवल किशोर शर्मा	...	156-159
दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक पुरः स्थापित किये जाने के लिये प्रस्ताव	...	159-162
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	159-160
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	160-162
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक--पुरःस्थापित	...	162-166

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सभ्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	...	166-171
(एक) बिहार में बेगुसराय जिले के डाकखाने के डाकियों और श्रेणी चार के कर्मचारियों की वर्दियां और वेतन		
श्रीमती कृष्णा साही	...	166
(दो) बिहार सरकार द्वारा मद्यनिषेध समाप्त किये जाने पर पुनः विचार करने की आवश्यकता	...	
श्री रामविलास पासवान	...	166
(तीन) पालेकर वेतन न्यायाधीकरण की सिफारिशों का लागू किया जाना	...	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	166-167
(चार) केरल को शीघ्र चावल भेजने की आवश्यकता	...	
श्रीमती सुशीला गोपालन	...	167
(पांच) उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को चीनी की सप्लाई	...	
श्री जैनुल बशर	...	167
(छः) नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आमरण अनशन का समाचार	...	
श्री चन्द्रजीत यादव	...	167-168
(सात) कालेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की समस्याएं	...	
प्रो० रुपचन्द पाल	...	168
(आठ) कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था के खराब होने का समाचार	...	168-171
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	168-169
श्री सी० एम० स्टीफन	...	169-171
रेल अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	...	171-184
श्री मूलचन्द डागा	...	171-173
श्री चिन्तामणि जेना	...	174-175
श्री टी० आर० शमन्ना	...	175-176
श्री जेवियर अराक्कल	...	176-177
श्रीमती कृष्णा साही	...	177-178
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	178-180
श्री बृजमोहन महन्ती	...	180-181
श्री कमलापति त्रिपाठी	...	181-184
असम राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण की अधिकतम राशि के बारे में सांविधिक संकल्प	...	184
श्री विक्रम महाजन	...	184
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	184-187
श्री एम० सत्यनारायण राव	...	187-19

विषय		पृष्ठ
श्री मूलचन्द डागा	...	189-190
श्री हरिकेश बहादुर	...	190-192
श्री गिरधारीलाल व्यास	...	192-194
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	194-195
प्रो० एन० जी रंगा	...	195-196
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	196-198
अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	198-212
श्री टी० अंजैया	...	198-199
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	199-203
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	203-205
श्री मूलचन्द डागा	...	205-206
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	206-208
श्री आर० एन० राकेश	...	208-212
खण्ड 2 और 1 पास करने के लिए प्रस्ताव	...	212-214
श्री टी० अंजैया	...	212
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	212-213
प्रो० एन० जी० रंगा	...	213-214
मंत्रियों के भत्ते (चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन		
नियमों के बारे में सांविधिक संकल्प	...	214-218
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	214-215
श्री टी० आर० शमन्ना	...	215-216
श्री चिन्तामणि जेना	...	216-217
श्रीमती कृष्णा साही	...	217-218
आधे घंटे की चर्चा	...	
अमरीका से एन्टीबायटिक्स औषधियों का आयात	...	218-230
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	218-223
श्री बी० शंकरानन्द	...	223-226
श्री चित्त बसु	...	226-227
श्री जनार्दन पुजारी	...	227
श्री रामविलास पासवान	...	227-230

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	...	166-171
(एक) बिहार में बेगुसराय जिले के डाकखाने के डाकियों और श्रेणी चार के कर्मचारियों की वर्दियां और वेतन		
श्रीमती कृष्णा साही	...	166
(दो) बिहार सरकार द्वारा मद्यनिषेध समाप्त किये जाने पर पुनः विचार करने की आवश्यकता	...	
श्री रामविलास पासवान	...	166
(तीन) पालेकर वेतन न्यायाधीकरण की सिफारिशों का लागू किया जाना	...	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	166-167
(चार) केरल को शीघ्र चावल भेजने की आवश्यकता	...	
श्रीमती सुशीला गोपालन	...	167
(पांच) उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को चीनी की सप्लाई	...	
श्री जैनुल बशर	...	167
(छः) नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आमरण अनशन का समाचार	...	
श्री चन्द्रजीत यादव	...	167-168
(सात) कालेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की समस्याएं	...	
प्रो० रुपचन्द पाल	...	168
(आठ) कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था के खराब होने का समाचार	...	168-171
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	168-169
श्री सी० एम० स्टीफन	...	169-171
रेल अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	...	171-184
श्री मूलचन्द डागा	...	171-173
श्री चिन्तामणि जेना	...	174-175
श्री टी० आर० शमन्ना	...	175-176
श्री जेवियर अराक्कल	...	176-177
श्रीमती कृष्णा साही	...	177-178
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	178-180
श्री वृजमोहन महन्ती	...	180-181
श्री कमलापति त्रिपाठी	...	181-184
असम राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण की अधिकतम राशि के बारे में सांविधिक संकल्प	...	184
श्री विक्रम महाजन	...	184
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	184-187
श्री एम० सत्यनारायण राव	...	187-19

विषय		पृष्ठ
श्री मूलचन्द डागा	...	189-190
श्री हरिकेश बहादुर	...	190-192
श्री गिरधारीलाल व्यास	...	192-194
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	194-195
प्रो० एन० जी रंगा	...	195-196
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	196-198
अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	198-212
श्री टी० अंजैया	...	198-199
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	199-203
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	203-205
श्री मूलचन्द डागा	...	205-206
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	206-208
श्री आर० एन० राकेश	...	208-212
खण्ड 2 और 1 पास करने के लिए प्रस्ताव	...	212-214
श्री टी० अंजैया	...	212
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	212-213
प्रो० एन० जी० रंगा	...	213-214
मंत्रियों के भत्ते (चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन		
नियमों के बारे में सांविधिक संकल्प	...	214-218
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	214-215
श्री टी० आर० शमन्ना	...	215-216
श्री चिन्तामणि जेना	...	216-217
श्रीमती कृष्णा साही	...	217-218
आधे घंटे की चर्चा	...	
अमरीका से एन्टीबायटिक्स औषधियों का आयात	...	218-230
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	218-223
श्री बी० शंकरानन्द	...	223-226
श्री चित्त बसु	...	226-227
श्री जनार्दन पुजारी	...	227
श्री रामविलास पासवान	...	227-230

लोक सभा वाद विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

सोमवार, 4 अगस्त, 1980/13 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

'अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री एम. वी. कृष्णप्पा की दुखद मृत्यु का समाचार देना पड़ रहा है, जिनका 62 वर्ष की आयु में 'अगस्त' 1980 को बंगलौर में निधन हो गया ।

श्री कृष्णप्पा 1952-62 तथा 1967-69 में कर्नाटक से पहली, दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य थे । वे तीसरी लोक सभा के लिये भी निर्वाचित हुए थे लेकिन उन्होंने शपथ लेने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था और बाद में वे मैसूर विधान परिषद् के लिये निर्वाचित हो गये थे तथा 1962-67 में मैसूर सरकार के राजस्व, खाद्य तथा पशुधन मंत्री रहे ।

इससे पहले वे 1652-62 में केन्द्रीय सरकार के उप खाद्य तथा कृषि मंत्री थे ।

वे स्वतंत्रता सेनानी थे । उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया था और वे जेल गये थे ।

एक सजग संसद् विज्ञ होने के नाते उन्होंने संसद की गतिविधियों में रुचि ली ।

वे एक किसान थे और उन्हें 1953 में कृषि मूल्य जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी । वे उस प्रतिनिधि मण्डल के नेता थे, जो चीन में कृषि क्रांति का अध्ययन करने के लिये वहां गया था । उन्होंने भारत में मत्स्यपालन के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु जापान और नार्वे में मत्स्यपालन का अध्ययन करने के लिये भेजे गये दल का नेतृत्व किया था ।

वे 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य थे ।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने मैसूर में खानों के श्रमिकों को साक्षर बनाने का आन्दोलन चलाया था ।

उन्होंने दुग्ध उद्योग, मत्स्यपालन और मुर्गीपालन के विकास में गहन रूचि ली ।

हम अपने इस मित्र के दिवंगत होने पर शोक मनाते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक—संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में यह सभा मेरे साथ है ।

शोक व्यक्त करने के लिये सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े होंगे ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े हुए ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हल्दिया औद्योगिक कम्प्लेक्स में दूरसंचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

*817. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हल्दिया औद्योगिक कम्प्लेक्स की दूर-संचार व्यवस्था आशा से बहुत परे है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हल्दिया की दूर-संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकार्तिक उरांव) : (क) और (ख) हालांकि हल्दिया औद्योगिक कम्प्लेक्स में हल्दिया उद्योग एवं हल्दिया कस्बे में दो स्वचल एक्सचेंज उपलब्ध कराये गये हैं और इन दोनों में कलकत्ता के लिए तथा कलकत्ता से यहां के लिए एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है परन्तु हल्दिया के दोनों एक्सचेंजों के बीच कालों को हाथ से लगाया जाता है।

(ग) योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है और हल्दिया उद्योग तथा हल्दिया कस्बे के बीच अंतर-एक्सचेंज कालों के स्वचल डायलिंग में बदलने के लिए उपस्कर मंगाने के आदेश दे दिये गये है। चालू वित्तीय वर्ष से दौरान इसके संस्थापन तथा चालू किये जाने की संभावना है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हल्दिया औद्योगिक कम्प्लेक्स की दूरसंचार समस्या वहां पर चैतन्यपुर, दुर्गाचाट और हल्दिया में तीन टेलीफोन एक्सचेंज होना है। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ौसी से बात करना चाहता है, तो वह ट्रंक कॉल हो जाती है पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल ही में हल्दिया विकास बोर्ड को सांविहित निकाय के रूप में मान्यता दी है। इस प्रसंग में मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या हल्दिया औद्योगिक कम्प्लेक्स और हल्दिया विकास बोर्ड के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वचल प्रणाली वाले एक ही टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और इसमें कितना समय लगेगा।

श्री कार्तिक उरांव : श्रीमान् जैसा कि कहा जा चुका है कि हल्दिया औद्योगिक कम्पलेक्स एक्सचेंज और हल्दिया टाउनशिप एक्सचेंज के बीच कलकत्ता के माध्यम से सम्पर्क है और कलकत्ता से इन दो स्थानों के लिये तथा इन दोंनों के बीच अन्तर-एक्सचेंज काल हाथ से लगाई जाती हैं और दोनों स्थानों के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा। इस कम्प्लेक्स से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गाचाट नामक एक अन्य स्थान है, जहां पर 100 लाइन का मैक्स-3एक्सचेंज है। इस इसमें समय 57 कनैक्शन हैं और 49 की प्रतीज्ञा सूची है। इसे मैक्स-2 में बदलने तथा इस स्थान और हल्दिया के बीच डायल द्वारा टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने की संभावना है। यह विचाराधीन है। इसके प्रतिरिक्त हल्दिया उद्योगों में एक अन्य हस्त चालित ट्रंक एक्सचेंज काम कर रहा है, जिसमें टी-43 किस्म की दो पोजा पोजीशने हैं। वह दूरस्थ ट्रंक बोर्ड है और वह हल्दिया में अन्तर-एक्सचेंज काल के अतिरिक्त है। ये केन्द्र देश के अन्य भागों के लिये ट्रंक काल भी मिलाते हैं। इस व्यवस्था के अधीन माननीय सदस्य का प्रस्ताव भी आ जाना है।

श्री सत्यगोपाल मिश्रः श्रीमन्, हल्दिया की तामलुक सब-डिवीजन मुख्यालय, कालाघाट ताप बिजली परियोजना और मिदनापुर जिला मुख्यालय के साथ सीधी सम्पर्क व्यवस्था करने की अविलम्ब आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे:—

(क) क्या हल्दिया को तामलुक सब-डिवीजन मुख्यालय और कोलाघाट, जहां विद्युत परियोजना निर्माणधीन है, से जोड़ने कोई प्रस्ताव विचाराधीनहै, और

(ख) क्या सरकार का विचार हल्दिया, तामलुक और कोलाघाट तथा मिदनापुर और कलकत्ता के बीच सीधी दूर संचार लाइन वनाने का है ?

श्री कार्तिक उरांव : हल्दिया ट्रंक एक्सचेंज को मिदनापुर जिला मुख्यालय और खड़गपुर से जोड़ने का प्रस्ताव है। इन दो ट्रंक सर्किटों की शीघ्र व्यवस्था किये जाने की आशा है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रस्ताव भविष्य में विचारार्थ नोट कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी के जवाव को देखने से लगेगा कि "सवाल दीगर, जवाब दीगर" का यह बेहतरीन नमूना है। आप सवाल को देखेंगे कृपा कर के जिस में लिखा है—

क्या सरकार को मालूम है कि हल्दिया औद्योगिक कम्प्लैक्स की दूरसंचार व्यवस्था आशा से बहुत परे है ?

इस का जवाव न देकर तीन चार लाइन का एक स्टेटमैंट दे दिया है। माना है इस बात को जरूर लेकिन इनडायरेक्टली माना है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि वास्तव में एक्स-पेक्टेशन से परे है या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि हल्दिया की जो स्थिति है उस को वह मानते हैं कि वास्तव में दो आटोमेटिक एक्सचेंज होने के बाद भी मैन्युअली घुमाना होता है तभी बात होती है, यह हल्दिया की जो स्थिति है वही स्थिति देश के दूर-संचार व्यवस्था की है, तो इस बात को भद्दे नजर रखते हुए कि देश में दूर-संचार व्यवस्था की हालत बदतर है और दिल्ली की उस से भी बदतर है, क्या उस को इम्प्रूव करने की कृपा करेंगे ?

संचार मंत्री : (श्री सी०एम० स्टीफन) : मेरे सहयोगी द्वारा दिया गया उत्तर परिपूर्ण है। प्रश्न था कि क्या सरकार को मालूम है कि हल्दिया औद्योगिक कम्प्लैक्स की दूरसंचार व्यवस्था आशा से परे है। इसका उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है और कहा है कि इसे हाथ से चलाया जा रहा है। इन दोनों कम्प्लैक्सों की कलकत्ता के साथ एस० टी० डी० सम्पर्क हो सकता है। लेकिन ये दोनों कम्पलैक्स वस्तुतः एक ही स्थान पर होते हुए भी उनका आपस में सम्पर्क नहीं है। मूल योजना स्तर पर यह गल्ती हुई। अब इसे ठीक किया जा रहा है और दोनों स्थानों के बीच सम्पर्क की व्यवस्था की जा रही है। वे कह चुके हैं कि इस वित्तीय वर्ष में इन दोनों स्थानों के बीच यह सम्पर्क व्यवस्था कर दी जायेगी और इतना ही नहीं दूसरी बस्ती के साथ भी सम्पर्क हो जायेगा।

श्री आर० पी० यादव : प्रश्न के भाग (क) का क्या उत्तर है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न का भाग (क) है : "क्या सरकार को मालूम है कि हल्दिया औद्योगिक कम्प्लैक्स की दूर संचार व्यवस्था आशा से परे है ?"। इसका उत्तर है कि इस समय वहां पर दो स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं, एक हल्दिया टाउनशिप में और दूसरा हल्दिया उद्योगों में। दोनों ही स्वचालित हैं और दोनों ही कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। यद्यपि दोनों का कलकत्ता से सम्पर्क है, फिर भी ये दोनों एक्सचेंज एक दूसरे के पास-पास होते हुए भी आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। अब इस गलती को ठीक किया जा रहा है।

प्रो० सत्य देव सिंह : अध्यक्ष महोदय, संसत्सदस्यों को दो टेलीफोन मिले हुए हैं—एक दिल्ली में और एक निर्वाचन-क्षेत्र में। फार्म में यह प्रेस्क्राइब्ड है कि दस किलोमीटर की दूरी तक लोकल काल मानी जायेगी लेकिन जनता के लिए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी होती है तो

पी० सी० ओ० हो जाता है इसलिए क्या सरकार का प्रस्ताव है कि जो सुविधा संसत्सदस्यों को प्राप्त है कि दस किलोमीटर की दूरी तक लोकल काल मानी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर इसका क्या ताल्लुक है। अगला प्रश्न।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सीखने वाले विद्यार्थी।

*818, **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के नाम क्या हैं। जिन्होंने हिन्दी भाषा को सीखने में अपनी रुचि दिखाई है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

(क) से (ग) : सूचना विभिन्न गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री एन० इ० होरो : अध्यक्ष जी सवाल का जवाब नहीं आया। सिम्पल चीज है, यह बड़ी चीज नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जानकारी एकत्रिक करके इस सत्र के दौरान सभा पटल पर रखेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : हमने राज्य सरकारों को लिखा है और उन्होंने सूचना भेज दी है लेकिन सारी राज्य सरकारों से इंफार्मेशन नहीं आई है। जब वह हमारे पास आएगी हम उसे सभा पटल पर रख देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी दीजिए।

प्रो० मधुदंडवते : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि इस देश के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद आचार्य नरेन्द्र देव ने जो दो विश्वविद्यालयों में उपकुलपति थे—सुझाव दिया था कि दक्षिण में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें उत्तर में रहने वाले लोगों को उत्तर में कुछ दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि दक्षिण में रहने वाले लोग हिन्दी भाषा सीखने लगें और वह दक्षिण में लोकप्रिय हो सके।

श्री बी० शंकरानन्द : यह बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस के बारे में अपनी राय दें।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार ने इसी प्रयोजन से त्रि-भाषायी सूत्र निकाला है कि हिन्दी भाषी राज्यों को गैर-हिन्दी भाषी राज्यों की कोई भाषा सीखनी चाहिए ताकि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी सीखने में प्रोत्साहन मिले।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी के मामले में मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

मैं जानना चाहता हूं क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जो हिन्दी भाषी प्रान्त हैं वहां हिन्दी सलाहकार समिति जो बनी है उसका सक्युंलर भी अंग्रेजी में जाता है ?

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो हिन्दी भाषी राज्य हैं वहां पर न्यायालयों के जो फैसले होते हैं वह क्या हिन्दी में हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री रामनगीना मिश्र : मेरा पहले वाला प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दी सलाहकार समिति के सक्युंलर अंग्रेजी में जाते हैं—क्या यह हिन्दी की तरक्की हो रही है ? जब हिन्दी भाषी राज्यों की यह हालत है तो अन्य राज्यों की क्या हालत होगी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गन्ने की अधिक कीमत पर अनुरोध

*819. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन की समिति ने, जिसकी हाल में बंगलौर में बैठक हुई थी, यह निर्णय किया था कि वर्ष 1980-81 के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समिति द्वारा दिये गये अन्य सुझाव क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कितनी रद्द कर दी गई हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) (क) : जी हां ।

(ख) : समिति द्वारा दिए गए अन्य सुझाव इस प्रकार हैं :—

(1) चीनी फैक्ट्री के क्षेत्रों के क्रशरों को आगामी मौसम के लिए पिराई कार्य 1-1-81 से पूर्व शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ;

(2) फैक्ट्री क्षेत्रों में क्रशरों को कोई नये लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिए;

(3) अपने अधिशेष गन्ने की पिराई करने के लिए फैक्ट्री क्षेत्रों के शक्ति चालित कोल्हुओं को लाइसेंस देने की प्रणाली को पुनः शुरू करना;

(4) खण्डसारी पर लेवी लगाना;

(5) निर्वाह पात्र चीनी और खण्डसारी कराधान के बीच समानता लाना;

(6) गुड़ और खण्डसारी के अन्तर-राज्यीय संचालन को परमिटों द्वारा विनियमित करना;

(7) गुड़ पर लगे क्रय कर में वृद्धि करना;

(8) फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत क्रशरों और खण्डसारी यूनिटों को गन्ने की सप्लाई करने के कार्य को गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से विनियमित करना;

(9) चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने की सप्लाई के लिए आबद्ध नीति बनाना;

(10) चीनी के लेवी मूल्य गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर आधारित होना; और

(11) उद्योग के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं सुलभ करना ।

(ग) : सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से 1980-81 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर पहले से ही विचार कर रही है । भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए अन्य सुझावों, जोकि हाल ही में प्राप्त हुए थे, की जांच की जा रही है ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हम सब को मालूम ही है कि हमारे देश में चीनी नीति कई वर्षों में असफल ही रही है । हमारा चीनी का उत्पादन तथा गन्ने की भूमि लगातार कम ही हो रहे हैं । देश के उत्तरी भाग में तो यहां तक नौबत आ गई थी कि गन्ने का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाने लगा था तथा वह इंधन के लिए ईंधन के भाव बेचा जाने लगा था । इस स्थिति को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का विचार गन्ने पैदा करने वाले किसानों को क्या आश्वासन देने का है जिससे कि वे अधिक भूमि का उपयोग गन्ने पैदा करने के लिए करें । एक तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा दिया जाए और दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक, पेट्रो-

लियम उत्पाद तथा अन्य उपादानों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए क्या सरकार का विचार न्यूनतम गन्ना मूल्य में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो नीति सरकार ने चीनी के बारे में अपनाई है वह असफल रही है। एक मात्र बात यह थी कि गत तीन वर्षों में उसे उचित ढंग से लागू नहीं किया गया था। सर्वप्रथम हमने अचानक 1978 में पूर्व नीति छोड़ दी थी। एक वर्ष इसका अनुभव करने के बाद हमने पुनः दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू कर दी थी। इस के अलावा कुछ ऐसे उपाय जो पूर्व व्यवस्था लागू करने से पूर्व किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए थे। वे अवश्य किए जाने चाहिए थे। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही हैं कि गन्ना उगाने वाले किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिले। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि वह स्थिति जो गत वर्ष उत्पन्न हो गई थी, जिसके फलस्वरूप कम भूमि पर गन्ना उगाया जाने लगा था, वह अब पुनः देखने में न आयेगी।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गन्ना मूल्य आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि चीनी, खण्डसारी और गुड़ निर्माताओं को एक एकीकृत गन्ना मूल्य नीति अपनानी चाहिए ? यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : कृषि मूल्य आयोग का एक प्रतिवेदन हमारे पास आया है। यह प्रतिवेदन फरवरी में आया था। यह गन्ना समर्थन मूल्य के बारे में था। उर्वरक के मूल्य में वृद्धि किए जाने के तुरन्त बाद जब हमने फिर उसे कृषि मूल्य आयोग को वापिस भेज दिया था तो एक दूसरा प्रतिवेदन हमारे पास आया जिस पर सरकार अब विचार कर रही है। हमने राज्य सरकारों चीनी उत्पादकों तथा अन्य किसान नेताओं से उनके विचार मांगे हैं।

श्री रामनगीना मिश्र : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं : आज के पहले गन्ने का मूल्य रिकवरी-बेसिज पर सरकार तय करती थी, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि एक ही स्थान पर दो फैक्ट्रियां हैं और एक ही किसान दोनों फैक्ट्रियों को गन्ना देता है। एक फैक्टरी में रिकवरी 9·5 प्रतिशत निकलती है, लेकिन दूसरी फैक्टरी में 9 प्रतिशत और कभी-कभी उस से भी कम निकलती है, इससे दोनों के दामों में फर्क पड़ जाता है। क्या भविष्य में गन्ने का मूल्य तय करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा प्रावधान होगा कि किसान को गन्ने का एक ही मूल्य मिले चाहे रिकवरी नानाप्रकार की हो, चाहे रिकवरी डिफरेन्ट हो, तो भी गन्ना बेचने वाले को एक ही मूल्य मिले ?

शायद मैं प्रश्न को स्पष्ट नहीं कर पाया हूं, मेरे कहने का भाव यह है कि एक ही किसान दो फैक्ट्रियों में गन्ना देता है, लेकिन रिकवरी एक जगह 9·5 प्रतिशत होती है और दूसरी जगह 9 प्रतिशत होती है इसलिये क्या आप कोई ऐसा प्रावधान आगे के लिये करेंगे कि गन्ने का एक ही मूल्य मिले ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यदि एक ही किसान दो भिन्न कारखानों को गन्ना देता है तो हम दोनों में कोई अन्तर नहीं कर सकते। कारखानों तथा गन्ने दोनों में त्रुटि हो सकती है। हो सकता है किसान ने गन्ना दो दिन पहले काट लिया हो। इससे रिकवरी कम हो सकती है। समूचे देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया गया है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य ही तो यह है। जैसा कि इस वर्ष हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक काफी मूल्य देते हैं। कारखानों ने किसानों

को 25 से 26 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया था। अतः यह न्यूनतम समर्थन मूल्य इस मामले में संगत नहीं है। समर्थन मूल्य समूचे देश के लिए नियत किया जाता है।

श्री रामनगीना मिश्र : मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब यह था कि क्या रिकवरी के बेसिज पर फार्मूला रहेगा या ऐसा नियम बनेगा कि गन्ना बेचने वाले हर किसान को एक ही मूल्य मिले, चाहे रिकवरी अलग-अलग हो? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री कृष्णप्रताप सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—आप अभी जो गन्ने का मूल्य निर्धारण करने जा रहे हैं तथा ऐसोसियेशन ने जो मांग की है—उन से विचार-विमर्श करते समय क्या इस बिन्दु को भी ध्यान में रखा जायगा कि करोड़ों-करोड़ रुपया जो किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया है, उस का भुगतान समय पर हो? इसके लिए क्या आप कोई कड़ी कार्यवाही करेंगे? क्या इस पर आप विचार कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर भी आ चुका है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गन्ने की कीमत के भुगतान पर तो हर वक्त विचार होता रहता है, इस का कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर मिल्ज एसोसियेशन ने मांग की है कि गन्ने का भाव 15 रुपये किया जाय, लेकिन गन्ने के भाव का बेसिज रिकवरी होता है, उस पर ही भाव तय किया जा सकता है, इससे बेहतर कोई दूसरा बेसिज नहीं हो सकता।

माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या हम भुगतान वक्त पर कराने की बात करेंगे, उसके लिये कायदा बना हुआ है। जो पिछला बकाया है उसका ज्यादा से ज्यादा भुगतान हम करा चुके हैं और फिर भी जो बाकी है उसको भी जल्द कराने के लिये जोर दे रहे हैं। मैंने पहले भी इस हाऊस में कहा है कि इस मामले में काफी सख्ती की जा रही है और जितना टोटल पेमेन्ट इस साल में हुआ है, उस के अनुसार इस साल के अन्दर सिर्फ 2 फीसदी ही बाकी रहा है और इतना कम पहले कभी बाकी नहीं रहा है।

नवसारी स्थित टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र के रूप में बदलना

820. **श्री सी०डी० पटेल** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवसारी (जिला बलसाड़, गुजरात) टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र के रूप में बदलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे बदलने का कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) डाक तार विभाग का यह उद्देश्य है कि वित्तीय तथा साज सज्जा संबंधी साधनों के उपलब्ध होने पर शीघ्र से शीघ्र सभी बड़े करचल एक्सचेंजों को स्वचल बना दिया जाये। इनमें नवसारी का एक्सचेंज भी शामिल है। नये भवन के लिए स्थान उपलब्ध होने के बाद नवसारी में स्वचल एक्सचेंज बनाने के लिये विस्तृत योजनाएं तथा परियोजना तैयार की जायेगी।

(ख) स्वचल एक्सचेंज भवन के लिये एक उपयुक्त प्लाट चुन लिया गया है और उसके अधिग्रहण के लिये कार्रवाई की जा रही है।

श्री सी०डी पटेल : महोदय, आरम्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर को देखने से समूची स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यह बड़े दुख की बात है कि माननीय मंत्री ने जो जानकारी

दी है, वह सही नहीं है। जहां तक नवसारी का सम्बन्ध है, यह बुलसाड जिले का सबसे बड़ा नगर है। अमलसाद, अनावल और बसादा जैसे छोटे नगरों में स्वचालित एक्सचेंज हैं, जब नवसारी में गत 35 वर्षों की मांग के बावजूद पुराना सेंट्रल बैटरी मल्टी प्रपच सिस्टम है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या 'नेशनल स्वीचिंग प्लांटस्कीम' जो कुछ वर्ष पहले बनाई गई थी, अभी भी मौजूद है और यदि हां, तो क्या नवसारी नगर को उस स्कीम में शामिल किया गया है। अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनका उत्तर किस प्रकार गलत है। भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है। "स्वचल एक्सचेंज भवन के लिए एक उपयुक्त प्लाट चुन लिया गया है और उसके अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की जा रही है।"

उत्तर कितना गलत है तथा मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि क्या अर्जन कार्यवाही आरम्भ की गई है और भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है? क्या वह सर्वेक्षण संख्या बता सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप कोई विशेष प्रश्न पूछिये।

श्री सी०डी० पटेल : मेरा यह विशेष प्रश्न है कि सर्वेक्षण संख्या क्या है और अर्जन कार्यवाही आरम्भ की गई है या नहीं।

श्री कार्तिक उरांव : मुझे इस बात में अत्यधिक खुशी होगी कि नवसारी में शीघ्रातिशीघ्र स्वचालित एक्सचेंज खोला जाये। परन्तु इसकी कुछ सीमायें हैं। इस समय नवसारी में 1680 क्षमता वाला करचालित एक्सचेंज है तथा कनैक्शनों की वर्तमान संख्या 1642 है और 511 नाम प्रतीक्षा सूची में है। यह स्थिति 31-3-80 की है। स्वचालित एक्सचेंज की व्यवस्था करने में कुछ कठिनाई है। सर्व प्रथम हमें इमारत बनाने के लिए भूमि प्राप्त करनी होगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमें स्वचालित उपकरण प्राप्त हों। अब जहां तक इस स्वचालित एक्सचेंज के परियोजना प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उस में कई बातें हैं। पहली बात भूमि के बारे में है। माननीय सदस्य ने कहा है कि भूमि अर्जन में बहुत अधिक समय लग रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य राज्य सरकार से अनुरोध करें, ताकि भूमि शीघ्र उपलब्ध हो जाये। हम पहली कार्यवाही यह कर रहे हैं कि नवसारी में भूमि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नवसारी में भूमि प्राप्त करने के लिए हम एस०बी० गारा कालेज न्यास से बातचीत कर रहे हैं। कालेज एक 6 एकड़ का प्लाट देने को तैयार है और जब भी यह उपलब्ध होगा, हम अगेतर कार्यवाही करेंगे। जहां तक स्वचालित एक्सचेंज का सम्बन्ध है, इसमें काफी समय लगेगा। वास्तव में आइ०टी०आई० की वर्तमान क्षमता इतनी है कि वह मुश्किल से वर्तमान स्वचालित एक्सचेजों की जरुरतें पूरी कर पा रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि स्थिति ठीक रही तो 1984-85 के कार्यक्रम में रायबरेली कारखाने से इस एक्सचेंज के लिए उपकरण आवंटित किये जायेंगे। यदि तब तक हर बात आशानुकूल रही तो हम 1986 में इस एक्सचेंज को चालू कर देंगे।

* 821. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्यों में वेश्यावृत्ति की प्रथा चल रही है?

(ख) क्या सरकार ने इस गंभीर खतरे से, निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है? जो कि समाज की बहुत सी बुराइयों और समस्याओं के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही करने का निर्णय किया है?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया था जो सिक्किम को छोड़कर समस्त देश में लागू है ।

2. यह अधिनियम वाणिज्य रूप में वेश्यावृत्ति को निषेध करता है । यह वेश्यावृत्ति का किसी भी रूप में अथवा एक सार्वजनिक स्थान के या किसी ऐसे स्थान के, जिसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किया गया हो, आसपास निषेध करता है । तो भी, वेश्यावृत्ति की समस्था पेचीदा तथा ऐसी सामाजिक बुराई के रूप में जिसकी जड़ें गहरी हैं बहुत से स्थानों में विशेषकर नगरों में विद्यमान है ।

3. इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों पर है । इस अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम का हाल में संशोधन किया गया है। अल्पकालिक आश्रमों की स्थापना करके वेश्यावृत्ति के विरुद्ध उपाय करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी भारत सरकार सहायता देती हैं ।

4. वेश्यावृत्ति की बुराई से उद्धार की गई स्त्रियों की देखभाल, सुरक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु सुरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं की स्थापना के लिए भी अधिनियम में उपबन्ध किया गया है ।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार के भरसक प्रयासों तथा विभिन्न विधियों के बनाये जाने के बावजूद इस प्रथा का अभी तक उन्मूलन नहीं किया जा सका है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रथा कब तक समाप्त कर दी जायेगी ? क्या माननीय मंत्री सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करेंगे ताकि वे इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिक सक्रिय कार्यवाही करें ।

श्री बी. शंकरानन्द : जैसा कि सभा को ज्ञात है वेश्यावृत्ति कभी भी कहीं समाप्त की जा सकती है । हमने स्त्री तथा लकड़ी अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 बनाया जो 1957 में लागू किया गया और राज्य सरकारें उसे क्रियान्वित्त कर रही हैं। कई राज्यों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर पग उठाये हैं । परन्तु मैं तुम्हें कोई तिथि नहीं बता सकता कि तब तक वेश्यावृत्ति पूर्णतया समाप्त हो जायेगी ।

श्री रतनसिंह राजदा : यह एक बहुत गम्भीर मामला है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री स्थिति की गम्भीरता को समझते होंगे । यह सच है और मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि इस समस्या को आसानी से हल नहीं किया जा सकता । यह दुनियां की सबसे पुरानी वृति है और जैसा कि आप ने कहा है इसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता । इसकी सामाजिक और आर्थिक पेचिदगियां हैं , जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री को याद दिलाता हूं कि "प्यासा" नामक एक फिल्म है, जिस में हम सब को विशेषकर मंत्रियों सहित समाज के नेताओं को चुनौती दी गई है । उसका एक गीत इस प्रकार है :—

मुल्क के रहबरों को यहां ले आओ
ये गलियां, ये मंजर उनको दिखाओ ।

मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय वहां गये हैं। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे संगठित गिरोह हैं जो कमसन उमर की लड़कियों को इस धंधे में फंसाने का प्रयास करते हैं। बम्बई नगर में आन्ध्र और केरल से लड़कियाँ लाई जाती है। और वे संगठित गिरोह उनसे अनैतिक कार्य करवाते हैं। केवल स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम पास करने से कुछ नहीं बनता। क्या केन्द्रीय सरकार एक नया कानून बनायेगी और राज्य सरकारों को समाज सेवकों की सहायता से इस सामजिक बुराई को दूर करने के लिए कहेगी ? क्या सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : केवल पुलिस या कानून द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता ?

प्रो० मधु दण्डवते : तो क्या मंत्री ?

श्री बी० शंकरानन्द : न मंत्री, न ही विपक्ष के नेता और न ही भूतपूर्व मंत्री इसे समाप्त कर सकते। वेश्यावृति निन्दनीय है परन्तु इसका सम्बन्ध सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से भी है। न केवल विकासशील देशों में अपितु विकसित देशों में भी इस बुराई को समाप्त नहीं किया जा सका है। यह बातों जैसा कि गरीबी और सामाजिक जागृति की कमी आदि पर निर्भर है। जब तक पूरा समाज इस बुराई के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं नहीं समझता कि केवल सरकार इसे रोक सकेगी (व्यवधान) शायद माननीय सदस्य को ऐसे गिरोहों की जानकारी है।

श्री रतनसिंह राजदा : एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में मुझे जानकारी है। महाराष्ट्र के आपके मुख्य मंत्री श्री अंतुले ने उन अड्डों का दौरा किया है।

श्री बी शंकरानन्द : मैं यह नहीं कहता कि किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता, को ऐसे गिरोहों की जानकारी होना शर्म की बात है। हर व्यक्ति को पता है कि ये सब किस प्रकार हो रहा है और लोग इस से कैसे धन एकत्र कर रहे हैं। मैं इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी से इंकार नहीं करता और सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी होगी।

श्री आर०एन० राकेश : इलाहाबाद नगर के प्रांगण में स्थित वह मकान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, आज वहां प्रास्टीट्यूशन हो रहा है, कई वर्षो से। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ओर यदि हां, तो क्या सरकार उस मकान से और उस मुहल्ले से प्रास्टीट्यूशन के अड्डों को हटाने की कोशिश करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह बहुत गम्भीर मामला है। वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, वेश्या बस्ती का भाग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री उस क्षेत्र में इस अनैतिक कार्य को रोकने के लिए राज्य सरकार को कोई निर्देश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उनके ध्यान में लाया गया है, वह इस बारे में विचार करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप मंत्री की ओर से उत्तर दे रहे हैं। वास्तव में यह बहुत गम्भीर मामला है। उन्हें इस बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश : हलाहाबाद नगर निगम ने तमाम कारैस्पौंडेंस इस के बारे में की है और मंत्री महोदय की फाइल में तमाम लैटर्ज मौजूद हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, यदि वह सत्य है, तो वास्तव में यह गम्भीर मामला है। सरकार मामले में छानबीन करेगी।

श्री के० सी० हाल्दर : प्रश्न पूछने से पहले में कहना चाहता हूं कि समाजवादी और साम्यवादी देशों में वैश्यावृत्ति नहीं है।

कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि कर्नाटक राज्य में देवदासी प्रथा विधमान है तथा अनुसूचित जातीय और आदिमजातीय लड़कियों को यह वृति अपनाने को बाध्य किया जाता है। यह प्रथा बंगलौर तथा कर्नाटक के कुछ अन्य भागों में है। मैं जानना चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है कि सामाजवादी और साम्यवादी देशों में वेश्यावृति नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) क्या में कह सकता हूं कि "मुझे" का अर्थ सरकार है, न कि शंकरानन्द। जहां तक देवदासी प्रथा का सम्बन्ध है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश के कुछ भागों में यह प्रथा प्रचलित है। यह सच हैं कि इन क्षेत्रों में निम्न जातियों की कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती और धर्म के अनुसार भगवान के साथ उनका विवाह हुआ समझा जाता है। यह सब धर्म के नाम पर होता है और धर्म के नाम पर युवतियों को वेश्यावृति की ओर आकर्षित किया जाता है। यह हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे यहां ऐसी प्रथा है और उसे धर्म का समर्थन प्राप्त है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि जहां देवदासी प्रथा नहीं है, वहां वेश्यावृति नहीं है। वहां भी वेश्यावृति है। अतः केवल देवदासी प्रथा ही इस के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, अधिनियम मौजूद है और सरकार उस के अनुसार कार्यवाही करेगी।

कोको का उत्पादन, निर्यात और उसका परिष्करण

*822. **श्री जार्ज जोसफ मंडाकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोको का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और उसकी कीमत 18 रु० प्रति किलो ग्राम से गिर कर 5.30 रु० प्रति किलोग्राम हो गई है तथा वास्तव में इस समय कोई खरीददार नहीं है,

(ख) सरकार इस का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके सीमान्त कृषकों को संरक्षण क्यों नहीं दे रही है तथा कोको के बीजों का सोवियत रूस अथवा किसी अन्य उपभोक्ता देश को निर्यात क्यों नहीं कर रही है, और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मूल्यवान खाद्य पदार्थ को उपयोग में लाने के लिए सरकारी क्षेत्र में अथवा सहकारिता क्षेत्र में कोको परिष्करण कारखाने लगाने का है'

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन) :

(क) ओर (ख) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कोको के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोको के बीजों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भूतकाल में ऊंचे थे। मांग को पूरा करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा का आयात करना पड़ता था। अतः स्थानीय मूल्य वर्तमान मूल्यों से अधिक थे। कोको के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसे किसी भी निर्यातक द्वारा रूस या किसी भी अन्य देश को निर्यात किया जा सकता है। केरल कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन किसानों से 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको के गीले बीज खरीद रही है।

(ग) राज्य सरकारें कोको परिसंस्करण कारखाने लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री जार्ज जोसफ मंडाकल--महोदय, पिछले पांच वर्षों से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों और अधिक कोको उपजाने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। अब कोको का उत्पादन अधिक हो रहा है और हमने अपने राज्य में काफी कोको पैदा किया है। दुर्भाग्यवश

कोको की कीमत 18 रुपये प्रतिकिलो से घटकर 5·30 रुपये किलो हो गई है। कृषि मूल्य आयोग अन्य कृषि वस्तुओं की कीमत तय कर रहा है। सरकार कोको का न्यूनतम अथवा निर्धारित मूल्य का आश्वासन क्यों नहीं देती है? केरल मार्केटिंग फेडरेशन 5·30 रुपये किलो की दर से भीगे कोको खरीद रही है। परन्तु उसका खरीद केन्द्र बहुत ही कम है। और वह सूखे कोको नहीं खरीद रही है। इसलिए किसान अपनी वस्तुओं को बेचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रूस पश्चिम अफ्रीकी देशों से काफी कोको खरीद रहा है। केन्द्रीय सरकार इसे बाहर बेचने अथवा निर्यात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है ताकि हम किसानों को मूल्य को स्थिर रख सके और वित्तीय सहायता दे सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम है और इसलिए सरकार किसानों को वित्तीय सहायता भी दे सकती है।

अब किसानों की ऐसी स्थिति है कि इधर कुआं उधर खाई। राज्य सरकार कह रही है कि केन्द्रीय सरकार को परिष्करण कारखाने लगाने हैं और केन्द्रीय सरकार कह रही है कि राज्य सरकार यह कह रही है। वस्तुतः दोनों में से कोई भी परिष्करण कारखाना लगाने का काम नहीं कर रही है। बहु राष्ट्रीय कंपनी कैडबरी ने किसानों को और अधिक कोको उपजाने के लिए सिर्फ प्रोत्साहन दिया है और अब वे क्षेत्र से हट गए हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में कुछ पहल करें। केन्द्रीय सरकार को परिष्करण कारखाना स्थापित करने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिए क्योंकि तकनीकी ज्ञान कोई और नहीं जानता है। अतः हमें विदेशों से तकनीकी सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम अपने देश में कोको परिष्करण कारखाना स्थापित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय—कोई प्रश्न नहीं है? यह सिर्फ अनुरोध है।

व्यवधान

श्री आर०बी० स्वामीनाथन—महोदय, इस देश में कोको नारियल और सुपारी बागानों में मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। यह पद्धति भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई थी। कोको को किसी देश में निर्यात किया जा सकता है, माननीय सदस्य इसे स्वयं कर सकते हैं। सरकार को तस्वीर में क्यों आनी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय—वे चाहते हैं कि किसानों के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाने चाहिए।

श्री आर०बी० स्वामीनाथन—हम किसानों के हितों की रक्षा हेतु सभी उपाय कर रहे हैं। यह कार्य न सिर्फ कैडबरी कर रहे हैं बल्कि अन्य हिताधिकारी भी कर रहे हैं। तकरीबन 2,000 मिट्रीकटन सूखा कोको इस देश में प्रयोग किया जाता है।

श्री जार्ज जोसफ मंडाकल—कोको का 80 प्रतिशत कैडबरी उपयोग करते हैं, परन्तु अब वे इसे नहीं खरीद रहे हैं। अब वे कुछ धोखेबाजी कर रहे हैं और उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। वे किसानों को मुफ्त बीज दे रहे थे। परन्तु जब उन्हें यह पता चला कि फालतू उत्पादन हुआ है तब वे किसानों को उनके लाभ से वंचित कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए इसका निर्यात करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकती है।

श्री आर०बी० स्वामीनाथन— कैडबरी कारखाने में हड़ताल था, इसलिए वे खरीदने में असमर्थ थे। अब हड़ताल समाप्त हो गया है, इसलिए अब वे खरीदना शुरू करेंगे। निर्यात के संबंध में भी सरकार इस बात की जांच कर रही है कि किस प्रकार इसे किया जा सकता है।

श्री सुभाषचंद्र बोस एल्लुरी - कुछ समय पहले कैडबरी किसानों को बीज और खाद दे रहे थे और कर्नाटक तथा केरल में बहुत सारे किसानों ने कोको उपजाया था। पर अब क्या हो रहा है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि आयातित कोको जो घटिया क्वालिटी का है, उसका मूल्य हमारे देश के कोको जो बढ़िया क्वालिटी का है, अधिक मिल रहा है। यह तर्क लेकर वे हमें शोषण कर रहे हैं कि भारतीय कोको घटिया किस्म का है अथवा इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो चाकलेट बनाने के लिए अच्छा नहीं हैं। अतः क्या सरकार एक परिष्करण कारखाना स्वयं स्थापित करेगी ताकि वह इसे एस०टी०सी० अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात कर सके ! क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है ?

श्री आर०वी० स्वामीनाथन--हाँ श्रीमान्, हम इस दिशा में सोच रहे हैं अब तक इसका आयात ओ०जी०एल० के अधीन था। परन्तु अब हम इसे एस०टी०सी० के माध्यम से कर रहे हैं। हम इस पर नजर रखेंगे कि क्या आयातित कोको आवश्यक है। यदि इसका आयात करना आवश्यक नहीं हुआ हो तो सिर्फ अपना कोको ही प्रयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय—वे जानना चाहते है कि क्या आपने इन कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त किया है।

श्री आर०वी० स्वामीनाथन—हमने इसे समाप्त कर दिया है। यदि आयातित किस्म घटिया है तो उपयोगकर्ता को इसका ऊंचा मूल्य क्यों देना चाहिए ? उन्हें सिर्फ उचित मूल्य देना चाहिए।

मद्यनिषेध नीति में ढील

823. **श्री कुँवर राम** : क्या **समाजकल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य मद्य निषेध नीति में ढील दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानाद) (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री कुवंर राम—अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने उत्तर में कहा कि सरकार से यह सूचना मंगा रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें यह पता नहीं कि विहार में अभी कैबिनेट की बैठक हुई और प्रोहिबिशन को उठा दिया गया ?

श्री बी० शंकरानन्द—सरकारी रूप से विहार सरकार ने हमें सूचित नहीं किया है। हमें जो कुछ मालूम हुआ है वह समाचार पत्र से मालूम हुआ है।

श्री मनी राम बागड़ी—क्या कह रहे हैं ? स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है आपको पता ही नहीं है ? गैर जिम्मेदारी का बयान है यह।

श्री बी० शंकरानन्द—बिहार में मद्यनिषेध 1979 में एक उद्घोषणा द्वारा लागू किया गया था, चूंकि बिहार सरकार ने उक्त उद्घोषणा को अधिनियम में बदलने अथवा उसका नवीकरण करने का कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उद्घोषणा समाप्त हो गयी और स्थिति वही हो गयी जो 1-4-1979 से पहले थी।

श्री कुंवर राम– अगर इस तरह की बात है, अगर प्रोहिबिशन को समाप्त करने की ओर सरकार कदम उठा रही है, मद्यनिषेध को समाप्त करने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि शराबखोरी से स्वास्थ्य और धन दोनों की हानि होती है—इस

बात को सरकार भी मानती है, ऐसी दशा में जब सरकार नीति सम्बन्धी परिवर्तन लाना चाहती है—मैं यह प्रश्न समाज कल्याण मंत्री से पूछ रहा हूं, आबकारी मंत्री से नहीं क्योंकि समाज कल्याण मंत्री का काम है कि समाज का कल्याण हो—अगर आप शराबखोरी को जारी रखना चाहते हैं तो मर्यादित ढंग से रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री बी शंकरानन्द—मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह बहुत ही बुरी बात है। पीना बुरी बात है और अति पीना और बुरी है।

अध्यक्ष महोदय—दूध पीना बुरा नहीं है।

श्री बी०शंकरानन्द—पीकर नशे में हो जाना बहुत बुरा है।

अध्यक्ष महोदय—यह ठीक है।

श्री बी० शंकरानन्द—1975 में 12 सूत्री कार्यक्रम था और तब सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे।

श्री ज्योतिर्मयबसु:— क्या वह स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से कह रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द—मैं समाज कल्याण मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं।

श्री ज्योतिमयबसु : ब्रिटीश मेडिकल एसोसिएशन की पत्रिका लैन्सेट में उन्हें निबन्ध पढ़ना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द— 12 सूत्री कार्यक्रम के तहत कतिपय दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके पश्चात् 1979 के आस पास, पिछली सरकार ने भी शराबबंदी संबंधी कतिपय दिशा निर्देश जारी किए थे। मद्यनिषेध चार वर्षों के अन्दर लागू करना था। दुर्भाग्यवश वे चार वर्ष तक सत्ता में नहीं रहे। वर्तमान सरकार इस बात के लिए इच्छुक है कि गरीब व्यक्ति स्वस्थ हों। हम गरीबों के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए चिन्तित हैं।

श्री रतनसिंह राजदा—नीति निर्देशक सिद्धान्त का क्या हुआ ?

श्री बी० शंकरानन्द—हमारे अपने दिशा निर्देश हैं और जो दिशा निर्देश हमने 1975 में जारी किए थे वे अभी भी हैं हमने उन्हें वापस नहीं किया है। जहां तक मद्यनिषेध का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह राज्य सरकारों को लागू करना है।

श्री राम बिलास पासवान—अध्यक्ष महोदय हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 47, जो डायरेक्टिव प्रिंसुपल आफ स्टेट पालिसी है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से आग्रह करेगी कि वे मद्यनिषेध के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायें। मैं दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं :

1147 राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि—तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप शराबबन्दी चला रहे हैं और दूसरी तरफ जिन राज्यों ने शराब को बन्द किया था, उसको फिर चला रहे हैं, तो क्या यह संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आफ स्टेट पालिसी का उल्लंघन नहीं है। क्या सरकार का यह कदम कि जो पिछले चुनाव में आपने ठेकेदारों के मालिकों से पैसा लिया था, उनको खुश करने का नहीं है ?

श्री बी० शंकरानन्द कम से कम हमें ऐसे सौदों के बारे में नहीं मालूम है जिससे माननीय सदस्य अवगत हैं। मद्यनिषेध के प्रश्न पर राजनैतिक तत्व को नहीं घुसने क्योंकि यह राष्ट्रीय

प्रश्न है। मैं राजनैतिक नेताओं से अनुरोध करता हूं कि इस सामाजिक समस्या में राजनीति न घुसने दें। माननीय सदस्य ने संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा है। क्या मैं सदन को बता सकता हूं कि पूरी समस्या यह है कि क्या नीति निर्देशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों से अधिक दर्जा दिया जाए और क्या वे न्यायालयों में प्रवृतीय हैं ? यहां हमें गंभीरता से सोचना पड़ता है। हांलाकि सरकार को नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि नीति निर्देशक, सिद्धान्त हमेशा संवैधानिक उपबन्ध ही बना रहना चाहिए। वे सरकार को दिशा निर्देश करने के लिए हैं ताकि वह अधिनियम बना सके। इस मामले में जैसे मैंने कहा, मद्यनिषेध राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। हमने अपना दिशा निर्देश उन्हे जारी कर दिया है।

श्री रामविलास पासवान—अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय—गाइडलाइन्स के मुताबिक स्टेट्स को लिख दिया है कि शराब बन्द करो।

श्री रामविलास पासवान—क्या यह राज्य सरकारों को विधान के साथ लिखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय—लिख दिया है।

श्री भागवत झा आजाद—जबकि मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं कि 1975 के दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन नहीं किया है और राष्ट्रपिता की इस नीति के प्रति प्रतिवद्ध हैं कि मद्यनिषेध जरूरी है और राज्य को इसके राजस्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में एक राज्य के बाद दूसरे राज्य मद्यनिषेध को क्यों समाप्त कर रहें हैं ? बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया मैं यह जानना चाहता हूं। यदि आपने गाइडलाइन्स नहीं बदले हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ? क्या उन्होंने राष्ट्रपिता की पुकार भुला दी है। चाहे जो कुछ भी, जितना राजस्व की हानी क्यों न हो. मद्यनिषेध जरूरी है। उसका क्या हुआ ?

श्री बी० शंकरानन्द—अनेक राज्य मद्यनिषेध को राजस्व की हानी के भय से नहीं लागू कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वे अपनी मद्यनिषेध नीति का पालन कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय समाजकल्याण मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में मद्यनिषेध लागू किया गया है, क्या उन राज्यों से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि उन जगहों पर अवैध शराब के धन्धे बड़ी मात्रा में बढ़ गए हैं ? क्या सरकार को इस प्रकार की भी शिकायतें मिली हैं कि जिस समय मद्यनिषेध लागू किया गया, उस समय, अंग्रेजी में जिसे "बूट—लैगर" कहते हैं, उनकी एक बड़ी लांबी कार्य कर रही थीं, सरकार पर असर डालने के लिए, कि मद्यनिषेध लागू किया जाए ? क्या तत्कालीन···(व्यवधान)···

श्रीमान्, मैं यह जानना चाहूंगा कि मद्य निषेध लागू करते समय क्या तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में इस पर आपस में कुछ इख्तलाफात थे ?

श्री बी० शंकरानन्द : हम सबको मालूम है कि जहां कहीं भी मद्यनिषेध लागू है वहां अवैध शराब बनाने का धंधा बढ़ रहा है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने भाग का धन पश्चिम बंगाल को न दिया जाना।

*824 श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1979 से कालेज के अध्यापकों को दिए जाने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में वेतनों का भुगतान करने के लिए अपने भाग का धन देना बंद कर दिया है ,

(ख) क्या राज्य शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि इस धन का दिया जाना जारी रखा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भाग का धन न मिलने के कारण पश्चिम बंगाल के कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापक बिना वेतन के न रह जायें ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, दी जा रही वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों को केवल 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि तक देय थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सस्ते और पोषाहार दुग्ध उत्पादों के निर्माण की नई प्रक्रिया

825. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने विशेष रूप से ग्रामीण विपणन के लिए सस्ते और पोषाहार दुग्ध उत्पादों के निर्माण में एक विशेष प्रक्रिया विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य राज्य डेरी विकास निगम नये प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में डेरी विकास और दुग्ध प्रौद्योगिकी की क्या प्रगति है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) (क) से (घ) : केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन के लिए सस्ते दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए प्रक्रिया विकसित नहीं की है। तथापि, संस्थान ने मिल्टोन नामक उत्पाद के निर्माण हेतु एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसे मूंगफली प्रोटीन आइजोलेट और दूध के मिश्रण से तैयार किया जाता है और जिसे दूध की एवज में स्वीकार्य पाया गया है। इस उत्पाद के निर्माण के लिए कुछ राज्यों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन क्रियान्वयन एजेंसियां अनिवार्यत: राज्य डेरी विकास निगम नहीं हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, उस राज्य में ऐसी कोई मिल्टोन परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता से एक समेकित पशु तथा डेरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में हरिजन/आदिवासी विद्यार्थियों को प्रवेश पाने की सुविधाएं

*826 **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभाशाली हरिजन/आदिवासी विद्यार्थियों को सरकार की सहायता से प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध शिवा संस्थानों में प्रवेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या हरिजन/आदिवासी विद्यार्थियों को केन्द्रीय स्कूलों में प्रवेश और छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार हरिजन/आदिवासी विद्यार्थियों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की विशेष शिक्षा देने के लिए कोई संस्था खोलने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :

(क) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है जिसके अंतर्गत कम आय वाले वर्गों के उत्कृष्ट बच्चों को, जो अच्छे आवासीय माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन के अवसरों का लाभ उठाने में अन्यथा असमर्थ होते हैं, शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के अंतर्गत उन छात्रों को, जिनके माता पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 6,000/- रु० से अधिक नहीं होती, प्रति वर्ष 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति पाने वालों का चयन अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। इन छात्रवृत्तियों में से 15 प्रतिशत तथा 5 प्रति० छात्रवृत्तियाँ क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर एक छात्रवृत्ति योजना है। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड को 4 छात्रवृत्तियाँ, प्रत्येक जनजातीय सामुदायिक विकास खंड को 2 अतिरिक्त छात्रवृत्तियाँ और 20% या इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में अनुसूचित जाति के एक प्रतिभावान बच्चे को एक छात्रवृत्ति के हिसाब से 22,500 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 2,500 छात्रवृत्तियाँ आरक्षित हैं।

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) में नए दाखिलों के 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रति० स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होते हैं। सामान्यतया केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावासों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

मार्डन बेकरीज, उज्जैन में कर्मचारियों की छंटनी

*827. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि। मार्च, 1950 को माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, उज्जैन ने ऐसे 103 कर्मचारियों की छंटनी की थी जो संयंत्र में लगभग 6-7 वर्षों से काम कर रहे थे, जब यह संयंत्र भारतीय खाद्य निगम का था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब संयंत्र भारतीय खाद्य निगम से माडर्न बेकरीज के स्वामित्व में आया था तब उन्होंने घोषणा की थी कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो छंटनी किए गये इन 103 कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) : जी नहीं। माडर्न बैकरीज द्वारा भारतीय खाद्य निगम से लिए गए उज्जैन प्लांट से किसी भी नियमित कर्मचारी को नहीं निकाला गया है। तथापि, 103 कैजुअल कर्मचारी थे, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार समय-२ पर लगाया जाता था। माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० भी उन्हें जब कभी आवश्यक होगा, उनकी वर्तमान शर्तों पर कैजुअल कर्मचारियों के रूप में लगाएगा।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नगरीय विकास

828* **श्री आर० के० महालगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार की समेकित नगर विकास योजना के लिए किन-किन नगरों को चुना गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे नगरों से संबंधित प्रत्येक योजना का ब्योरा आगे मंजूरी के लिए पेश कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो किन नगरों के बारे में और कब;

(घ) ऐसी योजनाओं के लिए अन्तिम मंजूरी कब तक दी जाएगी; और

(ङ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्र द्वारा किस तरह की वित्तीय सहायता दी गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) छोटे और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत, अब तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित कस्बों से संबंधित एकीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में दी जा चुकी है :—

कस्बे का नाम	वे घटक जिसके लिए केन्द्रीय सहायता दी गई	सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
बर्सी	कृषि उत्पाद विपणन यार्ड तथा इण्डस्ट्रीयल एस्टेट	1.50
पराली वैजनाथ	स्थल एवं सेवाएं	2.50
मनमद	सड़कों को अपग्रेड करना एवं चौड़ा करना तथा दो कम लेवल के पुलों का निर्माण	1.50

(ख) तथा (ग) : उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कस्बों की परियोजना रिपोर्ट भी इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार से फरवरी, 1980 में प्राप्त हो गई है :—

1. यवतमाल
2. वाशिम
3. रत्नगिरि
4. सतारा
5. अमलनेर
6. बारामती
7. परभानी
8. कमढी

(घ) यवतमाल की एकीकृत विकास परियोजना रिपोर्ट पर मंजूरीदाता समिति द्वारा अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त इसी प्रकार के परियोजनाओं के साथ- विचार किया जाएगा । शेष 7 कस्बों की परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना भेजें । महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विचार किया जाएगा ।

(ङ) छोटे और मध्यम कस्बों की एकीकृत विकास योजना में चुने गए छोटे तथा मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास के सहायतार्थ राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विकास की चुनिन्दा मदों के लिए भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के प्रबन्ध का ध्यान रखा गया है इस योजना की मुख्य-२ बातें इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय वित्तीय सहायता किसी एक परियोजना के लिए ऋण के रूप में बराबरी के आधार पर दी जाती है जो 40 लाख रुपये से अधिक नहीं है ।

(2) एकीकृत परियोजना के निम्नलिखित घटक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं : —

(एक) रिहायशी योजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन तथा विकास । इसमें स्थल एवं सेवाएं भी शामिल हैं ।

(दो) सड़कों का निर्माण तथा मौजूदा सड़कों का सुधार । उन्नयन सहित इस परियोजना को सैल्टर तथा रोजगार घटक को उपयोगी बनाने के लिए यातायात एवं परिवहन किन्तु इसमें मोटर कारों की खरीद शामिल नहीं है ।

(तीन) भीतरी इलाके में कृषि तथा ग्रामीण विकास के हित के लिए मण्डियों/मार्किटों का विकास करना औद्योगिक सम्पदाओं की व्यावस्था करना और सेवाओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

3. एकीकृत परियोजना के निम्नलिखित घटकों के लिए राज्य योजनाओं से निधियों की व्यवस्था की जानी है :—

(एक) गन्दी बस्ती सुधार/उन्नयन, नगरीय नवीकरण और छोटे पैमाने पर रोजगार पैदा करने की गतिविधियां ।

(दो) जलपूर्ति, मल निर्यास, जल-विकास नाली और सफाई की कम लागत की योजना ।

(तीन) उद्यान एवं खेल के मैदान ।

(चार) नगर बृहत् योजनाओं में मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति के लिए, जहां आवश्यक हो, संशोधन करने के प्रयोजनार्थ सहायता।

उर्वरकों का प्रयोग और उनका खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रभाव

*829. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है परन्तु क्या उनके प्रयोग से कुछ वर्षों में भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर कभी विचार किया है;

(ख) क्या उर्वरकों के अधिक प्रयोग किये जाने से भूमि को पानी की अधिक आवश्यकता होती है और उससे जमीन में अधिक लवणता आ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) यह सही है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । तथापि, यह सही नहीं है कि उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, बशर्ते कि उर्वरक का ठीक ढंग से प्रयोग किया गया हो।

(ख) यदि उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाए तो इसके लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद रहनी, चाहिए ताकि फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध हो सकें। तथापि, यह सही नहीं है कि उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने की वजह से मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं होता। सरकार उर्वरकों के उचित प्रयोग के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने की ओर ध्यान दे रही है। अभी यहां विकसित कृषि वाले कई अन्य देशों की तुलना में बहुत-कम उर्वरक प्रयोग किया जाता है।

जयपुर में डाक और तार सुविधायें

*830. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में ऐसी बहुत सी आवासीय बस्तियां है जहां किसी भी प्रकार की डाक-तार सुविधा नहीं है और डाक न मिलने के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से बहुत सी बस्तियों में कोई डाकघर या तारघर नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विषय में डाक विभाग के अधिकारियों के पास भेजे गये अभ्यावेदन शिकायतें व्यर्थ साबित हुई हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं। यह तथ्य नहीं है कि जयपुर में बहुसंख्यक आवासीय बस्तियों में डाक और तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह भी तथ्य नहीं है कि जयपुर की बहुसंख्यक बस्तियों में कोई डाकघर अथवा तार घर नहीं है।

(ग) पिछले दिनों हाल में ही जयपुर के डाक प्राधिकारियों को डाक और तार घरों की अपर्याप्त संख्या के बारे में कोई शिकायत अथवा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) शहर में डाक और तार सुविधाओं में और आगे सुधार करने के लिए, विभाग चालू वित्तीय-वर्ष के दौरान 5 और डाक घर खोलने पर विचार कर रहा है।

विदेशों के साथ "हाट लाइन" सम्पर्क

*831. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अन्य देशों के बीच कोई "हाट लाईन" (टेलीफोन या टेलेक्स) सम्पर्क है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और किस वर्ष से यह सम्पर्क बना हुआ है ; और

(ग) क्या यह सफल रहा है और किस प्रकार से ?

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क): जी नहीं.

(ख) और (ग): सवाल पैदा नहीं होता,

विदिशा-भोपाल तथा रायसैन-भोपाल के बीच एस० टी० डी० सेवा

*832. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदिशा-भोपाल तथा रायसैन-भोपाल के बीच एस०टी०डी० सेवा शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था में क्या प्रगति हुई है और इसे कब तक स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यहा काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) अभी तक केवल विदिशा और भोपाल के बीच एस०टी०डी० प्रणाली चालू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(ख) विदिशा और भोपाल के बीच एस०टी०डी प्रणाली को 1978-83 की योजना में शामिल किया गया था। विस्तृत योजना तैयार करने के पश्चात् पारेषण प्रणाली तथा स्विचिंग उपस्करों के आर्डर दे दिये गये हैं।

(ग) यह कार्य 1983 तक पूरा किये जाने की संभावना है वशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

पशु पालन तथा सब्जियों और खाद्य-पदार्थों के परिष्करण में विदेशी सहयोग

833 **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुपालन तथा सब्जियों और खाद्य-पदार्थों के परिष्करण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) पशु पालन के क्षेत्र में विदेशी सहायता प्राप्त 18 ऐसी स्वीकृत परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। विदेशी सहयोग आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विटजरलैंड तथा ब्रिटेन से है और यह भेड़ व पशुओं के संकर प्रजनन, हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना, पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के क्षेत्रों से सम्बन्धित है। सब्जी एवं फल परिसंस्करण के क्षेत्र में कोई भी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना जारी नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू

*834. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मिडिल और 10 जमा 2 के पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों के विषयों में उर्दू सम्मिलित है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन विद्यालयों में इसे पढ़ाया जा रहा है और ऐसे विद्यालय कहाँ-कहाँ हैं ;

(ग) क्या सरकार उन राज्यों में उर्दू पढ़ाने की वांछनीयता पर विचार करेगी, जहाँ काफी लोग उर्दू बोलते हैं, और छात्रों को, विशेषकर मिडिल स्तर पर 'उर्दू' अथवा 'संस्कृत' एक विषय के रूप में लेने की छूट देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : उर्दू उन केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल्स) में एक अतिरिक्त भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है जहां 20 या इससे अधिक छात्र उर्दू पढ़ना चाहते हैं। जिन केन्द्रीय विद्यालयों में आजकल उर्दू पढ़ाई जाती है उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को अविरत शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं, देश भर के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम तथा शिक्षा का समान माध्यम है। स्थानीय भाषाई विचारों को ध्यान में रख कर शिक्षा में क्षेत्रीय रूपान्तर करना कठिन होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई विकसित कालोनियों में स्कूलों और कालेजों की व्यवस्था

*835. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की उन नई कालोनियों में, जहां 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन लाटरियां निकालने के माध्यम से वर्ष 1975-76 में निम्न और मध्यम आय ग्रुप के लोगों को भूमि के प्लाट आवंटित किए गए थे, प्राथमिक, मिडल, हाई, हायर सैकण्डरी स्कूलों तथा कालेजों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा विभाग ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और इस परियोजना के कार्य को कब तक गति मिलने की आशा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मंजूरी पर कर्मचारी

*836. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में दैनिक मंजूरी के आधार पर नियुक्ति हेतु उन्हीं व्यक्तियों के बारे में विचार किया जाता है जो रोजगार कार्यालयों से भेजे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि स्थायी नियुक्तियां करते समय दैनिक आधार पर काम कर रहे इन व्यक्तियों के नामों पर विचार नहीं किया जाता जबकि अन्य मन्त्रालयों में दैनिक मंजूरी आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सीधी भर्ती कोटे के लिये सभी भर्तियां रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से की जाती है। मस्टर रोल पर लगाये गये उसी वर्ग के छटनी किये गये और फालतू

घोषित किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति के लिये चयन के मामले में वरीयता दी जाती है लेकिन मस्टर रोल के कर्मचारियों को अवश्य ही रोजगार कार्यालय के जरिये आना चाहिये।

आई० आई० टी० के लाइफ गार्ड्स और पिक्नरों के वेतनमान

*6586. **श्री थाम्भाई एम० करुणानिधि** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के सिवाय कानपुर तथा अन्य स्थानों पर आई०-आई० टी० के जिमखाना के स्विमिंग पूल और पिक्नरों के लाइफ गार्डों के वेतनमान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आई० आई० टी०, मद्रास के लाइफ गार्ड और पिक्नर अनुसूचित जाति के हैं तथा नियमित वेतनमान के बिना उन्हें वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो लाइफ गार्डों और पिक्नरों के पदों पर अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है तथा उन्हें नियमित सेवा और नियमित वेतनमान कब दिया जाएगा ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता :

(ग) और (घ) : आई० आई० टी०, मद्रास के 9 लाइफ गार्डों में से 2 अनुसूचित जातियों के हैं। 16 ग्राउंड तथा पिकर बायज में से 14 अनुसूचित जातियों के हैं। ये स्विमिंग क्लब और छात्र जिमखाना द्वारा दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे गए हैं और इनका वेतन वे अपने चंदे में से देते हैं। ये संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, अतः इन्हें नियमित नौकरी तथा नियमित वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में काम के बदले अनाज कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की शिकायतें।

*6587. **श्री चतुर्भुज** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सभी जिला कलेक्टरों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) 1022

(ग) कुल 1022 शिकायतों में से 168 को जांच-पड़ताल करने पर निराधार पाया गया है, 851 शिकायतों की जांच की जा रही है और 3 मामलों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात 3 सरपंचों को निलम्बित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में प्रवर नगर, कोलार और बेलापुर स्थित टेलीफोन केन्द्रों का जोड़ना

*6589. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकरण में कार्यकुशलता लाने के लिए इस समय महाराष्ट्र में प्रवरनगर, कोलार और बेलापुर में स्थित टेलीफोन केन्द्रों को जोड़ने की मंजूरी दी गई है क्योंकि इस क्षेत्र में

उद्यानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और प्रगतिशाली कृषकों की बहुतायित है ; और

(ख) प्रस्तावित टेलीफोन केन्द्रों को कब तक जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : श्रीरामपुर, कल्याण, प्रवरनगर और वेलापुर नगरों के बीच ग्रुप डायलिंग सेवा प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है। उपस्कर की स्थापना की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके चालू हो जाने की संभावना है।

खाद्यान्नों की हानि

*6590. श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान खाद्यान्न को ले जाते समय उसकी चोरी होने, उसके लिए अपर्याप्त भण्डारण व्यवस्था होने और कीड़ों तथा चूहों द्वारा उसे नष्ट किये जाने के परिणाम-स्वरूप सरकार को इसकी कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) भविष्य में इस हानि को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : भारतीय खाद्य निगम में 1978-79 के दौरान, भण्डारण तथा मार्ग (समुद्री मार्ग सहित) में 44.23 करोड़ रुपये मूल्य के 3.05 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की निवल कमी हो गई थी जोकि उस वर्ष के दौरान हुई खरीदारी तथा बिक्री के 1.3 प्रतिशत के बराबर है।

(ख) ऐसी कमी कम से कम होने पावे उसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) गोदामों का आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया जाता है।

(2) विशेषकर वर्षाकाल में यथा सम्भव खुले वैगनों में माल नहीं भेजा जाता है। जब खुले वैगनों का इस्तेमाल किया जाता है तब उन्हें तिरपालों से ढक दिया जाता है और उनको अच्छी तरह रस्सियों से बांध दिया जाता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रमुख जांच-केन्द्रों पर रास्ते में जांच की जाती है। खुले वैगन में भेजे जाने वाले खाद्यान्न अधिकांशतः हमेशा ही विशेष गाड़ियों में ही भेजे जाते हैं जिन पर रेलवे एस्कार्ट के रूप में सुरक्षा-दल की व्यवस्था करता है।

(3) खुले में रखे गए स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर स्टैक किया जाता है और उसे विशेष तौर पर तैयार किए गये 'वाटर-प्रूफ' पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है और उसे नाइलन की रस्सियों से ठीक से बांध दिया जाता है ताकि क्षति को रोका जा सके। उसकी अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलीथीन की चादरों को समय-समय पर बदल दिया जाता है।

(4) भण्डारण डिपों पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है।

वर्ष 1977-78 में चीनी की खपत

*6591. श्री भीम सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में चीनी की राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत की मात्रा कितनी थी; और

(ख) प्रत्येक राज्य की वर्ष 1977-78 में माह-वार कुल खपत कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) एक विवरण-2 संलग्न है।

विनियंत्रण की नीति के अधीन, उपर्युक्त आंकड़े 1-10-1977 से 15-8-1978 तक की

अवधि के लिए लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी और 16-8-1978 से 30-9-1978 तक की अवधि के लिए केवल खुली बिक्री की चीनी से संबंधित है। इसके अलावा, खुली बिक्री की चीनी की खपत विभिन्न राज्यों के लाइसेंसशुदा व्यापारियों को फैक्ट्रियों द्वारा किए गये खुली बिक्री की चीनी के प्रेषण पर आधारित होती है क्योंकि खुली बिक्री की चीनी के मूल्य तथा वितरण पर सांविधिक नियंत्रण के न होने से बाद के संचलन की स्थिति मालूम नहीं है।

विवरण-1

लोक सभा में 4-8-1980 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 6591 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

चीनी वर्ष 1977-78 में चीनी की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत को बताने वाला विवरण

राज्य	चीनी वर्ष 1977-78 में खपत किलो/वर्ष में	चीनी की प्रति व्यक्ति
1. आन्ध्र प्रदेश	5.16	
2. असम, अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय	5.06	
3. बिहार	4.42	
4. गुजरात और दादरा नगर हवेली	10.47	
5. महाराष्ट्र	12.10	
6. केरल और लक्षद्वीप	6.98	
7. मध्य प्रदेश	5.19	
8. तमिलनाडु और अण्डमान	6.88	
9. कर्नाटक	6.49	
10. उड़ीसा	3.72	
11. पंजाब	16.36	
12. हरियाणा	10 44	
13. राजस्थान	6.32	
14. उत्तर प्रदेश	5.77	
15. पश्चिमी बंगाल	6.72	
16. जम्मू और कश्मीर	5.55	
17. दिल्ली	14.16	
18. हिमाचल प्रदेश	6.85	
19. मणिपुर	3.24	
20. त्रिपुरा	4.24	
21. पांडिचेरी, कारीकल माहे और यमन	17.69	
22. गोआ, दमन और दीव	8.73	
23. नागालैण्ड	7.40	
24. चण्डीगढ़	17.10	
25. सिक्किम	5.33	

विवरण-2

लोक सभा में 4-8-80 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 6591 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण।

चीनी मौसम 1977-78 में चीनी की राज्यवार मासिक खपत को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य	अक्तू० 77	नव० 77	दिस० 77	जन० 78	फर० 78	मार्च 78	अप्रैल 78	मई 78	जून 78	जुलाई 78	अग० 78	सि० 78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ध्र प्रदेश	19243	15609	23563	22898	20438	21829	19672	21362	26178	27115	18538	17854
ाम, अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय	8741	9485	12058	10212	9998	10262	5136	11384	7182	11887	11471	17329
हार	23957	20379	23095	22715	24520	28369	22183	28794	23965	29085	21716	18496
जरात और दादरा नगर हवेली	39456	27080	29371	27274	23183	21632	20872	22458	23094	27229	27418	39568
हाराष्ट्र	57979	58917	57925	54668	54952	51409	54034	50113	50685	61042	59225	92127
रल और लक्षद्वीप	17099	17422	13942	17266	12333	13265	16608	13295	12023	18639	11841	9416
ध्य प्रदेश	17840	21837	23844	24849	25185	17545	22661	22952	21625	23412	14993	23628
मिल नाडु और अण्डमान	25100	26140	24147	27583	26798	22100	27808	25113	34951	36682	20741	18679
र्नाटक	17120	17439	20589	22400	9380	21259	21546	17804	17473	15546	18917	20271
ड़ीसा	9721	5549	11392	9004	8954	12426	9209	8471	5000	6692	4995	4197
ाब	23742	21818	20590	20871	15842	14795	17316	18304	18765	19582	26294	33013
रयाणा	9424	9114	10330	9192	8246	8915	7278	9530	9084	9553	12535	19706
जस्थान	14686	17092	11025	18884	19328	17841	14703	13040	10253	20486	15317	25174
तर प्रदेश	45203	39500	45367	52583	43253	49009	53100	43265	42436	59061	42233	66551
श्चमी बंगाल	25053	34014	26119	35857	27418	30552	31302	30269	22668	32320	26199	33810
म्मू और कश्मीर	2922	2132	2770	2685	1680	1440	3916	2278	3095	3046	2665	2445
ल्ली	9070	5909	7841	6477	4517	7272	4676	3854	6833	3697	6912	11507
माचल प्रदेश	3330	3062	2679	2386	2221	2041	2219	2058	1301	2778	1386	2082
णपुर	460	—	535	535	534	336	233	789	510	—	354	96
ुरा	556	539	789	907	773	785	774	773	773	773	583	232
डचेरी, कारिकल, माहे और यमन	402	359	381	402	302	354	354	386	402	336	342	288
ा, दमन और दीव	897	1057	839	731	765	762	783	848	851	961	702	186
ागालैण्ड	363	577	346	421	305	462	315	537	460	401	473	208
डीगढ़	690	589	587	725	346	574	389	741	321	561	919	969
क्किम	128	114	136	150	72	103	141	109	109	124	96	13

त्रिलोकी कालोनी, नई दिल्ली का विकास

6592 **श्री ए० सी० दास** :—क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क),' कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के अधिगृहीत किये गये खाली क्षेत्रों के विकास एवं उपयोग में लाये जाने के बारे में अधिकारियों द्वारा क्या प्रगति प्राप्त की गई है और इसको कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) प्लाट/मकान मालिकों पर विकास प्रभार लगाने के लिये उक्त कालोनी के रिहायशी प्रयोजन के लिये 'रिलीज' किये गये भाग का सर्वेक्षण करने में क्या प्रगति हुई है और इसके कब पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है : —

त्रिलोकी कालोनी के लिए विन्यास नक्शे को स्थाई समिति द्वारा कतिपय शर्तों पर दिनांक 21-12-60 के अपने संकल्प सं० 919 के द्वारा अनुमोदित विन्यास नक्शे का अनुमोदन की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि कोलोनाइजर कालोनी को विन्यास नक्शे के अनुमोदन के एक वर्ष के भीतर विकसित करेगा।

तत्पश्चात् कालोनी के एक भाग के लिए संशोधित विन्यास नक्शा अनुमोदित किया गया जिसमें 86 रिहायशी प्लाट थे। साधारणतया, प्रथा के अनुसार कोलोनाइजर द्वारा सेवाओं की व्यवस्था की जानी है। तथापि, इस मामले में कालोनाइजर द्वारा पूरी सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी और प्लाटधारियों की एसोशिएशन निगम से उनको निर्माण गतिविधियां आरम्भ करने और सेवाओं की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध करती रही है। प्लाटधारियों के अनुरोध पर अपूर्ण सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अनुग्रह बनाने की कार्रवाई आरम्भ की गई, परन्तु न तो प्लाटधारियों की एसोसिएशन ने और न ही कालोनाइजर ने सेवाओं की जांच करने में सहयोग दिया। ऐसोसिएशन ने सेवाओं की जांच करने के लिए निगम को सेवाओं के नक्शे भी नहीं भेजे हैं। यह भी सूचना दी गई है कि स्थल पर अनधिकृत निर्माण बन गये हैं और अनुमोदित नक्शे के अनुसार क्षेत्र को विकसित करना सम्भव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में दिल्ली नगर निगम को इस कालोनी में निर्माण की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कालोनियों की इमारतें

6593. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार न राजधानी में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों के कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये नई दिल्ली नगर निगम के भवनों सहित निजी भवनों के किराये के रूप में वर्ष 1979-80 के दौरान किराये की कुल कितनी राशि अदा की है;

(ख) लोदी रोड में कार्यालय कम्प्लैक्स को पूरा होने में तथा वहां कुछ कार्यालयों के खोले जाने में कितना समय लगेगा और उससे किराये की कितनी बचत होने की सम्भावना है;

(ग) कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर और विशेष रूप से दक्षिण में ले जाये जाने की स्थिति क्या है; और

(घ) सभी कार्यालयों की सरकारी भवनों में ले जाने तथा इस तरह से किराये के खर्च को बचाने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

राजस्थान में स्वाचालित केन्द्र और करचालित केन्द्र

*6594. श्री भीखा भाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल में स्वचालित केन्द्रों और करचालित केन्द्रों की मंडलवार संस्था कितनी हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने कर चालित केन्द्रों को स्वचालित केन्द्रों में बदले जाने का विचार है।

(ग) राजस्थान में कुल कितने टेलीफोन कनैक्शन हैं और प्रत्येक वर्ष टेलीफोन कनेक्शनों में कितनी वृद्धि होती है; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों की मांग उनकी सप्लाई से कितनी अधिक हैं ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी जा रही है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) एवं (घ) : 31-3-80 को राजस्थान में कुल 62,937 टेलीफोन कनेक्शन चालू थे।

गत तीन वर्ष के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की मांग तथा उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों में हुई वृद्धि नीचे दी जा रही है :

	मांग में वृद्धि	टेलीफोन कनेक्शनों में वृद्धि
1977-78	3,249	3,264
1978-79	4,823	4,930
1979-80	7,334	3,465

31-3-80 को राजस्थान की प्रतीक्षा सूची में 7,197 उम्मीदवार थे।

विवरण

राजस्थान की मंडलवार स्वचालित तथा करचल एक्सचेंजों की संख्या

क्रम सं०	दुरसंचार मंडल	एक्सचेंजो की संख्या	
		स्वचालित	करचल
1.	अजमेर दूर संचार	5	3
2.	बीकानेर दूरसंचार	25	11
3.	भरतपुर दूरसंचार	28	12
4.	बाड़मेर दूरसंचार	26	11
5.	जयपुर दूरसंचार	46	17
6.	जोधपुर दूरसंचार	28	12
7.	जोधपुर फोन्स	2	—
8.	कोटा दूरसंचार	24	12
9.	कोटा फोन्स	1	—
10.	श्री गगानगर दूरसंचार	17	12
11.	उदयपुर दूरसंचार	47	17
12.	उदयपुर फोन्स	1	—
13.	जोधपुर जिला टेलीफोन	5	—
	योग	255	107

रत्नागिरि जिले में ग्रामीण गोदाम

6595. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण गोदामों की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के रत्नागिरि और कोलाबा जिले में कोई गोदाम बनाये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गोदामों का निर्माण किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं : और

(ग) क्या निकट भविष्य में, इन क्षेत्रों में ऐसे गोदामों का निर्माण किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु इस मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से उपर्युक्त दो जिलों में ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आसनसोल और दुर्गापुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र

6596. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल और दुर्गापुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने-कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) आसनसोल में 83 और दुर्गापुर में 167।

(ख) कनेक्शन देने के कार्य में प्रगति है। ऐसी संभावना है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक मौजूदा प्रतीक्षा सूची के लगभग सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जायेंगे।

दिल्ली के टेलीफोन केन्द्र से शीघ्र उत्तर मिलने के लिए कार्यवाही

6597 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन आपरेटर टेलीफोन काल की शीघ्र नहीं सुनते तथा इससे उपभोक्ताओं को भारी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन केन्द्रों में आपरेटरों द्वारा टेलीफोन कालों का शीघ्र उत्तर दिलाने के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)—(क) जी नहीं, आपरेटर तुरन्त ध्यान देते हैं. फिर भी अधिकतर हस्तचलित सेवायें पंक्तिबद्ध आधार पर परिचालित होती हैं और जब यातायात बढ़ जाता है तो उस स्थिति में उपभोक्ताओं को उत्तर देने के लिए इन्तजार करना पड़ सकता है।

(ख) इसका त्वरित समाधान यह है कि और पोजीशनों तथा आपरेटरों की संख्या में वृद्धि की जाये, जिस पर विभाग क्रमिक रूप से कार्रवाई कर रहा है। फिर भी, एस०टी०डी० तथा स्थानीय सेवाओं जैसी अन्य सुविधाओं के कारण बहुत सी कालों का कार्यकरण उपभोक्ताओं के मनस्तोष के अनुरूप नहीं होता। विभाग का इन सेवाओं का यथेष्ट विस्तार और आधुनिकी करण करने का विचार है तथा इस प्रकार मौजूदा सेवाओं के भार में कमी होगी तथा जिसके क्रम में सामान्य सेवाओं के भार में कमी होगी।

अन्तरराष्ट्रीय चावल परीक्षण कार्यक्रम

6598 **श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

श्री डी०पी० जदेजा : क्या कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय चावल परीक्षण कार्यक्रम किया गया था;

(ख) उसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसमें अनुमोदित किये गये भारतीय किस्मों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (आर०वी० स्वामीनाथन)—(क) जी हां, श्रीमान। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय चावल परीक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है।

(ख) इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले देश निम्नलिखित हैं :—

एशिया से नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, साउदी अरब, टर्की, जापान, कोरिया, ताइवान, बर्मा, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, बंगलादेश तथा भूटान; लैटिन अमेरिका से ब्राजील, कोलोम्बिया, क्यूबा, मैक्सिको, पेरू; यूरोप से इटली; अफ्रीका से मिस्र, इथोपिया, सूडान, बेनिन कामरून, गाइना बेस्सू, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, मालवी, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, साइरे लिओन, तंजानिया, उगांडा तथा जाइरे।

(ग) विभिन्न देशों में बोने के लिए कई भारतीय किस्में जारी की गई। नेपाल में 'दुर्गा' तथा 'बेरमी' सेनेगल में जया, माली में जया तथा आई०इ०टी० 2885 तथा ऊपर वोल्टा में विजया किस्में जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में 'हुडको' द्वारा मकानों का निर्माण

* 6599 **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'हुडको' ने पश्चिमी बंगाल में मकानों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी योजनायें अनुमोदित की हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक के लिए वर्षवार आवश्यक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	1977.78	1978-79	1979-80
स्वीकृत योजनाओं की संख्या	5	5	2
स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	3.92	3.59	5.55
स्वीकृत आवासों की संख्या	1599	1390	4475

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के लिए यू०एच०एफ०/वी०एच०एफ०प्रणाली

* 6600 **श्री नारायण चंद पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए यू०एच० एफ०/वी०एच०एफ० प्रणाली का उपयोग करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किए जायेंगे तथा उनकी किन तिथियों की स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दैनिक आहार

* 6601 श्री ए०नीलालोहिथादसन नाडार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में इस समय भोजन की, कैलोरी में परिगणित, प्रति व्यक्ति खपत क्या है ;

(ख) अनाज, दालें और अन्य वस्तुओं की औसत भारतीय दैनिक खुराक में कैलोरी मात्रा कितनी है; और

(ग) इस समय औसत भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेटस, प्रोटीन और विटामिन के औसत तत्व कितने हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) : राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा 10 राज्यों की राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो के माध्यम से एकत्रित की गई सूचनानुसार औसत भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और विटामिनों की औसत मात्रा निम्न प्रकार होती है :—

		प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
कार्बोहाइड्रेट्स	—	365.0 ग्राम
प्रोटीन	—	59.0 ग्राम
विटामिन 'ए'	—	359.0 मि० से० ग्राम रेटिनोल के रूप में
थियामीन	—	1.6 मि०ग्रा०
रिबोफ्लाविन	—	0.9 मि०ग्रा०
नियासीन	—	16.0 मि०ग्रा०
विटामिन 'सी'	—	40.0 मि०ग्रा०
फोलिक एसिड	—	79 मि०सें०ग्रा०

विवरण

(क) और (ख) : खाद्यान्नों आदि की प्रति व्यक्ति खपत का हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं की खपत काफी हद तक लचीली होती है और विभिन्न खाद्य वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य, आय स्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, भोजन की आदतों, शहरीकरण की रफ्तार आदि जैसी कई एक बातों पर निर्भर करती है। तथापि, विभिन्न खाद्य मदों की प्रति व्यक्ति अनुमानित निवल उपलब्धता के आधार पर, 1951-53 और 1978-79 के दौरान कैलोरी उपलब्धता निम्न प्रकार थी :—

खाद्य वस्तुएं	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन अनुमानित उपलब्धता			
	1951-53 का औसत		1978-79	
	ग्राम	कैलोरीज	ग्राम	कैलेरीज
अनाज	333	1172	424.4	1508
दालें, गिरियां और बीज	60	218	44·4	153
सब्जियां	उपलब्ध नहीं		38·0	15
कन्द और मूल	30	28	58·1	55
फल	34	20	51·5	21
दूध तथा दूध से बने पदार्थ	128	106	113·3	96
वसा तथा तेल	8	74	14·7	129
चीनी तथा गुड़	31	116	60·3	21
मांस आहार	6	9	15·4	15
कुल कैलोरीज		1743		2203

नोट—1951-53 के लिए दिए गए आंकड़े खाद्य कृषि संगठन की उत्पादन वर्ष पुस्तक 1970 खण्ड 24 में दिए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।

दिल्ली में रात के समय डाकघरों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारी

* 6602 **श्री टी०एस० नेगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रात के समय डाकघरों पर निगरानी रखने के लिए जिन चौकीदारों और नैमित्तिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है; उन्हें केवल १०० रु० से लेकर 115 रु० तक मासिक वेतन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वे कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके वेतन को दूसरे मंत्रालयों के समक्ष कर्मचारियों के वेतन के बराबर कर देने का है; और

(घ) डाकघरों में ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए कम से कम कितनी सेवावधि तथा दूसरी शर्तें रखी गई हैं ?

राज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार विभाग में विभागेतर चौकीदारों की नियुक्ति दिल्ली डाकघरों की रात्रि में रखवाली करने के लिए की जाती है और प्रतिमास 105 रु० से 130 रु० तक समेकित भत्ते के पात्र होते हैं। दिल्ली के डाकघरों के लिए नमित्तिक आधार पर चौकीदारों की नियुक्ति नहीं की जाती।

(ख) दिल्ली में नियुक्त विभागेतर कर्मचारियों की कुल संख्या 71 है तथा उनकी सेवा की अवधि 1, 2, 3, 4 और 5 वर्षों से कम है ओर उनकी संख्या क्रमश: 12, 16, 14, 15, तथा 14, हैं।

(ग) विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति की प्रणाली डाक-तार विभाग में प्रचलित हैं तथा अन्य मंत्रालयों में इस प्रकार नियुक्तियां नहीं की जाती। अत: उनके बराबर विभागेतर कर्मचारियों का वेतन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विभागेतर एजेन्ट श्रेणी iv तथा पोस्टमैन के काडर में खपाए जाने के पात्र हैं बशर्ते विभागेतर सेवा में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों तथा उनकी आय 42 वर्ष के भीतर हो। उन्हें परिष्ठता के आधार पर अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर खपाया जाता है।

राजस्थान में टैंकरों से पानी की सप्लाई

* 6603 **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के गावों में पेय जल की व्यवस्था करने में राजस्थान राज्य सरकार की मदद करने के लिए 1980-81 के दौरान कितना वित्तीय आबंटन किया है;

(ख) राजस्थान के जिन क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है, क्या वहां त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए उपयुक्त स्थलों पर ड्रिलिंग करने अथवा पाइप-लाइनों द्वारा पानी पहुंचाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी): (क) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सहायता के नियतन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु एक करोड़ रुपये की राशि तदर्थ आधार पर राज्य को दी गई है।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 समस्याग्रस्त गांवों के लिए 6 योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें 12 ग्रामों को टैंकरों द्वारा पानी देना भी शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापक फैलोशिप देना

6604. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पांच लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत प्राध्यापक फैलोशिप देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या मानदंड अपनाये गये हैं :

(ख) क्या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कालेजों सहित सभी कालेजों में ये मानदंड लागू होते हैं :

(ग) यदि नहीं, तो पाँच लाख रुपये की इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन कालेजों के लिये उदार नीति और निर्धारित मानदंड क्या हैं :

(घ) इन कालेजों को सहायता देने के लिये विद्यार्थियों का कम से कम निर्धारित नामांकन क्या है : और

(ङ) उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अब तक प्राध्यापक फैलोशिप के लिये सहायता पाने वाले कालेजों के नाम क्या हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शिक्षक शिक्षावृत्ति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नलिखित हैं :

(एक) शिक्षक उसके अपने कालेज द्वारा एम० फिल/पी० एच० डी०, के अध्ययन के लिए मनोनीत किया जायेगा और यदि कोई स्वीकृत संस्था अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो :

(दो) शिक्षक स्थायी होना चाहिए तथा सामान्यत: 45 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए :

(तीन) उसके पास द्वितीय श्रेणी की स्नातक तथा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) डिग्री होनी चाहिए। (आयोग की सहमति से इसमें छूट दी जा सकती है) : और

(चार) शिक्षावृत्ति उसी संस्था में उपलब्ध नहीं की जाएगी जिसमें वह काम करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यद्यपि शिक्षक शिक्षावृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों में पिछड़े अथवा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है तथापि, पांचवी आयोजना की 5 लाख रु० की योजना के अन्तर्गत सहायता की शर्तों में ऐसे कालेजों के मामले में ढील दी गई थी। ऐसे क्षेत्रों में तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में 400 छात्रों तथा 20 शिक्षकों अथवा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में 270 छात्रों तथा 15 शिक्षकों की सामान्य शर्त के मुकाबले तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में 200 छात्रों तथा 10 शिक्षकों, अथवा दो वर्षीय पाठ्य क्रमों में 150 छात्रों तथा 7 शिक्षकों वाले कालेज शिक्षक शिक्षावृत्तियों सहित 3 लाख रु० की सहायता के पात्र थे। ऐसे कालेजों को छठी योजना में सामान्य विकास सहायता के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) बरहामपुर विश्वविद्यालय के अधीन जिन कालेजों ने 5 लाख रु० की योजना के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षावृत्ति के लिए सहायता प्राप्त की वे निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	कालेज का नाम	शिक्षावृत्ति दिए जाने वाले शिक्षकों की संख्या
1.	गंजम कालेज	2
2.	रायगढ़ कालेज	2
3.	ऊसका विज्ञान कालेज	2
4.	कल्लीकोट कालेज	3
5.	राजकीय सांध्य कालेज, बरहामपुर	4
6.	राजकीय महिला कालेज, बरहामपुर	4
7.	एस० के० सी० जी० कालेज, परलाखमुंडी	4
8.	विक्रम देव कालेज जयपुर	2
	कुल	23

बम्बई में गन्दी बस्तियां

6605. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहर और पुणे में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बहुत गन्दी बस्तियां बनी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिये तथा उस भूमि के उपयोग के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : यह सत्य है कि ग्रेटर बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बहुत सी झुग्गी झोंपड़ियां बन गई हैं ऐसी अनधिकृत झुग्गियों द्वारा अनधिकृत रूप से घेरी गई भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। पुणे में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर कितना अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी, हां, ग्रेटर बम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अनधिकृत झुग्गी झोंपड़ियों के लिए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर बिहार में डाक सामग्री की कमी

6606. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा तथा अन्य जिलों में डाक टिकटें, लिफाफे आदि उपलब्ध नहीं है : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : अपर्याप्त सप्लाई के कारण उत्तरी बिहार के कुछ डाकघरों में डाक लेखन सामग्री की कुछ मदों की कमी रही है। प्रतिभूति मुद्रणालय तथा पड़ौसी डाकघरों से इन मदों की सप्लाई करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण फसल की हानि

6607. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ के कारण फसल की अनुमानतः कितनी हानि हुई है : और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में 40 वर्ग मील और तपन पी० एस० में 25 वर्ग मील क्षेत्र बाढ़ों से प्रभावित हुआ है। माल्दा जिले में लगभग 7,000 हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ख) प्रभावित परिवारों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है और धोतियों तथा तिरपालों के वितरण की व्यवस्था की गई है। मुफ्त राहत के लिए भी व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेटों को बाढ़ संबंधी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक को 10,000 रु० की मंजूरी दी गई है। आपात की किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सेना भी लगा दी गई है।

वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में गतिरोध

6608. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पृथक-पृथक रूप से पुरुष और महिला, दोनों प्रकार के सेलेक्शन ग्रेड में कुल कितने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं :

(ख) वर्ष 1974 में उनमें से कितने अध्यापक वेतनमान के अन्तिम स्तर पर रुके हुए हैं :

(ग) क्या उनमें व्याप्त गतिरोध को दूर करने अथवा कम से कम करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं : और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, तथा स्वाथ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राजकीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिये 28 महिला और 31 पुरुष सेलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठ शिक्षक हैं।

(ख) सैंतीस :

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम

6609. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न विश्वविद्यालय एल० एल० बी० में भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम चलाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पत्राचार के माध्यम से दो वर्ष के व्यवसायिक एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(घ) वे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं जिन्हें पत्राचार के माध्यम से एल० एल० बी० पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति और मान्यता मिली हुई है; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां किन्ही माध्यम से एल० एल० बी० पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में एल० एल० बी० पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, ये पाठ्यक्रम वकीलों के रूप में नामांकन करवाने के प्रयोजन हेतु भारतीय बार परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तथापि, कुछ विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक कार्यक्रमों के रूप में, विधि पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था करते हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू, काश्मीर, मदुरै कामराज और मैसूर विश्वविद्यालय, पत्राचार के माध्यम से, द्विवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। इन पाठ्यक्रमों से, एल० एल० बी० (शैक्षणिक) अथवा बी० जी० एल० डिग्रीयाँ दी जाती हैं।

(घ) क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन्हें न तो मंजूरी और न ही मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम को, वर्ष 1977 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक सहायता संबंधी कार्यक्रम के रूप में, संस्वीकृत किया गया था। तदुपरांत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधि/पैनल तथा बार परिषद् के सुझाव पर, अगस्त 1978 में, विश्वविद्यालय को यह पाठ्यक्रम बंद करने की सलाह दी गई थी।

(ङ) हिन्दी माध्यम से एल० एल० बी० पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

रानेबेन्नूर पक्षी-बिहार, कर्नाटक में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए यूकैलिपटस के पेड़ों का विनाशकारी सिद्ध होना

6610. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रानेबेन्नूर पक्षी-बिहार में 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का प्राकृतिक वास यूकैलिप्टस पेड़ों के लगाये जाने के कारण विनाशकारी सिद्ध हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन पक्षियों की वृद्धि में सहायता हेतु इस पेड़ का लगाना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कलकत्ता में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों से टेलीफोन सेवा का उपलब्ध न होना

*6611. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज 41, 42, 52, 54, 35, 36 में टेलीफोन के प्रयोक्ताओं से टेलीफोन सेवा के उपलब्ध न होने के बारे में असामान्य रूप से बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से मामले में टेलीफोन महीनों तक खराब पड़े रहते हैं ;

(घ) क्या कलकत्ता टेलीफोन प्रयोगकर्ताओं को, उस अवधि के लिए जब उन्हें उनके टेलीफोन काम नहीं करते हैं, टेलीफोन शुल्क की अनुपातिक वापसी भी नहीं करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और धनराशि वापस करने की ऐसी पद्धति पूरी तरह से अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि विभाग द्वारा इसका उचित रखरखाव किया जा सके ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : जी नहीं। फिर भी, मानसून से पूर्व की अवधि की तुलना में मानसून के दौरान मौसमी बढ़ोतरी हुई है।

(ग) जी हां। उन मामलों में जब केबुलों में बहुविध दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

(घ) और (ङ) : उस अवधि के दौरान जब टेलीफोन खराब रहते हैं किराए में छूट नहीं दी जाती क्योंकि विभाग को खराबी दूर करने में अधिक मात्रा में पैसे व्यय करने होते हैं जो इसके नियंत्रण के परे है तथा विभाग को काल राजस्व की हानि उठानी पड़ती है जब टेलोफोन खराब पड़े रहते हैं। यथाशीघ्र खराबी दूर करने के लिए अधिक से अधिक उपाय किए जाते हैं। मानसून के दौरान जो केबुल जालकार्य खराब हुआ था उसकी सुरक्षा दाबीकरण और नलियों में डालने की प्रक्रिया द्वारा की जा रही है।

इंजीनियर विधेयक।

*6612. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इस समय इंजीनियर विधेयक किस चरण में है जिसके द्वारा देश में इंजीनियरिंग व्यवसाय को नियंत्रित तथा विनियमित किया जाना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : "इंजीनियर विधेयक" नाम का कोई ऐसा विधेयक इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ईंटों का यंत्रीकृत उत्पादन

*6614. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंटों के यंत्रीकृत उत्पादन के क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महरौली में ईंटों के यंत्रीकृत कारखाने को हुए मुनाफे। घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे और कारखानो की स्थापना करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) देश में मध्यम माप क्षेत्र में लगभग 9 पूर्ण माप यंत्रीकृत ईट भट्टे स्थापित किए गए हैं, अर्थात् चार मद्रास में तथा कलकत्ता, दिल्ली, श्रीनगर, नाहर कटिया (असम) तथा पाओन्टा (हिमाचल प्रदेश) प्रत्येक में एक एक। इन भट्टों की कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 1830 लाख ईटें है। लघु माप क्षेत्र में कुछ और अर्धयंत्रीकृत ईंट भट्टे भी केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रूड़की द्वारा विकासित मशीनरी से स्थापित किए गये। केरल तथा कर्नाटक में कई टाइल भट्टे भी यंत्रीकृत साधनों द्वारा छोटे पैमाने पर ईटें बनाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सी० द्वारा चलाए जा रहे यंत्रीकृत ईंट भट्टे, महरौली द्वारा उठाई गई हानि निम्नलिखित है :—

1977-78	34.98 लाख रुपये
1978-79	22.51 ,, ,,
1979-80	20.00 ,, ,, (अनुमानित)

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तार इंजीनियरी सेवा के वर्ग 'क' में पदोन्नति

*6615. श्री नाथूराम शाक्यवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में तार इंजीनियरी सेवा के वर्ग 'ख' से वर्ग 'क' में नियमित पदोन्नति के लिए तथा पात्रता-शर्तें रखी हुई हैं ;

(ख) उक्त विभाग में जब अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद रिक्त हो जाते हैं और उस समय इन जातियों का कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाता है, तब आरक्षित पदों को (पदोन्नति से) भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार से अनारक्षित किये गये पदों की संख्या कितनी है तथा ऐसे कितने पदों को आगे के समय में भरे जाने के लिये लाया गया है ; और

(घ) क्या डाक तथा तार विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार से अनारक्षित किये गये तथा भविष्य में भरे जाने के लिये रखे गये सभी पदों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके अब तक भर दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार विभाग में तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ख' से तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' में पदोन्नति की पात्रता की शर्त है तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ख' की 8 वर्ष की मान्यता प्राप्त सेवा तथा इस ग्रेड में स्थाई होना।

(ख) विचाराधीन क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र अधिकारियों को, जो रिक्तियों की प्रस्तावित संख्या से 5 या 6 गुणा होते हैं, सामान्यतया चुने गये पैनल में शामिल कर लिया जाता है। आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए यदि विचाराधीन क्षेत्र में ऐसे अधिकारी पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं तो इन रिक्तियों को अनारक्षित बना दिया जाता है और उन्हें सामान्य संवर्ग के अधिकारियों में से भर लिया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को 31 आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित बना दिया गया है। मौजूदा आदेशों के अनुसार ऐसी अनारक्षित रिक्तियों को अगामी वर्ष के लिए आगे नहीं ले जाया जाता है।

(घ) भाग 'ग' में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुये, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता ।

धनबाद जिले में डाक और दूर संचार सेवा प्रणाली

*6616. **श्री ए० के० राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले में डाक और दूर संचार सेवा प्रणाली खराब स्थिति में है ; और

(ख) क्या यह सच है कि लोयाबाद, कोरत्रास और सिनेदिह दूरभाष केन्द्रों से सम्बन्धित टेलीफोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : इस बात में सच्चाई नहीं है कि धनबाद जिले में डाक प्रणाली सही ढंग से नहीं कार्य कर रही है । जिले में समुचित डाक सुविधा मौजूद है । तथापि, धनबाद, लोयाबाद, कोरत्रास और सेनेडिह के टेलीफोन एक्सचेंजों के उपस्कर पुराने हैं तथा उनकी सेवा संतोषजनक नहीं है । धनबाद, लोयाबाद, कोरत्रास और सेनेडिह के एक्सचेंजों को बदला जा रहा है । धनबाद एक्सचेंज का एक हिस्सा जो बहुत पुराना है उसे हटाया जा रहा है तथा लाइनों को नए एक्सचेंज में अन्तरित किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र आवास बोर्ड को राज सहायता

6617. **श्री यशवन्तराव मोहिते :**

श्री रतनसिंह राजदा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल्हापुर के कुछ लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न राज-सहायता प्राप्त आवास योजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राजसहायता के बारे में यह शिकायत की है कि राजसहायता महाराष्ट्र आवास बोर्ड को उसी रूप में नहीं पहुंचाई गई जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राजसहायता प्राप्त आवास योजनाओं के अधीन बनाये गये मकानों की निर्माण लागत में कमी होने के बजाये वृद्धि हो गई ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : लाल बहादुर शास्त्री नगर, कोल्हापुर के कुछ निवासियों से इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से दी गई राज-सहायता को उन आवासों के लिए निर्धारित विक्रय मूल्य में नहीं दिखाया जा रहा था । प्रश्नगत आवास पुणे आवास तथा क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा बनाए गए थे । महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, उन्होंने इन टैनामैन्टों के लिए आवास बोर्ड को कोई राज-सहायता नहीं दी है और इसलिए आवासों की पूरी कीमत खरीददारों से वसूल की जानी है ।

पौंग बांध के आस-पास के गांवों का विकास

6618. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 से 1979 तक के दौरान पौंग बांध के आस-पास के 25 गांवों के विकास के लिए 65 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और इन गांवों के विकास के लिए इस समय कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश की सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भन्डारण क्षमता तथा उनकी निर्माण लागत

*6619. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने गोदाम किराये पर लिये गये हैं, उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है और उनके लिए वार्षिक कितना किराया दिया जाता है ;

(ख) गुजरात के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है और गोदामों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने किराये पर लिये गये हैं और उनमें से कितने निगम के है तथा कितना वार्षिक किराया दिया जाता है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम किराये पर गोदाम देने वालों को अधिमान्य ब्याज दरों पर बैंक ऋण सुविधायें अथवा अन्य कोई सुविधा देता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किराये की ऊंची दरों तथा ब्याज की कम दर को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम अपने गोदाम क्यों नहीं बनाता ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 31-5-1980 को सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों से कुल 85, 85, 420 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता किराये पर ली है। भारतीय खाद्य निगम ने वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए किराये पर लिये गये गोदामों के लिए किराये के रूप में 3,794·25 लाख रुपये की राशि दी थी। गोदामों की ठीक-ठीक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास 31-5-1980 को निजी भण्डारण क्षमता 1,96,350 मीटरी टन और सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों से ली गई किराये की क्षमता 3,64,760 मीटरी टन रही है। प्रति वर्ष दिए गये किराए की राशि के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं। तथापि, कुछ समय पहले भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू की गई कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से सहायता प्राप्त योजना के अधीन, उन प्राइवेट पार्टियों से पेशकश करने के लिए कहा गया था जिनको रियायती ब्याज दर पर बैंकों द्वारा ऋण दिए गये थे और जिन्हें कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया गया था।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने देश के विभिन्न भागों में पहले ही अपने गोदाम बनवा रखे हैं और निरन्तर योजनाबद्ध तरीके से इसमें वृद्धि कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में दूर संचार प्रणाली तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर

*6620. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) के पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) स्थापित आर० ए० एक्स० लाइनों पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) लम्बी दूरी के 13 सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

बगीची पीरजी, सब्जी मण्डी दिल्ली के निवासियों का उठाया जाना

6621. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मण्डी दिल्ली-110007 के निकट बगीची पीरजी के नि सियों को उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के निवासियों को कहां बसाये जाने की सम्भावना है; औ

(ग) क्या उन्हें रिहायशी प्लाट दिये जायेंगे अथवा उसके एवज में रहने की जगह जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री श्री पी० सी० सेठी : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

6622. **श्री छोटूभाई गामित:** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग योजनाओं के अधीन पंजीकृत लोगों को आवंटित करने के लिये कुछ प्लाट तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने हैं, कहां-कहां है और उन्हें आबंटन के लिये कब पेश किय रहा है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1980 तक पंजीकृत हुए लोगों को कितने तथा कहां-कहां पर फ्ला की पेशकश करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के ब्यौरे (उनके इलाकों सहित) जो पंजीकृत व्यक्तियों आबंटन करने के लिए शीघ्र ही पेश किए जा रहे हैं, विवरण 'क' में दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 31-12-1980 तक 1161 म आय वर्ग तथा 1344 निम्न आय वर्ग फ्लटों के तैयार हो जाने की आशा है बशर्ते कि भवन नि सामिग्री उपलब्ध हो। उनकी स्थिति तथा संख्या का ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया गया है।

विवरण 'क'

आबंटन हेतु दिए जा रहे फ्लैटों का विवरण

स्थिति	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय
1. त्रिलोक पुरी	1171	542
2. दिलशाद गार्डन	131	67
3. शेख सराय चरण-II	—	264
4. आश्रम के पास सनलाइट कालोनी	—	1
5. राजौरी गार्डन (6-8 क्षेत्र पाकिट एफ)	256	—
6. अशोक विहार चरण-II 'के०' पाकिट 'बी'	—	1
7. वजीरपुर चरण-II	—	4
8. वजीरपुर चरण-III	—	4
	1558	883

अनुलग्नक

विवरण—ख

अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित फ्लैटों के अतिरिक्त उन फ्लैटों के ब्यौरे जिनके 31-12-80 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

स्थिति	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
शालीमार बाग	1020	1044
बोडेला	141	300
योग	1161	1344

राजस्थान में खोले जाने वाले डाकघर, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र

6623. आचार्य भगवान देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में जिले-वार कितने डाकघर, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का विचार है ;

(ख) उनमें से कितने चालू वर्ष की योजना में खोले जा चुके हैं और शेष के कब खोलेमें जाने की सम्भावना है ;

(ग) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के संबंध में प्रस्ताविक डाक-घरों तथा तार-घरों का जिलावार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इन कार्यालयों को खोलने के बारे में सभी प्रबन्ध कर दिये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना विव रण "क" गई दी गई है।

(ख) से (घ) :

डाकघर : शहहरी क्षेत्र में 7 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 83 डाकघर पहले ही खोल दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहां (शहरी क्षेत्रों में) निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्य पाए जाने पर डाकघर खोल दिए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की जिलावार संख्या विवरण ,ख' में दी है।

तारघर : 4 तारघर पहले ही खोल दिए गए हैं। इनमें से 2 सीकर में हैं तथा जैसलमेर तथा पाली में से प्रत्येक में एक है। शहरी क्षेत्रों में 3—जयपुर, चुरु तथा पाली जिलों में से प्रत्येक में एक तारघर खोलने का प्रस्ताव है। शेष तारघर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे।

टेलीफोन एक्सचेंज : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो एक्सेचेंज चालू किए गए हैं जिनमें से एक उदयपुर जिले के समीचा तथा दूसरा जयपुर जिले के माधोराजपुर नामक स्थान पर है। वे स्थान जहां नये एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है, ग्रामीण क्षेत्र के बतौर श्रेणीबद्ध किए गए हैं। शेष एक्सचेंज छोटे स्वचल एक्सचेंज उपस्कर, लाइन तथा भंडार उपलब्ध होने पर चालू किए जाएंगे।

विवरण 'क' में वर्णित एक्सचेंज प्रयोजनाओं को स्वीकृत पहले ही दी जा चुकी है। आवश्यक भंडार तथा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

डाकघर खोलने के लिए भी प्रबंध कर लिए गए हैं।

विवरण—क

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान सर्किल में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर, तार कार्यालयों तथा टेलीफोनों एक्सचेंजों की जिलावार संख्या। इन आंकड़ों में संशोधन किए जाने की संभावना है।

1.	डाकघर (ग्रामीण क्षेत्र)
1. अजमेर	3
2. अलवर	40
3. बाड़मेर	7
4. भरतपुर	28
5. बीकानेर	1
6. भीलवाड़ा	11
7. चित्तौड़गढ़	10
8. डूंगरपुर	6
9. बांसवाड़ा	7
10. जयपुर	20
11. जैसलमेर	कुछ नहीं
12. जोधपुर	1
13. झुनझुनू	2
14. झालावाड़	35
15. कोटा	27
16. नागौर एमडब्ल्यूआर	7
17. पाली एमडब्ल्यूआर	15
18. सीकर	13
19. सिरोही	15
20. जालौर	11
21. श्रीगंगानगर	27
22. सवाईमाधोपुर	22
23. बूंदी	कुछ नहीं
24. टोंक	3
25. उदयपुर	14
26. चुरू	कुछ नहीं

कुल योग 325

शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

2, तारघर :

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 140 नये तारघर खोलने का प्रस्ताव है। 105 तारघरों का

जिलावार विवरण नीचे दिया जा रहा है। शेष तारघरों को जिलेवार विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है

क्र०सं०	जिला	तारघरों की संख्या
1.	सीकर	7
2.	झूनझुनू	5
3.	जयपुर	4
4.	अलवर	8
5.	टोंक	3
6.	श्रीगंगानगर	1
7.	नागौर	7
8.	चुरु	7
9.	कोटा	2
10.	सवाईमाधोपुर	3
11.	झालावाड़	1
12.	भरतपुर	2
13.	बाड़मेर	6
14.	जोधपुर	14
15.	जालौर	6
16.	जैसलमेर	2
17.	सिरोही	2
18.	पाली	3
19.	अजमेर	1
20.	डूंगरपुर	4
21.	उदयपुर	7
22.	बांसवाड़ा	4
23.	चित्तौड़गढ़	2
	कुल योग :	105

3. टेलीफोन एक्सचेंज

क्रम संख्या	जिला	संख्या
1.	जयपुर जिला	2
2.	सीकर	1
3.	टोंक	1
4.	नागौर	2
5.	कोटा	1
6.	बूंदी	1
7.	सवाईमाधोपुर	1
8.	श्रीगंगानगर	1

9.	भरतपुर	2
10.	अलवर	1
11.	जोधपुर	1
12.	जालौर	1
13.	पाली मारवाड़	4
14.	सिरोही	2
15.	अजमेर	1
16.	डूंगरपुर	2
17.	उदयपुर	3
18.	बांसवाड़ा	1
19.	भीलवाड़ा	4
20.	चित्तौड़गढ़	1
	कुल योग :	33 एक्सचेंज

विवरण—ख

ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की जिलावार संख्या:

क्रम संख्या	जिला	संख्या
1.	अलवर	30
2.	अजमेर	कुछ नहीं
3.	बाड़मेर	5
4.	बीकानेर	1
5.	चुरु	कुछ नहीं
6.	भीलवाड़ा	8
7.	चित्तौड़गढ़	1
8.	बांसवाड़ा	7
9.	डूगरपुर	6
10.	जयपुर	17
11.	जोधपुर	कुछ नहीं
12.	जैसलमेर	कुछ नहीं
13.	झुनझुनू	2
14.	झालावाड़	32
15.	कोटा	20
16.	नागौर	3
17.	पाली	8
18.	सीकर	6
19.	सिरोही	10
20.	जालौर	3
21.	श्रीगंगानगर	13

22.	सवाईमाधोपुर	20
23.	टोंक	1
24.	बूंदी	कुछ नहीं
25.	उदयपुर	14
26.	भरतपुर	27
	कुल योग	242

आन्ध्र विश्वविद्यालय में धातु कार्य इंजीनियरी का प्रारम्भ किया जाना ।

6624. **श्री बी० किशोर चन्द एस० देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में लगाये जा रहे इस्पात संयंत्र को ध्यान में रखते हुए आंध्र विश्वविद्यालय में धातु कर्म इंजीनियरी को प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। आन्ध्र विश्वविद्यालय में धातुकर्मीय इंजीनियरी की व्यवस्था करने की किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

(ख) अतः ब्यौरे का प्रश्न नहीं उठता ।

आई० आई० टी०, कानपुर के चेयरमैन द्वारा राशि दिया जाना

6625. **श्री डूंगर सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, कानपुर के चेयरमैन ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना संस्थान के एक कर्मचारी को सेवा से निकाल दिया गया था, एक लाख रुपये दिए थे ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उस राशि पर लगने वाला आय कर उसमें से कम कर दिया गया था अथवा आय कर विभाग को दे दिया गया था ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवैध कार्यवाही के लिए जिम्मेदार चेयरमैन से उपरोक्त राशि, उस पर देय आयकर सहित वसूल करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो श्री थापर के निजी खाते से इस राशि को तत्काल वसूल करने तथा उसे आई० आई० टी०, कानपुर में जमा करने के आदेश देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), से (ख) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के अध्यक्ष द्वारा धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में, विवरण ।

1. संस्थान के श्री जे० एल० उपाध्याय नामक एक कर्मचारी को संस्थान द्वारा 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था । एक मामले में शामिल होने के कारण श्री उपाध्याय की सेवाएं 1962 में समाप्त कर दी गई थीं । श्री उपाध्याय ने अपनी सेवा समाप्ति को कानपुर सिविल कोर्ट में चुनौती दी थी । क्योंकि यह मामला काफी देर तक अनिर्णित पड़ा रहा अतः बोर्ड ने अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में श्री उपाध्याय से कानूनी दृष्टि से बात करने के लिये प्राधिकृत किया था । मामले के कानूनी राय तथा तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि श्री उपाध्याय के सभी दावों को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से निपटाने के लिये उन्हें एक लाख रुपये का भुगतान किया जाए । बोर्ड ने अप्रैल, 1979 में हुई अपनी बैठक में इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी ।

2. संस्थान द्वारा, आय कर की कोई कटौती नहीं की गई है। संस्थान ने इस भुगतान के बारे में कानपुर क्षेत्र के आय कर अधिकारी को अप्रैल, 1979 में सूचित कर दिया था। इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा करना अपेक्षित था।

3. शासी बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय पर संस्थान द्वारा श्री उपाध्याय को भुगतान किया गया था। शासी बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्णय शासी बोर्ड द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अधीन लिया गया था। इसके अलावा अध्यक्ष ने यह निर्णय उन्हें दी गई कानूनी सलाह के आधार पर लिया था।

सहकारी संस्थाओं को दी गई सहायता

6627. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध—विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता दी जा रही है ;

(ख) 1979-80 के दौरान कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) उक्त सहायता किन-२ राज्यों को दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी०स्वामीनाथन) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)

1970-80 के दौरान, सहकारिता की दृष्टि से अर्द्ध-विकसित राज्यों तथा आदिवासी क्षेत्रों की सहकारी ऋण संस्थाओं को केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	धनराशि
1.	बिहार	213.00
2.	मध्यप्रदेश	10.73
3.	उड़ीसा	45.385
4.	राजस्थान	53.585
5.	त्रिपुरा	2.35
6.	पश्चिम बंगाल	24.95
	योग:	350.00

इसके अतिरिक्त, 1679-80 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने भी अर्द्ध-विकसित राज्यों की सहकारी ऋण संस्थाओ को भंडारण गोदाम बनाने के लिए 194.761 लाख रुपये की धनराशि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु 94.980 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मण्डारण गोदाम	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का	योग
1.	2	3.	5.	5
1.	असम	48.705	—	48.705
2.	हिमाचल प्रदेश	1.815	9.750	11.565
3.	उड़ीसा	20.372	11.550	31.922
4.	राजस्थान	104.905	22.620	127.525
5.	त्रिपुरा	0.656	—	0.656
6.	पश्चिम बंगाल	18.308	51.060	69.368
	योग :—	194.761	14.980	289.741

अकाल की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की वित्तीय सहायता

* 6628 **श्री राजनारायण रौत** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सरकार को राज्य में अकाल की स्थिति से निपटने के लिए दिये गए अनुदानों और वित्तीय सहायता का अद्यतन ब्यौरा,क्या है ;

(ख) राजस्थान सरकार ने इस संबंध में राज्य निधि से कितनी राशि खर्च की है ;

(ग) क्या राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुछ स्थायी विकास कार्य किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन)—(क) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को राज्य में अकाल राहत के लिए निम्नलिखित सहायता दी है :—

(1) केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य से 1979-80 के दौरान 2875 लाख रुपए और 1980-81 के दौरान 2010 लाख रुपए की व्यय की सीमा के लिए स्वीकृति दी गई।

(2) कृषि आदानों हेतु 1979-80 के दौरान 900 लाख रुपए और खरीफ 1980 के लिए 400 लाख रुपये के लघु अवधि के ऋण स्वीकृत किए गए। खरीफ 1980 के दौरान 150 लाख रुपए की एक और राशि शीघ्र ही निर्मुक्त की जाएगी।

(3) काम के बदले अनाज तथा काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 3·06 लाख मीटरीटन और 1·10 लाख मीटरीटन खाद्यान्नों का आवंटन करके उसे निर्मुक्त किया गया।

(4) पोषण के लिए आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 1979-80 के दौरान 5900 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया। तथापि राज्य सरकार को अनुमति दी गई है कि वह खाद्यान्नों की बची हुई मात्रा का उपयोग करके सितम्बर 1980 तक कार्यक्रम को जारी रखें।

(5) उन क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है छोटे और सीमान्तक किसानों के लिए बीजों, कीटनाशी दवाईयों, उर्वरकों व नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों के लिए राज-सहायता स्वीकृत की गई है; और

(6) छोटे और सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए कुछ परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में, जहां कि फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है खरीफ ऋणों पर ब्याज की रकम माफ कर दी गयी है ; यह व्यय राज्य सरकार एवं भारत सरकार बराबर बहन करेंगी।

(ख), (ग) और (घ) :

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा को अग्रिम योजना सहायता

* 6929 **श्री चिन्तामणि जैना**:— क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर हाल ही में आये केन्द्रीय दल के समक्ष समय पर निवेदन किया था कि राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य के समस्याग्रस्त तथा सूखाग्रस्त गांवों नलकूप आदि लगाने के लिए रिंग आदि खरीदने हेतु अग्रिम योजना सहायता के रूप में राज्य को 378 लाख रुपये आवंटित किये जायें, और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक अग्रिम योजना सहायता की कितनी राशि दे दी गई है और किस अनुमानित तारीख को अग्रिम योजना सहायता की शेष राशि दे दी जायेगी'

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) उड़ीसा सरकार ने अपने दिनांक 8-5-80 के ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 25 परिष्कृत रिगों की खरीद के लिए 250 लाख रुपये और 25 सहायक वाहनों (ट्रकों) की खरीद के लिए 37·50 लाख रुपए की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को नहीं माना है क्योंकि रिंग इस वर्ष के जून के अंत तक उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, अतः इस प्रयोजन के लिए किसी व्यय की स्वीकृति नहीं दी गई है।

दूषण निवारक अधिनियम की क्रियान्विति

6630 **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूषण निवारक अधिनिम को क्रियान्वित किया है;

(ख) क्या दूषण पैदा करने वाले उद्योगों को लाइसेन्स देने के तरीके में सुधार किया गया है; और

(ग) बड़े औद्योगिक नगरों वाले ऐसे कौन से राज्य हैं जहां घनी आबादी वाले शहरों में दूषण कम करने की नई व्यवस्था है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) — (क) प्रदूषण निवारण अधिनियम नामक ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। तथापि 1974 से जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1974 लागू है।

(ख) प्रदूषण पैदा करने की सम्भावना वाले उद्योगों के बारे में बहिःस्राव की अनुमति देने की प्रक्रिया जल (प्रदूषण निवारण नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों द्वारा लागू की जाती है। लाइसेन्स देने का काम उद्योग मन्त्रालय का है।

(ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रक के लिए जल (प्रदूषण निवारण नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत चौदह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल ने राज्य बोर्डों की स्थापना कर ली है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारण नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय बोर्ड का गठन किया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय के रूप में तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य बोर्ड की तरह कार्य करेगा। महाराष्ट्र राज्य ने अपना स्वयं एक जल प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम बनाया है। तमिलनाडु और उड़ीसा को 1974 का केन्द्रीय अधिनियम अपनाने के लिए राजी किया जा रहा है।

मल को सिर पर रख कर ढोने को रोकने की योजना

* 6631 **श्री दौलतराम सारण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उन कस्बों में, जिनमें फ्लस प्रणाली तथा गटर लाइनें नहीं बनाई गई हैं, सफाई करने वालों (स्वीपर) को सिर पर मल को ढुलाई करनी पड़ती है; और

(ख) इस प्रथा को समाप्त करने की क्या योजना है और इसको कब तक समाप्त किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी)—(क) यह सत्य है कि कई उपनगरों में यह प्रथा चल रही है।

(ख) जलपूर्ति तथा स्वच्छता राज्य का विषय है राज्य सरकार को मल को पहियों वाली गाड़ी से ले जाने और कम लागत की स्वच्छता योजनायें और सीवरेज की विस्तृत योजनाएं बना कर मल को सिर पर उठाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना को बनाना और कार्यान्वित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक 1981-90 के एक प्रस्ताव के अंग के रूप में नगरीय जनसंख्या के बड़े भाग को इसके अन्तर्गत लाने के लिए नगरीय स्वच्छता की योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे मल को सिर पर उठाने की प्रथा कम हो जायेगी।

दिल्ली में दक्षिण क्षेत्र से मध्य क्षेत्र को टेलीफोनों का स्थानान्तरण करने में विलम्ब के मामले

* 6632 **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दक्षिण क्षेत्र को टेलीफोनों का स्थानांतरण करने में विलम्ब के बहुत से मामले सामने आए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य क्षेत्रों से टेलीफोनों के स्थानांतरण के लिए मध्य क्षेत्र में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो टेलीफोनों को दक्षिण क्षेत्र (जोर बाग एक्सचेंज) से मध्य क्षेत्र (जनपथ एक्सचेंज) को स्थानान्तरित करने में विलम्ब के क्या कारण है ;

(घ) 1 सितम्बर, 1979 से 30 अप्रैल, 1980 तक मध्य क्षेत्र (जनपथ एक्सचेंज) दक्षिण क्षेत्र (जोरबाग एक्सचेंज) में, टेलीफोनों का स्थनान्तरण करने के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हुए थे; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्त्तिक उरांव)—(क) जी नहीं

(ख) जी हां। प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या बहुत ही कम है।

(ग) ऐसे मामलों में सामान्यतया देरी नहीं होती है।

(घ) और (ङ) चूंकि टेलीफोन जोरबाग एक्सचेंज से जनपथ एक्सचेंज को स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। इसलिये प्रतीक्षा सूची नहीं रखी गई है। इस अवधि के दौरान एक्सचेंज (दक्षिणी क्षेत्र) से जनपथ ऐक्सचेंज (केन्द्रीय क्षेत्र) की स्थानान्तरित करने के 10 मामले प्राप्त हुए थे और वे टेलीफोन स्थानान्तरित कर दिये गये थे।

काजू का उत्पादन और काजू बोर्ड की स्थापना

* 6633**श्री पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में कच्चे काजू के अभाव के कारण लगभग दो लाख काजू मजदूरों को साल में करीब दस महीने रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे राजकोष को भी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काजू के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (आर०वी० स्वामीनाथन)—(क) श्रम मंत्रालय के रोजगार सम्बंधी मंडी आसूचना कार्यक्रम के तहत एकत्र किए गए आँकड़ों से पता चलता है कि संस्थाओं के अस्थाई रूप से बन्द होने अथवा कच्चा काजू उपलब्ध न होने के कारण काजू का परिसंस्करण करने वाली संस्थाओं में सितम्बर और दिसम्बर, 1976 के बीच रोजगार के स्तर में गिरावट आई।

यह बताना सम्भव नहीं है कि इसकी वजह से राजकोष को विदेशी मुद्रा की कोई हानि हुई है अथवा नहीं, क्योंकि काजू की गिरियों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मण्डी की स्थिति तथा मूल्य समानता आदि कई बातों पर निर्भर करता है।

(ख) काजू विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, काजू पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों में चल रही है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। चार दक्षिणी राज्यों में 1980-81 के कार्यक्रमों के लिए कुल 68·66 लाख रु० परिव्यय की व्यवस्था है, जो केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

मद	1980-81 वास्तविक क्षेत्र	वित्तीय परिव्यय (लाख रु०)
(१) उत्पादकों के उद्यानों में प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना	3550	22,230
(2) वनस्पति वर्धन द्वारा काजू का सुधार करना	1425 हेक्टार	6,25
(3) काजू के उन्नत किस्म के पौधे लगाना	450 हेक्टार	6,86
(4) विभागीय तथा गैर विभागीय क्षेत्रों में काजू को राज सहायता प्राप्त रोपण करना।		
(क) क्षेत्र विस्तार	4575 हेक्टार	13,72
(ख) रखरखाव	10.500 हेक्टार	19,60
योग	—	68-66

इसके अलावा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में अप्रैल, 1980 से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक काजू विकास परियोजना भी शुरू की गई है ताकि पांच वर्षों की अवधि में 37275 हेक्टार क्षेत्र में काजू के नये बागान लगाए जा सकें और 5000 हेक्टार क्षेत्र में मौजूदा बागानों का सुधार किया जा सके। परियोजना का पूर्ण विकास होने पर तीन राज्यों में स्थित इस क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 32700 मीटरी टन कच्चा काजू पैदा होगा।

(ग) भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) ने काजू बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

संसद भवन और संसदीय सौध में टेलीफोन केन्द्र

6634. श्री अरविन्द नेतास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन और संसदीय सौध के टेलीफोन केन्द्र पर क्षमता से अधिक कार्यभार है;

(ख) केन्द्र की वास्तविक क्षमता कितनी है और इस केन्द्र द्वारा इस समय कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ग) जीरो डायल करने पर तुरन्त डायल टोन प्राप्त न करने तथा सही नम्बर के स्थान पर गलत नम्बर प्राप्त करने के क्या कारण है; और

(घ) उक्त कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सरकार का विचार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) संसद भवन और संसदीय सौध को संसदीय सौध में स्थापित पी० ए० बी० एक्स द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

क्षमता 300 लाइनें

कार्य कर रहे एक्सटेंशन 433 लाइनें

(ग) यह पी ए बी एक्स सचिवालय (कोड "37") एक्सचेंज से उद्गमित है जिस पर यातायात के दृष्टिकोण से कुछ सीमा तक कार्यभार अधिक है। इसलिए इस एक्सचेंज से डायल टोन में कभी कभी बिलम्ब होता है।

गलत नम्बर प्रायः नहीं होने चाहिए। जुलाई 80 के मध्य के लगभग जंकशन केबुल में निम्न रोधन दोष हो गया था जिसके कारण इस प्रकार के दोष आ गए होंगे तुरंत केबुल की मरम्मत कर दी गई थी।

(घ) मौजूदा सचिवालय एक्सचेंजों जो लगभग अपनी सामान्य अवधि पूर्ण करने जा रहा है और मौजूदा जगह पर इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है, को बदलकर इसके स्थान पर एक नया एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। नए एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य प्लाट नं० 30 जो राणाजी तथा त्यागराज मार्ग के कोने में है, शुरू किया जा रहा है।

अन्तरिम उपाय के बतौर फिलहाल सचिवालय एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे कुछ इलाकों को नजदीक के एक्सचेंज में स्थानान्तरित करके सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

जीरा और गुरदासपुर में चीनी मिलें स्थापित करना

6636. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम जीरा और गुरदासपुर में चीनी मिलें स्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन दो मिलों के लिये संस्थागत वित्तीय पोषण किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : जी हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने की संशोधित योजना करने के बाद प्रत्येक की घोषणा मामले के गुण-दोष पर निर्भर करते हुए इन दो चीनी मिलों को संस्थागत वित्त देने के प्रश्न पर केन्द्रीय वित्तीय एजेन्सियों द्वारा विचार किया जाएगा।

शारदा उकील स्कूल आफ आर्ट्स, नई दिल्ली

6637. **कुमारी कमल कुमारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मैसर्स शारदा उकील स्कूल आफ आर्ट्स, 66/1 जनपथ, नई दिल्ली स्कूल के संगठन के ज्ञापन तथा अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है और जनता के धन के दुरुपयोग के विरोध में विद्यार्थियों ने कई बार हड़ताल कर दी है ;

(ख) क्या सरकार इस विषय की जाँच के आदेश देगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो कला के विकास के लिए वहाँ कुप्रबंध व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्कूल के संगठन के ज्ञापन तथा अनुच्छेदों का उल्लंघन करने के संबंध मे इस मंत्रालय अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली प्रशासन को कोई शिकायत नहीं मिली है । इस मंत्रालय तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन की जानकारी में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के विरुद्ध हाल ही में छात्रों ने हड़ताल नहीं की है ।

तथापि, 1978 में तत्कालीन लोक सभा सदस्य श्री नाथू सिंह द्वारा दिल्ली प्रशासन को एक शिकायत भेजी गई थी । इस शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सहायक अनुदान निधियों का दुरुपयोग किए जाने के सम्बंध में एक पैरा शामिल था ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इस शिकायत की जांच की है और इसे निराधार पाया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शिकायत का कोई आधार नहीं था । तथापि, दिसम्बर, 1978 में दिल्ली प्रशासन ने इस स्कूल तथा कला कालेज, नई दिल्ली के शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

राज्यों में वनरोपण तथा निर्वनीकरण

6638. **डा० कृपा सिंधु भाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कितना क्षेत्र निर्वनीकृत किया गया ;

(ख) इसी अवधि में उन राज्यों में कितने क्षेत्र में वन रोपण किया गया ;

(ग) क्या कागज, लुगदी तथा प्लाईवुड जैसे वनों पर आधारित उद्योग अपने-अपने राज्यों में वन संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) अधिक क्षेत्रों में वन लगाने हेतु सरकार का विचार जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) स्व० श्री संजय गांधी द्वारा समर्थित पेड़ लगाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अतिरिक्त राज्य वन विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मार्च, 1980 को

समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान 67005 हैक्टार क्षेत्र गैर वानिकी प्रयोगों के लिए निर्वनीकृत बदला गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश में 8,70,583 हैक्टार क्षेत्र में तथा 79,582 किलोमीटर की लम्बाई में पेड़ लगाये गये थे।

(ग) जी, नहीं। कागज, लुगदी और प्लाईवुड जैसे वन पर आधारित उद्योगों को राज्य सरकार के नियंत्रण वाले वनों से कार्यकारी योजनाओं/स्कीमों के निर्धारण पर आधारित उपलब्धि के अनुसार सप्लाई विनियमित की जाती है। इन योजनाओं में लम्बी अवधि के लिए निरन्तर उपलब्धि को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) निम्नाकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है :

(1) सामाजिक वानिकी योजनाएं :—केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976-77 के दौरान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को ईंधन, छोटी इमारती लकड़ी और चारा प्रदान करना तथा इस भूमि को खराब होने से बचाना था। वर्ष 1976-77 से 1978-79 के दौरान भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को 1821 22 लाख रुपये की राशि दी थी। ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार 1.4 1979 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी हैं। 1979-80 के दौरान इन योजनाओं के लिए निर्धारित निधियां भी राज्यों को हस्तांतरित कर दी गयी थीं। 1979-80 से संघ राज्य क्षेत्रों में भी सामाजिक वानिकी योजना शुरू कर दी गयी है और उन्हें 5 25 लाख रुपए की धन राशि दी गयी है, 1980-81 के लिए 23·50 लाख रुपए की बजट व्यवस्था भी कर दी गयी है।

(2) ग्रामीण ईंधन के बागान : "ग्रामीण ईंधन के बागान" नामक प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1980-81 के लिए 450 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पंचायतों और राज्य सरकारों के नियंत्रण वाली भूमि में विभिन्न किस्मों के वृक्षों के बागान तैयार करके ग्रामीण लोगों को ईंधन उपलब्ध कराना है।

(3) हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन सोयल वाच) : यह योजना 1977-78 के दौरान हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गयी थी। इसके पश्चात मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण आदि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी शुरू की गयी। इस योजना पर वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमशः 8·00 लाख, 129·55 लाख और 134·57 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1980-81 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 225·00 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।

(च) सभी वृक्ष रोपण कार्यक्रमों के मोटे तौर पर वही उद्देश्य हैं जिनकी स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने वकालत की थी। भारत सरकार ने राज्य के वन विभागों को हाल ही में यह भी सलाह दी है कि वे इस वर्ष वन महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक रूप से वृक्षरोपण करें।

प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, दिल्ली के मामलों की जांच

6639. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री केशव राव पारधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समिति विभाग, दिल्ली को प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, दिल्ली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन आरोपों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी उक्त सोसायटी के उन पदाधिकारियों और सदस्यों से, जिन पर सोसायटी की रकम बकाया है, बकाया रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही कर रहा है ; और

(ग) इस मामले में कार्यवाही कब तक पूरी होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। जांच अधिकारी कसूरवारों व पदाधिकारियों से बकाया रकम की वसूली नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नियुक्ति समिति के प्रबंध संविधान, कार्यों व वित्तीय परिस्थिति की जाँच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए की जाती है।

(ग) जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कानून के अनुसार, जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

क्लर्क ग्रेड सेवा में भर्ती

6640. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री केशवराव पारधी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली ने क्लर्क ग्रेड सेवा में सीधी भर्ती के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया था ;

(ख) क्या वरिष्ठ सुपरिन्टेन्डेण्ट के स्थानान्तरण होने के बाद भर्ती अधिकारी ने भर्ती के मामले सत्सम्बन्धी निर्धारित मानदंड का उल्लंघन करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है ;

(ग) क्या इस मामले की पहिले ही जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) क्लर्क ग्रेड सेवा में सीधी भर्ती के लिए महानिदेशक, डाक तार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) : नई दिल्ली सेन्ट्रल डिवीजन में समयमान लिपिकों की भर्ती में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। अनियमितताओं की जांच चल रही है।

(घ) पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली को यह निर्देश दिए गए हैं कि की गई भर्ती को रद्द कर दें तथा समयमान लिपिकों के पदों को भरने के लिए नए आवेदन पत्र आमंत्रित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रिकार्ड में पहले मौजूद आवेदन पत्रों के साथ नए आवेदन पत्रों पर विचार करें। पोस्टमास्टर जनरल नई दिल्ली को यह भी आदेश दिए गए हैं कि इस संबंध में चल रही जांच के पूरा होने पर अनियमितता के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करें।

सरकारी आवास का आवंटन

6641. **श्री एच० एन० नन्ने गौंडा :**

श्री के० लक्कप्पा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी लम्बे समय से बिना सरकारी आवास के हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें 20 वर्ष से भी अधिक सेवा करने के बाद भी सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकारी कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या अन्य उपाय करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : सरकार ने विभिन्न टाइपों के क्वार्टरों का अधिक संख्या में निर्माण करके सामान्य पूल में रिहायशी आवास की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले ही कार्यवाई कर ली है । 1-4-1978 से पहले लगभग 10,000 क्वार्टरों की मंजूरी के अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में अधिकतर ए० बी० तथा सी० टाइपों के लगभग 21300 रिहायशी एककों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है । फिलहाल संसाधनों की कमी के कारण यह निर्माण कार्य 14853 क्वार्टरों तक ही सीमित किया गया है । संसाधन उपलब्ध होने पर सरकार का अधिक क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के द्वारा कर्मचारियों को मकान देने तथा प्रतीक्षा अवधि कम करने में सहायता मिलेगी ।

राजस्थान को लेवी चीनी

6642. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को जनवरी से जून, 1980 तक प्रत्येक माह कुल कितनी लेवी चीनी आवंटित की गई ;

(ख) इन महीनों में क्रमशः कारखानों से वास्तव में कितनी चीनी उठाई गई और राजस्थान कितनी चीनी पहुंची ; और

(ग) क्या इन महीनों में राजस्थान को चीनी काफी कम मात्रा में दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मास	(मीटरी टन) आवंटित लेवी चीनी की मात्रा
जनवरी, 1980	12,779·0
फरवरी, 1980	12,778·8
मार्च, 1980	12,782·0
अप्रैल, 1980	12,782·0
मई, 1980	12,779·0
जून, 1980	12,778·8

(ख) और (ग) : राजस्थान सरकार अपने नामितों के माध्यम से फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था स्वयं कर रही है । जनवरी से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा फैक्ट्रियों से उठाई गई और राजस्थान पहुंची चीनी की मात्रा क्रमशः 61,055·1 मीटरी टन तथा 53,758·8 मीटरी टन थी । मुख्यतया मध्य उत्तर प्रदेश स्थित फैक्ट्रियों से चीनी भेजने के लिए उत्तर पूर्वी रेलवे से पर्याप्त संख्या में वैगन प्राप्त करने में हुई कठिनाई के कारण राजस्थान

सरकार द्वारा चीनी की कम मात्रा उठाई गई थी। समय-समय पर सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया गया था और राज्य की स्थानीय फैक्ट्रियों के अलावा, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से जुलाई तथा अगस्त महीनों के लिए राजस्थान को लेवी चीनी के आवंटन भी किए गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तथा डाक टेलीफोन सुविधाएं

6643 **श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों तथा कम से कम 2000 की आबादी वाले गांवों में डाकघर खोलने तथा सभी खण्ड मुख्यालयों में टेलीफोन सेवायें उपलब्ध कराने की वांछनीयता पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव)—(क) 1980-85 के लिए योजना निम्नानुसार है। 1980-85 योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अस्थायी योजना निम्नानुसार है :

(1) नये डाक घर खोलना	8,000
(2) चलते फिरते डाकघरों के जरिए ग्रामों में काउंटर सुविधाएं प्रादान करना	10,000
(3) पत्र पेटियों की स्थापना	10,000
(4) पत्र पेटियों से डाक निकासी और दैनिक वितरण योजना को और मजबूत करने के लिए विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति	10,000
(5) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था	20,000

(ख) और (ग) ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्रामों और 2000 तथा उससे अधिक आबादी के ग्रामों को डाकघर खोलने के योग्य समझा जाता है बशर्ते कि वे निर्धारित वित्तीय और दूरी से संबंधित मानदंडों को पूरा करते हों। सभी ब्लाक मुख्यालयों ने टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अस्सी ब्लाक मुख्यालयों को यह सुविधा 1980-81 तक प्रदान कर दी जायेगी और शेष ब्लाक मुख्यालयों को यह सुविधा 1982-83 तक प्रदान कर दी जाएगी।

सरकारी आवास

6644 **श्री के लकप्पा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति के 10 वर्ष के भीतर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) दिल्ली में सामान्य पूल में ऐसी महिला अधिकारी 22 हैं, जिनकी सेवा अवधि 26 वर्ष या इससे अधिक हो गई है और जिन्होंने महिला पूल (विवाहित) में से वास के आवंटन के लिए आवेदन किया है तथा अभी तक महिला पूल से आवंटन की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) सरकार ने विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में 21,300 आवासीय एककों के निर्माण का त्वरित कार्यक्रम पहले ही आरम्भ कर दिया है जो अधिकतर टाइप 'ए', 'बी', और 'सी' के हैं। यह उन 10,000 क्वार्टरों के अलावा है जो 1-4-1980 से पूर्व स्वीकृत किये गये थे। सरकार द्वारा आरम्भ किये गये इस निर्माण कार्य के द्वारा कर्मचारियों को रिहायशी वास देने और प्रतीक्षा अवधि को कम करने में काफी सहायता मिलेगी।

पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित धार्मिक स्थानों से आय

6645 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित कुल महत्वपूर्ण स्थानों में से धार्मिक महत्व के स्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उनसे विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा में कोई आय होती है और यदि हां, तो वार्षिक आय और व्यय का विवरण क्या है;

(ग) क्या इन में से कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वे आय का भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाते हैं और यदि हां, तो ऐसे स्थानों और उन पर कब्जे वालो के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन स्थानों की आय अपने अधिकार में लेने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)— (क) यह पाया गया कि केन्द्र द्वारा संरक्षित 3477 स्मारकों में से केवल 800 के लगभग स्मारकों का धर्म हेतु प्रयोग हो रहा है।

(ख) से (घ) धर्म हेतु प्रयुक्त ऐसे संरक्षित स्मारकों में धार्मिक चढ़ावों से होने वाली आय केन्द्रीय राजस्व में प्राप्त नहीं होती। अधिकतर मामलों में यह आय सामान्यतः, धार्मिक और पुण्यार्थ-निधि बोर्ड, वक्फ बोर्ड आदि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा नियमित की जाती है। वर्तमान नियमों के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में प्रचलित मान्य तथा प्रथागत धार्मिक रिवाजों और वहां से होने वाली आय के प्रयोग के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसे अनेक मामलों में स्वामित्व अधिकार भारतीय तुरातत्व सर्वेक्षण के पास नहीं है।

दिल्ली में मुख्य अध्यापकों उप शिक्षा अधिकारियों को पेंशन आदि का भुगतान न होना

6646 **श्री पी०बी०जी० राजू** :

श्री रामअवतार शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग के बहुत से मुख्य अध्यापकों, उप शिक्षा अधिकारियों को जो 1979 में सेवा निवृत्त हुये थे वे अभी तक पेंशन, उपदान, सामान भविष्य निधि आदि का भुगतान नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने का है जिसमें उन अधिकारियों का ब्यौरा तथा पेंशन उपदान, सामान्य भविष्य निधि आदि का भुगतान न करने के कारण दिये गये हों;

(ग) क्या कुछ मामलों में सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व की अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी मामलों का विवरण सभा पटल पर रखेगी जिसमें देय वेतन का भुगतान न दिये जाने के कारण हो; और

(ङ) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को वेतन/पेंशन आदि का भुगतान न किये जाने के सभी बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)—(क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31-8-1979 को सेवा निवृत्त हुई उप शिक्षा अधिकारी से सम्बंधित केवल एक ही ऐसा मामला है। सेवा निवृत्ति से पूर्व वे लम्बी अवधि तक छुट्टी पर थी जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

(i) 21-1-78 से 17-5-78 तक

(ii) 21-5-78 से 15-9-78 तक

(iii) 1-11-78 से 31-8-79 तक

उपरोक्त (i) और (ii) की अवधि के लिए छुट्टी सम्बंधित अधिकारी से औपचारिक आवेदन पत्र के अभाव में स्वीकृत नहीं की जा सकी थी। परिणाम स्वरूप, उन्हें उस अवधि के वेतन का भी भुगतान नहीं किया जा सका। उपरोक्त (iii) की अवधि के उनके वेतन को दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

उनकी छुट्टी के मामले का निपटान हो जाने पर उनकी पेंशन/उपदान (ग्रेच्युटी), सामान्य भविष्य निधि आदि का भुगतान कर दिया जाएगा।

(ङ) उपरोक्त रूप रेखाओं के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश सम्बंधित अधिकारियों को दे दिया गया है।

आयातित चीनी का आवंटन

6647 **श्री पी०एम० सईद :**

श्री गुलाम रमूल कोचक : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्र ने अधिक मात्रा में उपभोग करने वालों (बल्क कन्ज्यूमर्स)को 560 रुपये प्रति क्विंटल के राज सहायता प्राप्त दर पर 50,000 टन आयातित चीनी आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य चीनी आयात करने के घोषित उद्देश्य के प्रतिकूल था;

(ग) क्या इस निर्णय के अनुसार शीतल पेय निर्माताओं जैसे अधिक मात्रा में उपभोग करने वालों ने 10 करोड़ रुपये का लाभ कमा लिया है;

(घ) क्या कीमतें कम करने हेतु आयातित चीनी को खुले बाजार में लाने का प्रस्ताव था; और

(ङ) क्या इससे चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन)—(क)— जी नहीं।

(ख) और (ग)—उपर्युक्त उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) : देश लगभग 2 लाख मीटरी टन आयातित चीनी सोपानवार आधार पर की जा रही है। दो जहाजों अर्थात् एक बम्बई (13,000 मीटरीटन) और दूसरे कांडला (11,000 मीटरी टन) ने पहले ही जुलाई 1980 में निकासी कार्य पूरा कर लिया है, जबकि दो जहाजों अर्थात् एक विजाग (13650 मीटरी टन) तथा दूसरे तूतीकोरिन (14,000 मीटरी टन)-ने जुलाई में निकासी कार्य शुरू कर दिया है। आशा है कि क्रमशः अगस्त और सितम्बर के महीनों के दौरान

भारतीय बन्दरगाहों पर लगभग 1.04 लाख मिटरी टन चीनी के लिए 8 जहाज और 0·26 लाख मीटरीटन चीनी से लिए 2 जहाज पहुंच जाएंगे। अतः सिम्बर, 1980 के अन्त तक लगभग 1·80 लाख मिटरीटन आयातित चीनी सोपानवार आधार पर उपलब्ध हो जाएगी। उपर्युक्त ढंग से बाजारों में चीनी की उपलब्धता में बृद्धि होगी जिससे खुले बाजार के मूल्यों में नरमी आएगी।

उड़ीसा के गांवों में डाकघर

6648 **श्री लक्षमण मलिक** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के अनेक गांवों में डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) इन गांवों में डाकघर खोलने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कार्तिक उरांव)—(क) जी हां।

(ख) जिन ग्रामों में डाकघर नहीं है उनकी संख्या नीचे दी जा रही है :

जिला	संख्या
बालनगीर	2197
कालाहांडी	2321
बालासौर	3083
गंजम	3456
पुरी	3608
कटक	4967
धेनकनाल	2197
क्योंझर	1656
कोरापुट	5140
मयूरभंज	3083
फूलबनी	4075
सम्बलपुर	2868
सुन्दरगढ़	1295

(ग) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में 6625 डाकघरों द्वारा इन ग्रामों को डाक सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर गांव में डाकघर खोलने का विचार नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में कृषि क्षेत्र में सफलता

6650 **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सफलता पाने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार अभी भी खाद्यान्न का आयात करती है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकार को क्या सहायता देने पर विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामी नाथन) (क) इस मन्त्रालय में कृषि विभाग की पुनरीक्षण समिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि जम्मू एवं कश्मीर के आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति के पुनरीक्षण के लियें गृह मंत्रालय द्वारा गठित

मन्त्रियों की समिति ने टिप्पणी की है कि हालांकि कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार प्रगति कर रही है, फिर भी और अधिक केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता, गुंजायश है।

(ख) इस राज्य की मांग को ध्यान में रख कर राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकारों ने केन्द्रीय शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पास उपलब्ध स्टाक और उनके द्वारा स्थानीय तौर पर वसूल किए गए स्टाक को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए जारी करने और आटा पीसने की मिलों के लिये केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की वास्तविक आवश्यकता तो प्रति माह बताए। जम्मू एवं कश्मीर को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन उनके द्वारा सूचित की गई आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में कुल मिलाकर खाद्यान्नों की उपलब्धि, विभिन्न राज्यों की संगत आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धि और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) केन्द्रीय पूल से राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति करने के अलावा, चावल, गेहूं एवं मक्का के मिनिकिट कार्यक्रम, गेहूं की रतुआ रोग की संवेदनशील किस्मों को बदलने की योजना, दालों और तिलहनों के विकास जैसी केन्द्रीय क्षेत्र और और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के जरिए जम्मू एवं कश्मीर में कृषि विकास को तेज करने के प्रयास किये जाते हैं।

अध्यापक आयोग की स्थापना

6651 **श्री प्रभु नारायण टण्डन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अध्यापकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अध्यापक आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)—(क) और (ख) : मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का उलंघन

प्रो० मधु दण्डवते श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री के लकप्पा श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली के कालेजों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की थी, फिर भी व्यवहार में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन किया; और

(ख) यदि हाँ, तो उन विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है जिन्हें कालेजों में प्रवेश देने से इन्कार करके इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) सलाहकार समिति जिसमें संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर, प्रिंसिपल इत्यादि शामिल हैं, की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1980-81 के दाखिलों इत्यादि के लिए पद्धतियां और तारीखें निर्धारित कीं और जून, 1980 में अपने सम्बद्ध कालेजों के प्रिंसिपलों को इस संबंध में सूचना दी।

पहले की भांति, कुलपति ने भी दाखिलों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के ध्यान में लाई गई। विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए एक शिकायत समिति गठित की है।

विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसे मामले हैं, जिनमें अर्हक परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दाखिला किया गया है। शिकायत समिति ऐसे मामलों की जांच करती है और जहां कहीं पद्धतियों का उल्लंघन होता है, तो उस कालेज को सम्बन्धित छात्र को दाखिला करने के लिए सलाह दी जाती है।

उर्वरक वितरण नीति

6643 **श्री के मालन्ना** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों को उर्वरकों का वितरण करने संबंधी नीति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन)—सरकार की वितरण संबंधी नीति यह है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक मौसम के लिए उर्वरकों की अनुमानित प्रभावी मांग को समय के उचित मूल्यों के आधार पर तथा पर्याप्त मात्रा में पूरा किया जाये।

महाराष्ट्र को लेवी चीनी

6654 **श्री आर०आर० भोले** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को जनवरी से जून, 1980 तक कुल कितनी लेवी चीनी आवंटित की गई;

(ख) जनवरी से जून, 1980 के दौरान माहवार वितरण के लिए कारखानों से कितनी चीनी उठाई गई; और

(ग) क्या इन महीनों के दौरान वितरित की गई चीनी में कमी थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) महाराष्ट्र सरकार को जनवरी तथा फरवरी, 1980 प्रत्येक महीने के लिए 24744.3 मीटरीटन और मार्च, अप्रैल, मई तथा जून, 1980 प्रत्येक महीने के लिए 24744.1 मीटरीटन लेवी चीनी आवंटित की गई थी और इस प्रकार जनवरी से जून, 1980 तक कुल 1,48,465 मीटरीटन मात्रा आवंटित की गई थी।

(ख) आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मास	(मीटरी टन) (फैक्ट्रियों से उठाई गई मात्रा
जनवरी, 1980	24,744.3
फरवरी, 1980	24,744.3
मार्च, 1980	24,744.1
अप्रैल, 1980	24,741.5
मई, 1980	24,702.9
जून, 1980	22.241.5
	जोड़ 1,45,918·2

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, चीनी उठाने की बहुत सन्तोषजनक स्थिति की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन केन्द्र

6655 **श्री केशवराव पाँरधी :**

श्री जैनुल बशर : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नये टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों अथवा ग्राम सभाओं में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या टेलीफोन केवल उन्हीं स्थानों पर लगाये जायेंगे जहां डाकघर अथवा शाखा डाक-घर हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव)—(क) अगर योजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त मांग हों तो किसी भी स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा सकता है। ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्रों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि 25 लाइनों की क्षमता का एक छोटा एक्सचेंज खोला जा सकता है अगर टेलीफोन कनेक्सन लेने के लिए कम से कम 10 आवेदन 100 रुपए की अपेक्षित अग्रिम राशि सहित रजिस्टर्ड हों। साथ में शर्त यह भी है कि प्रत्याशित वार्षिक राजस्व कम से कम उतना हो कि एक्सचेंज खोलने की तारीख तथा उसके प्रचालन अवधि के दौरान प्रत्याशित वार्षिक राजस्व का कम से कम 40 प्रतिशत की पूर्ति उससे हो सके।

(ख) जी हां। अगर ऐसी योजनाएं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाई जाती हैं। परन्तु सामान्य क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या वाले तथा पिछड़े, पहाड़ी, अथवा जनजाति क्षेत्रों मे 2500 जनसंख्या वाले स्थानों परघाटे की परवाह किए वगैर और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं।

(ग) सामान्यतया लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर केवल डाकघर में ही खोला जाता है। जहां पहले से डाकघर हैं उन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर की मांग होने तथा उसका औचित्य पाए जाने पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में विचार किया जा सकता है।

अलाटियों द्वारा प्लाट बेचा जाना

6656 **श्री बागुन सुरबरुई :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश लोगों ने, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1975-76 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लाटरी के माध्यम से मध्य तथा निम्न आय वर्ग योजना के अधीन प्लाट आवंटित किए गए थे, अभी तक अपने मकानों का निर्माण आरम्भ नहीं किया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी प्लाटों का सर्वेक्षण करने और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का है जिन्होंने अपने प्लाट मुख्तारनामे पर अन्य लोगों को पहले ही बेच दिए हैं और जिन्होंने अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जब भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे मामले आते हैं जो गुप्त रूप से अपने प्लाट बेचते हैं, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी

कार्यवाही की जाती है जो दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा आरम्भ में दी गई समयावधि अथवा बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूरा नहीं करते। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं।

गेहूं और चावल का वसूली मूल्य

6657 **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि के बाद सिंचित और असिंचित भूमि में प्रति एकड़ गेहूं और चावल की अनुमानित लागत कितनी है,

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद के लिए सरकार का विचार क्या मूल्य निर्धारित करने का है, और

(ग) इन मूल्यों को निर्धारित करने के क्या मानदंड होंगे,

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों में धान तथा गेहूं की खेती के उत्पादन की लागत का पता वर्ष 1980-81 के आंकड़ों के इकट्ठा होने पर ही चल सकेगा।

(ख) सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए चावल तथा गेहूं के वसूली मूल्यों को अभी निर्धारित नहीं किया है।

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने उभरती हुई मूल्य स्थिति, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के परस्पर व्यापार के सम्बन्धों, खेती की लागत आदि को मद्दे नजर रखते हुए वसूली व समर्थन मूल्यों की सिफारिश की है ताकि अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकता तथा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के उपयुक्त हितों के परिपेक्ष्य में संतुलित एवं समेकित मूल्य संरचना तैयार की जा सके। कृषि मूल्य आयोग से हाल में उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संशोधित वसूली/समर्थन मूल्यों का सुझाव देने को कहा गया था। कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ धान्यों के लिए संशोधित मूल्य की सिफारिश की है। राज्य सरकारों से कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के बारे में पूछा गया है। अब भारत सरकार ने उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए वसूली मूल्यों का निर्धारण करना है। गेहूं के बारे में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आल इंडिया फेडरेशन आफ एलीमेंटरी टीचर्स आर्गेनाइजेशन से ज्ञापन

श्री रामावतर शास्त्री : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया फेररेशन आफ एलीमेंटरी टीचर्स आर्गेनाइजेशन ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में उनको कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)---(क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षक संगठन द्वारा की गई मांगों का विवरण संलग्न है।

(ग) मांगों की जांच की जा रही है तथा संघ को सरकार के निर्णय की सूचना दी जाएगी।

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षक संघ ने निम्नलिखित मांगे की हैं :—

1. अखिल भारतीय शिक्षा नीति तत्काल घोषित की जाए।
2. प्राथमिक शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय एक समान वेतनमान ढांचा तथा सेवान्त

लाभ घोषित किए जाएं। निर्णय हो जाने तक, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त अन्य लाभों सहित शिक्षकों को कम से कम 70/-रुपए अदा किए जाएं।

3. कक्षा X तक व्यापक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए सम्बद्ध कार्यक्रम।

4. स्कूल प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण, निजी प्रबन्ध का उन्मूलन। अध्यापकों को सीधा भुगतान।

5. अध्यापकों-छात्रों का 1 : 25 का अनुपात होना चाहिए।

6. स्कूल अनुदान आयोग का गठन। स्कूली शिक्षा के विकास के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नमुने पर एक स्कूल अनुदान आयोग होना चाहिए। ऐसा आयोग केन्द्र में स्थापित किया जाना चाहिए तथा उसकी शाखाएं राज्यों में होनी चाहिए। केन्द्र प्राथमिक शिक्षा के लिए और अधिक वित्तीय जिम्मेवारी वहन करें।

7. निरक्षरता उन्मूलन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम, अखिल भारतीय तथा राज्य बोर्ड बनाए जाएं तथा उन बोर्डों में प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया जाए।

8. छठी योजना अवधि में कम से कम 7% योजनागत खर्च सुनिश्चित किया जाए।

9. सामान्य स्कूल पद्धति लागू करना (अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले को छोड़कर)।

10. मध्यान्ह भोजन तथा निःशुल्क पुस्तक प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा में बीच में अध्ययन छोड़ देने के उन्मूलन को सुनिश्चित करना।

11. अध्यापकों के लिए लोकतान्त्रिक तथा राजनैतिक अधिकार। प्राथमिक शिक्षकों को राज्य विधान परिषदों के शिक्षा चुनाव क्षेत्रों के चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

12. केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (सी. ए. बी. ई.) तथा राज्य सलाहकार निकायों में प्राथमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व। शिक्षा नीति बनाने वाले सभी निकायों में प्राथमिक शिक्षकों को शामिल करना।

13. औद्योगिक विवाद अधिनियम के रूप में अथवा किसी नए केन्द्रीय कानून द्वारा सेवा सुरक्षा की सांविधिक व्यवस्था।

14. शिक्षकों, विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों के समान प्रतिनिधित्व सहित प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध के स्वायत्त बोर्ड।

15. देश में लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लागू करना।

16. अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षक संगठन के पदधारियों के निःशुल्क रेल पास तथा ड्यूटी छुट्टी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में कथित अनियमितताएं

6659. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में हो रही वित्तीय, प्रशासनिक तथा अन्य अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां। कथित अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं।

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच की गई है, और जहां कहीं भी आवश्यकता थी, वहां कार्यवाही की गई है।

पिछड़े वर्गों के लिए मकान

6660. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों, जनजातियों के लोगों तथा हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास, मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : आवास राज्य का विषय है और विभिन्न वर्गों के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरा करना मुख्यतया राज्यों की जिम्मेदारी है। सिवाए बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के, सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमिका, राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में वित्तीय सहायता देने तक ही सीमित है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं होती। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और हुडको से विभिन्न राज्यों को विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 213·00 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है। पिछले वर्ष, उपर्युक्त साधनों से राज्य सरकारों को 194·74 करोड़ रुपये दिये गये थे।

चीनी की मांग और सप्लाई

6661. **श्री जिनेन्द्र प्रसाद :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 के बाद प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में चीनी की मांग और उसकी सप्लाई के बीच कितना अन्तर है ;

(ख) किन बाधाओं के कारण उत्पादन, मांग के अनुरूप न बढ़ पाया ; और

(ग) इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि भविष्य में इस अन्तर को समाप्त किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी की मांग उसके मूल्य से सम्बन्धित है जोकि समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। देश में चीनी की आन्तरिक खपत भी विभिन्न मौसमों में उत्पादन और उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। 1976-77 से प्रत्येक वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन और आन्तरिक खपत के आँकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मीटरी टन में)

मौसम	चीनी का उत्पादन	आन्तरिक खपत	उत्पादन और खपत के बीच अन्तर	
1976-77	48·43	37·53	(+)	10·90
1977-78	64·62	45·48	(+)	19·14
1978-79	58·44	61·81	(—)	3·37 (कम)
1179-80 (अनुमानित)	36·50	53·50	(—)	14·00 (कम)

(ख) मुख्यतया गन्ने के उत्पादन में कमी होने और गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं द्वारा पेश किए गए उच्चतर मूल्यों के कारण गन्ना गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं को दिए जाने के कारण 1979-80 में चीनी के उत्पादन में भारी कमी आयी ।

(ग) भविष्य के वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) फैक्ट्रियों द्वारा शीघ्र पिराई कार्य शुरू करने के लिए और 1980-81 मौसम में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देने के रूप में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ;

(ii) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों की क्षमता में विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर चीनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है ;

(iii) सम्पत समिति प्रोत्साहन योजना, जोकि अगस्त, 1978 में चीनी का विनियंत्रण करने से पूर्व लागू थी, उसके पैरामीटरों में उपयुक्त परिवर्तन कर, उसे पुनः लागू किया जा रहा है ।

खुला विश्वविद्यालय

6662. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एक खुला विश्वविद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) उक्त प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम, केरल के गोदामों में चीनी खराब होना

6663. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अगाडिपुरम स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 6 लाख रुपयों के मूल्य की 216 टन चीनी खराब हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न केवल ओगाडिपुरम में वरन केरल में भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों में 1978 से रखी बहुत से टनों चीनी खराब हो रही है क्योंकि उस चीनी के बारे में सम्बद्ध अधिकारी को कोई जानकारी नहीं मिली थी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की जाएगी तथा क्या सरकार का विचार इस चीनी को रिलीज करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । फिलहाल इस केन्द्र पर चीनी का कोई स्टाक नहीं है ।

(ख) और (ग) : केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1200 मीटरी टन की केवल थोड़ी मात्रा पड़ी हुई थी क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन अलग रखी गई थी और सितम्बर 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार दल द्वारा स्टाक का निरीक्षण करने से पहर इसे बेचा नहीं गया था । टेन्डर इन्क्वायरी द्वारा अथवा राज्य सरकार को इसकी पेशकश करके अब ये स्टाक बेचे जा रहे हैं और स्टाक के निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था में रिक्त पद

6664. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण संस्था में पिछले काफी समय से 'ख' 'ग' तथा 'घ' वर्ग के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी के कुछ पद रिक्त हैं। इनकी संख्या 341 है, इनमें से अधिकांश पद 'घ' श्रेणी के हैं, हाल ही इनका सृजन इसलिए किया गया है कि दैनिक मजदूरी पर लगे मजदूरों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा सके। ये सभी पद (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार न मिलने (ii) भर्ती नियमों को बनाने और अथवा उनके संशोधन न हो पाने तथा (iii) वरिष्ठता सूची तैयार न हो पाने के कारण रिक्त पड़े हुए हैं। आरक्षित वर्गों से सुयोग्य उम्मीदवार ढूंढ़ने और भर्ती नियमों के बनाने/संशोधन में काफी समय लगता है। तथापि, रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

मांस की मांग

6665. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में मांस की मांग बढ़ती जा रही है और वर्तमान पशुधन यह बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है,

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में मांस की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान पशुधन काफी है।

(ख) उक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

प्रोटीन और विटामिन भरपूर सब्जियां

6666. **श्री रामलाल राही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटीन और विटामिन से भरपूर सब्जियों की किस्मों का विकास करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कौन सी किस्मों का विकास किया जायेगा और इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रोटीन और विटामिन से भरपूर सब्जियों का विकास विभिन्न प्रजनन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया है। भारतीय फूल गोभी "पूसा सिंथेटिक" और "इम्प्रूब्ड जापानीज" नाम की किस्मों में विटामिन "सी" की मात्रा (60-70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम) योरूपीय फूलगोभी "स्नोबाल" (30-40 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम) की तुलना में कहीं अधिक है। टमाटर की किस्म "**पूसा रैड प्लम**" में विटामिन "सी" की मात्रा (56 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम) उच्च है। फ्रेंच बीन "पूसा पार्वती" जो अधिक उपज देने वाली किस्म है, प्रति एकड़ क्षेत्र अधिक प्रोटीन देती है। पालक की किस्म "**पूसा ज्योति**" विटामिनों से अत्यन्त भरपूर है, विशेषकर विटामिन 'ए' और "सी" में (विटामिन "ए" 52 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम और विटामिन "सी" 50·24 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम)। केरल की एक अधिक उपज देने वाली किस्म "**पूसा दोमोसी**" खनिजों से भरपूर है।

प्रोटीन के उच्च स्रोत के लिए जानी जाने वाली "विंग्ड बीन" भी चालू की गयी है। हाल ही में, विटामिन "ए" और "सी" से भरपूर टमाटर की किस्मों, शुष्क तत्व "सी" के लिए मिर्चे, विटामिन "सी" और अन्य विशेषताओं से भरपूर फूल गोभी, शर्करा, खटास और विटामिन "सी" के लिए खरबूजा और प्रोटीन और विटामिन "सी" के लिए मटर की किस्मों की जांच हेतु अनुसंधान कार्य लुधियाना(पंजाब), हिसार(हरियाणा) और हेसरघाटा(कर्नाटक) में चलाया जा रहा है।

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्लाट मालिकों को सुख-सुविधाएं दिया जाना

6667. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्लाट मालिकों को जिनको सरकार द्वारा प्लाट आवंटित किये गये हैं, मल निकासी, नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई, सड़कों पर बिजली, सड़कें बनाने आदि की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन पर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क संख्या 75वीं पर बिजली लगा दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वह किस तारीख तक लगा दी जायेगी ;

(घ) क्या कुछ समितियों को मल निकासी और नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई की सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन समितियों को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और वे कितने समय तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी ।

अतिरिक्त गोदामों का निर्माण

6668. **श्री तारिक अनवर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन भागों में खाद्यान्नों के अतिरिक्त गोदाम बनाये जाने की सम्भावना है तथा प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी होगी ; और

(ख) क्या ये गोदाम सम्बन्धित राज्य सरकारों के नियंत्रण में होंगे अथवा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए बनाई जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) इनमें से अधिकांश गोदामों का भारतीय खाद्य निगम द्वारा और कुछेक का केन्द्रीय भण्डागार निगम द्वारा प्रबन्ध सम्भाला जाएगा ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए जिन क्षेत्रों में सम्भावी अतिरिक्त क्षमता बनवाई जानी है उनके बारे में बताने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य	क्षमता (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,47,500
2.	विहार	75,000
3.	हरियाणा	1,95,000
4.	कर्नाटक	50,000
5.	केरल	1,25,000
6.	मध्य प्रदेश	2,30,000
7.	महाराष्ट्र	2,30,000
8.	उड़ीसा	50,000
9.	पंजाब	3,87,500
10.	राजस्थान	50,000
11.	तमिल नाडु	1,70,000
12.	उत्तर प्रदेश	2,27,500
13.	पश्चिमी बंगाल	1,77,500
	जोड़	22,15,000

पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत छोटे किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम ।

6669. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये कोई विशेष आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम निर्धारित किये हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आरम्भ की गयी ऐसी योजनाओं के संबंध में गुजरात की जिलावार प्रगति क्या है, इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गयी और उक्त अवधि में ऋणों, सहायता अनुदान, राज सहायता, कृषि सहायता, योजनाओं तथा अन्य पदों पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी, और

(ग) गुजरात में 1980, 1981 तथा 1982 में उपरोक्त शीर्षों पर कितनी राशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में एक विवरण संलग्न है (विवरण 1, 2, 3 और 4) । (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी —1221/80)

मुर्गी पालन आदि के छोटे फार्मिग के लिये गुजरात में विकास पर हुआ व्यय

6670. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के दिनांक 15 मार्च, 1980 के पत्र संख्या 6/2/79 आई. एल. डी. एक्स. के अनुसार गांव के छोटे किसानों, फार्म कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूति जनजातियों तथा आदिवासियों को रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराने के लिये 30 जून, 1980 तक गुजरात राज्य में मुर्गीपालन, शंकर व चराड्डी सूअर, बकरी के विकास से कितने लाभ हुए हैं और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है,

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत गुजरात के प्रत्येक जिले में उपरोक्त प्रत्येक वर्ग से कितने किसान तथा अन्य व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, और

(ग) उपरोक्त प्रयोजन के लिये वर्ष 1980, 1981 और 1982 में कितनी राशि आवंटित की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) दो योजनाएं अर्थात् (1) दोगली किस्म की ओसरें पालने की योजना तथा (2) मुर्गीपालन, सूअर पालन तथा भेड़ विकास एककों की स्थापना की योजना, जिनका उल्लेख इस मंत्रालय के संदर्भाधीन परिपत्र में किया गया है, 1976-77 से गुजरात राज्य में चल रही हैं । राज्य ने सूअर पालनकी योजना को शुरु नहीं किया है तथा बकरी विकास को विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है ।

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर जून, 1980 तक 156.13 लाख रूपए की धनराशि व्यय की गई है अर्थात् दोगली किस्म की ओसरें पालने पर 16.80 लाख रुपए तथा मुर्गीपालन और भेड़ विकास इकाइयों की स्थापना पर 139.33 लाख रुपए व्यय किए गए हैं ।

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए, मुर्गीपालन तथा भेड़ विकास एककों की स्थापना की योजना हेतु केन्द्रीय अंश के रूप में 25.00 लाख रुपए को अनन्तिम आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी इतनी ही धनराशि सुलभ की जानी है। दोगली किस्म की ओसरें पालने की योजना के बारे में वर्ष 1980-81 के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार के पास गत वर्षों की 6.00 लाख रुपए की धनराशि पहले ही शेष बची है। इस अवस्था में आगामी वर्षों अर्थात् 1981-82 तथा 1982-83 के लिए आंबटन का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि छठी योजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

(1) वर्ष 1976-77 से लेकर 30-6-1980 तक दोगली किस्म की ओसरें पालने की योजना के अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियो की संख्या।

क्रम संख्या	जिले का नाम	अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या					
		लघु कृषक	सीमान्त कृषक	कृषि श्रमिक	योग	लाभभोगियों की कुल संख्या (कालम 6) में से लाभन्वित अनुसूचितजाति तथा अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या	
						अनु०जाति	अनु०जनजाति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	साबरकंठा	107	113	108	328	6	6
2.	अहमदाबाद	22	8	25	55	-	-
3.	बड़ौदा	3	2	3	8	3	-
4.	भड़ौच	4	6	14	24	-	13
5.	सूरत	47	5	95	147	52	18
6.	वुलसार	68	47	10	125	1	12

2. वर्ष 1976-77 से लेकर 30-6-1980 तक भेड़ विकास एककों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की संख्या।

क्रम संख्या	जिले का नाम	अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या					
		लघु कृषक	सीमान्त कृषक	कृषि श्रमिक	योग	लाभ-भोगियों की कुल संख्या (कालम 6) में से लाभान्वित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों की कुल संख्या	
						अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	2.	3.	4.	5,	6.	7.	8.
1.	खेड़ा	169	430	1109	1708	227	-
2.	बड़ौदा	628	315	-	943	10	318
3.	भड़ौच	13	50	521	584	20	511
4.	सूरत	-	50	375	425	-	200
5.	झूनागढ़	-	-	135	135	82	-
6.	वुलसार	10	16	464	490	-	40

(3) वर्ष 1976-77 से लेकर 30-6-1980 तक भेड़ विकास एककों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की संख्या ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या				
		लघु कृषक	सीमान्त कृषक	कृषि श्रमिक	योग	लाभभोगियों की कुल संख्या (कालम 6) में से लाभान्वित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या
						अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. / 8.
1.	कच्छ	33	820*		853	- / -
2.	जामनगर	40	132*		172	- / -

*राज्य सरकार के पास सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

स्वाशासी कालेज

6671. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वशासी कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनको अपने व्यय के निर्वाहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनदान आयोग द्वारा की जा रही यह वित्तीय सहायता इन कालेजों के उस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है जो उनके स्वाशासी स्वरूप के कारण और परीक्षाएं आयोजित करने के कारण उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उनको करना पड़ता है ;

(घ) क्या व्यवसायिक, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कालेजों को दी जा रही वित्तीय सहायता की राशि भिन्न है ; और

(ड़) यदि नहीं, तो उनको एक समान राशि देने का औचित्य क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरान्द) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 13 स्वायत्तशासी कालेज हैं ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं । कि कालेज को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान कर दिए जाने से उस कालेज के रख-रखाव के खर्च के संबंध मे वित्तीय दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापनात्तरित नहीं हो जाता है । तथापि, आयोग ऐसे प्रत्येक कालेज को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपये का न समाप्त होने वाला अनुदान इन कालेजों द्वारा विकसित विशेष शैक्षिकता कार्यक्रमों के लिए देता है । यह सहायता आयोग द्वारा इन कालेजों को दी जाने वाली सामान्य विकास सहायता के आलावा दी जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) : कालेजों को स्वायत्तता उनके शैक्षिक स्तर और कर्मचारियों की क्षमता के अलावा परिणाम स्वरूप उनके दायित्व बढ़ जाने से संबंधित अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए उनके वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है ।

भुज और गांधीधाम-कांडला में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

6672. **श्री महिपल राय मेहता :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज और गांधीधाम, कांडला के लोगों ने यह अनुरोध किया है कि इस समय आपरेटरों द्वारा चलाये जाने वाले टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं !

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) देश में स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की देशी उत्पादन क्षमता मौजूदा स्वचल एक्सचेंजों की विस्तार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं है।इन स्थानों पर अपेक्षित आकार के एक्सचेंजों के लिए उपस्कर आयात करने में कुछ तकनीकी आर्थिक कठिनाइयां है। देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत भंडारण सुविधा

6673 **श्री गदाधर साहा :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण किसानों के लिये खाद्यान्न के स्टाक का भण्डारण करने के लिये एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम दो ग्रामीण गोदामों के निर्माण के माध्यम से भण्डारण सुविधाओं का प्रसार आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिये राज्यों के लिये 1677-78, 78-79, 79-80 के दौरान, राज्यवार, कितना-कितना प्रावधान और नियत किया गया तथा कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या ग्रामीण किसानों के लाभार्थ खाद्यान्न के स्टाक की प्रतिभूति पर राष्ट्रीयकृत बैंक से अग्रिम राशि दिये जाने के लिये राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम बनाया गया है और उसे क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण की संस्वीकृति वर्तमान तथा प्रत्याशित विपणन योग्य फालतू अनाज और किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान भण्डारण क्षमता के आधार पर दी जाती है और किसी क्षेत्रीय आधार पर नहीं दी जाती है।

(ख) ग्रामीण गोदामों का एक राष्ट्रीय ग्रिड-स्थापित करने की योजना 1979-80 में शु रूकी गई थी। सभी राज्यों के बारे में वर्ष 1979-80 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। उक्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को 12.87 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी और आन्ध्र प्रदेश को 3.125 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी।

(ग) व (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण गोदामों द्वारा जारी की गई गोदाम रसीदों के मुकाबले में अग्रिम सुलभ करने हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 11 जून, 1980 को अनुदेश जारी किए हैं। अनुदेशों की एक प्रति जिसमें सभी सम्बन्धित ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी—1222/80]

"ग्राउडन शीट" का उपयोग तथा उसका निर्यात

6975. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों में ग्राउण्डनट शीटों का मेवा के रूप में उपयोग किया

जा रहा है और उन देशों द्वारा उसकी बड़ी मांग की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या है तथा इन देशों में से प्रत्येक को गत तीन वर्षों के दौरान ग्राउण्डनट शीट की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था,

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है,

(घ) क्या उसके अधिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है, और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कुछ देशों में हाथ से चुनी हुई किस्मों की मूंगफली (गिरी) की अच्छी मांग है जहां इसका मिठाई बनाने और खाने के लिये प्रयोग किया जाता है ।

(ख) और (ग) : सम्बंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(घ) जी नहीं । केवल सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाती है, जो देश में खाद्य तेलों की उपलब्धि पर आधारित होता है ।

(ङ) देश में खाद्य तेलों की कमी है और उत्पादन तथा आवश्यकताओं के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये हर वर्ष भारी मात्रा में इनका आयात करना पड़ता है । एच० पी० एस० मूंगफली की सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाती है क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक हैं ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली का देशवार निर्यात

मात्रा-मीटर टनों में मूल्य-करोड रुपये

देश	1978-79	
	मात्रा	मूल्य
यूगोस्लाविया	7525	4.84
जापान	700	0.47
स्विटजरलैण्ड	6677	3.79
पश्चिम जर्मनी	1001	0.56
ईरान	138	0.12
चैकोस्लावकिया	2512	2.04
योग	18552	11.82

देश	1679-80	
	मात्रा	मूल्य
यूगोस्लाविया	3300	2.00
स्विटजरलैण्ड	9749	1·00
जापान	1589	1.07
कुवैत	50	0.03
ईरान	650	0.35
हालैण्ड	1500	1 00
पश्चिम जर्मनी	900	0.60
योग	17738	10.85

टिप्पणी : 1977-78 के दौरान मूंगफली के निर्यात पर पाबंदी थी ।

बाढ़ ग्रस्त केरल को योजनेतर सहायता देने का अनुरोध

6676. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल की बाढ़ से हुई भारी क्षति के कारण केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता (योजनेतर) मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की और कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार ने 28.64 करोड़ रुपए के गैर योजना राहत अनुदान की मांग की है ताकि वे राहत व्यय तथा सुधार के नीचे लिखे अन्य उपायों पर होने वाले व्यय की पूर्ति कर सके ;—

मृत्यु के मामले में परिवारों के लिए अनुग्रह अदायगी घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह अदायगी, नष्ट/क्षतिग्रस्त घरों के लिए अनुग्रह अदायगी, निःशुल्क राहत तथा चिकित्सा राहत, सड़कों, भवनों की मरम्मत, कृषि के लिए अल्पावधि-ऋण कृषि कार्य करने की योजनाएं, मकुवाओं के लिये घर निर्माण तथा समुद्र के किनारे बनी दीवारों की मरम्मत सम्बन्धी योजनाएं, लघु सिचाई के निर्माण कार्य, नदियों के किनारों, बांधों और सिचाई परियोजनाओं आदि से संबंधित योजनाएं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

लोधी कालोनी, नई दिल्ली में पेयजल की कमी

6677. **श्री ईरा मोहन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोधी कालोनी, नई दिल्ली में डी-1 ब्लाक के निवासी इस गर्मी में पेयजल की गम्भीर कमी का सामना कर रहे हैं ;

(ख) क्या डी-1 ब्लाक के निवासी विशेष रूप से और लोधी कालोनी के सामान्य रूप से और विशेष रूप से पहली मंजिल पर रहने वालों ने अपर्याप्त जल सप्लाई की शिकायत की है ;

(ग) क्या कम दबाव का कारण पानी के जंग लगे पाइप हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है ; और

(घ) क्या पानी के जंग लगे पाइपों को बदलने और पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली में सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा

6679. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नार्थ एवेन्यू फ्लैट संख्या 52-54 गत दस वर्षों से एक औरत के अनधिकृत कब्जे में है तथा सम्पदा निदेशालय उसे आज तक खाली नहीं करवा पाया है तथा उसका वास्तविक कब्जा असली अलाटी को नहीं सौंप सका है; और

(ख) यदि हां, तो सम्पदा निदेशालय ने अब तक क्या कार्यवाही की है और उपर्युक्त फ्लैट का अनधिकृत कब्जा हटवाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) तथा (ख) :—एक संसद सदस्य (लोक सभा) को जुड़वा फ्लैट नं० 52-54 नार्थ एवेन्यू आवंटन किया गया था और उन्होंने 11-6-77 को फ्लैट का कब्जा लिया। 7-8-78 उस सांसद ने लोक सभा सचिवालय से अनुरोध किया कि एक महिला जो फ्लैट नं 52 नार्थ एवेन्यू पर अनधिकृत रूप से कब्जा किए थी उसको वेदखल किया जाए। तदानुसार 8-8-78 को उस सांसद के नाम से जुड़वा फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया गया और आवंटी के विरुद्ध वेदखली की कार्रवाही आरम्भ की गई। सम्पदा अधिकारी द्वारा वेदखली के अन्तिम आदेश 14 नवम्बर, 1978 को पारित किए गए।

तथापि, अनधिकृत कब्जाधारी को फ्लेट नं 52 से वेदखल करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि उस महिला ने न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिया है। यह मामला न्यायालय में निलम्वित है। अनधिकृत कब्जाधारी की बलपूर्वक वेदखली, यदि आवश्यक हुई, तो न्यायालय के रोकादेश रद्द होने पर की जायेगी।

अहमद नगर में टेलेक्स सुविधा

6681. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर में इस समय उपलब्ध दूरसंचार सेवा में विलंब को देखते हुए वहां टेलेक्स सुविधा कराने की जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलेक्स सुविधायें न होने के कारण कुछ एकक एम० आई० डी०सी० के अधीन नहीं आना चाहते हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के समान अहमद नगर में भी टेलेक्स सुविधा की उपयोगिता का ज्ञान बढ़ रहा है -

(ख) डाक तार विभाग को ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) अहमद नगर में टेलेक्स सुविधा के महत्व को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है तथा 20 लाइनों के टेलेक्स एक्सचेंज संस्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। मांग का कुछ अंश प्राप्त हो गया है तथा शेष मांग प्राप्त हो जाने पर संस्थापन कार्य किया जाएगा।

आदिवासी लोगों में शिक्षा

6682. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81 के दौरान आदिवासी लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्यवार कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द)—1980-81 के लिए राज्यों की आदिवासी उपयोजनाओं को जिसमें शैक्षिक क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। संबंधित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आदिवासी उपयोजनाओं में शिक्षा क्षेत्र के लिए 33.51 करोड़ रु० का प्रस्ताव किया गया है। योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। देश में आदिवासी लोगों में शिक्षा की उन्नति के लिए 1908-81 के लिए राज्य-वार निर्धारित वास्तविक धनराशि का पता, सम्बन्धित राज्यों के साथ विचार-विमर्श पूरा होने तथा आदिवासी आयोजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही लगेगा।

कर्नाटक में टेलीफोन और टेलीग्राम सुविधाओं का विस्तार

6683 **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में टेलीफोन और टेलीग्राफ सुविधाओं में विस्तार की क्या योजनाएं हैं ;

(ख) कर्नाटक में ऐसे टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां 1980-81 में एस०टी० डी० प्रणाली आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव)—(क) 1980-81 में 50 टेलीफोन एक्सचेंज, 40 सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा 40 तार घर खोलने की योजना है ।

(ख) दो

दिल्ली प्रशासन के धन का डी०डी०ए० को दिया जाना

6684 **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के योजना नियतन के कुछ करोड़ रुपये 1979-80 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिये गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि सही सही कितनी है ;

(ग) डी०डी०ए० ने इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया है;

(घ) डी०डी०ए० द्वारा राजधानी में कौन कौन से शापिंग कम्पलैक्स बनाए गए अथवा बनाए जा रहे हैं और क्या बनाए गए कम्पलैक्सों को बेच दिया गया है या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किराये पर दे दिया गया है; और

(ङ) डी०डी०ए० ने किए गए पूंजी निवेश के बदले इस उद्यम से कितना धन कमाया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) से (ङ) :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के किराये की अदायगी को समाप्त किया जाना

6685. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों द्वारा भूमि के किरायों की अदायगी को समाप्त करने के लिए कुछ समय पहले गठित की गई समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) से (ग) दिल्ली में आवासीय प्लाटों के बारे में भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय मन्त्रि मण्डल के स्तर पर लिया जायेगा । सरकार के द्वारा उपर्युक्त सामान्य प्रश्न पर निर्णय लिये जाने के बाद ही राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटियों के द्वारा भूमि किराये के भुगतान की समाप्ति के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

ग्रामीण एकीकरण (इनटीग्रेशन) योजना

6686 **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण एकीकरण योजना कब आरम्भ की गई थी; और

(ख) उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) वर्तमान स्वरूप के समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को वर्ष 1978-79 के दौरान शुरू किया गया था।

(ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम

वर्ष 1978-79 व वर्ष 1979-80 के दौरान वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपये में)

मद	1978-79	1979-80+
1. आवंटन का केन्द्रीय अंश	10368.00	8430.00
2. बंटित धनराशि	7045.00	5329.99
3. सूचित व्यय	3266.73	6885.62
4. सहायित परिवारों की संख्या	624288	1475.448
5. सहायित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	अप्राप्य	3585.79
6. जुटाया गया ऋण	5460.11	10124.38

+(1978-79 में, इस कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्यय पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किये गए थे। तथापि, 1979-80 से वित्त देने के प्रतिमान में परिवर्तन हुआ था। जिससे इस कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्यय को केन्द्रीय तथा राज्य/केन्द्रशासित सरकारों द्वारा बराबर आधार पर वहन किया जाता है। वर्ष 1979-80 के आंकड़ों में आवंटन का केन्द्रीय अंश तथा राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को केन्द्र से निधियों का आवंटन दर्शाया गया है। वर्ष 1979-80 के व्यय आंकड़ों में केन्द्रीय तथा राज्य निधियां दोनों शामिल हैं।

कर्नाटक में चन्दन की लकड़ी की प्रौद्योगिकी

6687 **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चन्दन वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण की तकनीकी में सुधार लाने के लिए कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या कर्नाटक में और अधिक चन्दन वृक्ष लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दक्षिण में खुदाई

6688 **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विशेषकर दक्षिण में खुदाई करने के परिणामस्वरूप हाल में कुछ प्राचीन अवशेष और कलाकृतियां पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन प्राचीन कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी हां।

(ख) 1978-80 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दक्षिण भारत में छः (आंध्र प्रदेश में चार तथा कर्नाटक और तमिलनाडु में एक एक) स्थलों पर उत्खनन कार्य कराया अर्थात् आन्ध्रप्रदेश में श्री काकुलम जिले के कलिंगपाटम, महबूबनगर जिले के कुदावल्ली-संगनेश्वर, कर्नूल जिले में वामलापडु और सातानिकोटा; कर्नाटक में बेलारी जिले के हाम्पी तथा तमिलनाडु में नार्थ आर्कोट जिले के मोतुर नामक स्थलों पर।

इस उत्खननों के फलस्वरूप सातानिकोटा में ईसा की लगभग पहली से तीसरी शताब्दी की एक किलेबन्द बस्ती और विभिन्न किस्मों के महापाषाण; कलिंगपाटम में ईसा की लगभग पहली शताब्दी का एक बौद्ध स्तूप; कुदावल्ली-संगमेश्वर में जूलियस कौस्टैंटियस (सन् 337-361 ई०) के सोने का एक रोमन सिक्का और अनैस्टैसियस के एक वैजन्टाइन सिक्के के आधे टुकड़े की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि; हाम्पी में राज प्रासादों के दो बड़े संरचनात्मक समूहों, तथा मोतुर में एक विशाल मानव सदृशी मूर्ति मिली है जो एक पटिया के रूप में महापाषाणी स्मारक के मुकाबले पत्थर के ताबूत की परिधि पर रखी जाती थी। उस पत्थर के ताबूत के अन्दर मृण्मय शवपेटिका मिली थी।

इसके अतिरिक्त, 1978-80 के दौरान सर्वेक्षण उत्तर भारत के नौ स्थलों पर अर्थात् बिहार में भागलपुर जिले के अन्तीचक, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के भारद्वाज आश्रम, बिहार में वैशाली जिले के चेचर, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के हुलास, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के परिहार, गुजरात में मेहसाना जिले के पाटन, तथा उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद जिले के श्रृंगवेरपुर में उत्खनन कार्य करने में व्यस्त है।

(ग) जी हां।

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में दूर संचार सम्पर्क

6689. **श्री भीखा भाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों के बीच दूर-संचार सम्पर्क स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बीच वायरलैस सम्पर्क बनाने का प्रयास करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयता डायलिंग ग्रिड से जुड़े जिला मुख्यालय

6690. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से जिला मुख्यालय सीधी डायल सेवा तथा राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जुड़े हुए हैं ;

(ख) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान किन किन मुख्यालयों को उससे जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान राज्य की कौन कौन सी औद्योगिक पट्टियों को राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जोड़ने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) (i) अलीपुर
(ii) बर्दवान (सीमित सीधी डायल सेवा)
(iii) कलकत्ता
(iv) हावड़ा
(ख) बर्दवान राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड के साथ संबंधित
(ग) (i) आसलसोल औद्योगिक पट्टी।

उर्वरकों की डिलीवरी के लिये ठेकागत वायदे

6691. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के कुछ सप्लायर वर्ष 1979-80 के दौरान उर्वरकों की डिलीवरी के कार्यक्रमों संबंधी अपने ठेकागत वायदों को पूरा नहीं कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) करार हुई 45 लाख मीटरी टन की मात्रा में से भारतीय बन्दरगाहों पर लगभग 5 लाख मीटरी टन उर्वरक डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार नहीं पहुंचा। निर्धारित डिलीवरी कार्यक्रम की तुलना में विलम्ब से पहुंचने वाले उर्वरकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मीटरी टन)

उर्वरक	सामग्री	नाइट्रोजन
1 यूरिया	3,16,016	1,45,367
2. अमोनिम सल्फेट	76,307	16,024
3. कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट	1,11,000	28,860
योग	5,03,323	1,90,251

उर्वरक का उत्पादन, खपत और आयात

6692. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन खपत और आयात के आंकड़े क्या हैं तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : संबंधित जानकारी नीचे दे दी गई है।

वर्ष	उत्पादन (नाइट्रोजन + फास्फेट	खपत (नाइट्रोजन + फोस्फे + पोटास)	आयात (नाइट्रोज + फोस्फेट + पोटाश)	आयातित उर्वरकों का लागत तथा भाड़ा सहित मूल्य
	(लाख मीटरी टन में)			(करोड़ रुपए)
1.	2	3	4	5
1977-78	26.70	42.86	15.21	304.95
1978-79	29.40	51.17	19.88	458-66
1979-80	29.83	53 60 (अनुमानित)	20.05	555.34

खाद्यानों का उत्पादन और उनका राज्यों को वितरण

6693. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1979-80 के दौरान राज्यवार, गेहूं और चावल का उत्पादन कितना था ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को इसकी कितनी मात्रा आवंटित की गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में खाद्यान्नों (जिसमें धान तथा गेहूं भी सम्मिलित हैं) की पैदावार के अनुमान अभी सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि मौजूदा अनुमान के अनुसार 1979-80 के दौरान देश के कई भागों में भयंकर सूखे के कारण खाद्यान्नों की पैदावार में गिरावट आई है। धान की पैदावार 1978-79 में 538 लाख मीटरी टन थी। इसकी तुलना में 100-120 लाख मीटरी टन की गिरावट आने की सम्भावना है। आन्ध्र-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में अधिक गिरावट की सम्भावनाएं हैं। गेहूं की पैदावार 1978-79 में 350 लाख मीटरी टन थी। इसकी पैदावार में भी 20 से 30 लाख मीटरी टन की कमी आने की सम्भावना है। प्रायः बिहार, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में गेहूं की पैदावार में गिरावट आने की सम्भावना है।

(ख) 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-80 में केन्द्रीय पूल से राज्यों को आवंटित खाद्यान्न

(000 टन)

राज्य	धान	गेहूं		मोटा अनाज	योग
		सार्वजनिक वितरण	मिलें		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आन्ध्र प्रदेश	380·0	144·0	153·4	0·6	678·0
असम	565·0	332.5	89·5	—	987·0
बिहार	400·0	1025·0	420·0	—	1845·0
गुजरात	38·0	111·9	198·0	0·1	348·0
हरियाणा	1·3	78·0	273·9	9·3	362·5
हिमाचल प्रदेश	0·6	26·5	95·0	—	122·1
जम्मू तथा कश्मीर	104·4	81·4	108·0	—	293 8
कर्नाटक	—	120·0	399·0	0·5	519·5
केरल	1620·0	120·0	120·0	—	1860·0
मध्य प्रदेश	400·0	660·0	204·7	—	1264·7
मणिपुर	30·5	5·2	6·4	0·2	42·3
मेघालय	79·0	13·8	12·7	—	105·5
नागालैण्ड	60·5	9·0	17·0	—	86·5
उड़ीसा	155·0	119·0	287·1	—	561·1

पंजाब	2·2	96·0	493·0	0·5	591·7
राजस्थान	62·0	419·0	196·0	1·1	578·1
तमिलनाडु	8·5	35·0	780·0	—	823·5
त्रिपुरा	81·5	23·0	26·8	—	131·3
उत्तर प्रदेश	492·8	570·0	538·0	3·4	1604·2
पश्चिमी बंगाल	1675·0	2300·0	660·0	—	4635·0
सिक्किम	27·7	3·6	1·0	—	32·2
महाराष्ट्र	460·0	740·0	555·0	2·7	1577·7
अखिल भारत	6960·1	7622·2	6060·4	18·5	20661·2

हिमाचल प्रदेश में घोषित श्रेणी के केन्द्रों पर मंजूर किये गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6694. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान घोषित श्रेणी के केन्द्र होने के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक स्थान पर ऐसे केन्द्र संभवतः कब तक खोल दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1979-80 में मंजूर किये गये सार्वजनिक टेलीफोन घर :—

(1) केलोंग

(2) किलर और

(3) काजा

1980-81 के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) उल्लिखित तीनों सार्वजनिक टेलीफोन घरों के 1981-82 में स्थापित होने की संभावना है बशर्ते कि रेडियो टेलीफोन प्रणालियां उपलब्ध हों ।

हिमाचल प्रदेश के लहरी सरेल आदि स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज

6695. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लहरी सरेल, नम्होई तथा गुखाला स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों की काफी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज संभवतः किस तारीख तक खोल दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लहरी सरेल में टेलीफोन खोलने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मांग है परन्तु नम्होई तथा जुरवाला में टेलीफोन एक्सचेंज का औचित्य नहीं बनता है ।

(ख) लहरी सरेल में 1981 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है ।

केरल के लिये चीनी का कोटा

6696. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में इस समय चीनी को खुदरा बिक्री 6·50 रु० प्रति किलो से अधिक दामों पर की जा रही है ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल को चीनी का कितना कोटा मासिक दिया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : केरल सरकार को उचित दर की दूकानों से वितरित करने के लिए 10,495 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जा रहा है। क्योंकि केरल सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था कर रही है इसलिए उनके मासिक कोटे के आवंटन आदेश राज्य सरकार के पक्ष में फैक्ट्रियों को जारी किये जा रहे हैं।

जहां तक केरल में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि होने का सम्बन्ध है, यह देश की सभी मंडियों में एक सामान्य सी बात है और ऐसा मुख्यतया 1979-80 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने और चीनी, गुड़ तथा खण्डसारी जैसे सभी स्वीटनिंग पदार्थों की समूची उपलब्धता में कमी होने के कारण हुआ है।

सवाई माधोपुर के पचला गांव में पुरातत्व विभाग के लिये प्राचीन वस्तुएं

6697. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सवाई माधोपुर के पचला ग्राम में पुरातत्व विभाग को 2100 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बनास नदी के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व की ऐसी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होने की बहुत संभावनायें हैं ;

(ग) खुदाई कार्य के लिए राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है तथा गत दो वर्षों में राजस्थान को कितनी राशि नियत की गई है तथा यह किन परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार है कि राजस्थान के पुरातत्व विभाग को बनास नदी के साथ-साथ खुदाई करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति के चिन्हों का पता लगाया जा सके ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) पुरातात्विक दृष्टि से बनास नदी की घाटी से बड़ी संभावनाएं हैं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्यों को खुदाई कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

धारवी, बम्बई में गन्दी बस्तियों के निवासी

6698. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार धारवी, बम्बई से गन्दी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से कोई योजना प्रारम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायती राज पर समिति अथवा आदर्श विधान

6699. **श्री चतुर्भुज** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष उपाय सुझाने हेतु उनकी अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय को देखते हुए एक माडल प्रारूप कानून बनाने का निर्णय किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो आदर्श विधान का प्रारूप बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पंचायती राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष उपाय सुझाने हेतु कृषि और सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में 20 मई 1979 को दस मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी । असम, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और योजना आयोग में इस विषय के प्रभारी सचिव इस समिति के सदस्य हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) आदर्श विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

अध्यापकों को फेलोशिप देने के मानदंड में परिवर्तन

6700. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों को फेलोशिप देने के मानदण्ड में परिवर्तन करके उसे कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के आधार पर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों तक यह किस आधार पर दिया जाता था और आयोग ने उसमें परिवर्तन क्यों किया है ;

(ग) क्या आयोग ने परिवर्तन करने से पूर्व पिछड़े तथा जन जातिय क्षेत्रों में स्थित कालेजों की समस्याओं की जाँच की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास के लिए तथा अध्यापकों को फेलोशिप विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाने के लिए आयोग द्वारा लिए गये निर्णय पर पुनर्विचार करेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अध्यापक फेलोशिप देने के मानदण्डों में कालेजों में छात्र के दाखिले के आधार पर परिवर्तन नहीं किए गये हैं । तथापि, यदि अध्यापक फेलोशिप पांचवीं योजना के दौरान कालेजों द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान्य विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का एक भाग ही तो न्यूनतम दाखिले सहित कुछ शर्तों को उनके द्वारा पूरा किया जाना था । इस प्रयोजन के लिए पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कालेजों में निर्धारित न्यूनतम दाखिले में ढील दी गई थी । छठी योजना के दौरान, कालेजो को विकास अनु-

दान स्वीकृत करने के मानदण्डों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन लाईनों का खराब होना

6701. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि उड़ीसा राज्य में अधिकतर टेलीफोन लाइनें खराब रहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भूमिगत तारों का डाला जाना, एक्सचेंज में बोर्डों का बदलना तथा अन्य देशों जैसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं और किस तारीख तक ये दोष दूर हो जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं वास्तविकता ऐसी नहीं है। बड़े एक्सचेंजों की प्रति 100 स्टेशन शिकायत अक्तूबर 1979 में 71% से घटकर मार्च 80 में 58% तथा छोटे एक्सचेंजों में 36% से घट कर 27 प्रतिशत हो गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

6702. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त राशि के उपयोग के लिए विस्तृत योजनाएं पहले ही पेश कर चुकी हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यह योजना किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित की जाएंगी ; और

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं पर कार्य कब आरम्भ किया जाएगा और उसके फलस्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। वर्ष 1980-81 के दौरान, राजस्थान, सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं की व्यवस्था करने के लिए 5 करोड़ रु० की राशि की स्वीकृति दी गई है।

(ख) जी, नहीं। किन्तु राज्य सरकार ने राज्य के 26 जिलों में बुरी तरह से प्रभावित 3251 गांवों में पेयजल पूर्ति की समस्या को सुलझाने के लिए कार्यवाही योजना तैयार की और प्रस्तुत की।

(ग) इन सुविधाओं में हैण्डपम्प लगाना, मौजूदा कुओं को गहरा करना। उनकी सफाई करना। चौड़ा करना और अन्य स्थायी प्रबन्ध करना शामिल हैं। उन स्थानों की सूची उपलब्ध नहीं है जहाँ ये सुविधाएं दी जाएंगी।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

जनकपुरी, दिल्ली में डाक व तार कार्यालय

6703. **श्री भीकूराम जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, नई दिल्ली के ब्लाक "ए" में कोई डाक व तार कार्यालय नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाक व तार विभाग को इस प्रयोजन के लिए ए-3 लोकल शापिंग सेन्टर में एक प्लाट आवंटित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्लाट का कब्जा लेने और उस क्षेत्र के लिए वहां एक डाक व तार कार्यालय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विभाग ने जनवरी 1980 में प्लाट को अपने कब्जे में ले लिया था। इस डाकघर के लिए स्थान अनुसूची तैयार कर ली गई है। स्थान-सूची की मंजूरी के बाद भवन निर्माण के लिए कार्यवाई की जाएगी।

उदयपुर, डुर्गापुर, सागवाड़ा, गारी तथा बांसवाड़ा में तारघर सुविधायें

6704. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर सागवाड़ा, गारी तथा बांसवाड़ा में तारघर सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं ;

(ख) क्या सागवाड़ा में तार एक सप्ताह बाद डाक द्वारा प्राप्त हो रहे हैं ;

(ग) क्या सागवाड़ा से उदयपुर तक एक सीधे तार संपर्क की मांग की गई है ;

(घ) क्या मध्यवर्ती तारघरों में भारी संख्या में तार होने के कारण टेलीग्राफ लाइनें उपलब्ध नहीं होती हैं ;

(ङ) क्या कस्बे के बहुत सारे लोग टेलीफोन अथवा तारों द्वारा संदेश प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ; और

(च) क्या सरकार के पास टेलीग्राफ लाइनों के सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उदयपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, गढ़ी तथा बांसवाड़ा में तार सुविधाएं संतोषजनक हैं। परन्तु कभी-कभी इनमें बाधा उत्पन्न हुई है।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) उदयपुर-बांसवाड़ा लाइन पर जिससे कि सागवाड़ा, गढ़ी तथा डूंगरपुर जुड़े हुए हैं, अधिक कार्यभार नहीं है क्योंकि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा तार लाइन के अतिरिक्त टेलीप्रिंटर परिपथों के जरिए उदयपुर विभागीय तारघर से जुड़े हुए हैं।

(ङ) जी नहीं।

खराबी के समय को छोड़ कर सामान्यतया परिपथों के जरिये संदेश पारेषित प्राप्त किए जाते हैं।

(च) जी हां।

बहुत से कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :---

(i) बड़े कार्यालयों से प्रारंभ करके अतिरिक्त विद्युत सप्लाई की व्यवस्था

(ii) पारेषण प्रचालन में कमी करना

(iii) जहां यातायात का औचित्य बनता है सीधे परिपथों का प्रावधान

(iv) विभिन्न पाइंटों पर विलंब को मानीटर करना।

पानीपत में दोषपूर्ण टेलीफोन सेवा

6705. **डा० ए० यू० आजमयी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत में बड़ी संख्या में टेलीफोन उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन वापस कर दिए हैं क्योंकि वहां विभाग द्वारा उन्हें अत्यंत दोषपूर्ण टेलीफोन सेवा दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) टेलीफोन सेवा में खराबी के कारणों का पता लगाने के लिए तथा विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जो उपभोक्ताओं को उपयुक्त टेलीफोन सेवा प्रदान नहीं कर सके, क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : केवल एक उपभोक्ता ने जिस पर संयोगवश टेलीफोन शुल्क की काफी रकम बकाया थी, विरोधस्वरूप अपना टेलीफोन वापस कर दिया है ।

(क) एक्सचेंज के लिए कल-पुर्जों की व्यवस्था कर सकतें रही हैं तथा अब प्राथमिकता के आधार पर इनकी व्यवस्था की जा रही है ।

मिथिला में खुदाई कार्य

6706. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के समय की वस्तुओं के पाये जाने के बाद मिथिला में खोदे गये स्थान पर पानी भर जाने के कारण खुदाई कार्य रोक देना पडा था और यह कार्य पानी बाहर निकालने के पश्चात् जारी रखे जाने के लिए प्रस्ताव किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त खुदाई कार्य पुनः कब शुरू किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य को रोकने तथा पुनः आगे खुदाई आरम्भ न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) मिथिला के प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र में अन्य किन नगरों में इस समय खुदाई की की जा रही है अथवा निकट भविष्य में की जायेगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (घ) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1962-63 के दौरान बलीराजगढ़ किए में गए खुदाई कार्य ने इस स्थल का, काल क्रमानुसार द्वितीय शताब्दी ई०पू० से लेकर पाल-काल तक का सांस्कृतिक अनुक्रम निश्चित किया गया था । 1973-74 तथा 1974-75 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, बिहार सरकार, पटना ने आगे का कार्य हाथ में ले लिया । परन्तु पानी का स्तर ऊँचा होने के कारण इस स्थल के निचले तलों तक नहीं पहुंचा जा सका । क्योंकि इस स्थल का सांस्कृतिक अनुक्रम, सामान्यतः, पहले से ही निश्चित हो चुका है इसलिए पम्प द्वारा पानी बाहर निकाल कर इस स्थल की और खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है और न ही मिथिला के किसी अन्य क्षेत्र पर उत्खनन कराने का प्रस्ताव है ।

राजस्थान में जयपुर और अन्य बड़े नगरों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

6707 **श्री भीखाभाई :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर और राज्य के शेष दूसरे बड़े नगरों के बीच टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) मौजूदा अगली योजना अवधि के दौरान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापारियो द्वारा चीनी और खाण्डसारी के स्टाक रखे जाने पर सीमा न लागू किया जाना

6708. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी व्यापारी द्वारा एक समय में रखी जाने वाली चीनी और खाण्डसारी की अधिकतम मात्रा में, हाल ही में कुछ और कटौती की है ताकि इन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनके मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आदेशों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और जुलाई 1980 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में जमाखोरी की चीनी की कितनी मात्रा का पता लगाया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1980 को जारी किए गए आदेश में चीनी और खण्डसारी के मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को निम्न प्रकार से कम कर दिया गया है :—

	स्टाक रखने की सीमा (क्विंटल में)	
	14-7-80 से पूर्व	14-7-80 को निर्धारित की गई सीमा के अनुसार
1. **निर्यात पात्र चीनी**		
(एक) कलकत्ता और उसका विस्तरित क्षेत्र—		
(क) मान्यता प्राप्त व्यापारी जो पश्चिमी बंगाल के बाहर के स्थान से चीनी का आयात करते हैं।	3,500	3,500
(ख) अन्य मान्यताप्राप्त व्यापारी	500	250
(दो) अन्य स्थानों में		
(क) एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में	250 से 500	250
(ख) एक लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगरों में	100	100
2. **खण्डसारी**	500	250

10 दिनों के अन्दर-अन्दर स्टाक वेचने के वारे में जो प्रतिवंध प्रारम्भ में 17-5-80 को केवल चीनी व्यापारियों पर लगाए गए थे' उन्हें अब 14-7-80 को खण्डसारी के व्यापारियों पर भी लागू कर दिया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे हाल ही में निर्धारित की गई कम स्टाक रखने की सीमा को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और उनके द्वारा बाहर निकलवाए गए चीनी के स्टाक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

विवरण

जुलाई 1980 के दौरान चीनी और खण्डसारी व्यापारियों के लिए स्टाक रखने की सीमा को लागू करने हेतु तथा स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को बताने वाला विवरण।

1. असम

राज्य सरकार ने जिला प्राधिकारियों और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग के फील्ड अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे चीनी खण्डसारी का स्टाक रखने की सीमा से संबंधित आदेशों को प्रभावकारी ढंग से लागू करें। जुलाई, 1980 के दौरान कोई जमा स्टाक बाहर नहीं निकला था।

2. गुजरात

खण्डसारी के लिए कम स्टाक रखने की सीमा को लागू किया जा रहा है। 29-7-80 तक 13,806 क्विंटल खण्डसारी पकड़ी गई है।

3. हरियाणा

स्टाक रखने की सीमा को लागू करने के लिए जमाखोरी विरोधी उपायों को तेज कर दिया गया है। जुलाई, 1980 के दौरान पकड़ी गई चीनी की मात्रा और मूल्य के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

4. केरल

जमा माल को बाहर निकलवाने के लिए निरीक्षणों में तेजी लाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए लाइसेंसिंग आदेश के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा 30-7-80 तक 13,609 छापे मारे गए थे और इन छापों के दौरान 204 मीटरी टन खण्डसारी पकड़ी गई थी।

5. महाराष्ट्र

कलक्टरों को निदेश दिए गए हैं कि वे जमा माल को बाहर निकलवाने विषयक उपायों में गति लाएं और प्रवर्तन मशीनरी को सक्रिय बनाए। अब तक केवल बम्बई में ही 106 दौरे किए गए, छापे मारे गए हैं। व्यापारियों के पास चीनों के स्टाक अनुमेय सीमाओं के अन्दर-अन्दर पाए गए। जिलों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है हालांकि जमाखोरी विरोधी अभियान सारे राज्य में शुरू किया गया है।

6. पंजाब

स्टाक रखने की सीमा और अन्य मामलों से संबंधित नियंत्रण आदेश के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जुलाई, 1980 के दौरान 128 क्विंटल चीनी पकड़ी गई है।

7. राजस्थान

जिला प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे केन्द्रीय सरकार के निदेशों को सख्ती से लागू करें। 267 छापे मारे गए और खण्डसारी की 403 बोरियां पकड़ी गईं। अधिक स्टाक पाए जाने के कारण खण्डसारी की 421 बोरियों की बिक्री को रोक दिया गया था।

8. चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)

निरीक्षाणालय के स्टाफ ने 191 छापे मारे थे लेकिन जुलाई, 1980 के दौरान चीनी की जमाखोरी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया था।

झालावाड़ और झालरापाटन, राजस्थान के बीच टेलीफोन प्रणाली

6709. **श्री चतुर्भज : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ मुख्यालय तथा झालरापटन शहर के बीच वर्तमान टेलीफोन प्रणाली खराब है और इस प्रणाली के अधीन हर बार उपभोक्ता को टेलीफोन केन्द्र से यह अनुरोध करना पड़ता है कि वह नम्बर मिला दें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे टेलीफोन उपभोक्ताओं/ग्राहकों को असुविधा हो रही है;

(ग) क्या सरकार इस प्रणाली के स्थान पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र बनाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो जनता की सुविधा के लिए इन दो नगरों के बीच कब तक स्वचालित टेलीफोन सेवा आरम्भ करने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) और (ख) झालावाड और झालापटन कस्बे दो अलग-अलग नगरपालिकाओं में हैं। दोनों स्थानों से बीच काले समूचे देश में प्रचलित मानक व्यवस्थाओं के अनुसार ट्रंककाल बतौर लगाई जाती हैं।

(ग) और (घ) झालावाड़ में मौजूदा हस्तचल एक्सजेंज को एक स्वचल एक्सचेंज में बदलने के उपरान्त ही सीधी डायलिंग सेवा संभव हो सकेगी। इसकी योजना तैयार की जा रही है परन्तु इस समय स्वचल स्वीचिंग उपस्कर की सीमित सप्लाई के कारण निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

आई०आई टी० कानपुर के भूतपूर्व निदेशक तथा प्रोफेसरों के रुद्ध मुकदमा

6710. **श्री डुंगर सिह : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई०टी०, कानपुर, के भूतपूर्व निदेशक और प्रोफेसर के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा मैट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट, कानपुर की अदालत में चल रहा है, और क्या उन सभी प्रोफेसरों को तथा उक्त निदेशक को जमानत पर छोड़ दिया गया है ;

(ख) क्या आई०आई०टी०, कानपुर के आचार नियमों में यह व्यवस्था है कि फौजदारी मुकदमे में जमानत पर छूटने पर भी उच्च सक्षम अधिकारी को इसकी तुरन्त सूचना दी जानी चाहिए; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या निदेशक तथा अन्य व्यक्तियों ने उक्त आचार नियमों का पालन किया था और यदि नहीं, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के भूतपूर्व निदेशक और प्रोफेसरों के विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा है, अतः जमानत का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी हां,।

(ग) जी, हां आचार नियमों का पालन किया गया है।

आई०आई०टी०, कानपुर में कथित वित्तीय अनियमिततायें

6611 **श्री डूंगर सिह : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आइ०आई०टी, कानपुर में वित्तीय अनियमिततायें होने का आरोप है और वहां खर्च से सम्बंधित किसी भी वित्तीय नियम का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या जनवरी, 1979 में एक प्रकाशक को पत्रिकाओं के लिए 6.7 लाख रुपये की अग्रिम अदायगी की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की है, और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं के बारे में पूरी जांच कराने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) आई०आई० टी०, कानपुर में वित्तीय नियमों का पालन किया जाता है । तथापि, वहां वित्तीय अनियमितताओं के कुछेक मामले हुए हैं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हां । जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए शासी मण्डल को भेज दी गई ।

(घ) इस समय उसे आवश्यक नहीं समझा गया है ।

हैदराबाद के निजाम का खजाना

6713. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद के निजाम के खजाने के बारे में ब्यौरा देने की स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह सार्वजनिक मांग है कि हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की कुछ कुलागत वस्तुओ को प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में सुरक्षित रखा जाये ;

(ग) अब तक किन जवाहिरातों की नीलामी की गई है; और

(घ) नीलाम किये गये इन जवाहिरातों को भारतीयों ने लिया अथवा विदेशियों ने ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) तथा (घ) अभी तक नीलाम नहीं हुआ है ।

डूंगरपुर और बासवाड़ा में संचार सुविधायें

6714. **श्री भीखा भाई : संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा न केवल पिछड़े जिले ही हैं अपितु इन्हें अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र भी घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि संचार की दृष्टि से इन जिलों का विकास करने का केन्द्र का उत्तरदायित्व है; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास विंग ने इन जिलों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने से संबंधित कार्य नहीं किया ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां । सरकार ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया है । इन स्थानों को दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) डाक तार विभाग ने पहाड़ी जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने के लिए उदारीकृत नीति निर्धारित की है चूंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र हैं इसलिए उदारीकृत मानदंड इन क्षेत्रों पर लागू होते हैं । उदारीकृत मानदंडों के अन्तर्गत

जहां औचित्य पाया जाता है डाक तार घर स्वीकृत किए जाते हैं। विभाग जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक डाक तार घर खोलने के लिए प्रयत्नशील है :

चीनी के स्टाक में कमी आना

6715. **श्री के० मालन्ना**

श्री लक्षमण मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 10 जुलाई, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में चीनी का स्टाक बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और 1 अक्तूबर 1980 को, जब नया चीनी वर्ष आरम्भ होता है, यह स्टाक केवल 5.4 लाख टन ही रह जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के दौरान चीनी की अतिरिक्त माँग को किस प्रकार पूरा करेगी क्योंकि 5.4 लाख टन चीनी तो माँग को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त रहेगी; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां पहली अक्तूबर, 1980 को पिछले बचे चीनी के अनाश्वासित स्टाक के लगभग 5.4 लाख मीटरी टन होंने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) 1979-80 मौसम 1-10-1980 के उत्पादन में से उपलब्ध 5.4 लाख मीटरीटन चीनी तथा पहली अक्तूबर को प्रारम्भ होने वाले आगामी मौसम में अक्तूबर और नवम्बर के दौरान जो नया उत्पादन प्राप्त होगा, दोंनो को मिलाकर चीनी का स्टाक अक्तूबर और नवम्बर के महीनों के लिए आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा। आगामी मौसम 1980-81 में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा मौसम के प्रारम्भिक भाग अर्थात् अक्तूबर और नवम्बर में अधिकतम मात्रा में चीनी उपलब्ध करने के लिए पिराई कार्य शीघ्र करने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देने के रूप में चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना विचाराधीन है।

सासून डाक बम्बई में एक मत्स्य पत्तन क्षेत्र

6716. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सासून बन्दरगाह क्षेत्र, बम्बई में मत्स्य प्रोसेस संयंत्र का निर्माण इस समय किस चरण में है?

(ख) क्या इसे यहाँ स्थापित करने के विरुद्ध कई अभ्यावेदन और विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विरोध पत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या रुख अपनाया है;

(घ) ऐसे संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप कितने मछेरे बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ङ) क्या सरकार ने इसकी स्थापना के लिए किसी और स्थान पर विचार किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) भारत सरकार ने बम्बई की सासून गोदी में एक मत्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी, जिसमें

एक मात्स्यकी परिसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान था। परन्तु महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास तथा स्वास्थ्य विभाग ने परिसंस्करण और डिब्बाबंदी की सुविधाओं को छोड़कर इस परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनमें वातावरण के प्रदूषण, सुरक्षा, गाद मिट्टी भरने तथा नागरिक सुविधाओं पर पड़ने वाले दबाव आदि के विषय में आशंका व्यक्त की गई है। इन अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर सरकार ने एक निरीक्षक दल का गठन किया। इस निरीक्षक दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया कि परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पहले निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अब यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान मात्स्यकी बन्दरगाह पर कार्य करने वाली नौकाओं की संख्या को सीमित कर दिया जाए तथा फालतू नौकाओं का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए विकसित किए जाने वाले एक दूसरे स्थान पर किया जाए।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) जी हां, सरकार दूसरे वैकल्पिक स्थानों के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता

6717. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता का निर्धारण करने के बारे में कोई योजनायें बनाई हैं :

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार कितनी अवधि में यह राशि वितरित करने का है और वर्ष 1980-81 के लिए कितना आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी): (क) पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां राज्य क्षेत्र में दी जाती हैं। तथापि, पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों को त्वरित समाधान के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान से वर्ष 1977-78 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया। केन्द्रीय सहायता केवल पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की योजनाओं के लिए दी जाती है जिनकी मंत्रालय द्वारा तकनीकी रूप से जांच की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी उन्हीं मापदण्डों पर सहायता दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल पूर्ति योजनाओं का निष्पादन करने के लिए इन तीन राज्यों को दी गई धनराशि इस प्रकार है :—

राज्य	निर्माण कार्यों के लिए दी गई धनराशि (लाख रु० में)		
	1977-78	1978-79	1979-80
मध्यप्रदेश	252,80	290.00	357.15
राजस्थान	252.30	353.27	205.00
उत्तरप्रदेश	352.80	617.50	709.55

(ग) छठी योजना अवधि (1980-85 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवतित त्वरित ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार के नियत को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उर्वरकों का उपयोग और मूल्यों में गिरावट और आई०एफ०एफ०सी०ओ० पर उसका प्रभाव

6719 **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी०एम सईद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष में उर्वरकों के उपभोग में 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं,

(ग) क्या उर्वरक उत्पादों के लिये पुनरिक्षित मूल्य निर्धारण फार्मूला आई०एफ०एफ० सी०ओ० के लाभ पर प्रभाव पड़ा है जो 1979-80 में 129 करोड़ रुपये की कुल बिक्री पर केवल 16 करोड़ रुपए रह गया है, और

(घ) क्या इसका मुख्य कारण उर्वरक के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि बताया जाता है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) इफको समेत फास्फेट पूरक उर्वरकों के विनिर्माताओं को 1-2-1979 से प्रतिधारण मूल्य योजना के तहत लाया गया था। इस योजना में निवल मूल्य पर कर के बाद 12 प्रतिशत आमदनी की व्यवस्था है बशर्ते कि विनिर्माता 80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करके कार्य करें और कच्ची सामग्री, उपयोगिता आदि के बारे में खपत के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करें। अब $पी_2$ $ओ_5$ पर 1250 रु० के हिसाब से राज सहायता देने की समान दर उपलब्ध नहीं है और उत्पादन तथा बिक्री में कुछ कमी हुई है। अतः 1979-80 में इफको को पिछले वर्ष की तुलना में कम लाभ होने की सम्भावना है। 1979-80 में हुए वास्तविक लाभ के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इफको के 1979-80 के वार्षिक खाते अभी तैयार नहीं हैं।

(घ) उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में की गई बढ़ोत्तरी का इफको के लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

गोबर गैस संयंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहन

6720. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मिट्टी का तेल, डीजल आदि बेचने की दृष्टि से गोबर गैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) इस समय देश में कुल कितने गोबर गैस संयंत्र चल रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) इस संबंध में छठी योजना के प्रस्तावों में विचार किया जा रहा है।

(ग) देश में कुल लगभग 87000 संयंत्रों के लगाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य सरकारों को उनको सही रूप से चलाने के हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उसके उठान पर प्रभाव

6622. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जून, 1980 को उर्वरकों के मूल्यों में घोषित की गई वृद्धि का इस पोषक तत्व के उठान पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्रों के काम करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या कोई उर्वरक संयंत्र बन्द कर दिये गये हैं अथवा उनके चालू करने में विलंब किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) सरकार को पोषक तत्व के उठान के बारे में अभी तक कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने से उर्वरक संयंत्रों के कार्यकरण पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) तथा (घ) आदानों तथा फीडस्टाक की कमी, जैसे घटकों के कारण विगत समय में नामरूप (विस्तार), सिन्द्री (आधुनिकीकरण), बरौनी, कानपुर, नांगल (विस्तार), पानीपत तथा मंगलौर जैसे कुछ उर्वरक संयंत्र बन्द किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, इन्हीं कारणों से तालचर, रामागुन्डम, हल्दिया तथा फूलपुर स्थित परियोजनाओं को आरम्भ करने में भी विलम्ब हो गया था। बरौनी मंगलौर, नांगल (विस्तार) तथा पानीपत स्थिति उर्वरक संयंत्रों को पुनः आरम्भ कर दिया गया है। तालचर तथा रामागुन्डम की परियोजनाओं को आरम्भ करने से सम्बन्धित कार्य किए जा रहे हैं। कानपुर संयंत्र को चालू महीने में पुनः आरम्भ किए जाने की संभावना है। फूलपुर के संयंत्र को आरम्भ करने के कार्य भी किए जा रहे हैं। बिजली की कमी के कारण हल्दिया संयंत्र को आरम्भ करने का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है।

खादी बोर्ड के माध्यम से जुटाए गए ग्रामीण रोजगार के अवसर

6723. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी बोर्ड ने देश में ग्रामीण रोजगार के अवसर जुटाने में सहायता दी है;

(ख) क्या अब कुछ राज्यों में उक्त बोर्डों को समाप्त करने के कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं। राज्य बोर्डों का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हमें किसी भी बोर्ड के समाप्त किए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए गांव

6724. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कुछ गांव चुने गए हैं,

(ख) यदि हां, तो चुने गये गांवों के जिलावार नाम क्या है ;

(ग) उक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित योजनाएं कब आरंभ की जायेंगी और उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रायचक में मछली पकड़ने का बन्दरगाह

6725 **श्री मुकन्द मंडल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता पत्तन न्यास ने पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्गत रायचक, 24 परगना में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के निर्माण की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संभावनाएं क्या हैं और निर्माण कार्य कब आरंभ और पूरा किया गया,

(ग) क्या बंदरगाह कार्यरत हैं और यदि हां, तो इसने किस प्रकार का कार्य आरंभ किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इसके कब तक कार्य आरंभ कर देने के बारे में सोचती है,

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) जी हां। रायचाक की मात्स्यकी बन्दरगाह 15 ट्रालरों के लिये प्रति वर्ष लगभग 7,500 मीटरीटन मछलियां पकड़ने के लिये बनवाई गई हैं। मात्स्यकी बन्दरगाह का निर्माण कार्य 1973 में शुरू हुआ। और 1979-80 में लगभग पूर्ण हो गया था। राज्य सरकार द्वारा होने वाला आफ शोर सम्बन्धी कार्य जारी है। आशा है यह पूर्ण योजना दिसम्बर 1980 तक पूरी हो जायेगी।

(ग) तथा (घ) जी हां। छः ट्रालर रायचाक से कार्य कर रहे थे।

मध्य प्रदेश के लिए चीनी

6727. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जून, 1980 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश को महीने-वार चीनी की कितनी मात्रा स्वीकृत की गई थी;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम प्रति महीने चीनी की इस स्वीकृत कोटे की सप्लाई कर रहा था; और

(ग) जनवरी, 1980 से जून, 1980 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से वितरण हेतु चीनी की कितनी मात्रा महीने-वार दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) आंकड़े इस प्रकार हैं :

(मीटरीटन)

मास	आवंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा
जनवरी, 1980	20,837.2
फरवरी 1980	20,837.2
मार्च, 1980	20,841.4
अप्रैल, 1980	20,851.4
मई, 1980	20,841.4
जून, 1980	20.841.4

(ख) मध्य प्रदेश के मन्जूरशुदा लेवी चीनी के मासिक कोटे के प्रति आवंटन आदेश भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में प्रत्येक मास नियमित रूप से जारी किए गए थे :

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने गोदामों से जनवरी से जून, 1980 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के नामितों को सुपुर्द की गई चीनी की मासवार मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मास	(मी० टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई मात्रा
जनवरी, 1980	12,506.0
फरवरी, 1980	14,917.0
मार्च, 1980	15,687.0
अप्रैल, 1980	20,841 4
मई, 1980	21,12.20
जून, 1980	21,464.0

फैक्ट्रियों को जारी किए गए मासिक लेवी चीनी के आवंटन आदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम फैक्ट्रियों से समस्त आवंटित चीनी को उठाकर राज्य सरकार को सप्लाई कर सके ।

समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट

6728. **श्री डा०पी० जदेजा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री खाद्य पदार्थों विशेष रूप से झींगा मछली की कीमतों में भारी गिरावट का पता है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) छोटे स्तर पर काम करने वालों के हितों की रक्षा हेतु किन राहत उपायों पर विचार किया जा रहा है'

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी स्वामीनाथन) (क) घरेलू और निर्यात मंडियों में समुद्र से प्राप्त होने वाले उत्पादों के मूल्यों के मामले में कोई खास गिरावट नहीं आयी है । तथापि जापान की मण्डी में जाने वाली झींगा मछली के निर्यात मूल्य में कुछ समय से गिरावट आई थी ।

(ख) जापान की मण्डी में झींगा मछली के मूल्य में निम्नलिखित मुख्य कारणों से गिरावट आई है ।

(1) अमरीकी डॉलर की तुलना में जापानी येन के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव का आना ।

(2) गत वर्ष के अंत में और इस वर्ष के आरम्भ में कुछ प्रमुख आयात करने वालों द्वारा भारी हानियां उठाने तथा कुछ जापानी फर्मों के दिवालिया हो जाने से पैदा हुई परिस्थिति के कारण जापानी खरीददारों में प्रतिरोध पैदा होना

(3) जापान में घरेलू मांग में गिरावट आना और उसके कारण मण्डी में मछली का कारोबार कम होना ।

(ग) यंत्रीकृत मत्स्यन पोतों को राजसहायता दरों के आधार पर विसंवाहित (इन्सुलेटिड) मछली बक्स देने, हेमित माल के परिवहन के लिए उपयुक्त मूल्यों पर प्रशीतित ट्रक चलाने, परिसंस्करण करने वाले संयंत्रों आदि को आधुनिक बनाने के लिए ब्याज पर राज सहायता देने की योजना आदि के लिए सामान्य योजनाएं बनाई गई हैं ।

भूखे बच्चों से सम्बन्धित सर्वेक्षण

6729. **श्री एन०ई० होशे** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उन बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो हर रात को भूखे सो जाते हैं और जिनका कुपोषण होता है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बच्चों में भूख और अल्प पोषण का अध्ययन करने के उद्देश्य से कोई देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो भी कुपोषण के बारे में समिति सर्वेक्षण किए गए हैं ।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदरबाद द्वारा अपने नेशनल न्युट्रीशनल मोनिटरिंग ब्यूरो के माध्यम से 10 राज्यों में बच्चों सहित पूरी जनसंख्या की पोषण स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। ये अध्ययन आन्ध्र प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों में किए जा रहे हैं । ये अध्ययन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, सिक्किम और राजस्थान के छः राज्यों में पूरे हो चुके हैं । जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चार राज्यों में अध्ययन पूरे हो चुके हैं परन्तु अभी सांख्यिकी विश्लेषण हो रहा है । पश्चिम बंगाल और केरल में क्षेत्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं ।

नेशनल न्युट्रीशनल मोनिटरिंग ब्यूरो के अध्ययनों के अन्तर्गत स्कूल-पूर्व (एक से पांच वर्ष की आयु के) बच्चों में "आयु के अनुसार भार" के आधार पर अल्प पोषण संबंधी अध्ययन किया गया । सर्वेक्षण से 10 राज्यों में कुपोषण की निम्नलिखित स्थितियों का पता चला है :—

(1) कम	42.4 प्रतिशत
(2) मामूली	34.9 प्रतिशत
(3) गंभीर	8.4 प्रतिशत

विवरण 1 में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है । केन्द्रीय खाद्य विभाग के खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों का निष्कर्ष विवरण 2 और विवरण 3 दिए गए हैं जिनमें 6 राज्यों में क्रमशः 1 से 5 वर्ष की आयु के स्कूल पूर्व बच्चों और 6 से 12 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में प्रति बच्चे द्वारा प्रतिदिन लिये जाने वाले भोजन और उससे प्राप्त पोषाहार तथा आवश्यक पोषाहार की मात्रा की तुलना दर्शाई गई है ।

(ग) बच्चों में कुपोषण की समस्या से सरकार अवगत है और इस को हल करने के लिए राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं । इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों संबंधी परामर्श देने के लिए योजना आयोग ने पोषाहार नीति, आयोजना और क्रियान्वयन संबंधी कार्यदल गठित किया है ।

विवरण 1

नेशनल न्युट्रीशनल मोनिटरिंग ब्यूरो—विभिन्न राज्यों में कुछ वर्गीकरणों के अनुसार स्कूल-पूर्व बच्चों (1-5 वर्ष) का प्रतिशत विवरण (पूल्ड)

राज्य	बच्चों की संख्या	स्टैंडर्ड की प्रतिशतता के रूप में वजन			
		सामान्य 90 से अधिक	कम – 75-90	मामूली 60-75	गम्भीर 60 से कम
1.	2	3	4	5	6
1. केरल	300	28.0	41.0	26.7	4 3
2. तमिलनाडु	531	14.9	45.4	35.2	4.5
3. कर्नाटक	748	9.9	44.0	39.3	6 8
4. आंध्र प्रदेश	392	15.3	39.8	35.0	10.0
5. महाराष्ट्र	615	8.9	37.4	43.1	10.5
6. गुजरात	627	10.1	37.3	43.4	9.3
7. मध्यप्रदेश	188	11.7	37.2	35.1	16.0
8. उड़ीसा	235	14.5	48.1	31.1	6.4
9. पश्चिम बंगाल	518	11.0	40.0	36.5	12.7
10. उत्तर प्रदेश	559	18.8	54.0	23.8	3.4
पूल्ड		14.3	42·4	34.9	8.4

विवरण-2

(स्कूल-पूर्व बच्चों (1-5 वर्ष) मे खाद्य पदार्थों)
पोषाहारों का औसत दैनिक प्रति बालक अन्तर्ग्रहण

खाद्य पदार्थ/ पोषाहार	रिपोर्टिग यूनिट	एन०आई०एन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संतुलित भोजन	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	हरि-याणा	मध्य-प्रदेश	राज-स्थान	राज्य सिक्किम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य खाद्य वर्ग								
अनाज	ग्राम	150.200	166	168	210	211	195	198
दालें	ग्राम	40-60	21	11	14	10	17	10
सब्जियां	ग्राम	80-125	52	64	44	50	40	
दूध और उससे बने उत्पादन	ग्राम	200-300	271	278	249	70	171	101
चीनी और गुड़	ग्राम	30-40	32	58	34	17	13	5
घी/तेल	ग्राम	20-25	7	7	6	3	3	4
मांस, मछली अंडे	ग्राम	30	3	0.8	0.3		—	3
फल	ग्राम	50	12	0.3	—	0.7	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य पोषक								
			सिफारिश किए गए अलाउंसिस					
कैलोरी	ग्राम	1200-1500	1165	1227	1225	933	959	902
प्रोटीन	ग्राम	17-22	34	35	37	28	33	24
कैलशियम	मै० ग्राम	400-500	508	708	532	235	403	297
आयरन	मै० ग्राम	15-20	13	20	20	14	14	13
विटामिन "ए" (रेटिनल)	मै० ग्राम	250-300	250	345	170	199	259	308
थियामाइन	मै० ग्राम	0.6-0.8	0.8	0.9	1.1	0.8	1.0	0.4
रिवोफ्लाइन	मै०ग्राम	0.7-0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4.
निएसिन	मै० ग्राम	8-10	7	8	10	8	9	5
विटामिन "सी"	मै० ग्राम	30-50	22	23	15	17	16	40

* स्कूल पूर्व बच्चों की खुराक में मां का दूध शामिल नहीं है

विवरण 3

खाद्य पदार्थ पोषाहार	रिपोर्टिन्ग यूनिट	एन०आई०एन० द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संतुलित भोजन	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	हरियाणा	मध्य प्रदेश	राज्य राजस्थान	सिक्किम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
खाद्य वर्ग								
अनाज	ग्राम	250-320	369	321	342	364	343	352
दालें	ग्राम	60-70	38	18	23	36	36	17
सब्जियां	ग्राम	125-175	113	121	78	78	151	157
दूध और उससे बने उत्पादन	ग्राम	200-250	221	297	283	76	41	85
चीनी और गुड़		50	31	76	41	17	21	4
घी/तेल	ग्राम	30-35	10	11	12	6	5	6
मांस, मछली अंडे	ग्राम	30	4	2	1.3	—	—	5
फल	ग्राम	50	13	0.4	0.1	4	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्यपोषक		सिफारिश किए गए अलाउन्सिस						
कैलोरी	संख्या	1800-2100	1868	1944	1821	1545	1589	1504
प्रोटीन	ग्राम	33-41	58	58	55	49	53	38
कैलशियम	मैं०ग्राम	500-600	574	796	673	307	473	384
आयरन	मैं० ग्राम	15-20	26	35	32	23	27	21
विटामिन "ए" (रेटिनल)	मैं०ग्राम	400-600	436	701	340	305	430	453
थियामाइन	मैं०ग्राम	0.9-1.0	1.6	1.7	1.7	1.2	1.6	0.7
रिबोफ्लाइन	मैं०ग्राम	1.0-1.2	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6
निएसिन	मैं०ग्राम	12-14	15	16	16	13	15	7
विटामिन "सी"	मैं० ग्रा०	30-50	39	43	24	26	28	65

1. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और राजस्थान के सम्बन्ध में "ओपेरेशन ओरिएन्टिड स्टडी आफ फूड एन्ड न्यूट्रीशन ।

2. विभिन्न पोषाहारों और संतुलित खुराक के बारे में सिफारिश किए गए अलाउन्सिस "नुटरिटिव वेल्यु आफ इंडियन फंड्स" डा० सी० गोपालन तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ न्युट-रीशन, आई०सी० प०आर० हैदराबाद में से लिए गए हैं ।

यंत्रीकृति नौकाओं से मछली पकड़ना और जनजातीय लोगों तथा मत्स्य नर्सरियों पर उसका प्रभाव

6730. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उथले जल में यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा अन्धाधुन्ध मछली पकड़ने के कारण भारत के 65 लाख आदिवासी मछुआरे अपने बने रहने मात्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं,

(ग) क्या यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ी जाने के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान पकड़ी जाने वाली मछली की कुल मात्रा में कमी होना शुरू हो गयी, और

(घ) क्या यंत्रीकृत नौकाओं के साथ मछली पकड़े जाने के कारण उथले जल में स्थित नरसरियां नष्ट हो जाती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं । समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में स्वाभाविक रूप से कमी-वेशी होती रहती है, उसमें कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है । पकड़ी जाने वाली मछलियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये आंकड़े निम्न प्रकार हैं ।

वर्ष	उत्पादन हजार मीटरी टन
1974	1472
1975	1482
1976	1375
1977	1448
1978 (अस्थाई)	1473

(घ) जी, नहीं । ट्रावलरों से समुद्र में काफी गहराई पर काम लिया जाता है जबकि डिम्पोना और लार्वा जल की ऊपरी सतह में पाये जाते हैं ।

विदेशी छात्रों का भारत में आना

6731. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी० वी० देसाई :

श्री पी० एम० सईद :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किन्ही ऐसे उपायों पर विचार कर रही है कि भारत में विदेशी छात्रों के बढ़ते हुए आगमन को कैसे सुनियोजित किया जाये ;

(ख) क्या भारत में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या गत तीन वर्षों से बढ़ती जा रही है ;

(ग) भारत में विदेशी छात्रों की तीन श्रेणियां कौन-कौन सी हैं ;

(घ) उनके आने को सुनियोजित करने के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विदेशी छात्रों का एक ब्यूरो बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तीन श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी छात्र।

(ii) यून० एन० डी० पी०, राष्ट्रमण्डल सचिवालय जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अपनी सरकारों से छात्रवृत्तिधारी भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्र।

(iii) स्वतः वित्त पोषण के आधार पर भारत में अध्ययन करने वाले विदेश छात्र।

(घ) और (ङ) : यह मंत्रालय भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से भारत में विदेशी छात्रों के दाखिलों को सुनियोजित करने के लिए विदेशी छात्र ब्यूरो जैसे एक स्वायत्त संगठन की स्थापना करने पर विचार कर रहा है।

मुर्गियों की नई नस्ल

6732. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अपने मुर्गी पालन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुर्गियों की एक नई नस्ल विकसित की है जिसका आकार तो सामान्य है लेकिन यह उन्हीं संसाधनों से व्हाइट लेगहार्न वाली सामान्य नस्ल की मुर्गियों से अधिक अण्डे देती है ; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। अपने मुर्गी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अण्डे देने के लिए एक छोटे आकार वाली मुर्गी का विकास किया है जिसका नाम नर्मदा-एक्स एल (यौन-सम्बद्ध) दिया है। इस प्रजाति के प्रति मुर्गी अण्डा उत्पादन का अनुमान, सफेद लैगहार्न के 230-240 अण्डों की तुलना में 180 अण्डे हैं।

(ख) बौने 'जीन' 'डी डब्ल्यू' के नाभिक स्टाक को वर्ष 1974 में भारत सरकार के हेसरघाटा, बंगलौर स्थित फार्म से प्राप्त किया गया। इस बौने 'जीन' को राक ब्राउलर और सफेद लैगहार्न नस्लों से संकरित किया गया और उन्होंने एक नयी प्रजाति का विकास किया जिसको 'नर्मदा'-एक्स एल छोटी अण्डे देने वाली मुर्गी नाम दिया गया। इस अण्डे देने वाली मुर्गीमें 50

प्रतिशत रक्त सफेद लैंगहार्न से, 37·5 प्रतिशत राक ब्राउलर से और 12·5 प्रतिशत बौनी 'जीन' से है। 'नर्मदा' - एक्स एल अपनी जैसी सामान्य मुर्गियों--विशेषकर सफेद लैंगहार्न की तुलना में 1/3 कम आकार की है तथा 1/3 कम खाती है। सफेद लैंगहार्न के अण्डे का वजन 52 ग्राम होता जबकि नर्मदा एक्स एल के अण्डे का वजन 46 ग्राम है।

कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल

6733. **श्री कुवंर राम** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल हैं और उन में कितनी महिलाएं रह रही हैं ; और

(ख) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लम्बित हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अपेक्षित विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसा कोई भी आवेदन पत्र जो सभी प्रकार से पूरा हो मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए कामकाजी महिला होस्टलों की संख्या तथा उनमें महिलाओं के रखे जाने की क्षमता।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1979-80 तक मंजूर किए गए होस्टलों की संख्या	1979-80 तक मंजूर की गई क्षमता
आन्ध्र प्रदेश	8	331
असम	4	332
बिहार	3	147
गुजरात	10	419
हरियाणा	7	315
हिमाचल प्रदेश	5	180
जम्मू और कश्मीर	1	50
कर्नाटक	14	1,007
केरल	38	3,755
मध्य प्रदेश	21	938
महाराष्ट्र	23	1,386
मनीपुर	2	90
मेघालय	1	54
उड़ीसा	4	300
पंजाब	8	811

राजस्थान	2	70
सिक्किम	1	96
तमिलनाडु	18	657
त्रिपुरा	1	20
उत्तर प्रदेश	9	561
पश्चिम बंगाल	4	160
केन्द्र शासित प्रदेश		
अरुणाचल प्रदेश	1	25
अंडमान नीकोवार द्वीप समूह	1	36
चन्डीगढ़	2	404
दिल्ली	5	930
गोआ	2	120
मिजोरम	1	40
जोड़	196	13,234

मास्को ओलम्पिक के लिए पहलवानों का चयन

6734. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने मास्को ओलम्पिक के लिए केवल चार पहलवानों का चयन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारतीय कुश्ती संघ ने मास्को ओलम्पिक में भेजने के लिए दस पहलवानों की सिफारिश की थी ;

(ग) क्या भारतीय कुश्ती संघ ने सिफारिश किए गए कुछ पहलवानों को, जिन्होंने राष्ट्रमण्डलीय खेल-कूद में तथा एशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान आदि में हुए प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे, सूची से निकाल देने पर कड़ा विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) क्या उक्त चयन में भारतीय ओलम्पिक संघ तथा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् की सलाह भी ली गई थी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय ओलम्पिक संघ के पास 10 पहलवानों के नाम भेजे थे जिसने 11वें ओलिम्पिक में भाग लेने के लिए मास्को भेजे जाने वाले भारतीय दल में इन नामों को शामिल करने के लिए अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के पास सिफारिश की थी। अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने अपने मानदण्डों के आधार पर पांच पहलवानों के नामों की सिफारिश की थी। कुश्ती संघ ने इस निर्णय की समीक्षा करने और उसके द्वारा सिफारिश किए गए 10 नामों को शामिल करने के लिए बहुत जोर दिया था। सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रतिवेदन पर एक और पहलवान को शामिल करना मान लिया था।

उपग्रह डाक सेवा

6735. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश डाकघर द्वारा "इण्टरपोस्ट" के नाम से आरम्भ की गई आधुनिकतम उपग्रह डाक सेवा की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने इण्टरपोस्ट द्वारा लन्दन से दिल्ली/बम्बई को जोड़ने के लिए यू०के० सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) विभाग के पास आधुनिकतम द्रुत डाक सेवा चलाने की क्या प्रणाली है ; और

(घ) तीव्र तथा अति तीव्र गति से डाक की डिलीवरी करने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या नये शोध तथा सम्भाव्यता प्रयोग किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) हवाई डाक।

(घ) विभाग मौजूदा वितरण प्रबंधों को समेकित करने तथा यथासंभव उनमें सुधार लाने का प्रयास कर रहा है।

राज्यों में भूमि सुधार के कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

6736. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने भूमि सुधार के लिये केन्द्र से धनराशि मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन तथा काश्तकारी सुधार से संबंधित कार्यक्रमों की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को सहायता देने हेतु केवल भूमि सुधार कार्यक्रम है जिसके लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत आबंटियों को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रति हैक्टेयर 1000/- रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। इस सहायता को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है।

वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा 94·1 लाख रुपए की धनराशि (आन्ध्र प्रदेश को 69·1 लाख रुपए तथा उड़ीसा को 25·0 लाख रुपए) बंटित की गई थी। वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय बजट में इस योजना हेतु 300 लाख रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है। राज्य सरकारों के लिए वास्तविक सहायता इन पर निर्भर करती है— (1) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में प्रगति ; (2) राज्य बजट में राज्य अंश का प्रावधान तथा (3) राज्यों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना। पिछले वर्षों के दौरान उन्हें बंटित की गई निधियों को पूर्णरूप से उपयोग में ले लिया गया है।

बालवाड़ियों की संख्या

6737. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, बालवाड़ियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन बालवाड़ियों का संचालन किन संगठनों द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए वर्ष 1979-80 और 1980.81 के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1979-80 में भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से विभिन्न संगठनों द्वारा चलाई जा रही बालबाड़ियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1979-80 में चार राष्ट्रीय स्तर के समाज कल्याण संगठनों अर्थात् हरिजन सेवक संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद् ; भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित अपने एककों/बोर्डों के माध्यम से 1979-80 में 12,350 बालवाड़ियां चलाई गई। ये 12,350 बालबाड़ियां (1) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, जो भारत सरकार का गैर-योजना कार्यक्रम है अथवा (2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अन्य कार्यक्रमों, जिन्हें सरकार से अनुदान मिलते हैं तथा जिनमें बालवाड़ी एक अंग है, के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करती है। इन राष्ट्रीय स्तर के चार समाज कल्याण संगठनों को बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 में दिए गए अनुदान नीचे दर्शाए गए हैं।

क्रम संख्या	संगठन	राशि (रुपए लाख की राशियों में)
1	2	3
1.	हरिजन सेवक संघ	12·30
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद	24·14
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	10·53
4.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	103·00
	जोड़	149·97

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के मिले जुले कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष बालबाड़ियों के सम्बन्ध में बालवाड़ियों को सीधे दिए अनुदानों की वास्तविक राशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। अनुदान पाने वाली विभिन्न संस्थाओं को 205·51 लाख रुपए की कुल राशि वितरित की गई।

1980-81 में राष्ट्रीय स्तर का एक पांचवा समाज कल्याण संगठन भी सरकारी अनुदान के साथ बालवाड़ियां चलाएगा। इस संगठन का नाम कस्तूर्बा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर है। 1980-81 के लिए बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट व्यवस्था तथा अब तक रिहा की गई धनराशियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

संगठन	प्रस्तावित बजट 1980-81	अब तक रिहा की गई धनराशि (रुपए लाख की राशियों में
1· हरिजन सेवक संघ	12·36	4·12
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद्	32·80	10·93
3. भारतीय आदिक जाति सेवक संघ	13·96	4·36
4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	107·55	34·45
5. कस्तूर्बा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर	8·23	—
जोड़	175·00	53·86

आशा है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1980-81 में मिले जुले कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बराबर ही अनुदान वितरित किए जायेंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	बालबाड़ियों की संख्या तथा अनुदान देने वाले संगठनों के नाम				
		हरिजन सेवक संघ	भारतीय बाल कल्याण परिषद	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	जोड़
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	174	17	245	446
2.	असम	10	3	23	486	522
3.	पश्चिम बंगाल	28	97	9	629	763
4.	बिहार	13	1	23	398	435
5.	दिल्ली	20	1	9	226	256
6.	गुजरात	46	—	24	2128	2198
7.	हिमाचल प्रदेश	14	—	14	108	136
8.	जम्मू और कश्मीर	11	—	1	99	111
9.	कर्नाटक	10	11	3	733	757
10.	केरल	12	59	4	346	421
11.	मध्य प्रदेश	24	111	35	479	649
12.	महाराष्ट्र	31	6	42	1937	2016
13.	उड़ीसा	9	—	42	514	565
14.	हरियाणा	10	116	1	142	269
15.	राजस्थान	15	—	7	561	583
16.	तमिलनाडु	15	15	1	370	401
17.	त्रिपुरा	13	19	7	126	165
18.	उत्तर प्रदेश	30	79	61	485	655
19.	चन्डीगढ़	—	12	—	16	28
20.	मनीपुर	—	74	5	83	162
21.	पंजाब	10	23	—	282	315
22.	पांडिचेरी	—	2	—	18	20
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	3	85	88
24.	नागालैंड	—	—	7	50	57
25.	मेघालय	—	—	—	155	155
26.	गोआ दमन और द्वीव	—	—	—	110	110
27.	मिजोरम	—	—	—	75	75
28.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	15	15
29.	सिक्किम	—	—	—	12	12
30.	अंडमान और नीकोबार दीप समूह	—	—	—	65	65
		331	803	338	10878	12350

समाज कल्याण कार्यों के लिए स्वेच्छिक संगठन

6738. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामाजिक कल्याण कार्यों के क्षेत्र में कार्यरत उन प्रमुख स्वेच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके विभाग द्वारा मान्यता दे दी गई है ;

(ख) ऐसे स्वेच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने की शर्तें क्या हैं और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संगठनों को मान्यता कब दी गई है ;

(ग) इन मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संगठनों को पिछले वर्ष संगठन-वार अनुदान की कितनी कितनी राशियां दी गई थी ; और

(घ) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि इन स्वेच्छिक संगठनों द्वारा सरकार से प्राप्त सहायता राशि का ठीक ढंग से उपयोग किया जाये ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) , (क) से (ग) : समाज कल्याण मंत्रालय समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता प्रदान नहीं करता है । तो भी, उपयुक्त स्वयंसेवी संगठनों को सीधे अथवा राज्य सरकारों की सिफारिश पर अनुदान मंजूर किये जाते हैं । ये अनुदान उन स्वयंसेवी संगठनों को मंजूर किए जाते हैं जो 3-5 वर्षों से विद्यमान हैं और संस्था पंजीकरण अधिनियम या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं अथवा सार्वजनिक न्यास हैं तथा समाज कल्याण योजनाएं चलाते हैं । ऐसे संगठनों को अनुदान देने की शर्तें विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग हैं । एक विवरण, जिसमें उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम जिन्हें 1979-80 में अनुदान दिए गये थे तथा उन्हें दिए गये अनुदानों की राशियां दर्शाई गई हैं, संलग्न है ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा दिए गये अनुदानों का ठीक उपयोग किया जाए अनुदान पाने वाले संगठन को परीक्षित लेखा विवरण तथा उपयोगता प्रमाण पत्र, जिन पर चार्टर्ड लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, प्रस्तुत करने होते हैं । इस मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों के सम्बंध में संगठनों के लेखों की नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेक पर जांच की जा सकती है । इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच भी की जाती है ।

विवरण

उन स्वयंसेवी संगठनों की सूची जिन्हें 1979-80 में अनुदानों की धनराशियां आवंटित की गईं

क्रम संख्या	स्वयंसेवी संगठन का नाम	1979-80 के दौरान दिए गए अनुदानों की राशि
1	2	3
		(राशि रुपयों में)
1.	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेल्फेयर, बम्बई	9,844
2.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	12,68,328

3.	नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लांइड, नई दिल्ली	4,204
4.	चिल्ड्रन एड सोसाइटी, बम्बई	30,000
5.	स्पास्टिक सोसाइटी, बम्बई	12,200
6.	आल इंडिया वीमेन्स वोलन्ट्री सर्विस, नई दिल्ली	15,000
7.	आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	30,000
8.	इंडियन काउंसिस आफ सोशल वेल्फेयर, नई दिल्ली	73,27,206
9.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली	12,30,000
10.	एसोसिएशन फार सोशल हेल्थ इन इंडिया, नई दिल्ली	3,56,558
11.	इंस्टीट्यूट आफ होम इकोनोमिक्स, नई दिल्ली	35,000
12.	लिटरेसी हाउस, लखनऊ	84,500
13.	आल इंडिया प्रोहिबीशन काउंसिल, नई दिल्ली	4,05,000
14.	केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद्, लखनऊ	54,000
15.	संयुक्त सदाचार समिति, नई दिल्ली	1,48,050
16.	आर्य प्रतिनिधि सभा, लखनऊ	54,000
17.	अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद्, नई दिल्ली	86,200
18.	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली	9,000
19.	नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन, मथुरा	11,250
20.	डा० जाकिर हुसेन मेमोरियल वेल्फेयर सोसाइटी, नई दिल्ली	11,425
21.	फैमिली वेल्फेयर एजेंसी, बम्बई	10,500
22.	महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली	5,000
23.	यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, नई दिल्ली	5,355
24.	काउंसिल फार सोशल डिवेलपमेन्ट, नई दिल्ली	1,96,510
25.	ए० एन० एस० इंस्टीट्यूट आफ सोशल स्टडीज़	59,640
26.	इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	33,616

27.	गांधीग्राम इंस्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली प्लैनिंग, मदुराई	62,677
28.	गुजरात रिसर्च सोसाइटी, बम्बई	19,425

रत्नागिरि में तरण-ताल हेतु अनुदान

6739. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नागिरि नगरपालिका ने महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से नगर में एक तरण-ताल के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा कम प्राथमिकता देने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

दिल्ली में उद्यानों की देखभाल

6740. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने उद्यान हैं और उनमें से प्रत्येक पर वार्षिक कितना खर्च किया जाता है ;

(ख) दिल्ली में चौराहों पर कुल कितने उद्यान या फुहारे हैं और उन पर वार्षिक कुल कितना खर्च किया जाता है ; और

(ग) सरकार को उनसे कुल कितनी आय होती है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना सभा पटल पर रखे गए विवरणों में दी गई है।

विवरण-1

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग :

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे पार्कों की संख्या छः है। इन पार्कों के ब्यौरे तथा वार्षिक व्यय और अर्जित आय अनुलग्नक-1 में दी गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विजय चौक में छः फव्वारों का अनुरक्षण किया जा रहा है और उनके अनुरक्षण पर आने वाला वार्षिक व्यय लगभग 10,000/- रुपये है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण :

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे प्रसिद्ध बड़े पार्कों के ब्यौरे और उनके अनुरक्षण पर आने वाले व्यय की वार्षिक राशि तथा आय अनुलग्नक-11 में दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण सड़क के चौराहों पर किसी फव्वारें या पार्क का अनुरक्षण नहीं कर रहा है।

नई दिल्ली नगर पालिका :

विभिन्न कालोनियों में और सड़क के साथ-साथ बड़ी संख्या में पार्कों के अलावा, नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित पांच बड़े बाग हैं।

(1) तालकटोरा गार्डन

(2) लोदी गार्डन

(3) नेहरू पार्क

(4) इण्डिया गेट चिल्ड्रन पार्क

(5) सेन्ट्रल पार्क, कनाट प्लेस ।

नई दिल्ली नगर पालिका के बजट में वर्ष 1980-81 में सभी बागों और पार्कों और फव्वारों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 34 खाख रुपए की राशि की व्यवस्था है । पार्क वार व्यय के ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं । नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में 72 फव्वारे हैं । उनके अनुरक्षण पर वार्षिक व्यय आगे दिए गए पैरा में दिए गए आंकड़ों में शामिल किया गया है ।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न पार्कों से होने वाली कुल आय 70,000/- से 80,000/- रुपए प्रति वर्ष है ।

दिल्ली नगर निगम :

दिल्ली नगर निगम का उद्यान विभाग 1625 पार्कों का अनुरक्षण कर रहा है जिनमें सड़क के चौराहों के पार्क भी शामिल हैं और वर्ष 1979-80 के दौरान उन पर किया गया खर्च लगभग 1,41,67,430/- रुपए था ।

सड़कों के चौराहों पर 20 फव्वारे हैं और उन पर आने वाला कुल वार्षिक व्यय लगभग 1,23,017/- रुपए हैं ।

वर्ष 1979-80 के दौरान पार्कों से होने वाली कुल आय की राशि लगभग 4,56,/8-00 रुपये थी ।

विवरण-2

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे पार्क

क्र० सं०	पार्क का नाम	1979-80 के दौरान वार्षिक व्यय	1979-80 के दौरान अर्जित आय
1.	बुद्ध जयन्ती पार्क समाधि समूह से संबद्ध पार्क	6,55,339/-	22,800/-
2.	महात्मा गांधी स्मारक पार्क-राजघाट	4,16,939/-	5,990/-
3.	महात्मा गांधी स्मारक पार्क-राजघाट विस्तार-	95,490/-	1,250/-
4.	शान्ति वन	5,11,303/-	1,850/-
5.	विजय घाट	1,81,838/-	2,700/-
6.	मौलाना आजाद स्मारक पार्क-	5,162/-	40/-
	योग—	18,66,121/-	34,630/-

विवरण-3

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रसिद्ध बड़े पार्कों का विकास किया गया

क्र० सं०	पार्क का नाम	अनुरक्षण पर खर्च	आय
1.	तुगलकाबाद कम्प्लेक्स	2,27,060/-	28,950/-
2.	पुराना किला कम्प्लेक्स	1,75,620/-	1,230/-
3.	निजामुद्दीन कम्प्लेक्स	1,29,706/-	43,218/-
4.	रोज गार्डन फिरोजशाह कोटला	64,345/-	शून्य

5.	डिस्ट्रिक्ट पार्क कालकाजी	1,35,971/-	शून्य
6.	उत्तरी रिज	4,44,158/-	340/-
7.	यमुना नदी फ्रन्ट	5,01,139/-	4,565/-
8.	भूली भटियारी, पी के रोड	59,248/-	245/-
9.	सत्य पार्क, नरायणा	1,36,416/-	270/-
10.	रोजगार्डन पटेल नगर	1,04,449/-	113/-
11.	राजेन्द्र नगर, प्रसाद नगर	1,15,036/-	200/-
12.	जामा मस्जिद के आस-पास पार्क	90,322/-	500/-
13.	किचनार झील, धौला कुआं	1,92,000/-	17,580/-
14.	डिस्ट्रिक्ट पार्क, जनकपुरी	2,57,000/-	615/-
15.	टैगोर गार्डन	1,36,000/-	110/-
16.	जी-8 राजोरी गार्डन	1,84,000/-	4,620/-
17.	महरोली कम्प्लेक्स	8,92,800/-	4,620/-
18.	हौज खास	3,40,757/-	1,975/-
19.	डिस्ट्रिक्ट पार्क वसंत लोक	1,10,275/-	270/-
20.	अशोक विहार कम्प्लेक्स	4,73,904/-	48,340/-
21.	डिस्ट्रिक्ट पार्क मालवीय नगर एक्सटेंशन	1,14,950/-	850/-

विदेशों के साथ दूरसंचार सम्पर्क

6741. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों के साथ उच्च कोटि का दूरसंचार सम्पर्क स्थापित करने का है।

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), ख) और (ग) : भारत ने (क) दूसरे छोर पर जरूरी दूर संचार सुविधाएं सुलभ होने तथा (ख) पर्याप्त मात्रा में परियात होने की शर्त के साथ करीब-करीब सभी देशों के साथ उच्च कोटि के दूर संचार सम्पर्क स्थापित किए हैं। दूरसंचार सम्पर्कों का ब्यौरा इस मंत्रालय की वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जिसकी एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

राज्यों में स्वचालित और क्रास-बार टेलीफोन केन्द्र तथा डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

6742. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में (श्रेणी-वार) कितने-कितने स्वचालित और क्रासबार टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से स्थान डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं ; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की योजना का और किन-किन स्थानों में विस्तार किया जाएगा तथा इसके आधार क्या होंगे ?

संचार राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

31-3-80 को राज्यवार स्वचल एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	क्रासबार एक्सचेंज की क्रम संख्या	स्ट्रोजर एमएएक्स-i	स्ट्रोजर एमएएक्स-ii	स्ट्रोजर एमएएक्सiii
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	17	37	951
2.	असम	—	1	10	109
3.	बिहार	3	8	24	203
4.	गुजरात	5	14	44	391
5.	हरियाणा	2	3	13	71
6.	हिमाचल प्रदेश	—	1	4	88
7.	जम्मू व कश्मीर	—	2	4	41
8.	कर्नाटक	4	9	29	500
9.	केरल	3	10	64	322
10.	मध्य प्रदेश	2	6	25	314
11.	महाराष्ट्र	20	32	52	496
12.	मणिपुर	—	—	1	13
13.	मेघालय	1	—	—	8
14.	नागालैंड	—	—	2	12
15.	उड़ीसा	2	3	5	115
16.	पंजाब	2	4	18	153
17.	राजस्थान	2	4	11	242
18.	सिक्किम	—	—	1	9
19.	तमिलनाडु	9	16	82	621
20.	त्रिपुरा	—	—	1	12
21.	उत्तर प्रदेश	4	14	39	427
22.	पश्चिम बंगाल	16	22	29	201
	कुल योग	78	166	495	5299

संघ शासित क्षेत्रों में स्वचल एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	नाम	क्रासबार	स्ट्रोजर		
			एमएएक्स-i	एमएएक्स-ii	एमएएक्स iii
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	19
3.	चंडीगढ़	—	1	—	—
4.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	1	—
5.	दिल्ली	17	14	8	—
6.	गोवा, दमन तथा दिव	—	—	5	22
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	4
8.	मिजोरम	—	—	1	3
9.	पांडिचेरी	—	—	2	5
	कुल योग	17	15	19	58

विवरण-2

एस० टी० डी० सेवा वाले राज्यवार स्टेशन

1. आन्ध्र प्रदेश
   1. गुन्टूर
   2. काकीनाडा
   3. खामाम
   4. राजामुंदरी
   5. सिकन्द्राबाद
   6. तिरुपति
   7. विजयवाड़ा
   8. विशाखापट्टनम
   9. आंगले
   10. अवीलाबाद
   11. वारंगल
   12. मछलीपट्टनम
   13. पलकोले
   14. पटनचेरु
   15. गुंडीवाडा
   16. अनन्तपुर
2. असम
   1. दिसपुर (गोहाटी)
3. बिहार
   1. आरा
   2. छपरा

	3. दरभंगा
	4. धनवाद
	5. जमशेदपुर
	6. मुजफ्फरपुर
	7. पटना
	8. रांची
	9. समस्तीपुर
	10. सासाराम
4. गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. बड़ौदा
	3. गांधीनगर
	4. जामनगर
	5. नादियाड
	6. राजकोट
	7. सूरत
	8. मेहराणा
5. हरियाणा	1. अम्बाला
	2. भिवानी
	3. गुड़गांव
	4. हिसार
	5. करनाल
	6. पानीपत
	7. रोहतक
	8. सोनीपत
	9. फरीदाबाद
6. हिमाचल प्रदेश	1. शिमला
7. जम्मू एवं कश्मीर	1. अनन्तनाग
	2. बारामूला
	3. जम्मू
	4. सोपोर
	5. श्रीनगर
	6. ऊधमपुर
8. कर्नाटक	1. बंगलौर
	2. बेलगांव
	3. देवानगिरी
	4. गडग
	5. हुबली

	6. मंगलूर
	7. मैसूर
	8. शिमोगा
	9. टमकुर
	10. उद्दीपी
	11. मैरकारा
9. केरल	1. एलैप्पी
	2. कन्नूर
	3. एर्नाकुलम
	4. कोट्टायम
	5. कोजीकोड
	6. नरक्कल
	7. पालघाट
	8. क्विलोन
	9. त्रिचूर
	10. त्रिवेन्द्रम
	11. त्रुवल्ला
	12. चेगान्नूर
10. मध्य प्रदेश	1. भोपाल
	2. इंदौर
	3. रायपुर
	4. सिहोर
	5. जबलपुर
	6. कटनी
11. महारष्ट्र	1. अमरावती
	2. भिवांडी
	3. बम्बई
	4. जलगांव
	5. कोलपेवाडी
	6. कोपरगांव
	7. नागपुर
	8. नासिक
	9. पुणे
	10. पुंटांबा
	11. रेहाटा
	12. सांगली
	13. वाशी

	14. मिराज
	15. कल्यान
	16. कोल्हापुर
12. मणिपुर	कोई नहीं
13. मेघालय	1. शिलांग
14. नागालैंड	1. कोहिमा
	2. दीमापुर
15. उड़ीसा	1. बहरामपुर
	2. भुवनेश्वर
	3. कटक
	4. राउरकेला
16. पंजाब	1. अमृतसर
	2. भटिंडा
	3. चेरट्टा
	4. होशियारपुर
	5. जालंधर
	6. कपूरथला
	7. लुधियाना
	8. पटियाला
	9. फगवाड़ा
	10. अबोहर
17. राजस्थान	1. अलवर
	2. जयपुर
	3. जोधपुर
	4. भरतपुर
	5. धौलपुर
18. सिक्किम	1. गंगटोक
19. तमिलनाडु	1. कोहिंग्लपट
	2. कोयम्बतूर
	3. इरोड
	4. कांचीपुरम
	5. कोडेकोनाल
	6. मद्रास
	7. मदुरै
	8. उटकमंड
	9. राजापलयान
	10. सेलम

11. थेनी
12. त्रिची
13. त्रिपुर
14. उदीमालपेट
15. वेल्लोर
16. विरुद्नगर
17. कोयलपाटी
18. मन्नानगुडी
19. त्रिवारुर
20. मायपट्टनम
22. तूतिकोरिन
22. धर्मपुरी
23. चिदम्बरम
24. मयूरम
25. विल्लेपारेम

20. त्रिपुरा — कुछ नहीं
21. उत्तर प्रदेश

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. बुलन्दशहर
5. देहरादून
6. फैजाबाद
7. हापुड़
8. कानपुर
9. लखनऊ
10. मेरठ
11. मिर्जापुर
12. मुरादाबाद
13. रामपुर
14. कोसीकलां
15. गोरखपुर
16. शाहजहांपुर
17. मोदीनगर
18. मसूरी
19. मुजफ्फरनगर
20. रायबरेली
21. सहारनपुर

	22. उन्नाव
	23. वाराणसी
	24. गाजियाबाद
	25. बरेली
22. पश्चिम बंगाल	1. अन्डाल (केवल आवक)
	2. आसनसोल
	3. बाहुला
	4. बाराकर
	5. बर्दवान
	6. बर्नपुर
	7. कलकत्ता
	8. दुर्गापुर
	9. हल्दिया
	10. जौनूरिया हाट
	11. खड़गपुर
	12. नियामतपुर
	13. रानीगंज
	14. रुपनारायणपुर
	15. सिलीगुड़ी
संघ शासित प्रदेश	
1. चंडीगढ़	1. चंडीगढ़
2. दिल्ली	1. दिल्ली
3. गोवा	1. मार्गो
	2. पंजिम
	3. वास्कोडिगामा
4. मिजोरम	1. आइजल
5. दादर और नगर हवेली	कुछ नहीं
6. अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं
7. अंडमान निकोवार	कुछ नहीं
8. लक्ष्यद्वीप और	कुछ नहीं
9. पांडिचेरी	कुछ नहीं

विवरण-3

भाग-'क'

सीधी डायलिंग सुविधा प्रदान करने के आधार

निम्नलिखित वरीयताएं दी जा रही हैं बशर्ते कि सीधी डायलिंग सुविधा के लिए स्वचल स्थानीय एक्सचेंज तथा पारेषण का माध्यम उपलब्ध हो सके :—

1. राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना ।

2. संबंधित राज्यों की राजधानियों को उनके जिला मुख्यालयों से जोड़ना । उन मामलों में जब जिला मुख्यालयों में स्वचल एक्सचेंज उपलब्ध न हों तो अविलंब सेवा (नोडिले सर्विस) राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए ।

3. दिल्ली के 300 कि० मी० के भीतर के जिला मुख्यालय को दिल्ली के साथ तथा बंबई कलकत्ता तथा मद्रास के 200 कि० मी० के भीतर वाले जिला मुख्यालयों को संबंधित महानगरों से जोड़ना ।

4. यातायात के आधार पर उचित पाये गये अन्य मार्ग

(प्रतिदिन इकतरफा 100 हस्तचल कालें कम से कम मानी जाएंगी) ।

भाग-'ख'

ऐसे स्थानों की सूची जहां अगले तीन वर्षों के दौरान सीधी डायलिंग योजना का विस्तार किये जाने की संभावना है ।

क. 1980-81

1. मण्डी	हिमाचल प्रदेश
2. उज्जैन	मध्य प्रदेश
3. कोटा	राजस्थान
4. उदयपुर	,,
5. भद्रावती	कर्नाटक
6. वेल्लारी	,,
7. कूनूर	तमिलनाडु
8. ग्वालियर	मध्य प्रदेश

ख. 1981-82

1. अहमदनगर	महाराष्ट्र
2. कराड	,,
3. सतारा	,,
4. इचलकरंजी	,,
5. खांडवा	,,
6. यवतमाल	,,
7. वर्धा	,,
8. भावनगर	गुजरात
9. देवास	मध्य प्रदेश
10. महो	,,
11. भिलाई	,,
12. बिलासपुर	,,
13. कूंडापुर	कर्नाटक

14. पुत्तूर	कर्नाटक
15. चित्रदुर्ग	,,
16. बगलकोट	,,
17. कूचविहार	पश्चिम बंगाल
18. दार्जिलिंग	,,
19. मालदा	,,
1982-83	
1. कृष्णनगर	पश्चिम बंगाल
2. मिदनापुर	,,
3. पुरुलिया	,,
4. सुरी	,,
5. कालिम्पोंग	,,
6. कुरसियोंग	,,
7. सियोनो	महाराष्ट्र
8. छिदवाड़ा	,,
9. धामतरी	,,
10. चांदीपुर	,,
11. भूसावल	,,
12. बिआवर	राजस्थान
13. अजमेर	,,
14. तुरा	आसाम
15. हसन	कर्नाटक

बुडनी, मध्य प्रदेश में भारतीय टेलीफोन उद्योग के एक एकक की स्थापना करना

6743. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सन्चार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुडली में भारतीय टेलीफोन उद्योग के एक एकक की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस एकक में रोजगार की कितनी क्षमता है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), से (ग) : इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्रासबार स्विचिंग उपस्कर तैयार करने वाले इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कारखाने की स्थापना हेतु अस्थायी तौर पर जिन स्थानों का सुझाव आया था उनमें एक मध्य प्रदेश में बुडनी भी रहा है लेकिन रायबरेली में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल स्विचिंग उपस्कर को ३ लाख लाइनों के अलावा देश में स्विचिंग उपस्कर के उत्पादन को अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर, जिसे मंत्रिमंडल को पूर्व स्वीकृति प्राप्त थी, विचार किया जा रहा है।

महानगर परिषद् और निगम के सदस्यों को शन्कर रोड़, नई दिल्ली में भूमि खण्डों का विक्रय

6744. **श्री छीतू भाई गामित** : निर्माण और आवास मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शंकर रोड, नई दिल्ली से विस्थापित किए गए परिवारों के पुनर्वास के लिए जो भूमि दी गई थी और जिसके प्र ति 200 वर्ग गज के प्लाट का वाजार मूल्य 3 लाख रुपये था, उसे महानगर परिषद् और निगम के कुछ सदस्यों को 14,000 रुपये प्रति प्लाट की दर से वेच दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि को इसके धारकों से सड़क को चौड़ा करने के वहाने से लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। तथापि शंकर रोड को चौड़ा करने के फलस्वरूप हटाए जाने वाले संभावित परिवारों के पूनर्वास के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवंटिन शंकर रोड और डा० कृष्णन रोड (लगभग 18 एकड़) के चौराहे के समीप स्थित भूमि में 130 वर्ग गज प्लाट के आवंटन की पेशकश महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के 8 भूतपूर्व सदस्यों को की गई थी। इन प्लाटों को 1681/-रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाव से आवंटन किए जाने का प्रस्ताव था। इस मामले पर पुनः विचार करने के फलस्वरूप सभी 8 सदस्यों को जारी किये गये आवंटन पत्र रद्द कर दिये गये हैं।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। शंकर रोड को चौड़ा करने की योजना समाप्त नहीं की गई है ओर जव भी यह कार्य आरम्भ हो जाएगा, क्षेत्र से हटाए गये परिवारों को उपर्युक्त भूमि पर वसा दिया जाएगा।

दिल्ली में मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों को भूमि दिया जाना

6745. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रहे मान्यता-प्राप्त पब्लिक स्कूलों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) इन में से प्रत्येक स्कूल ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है और स्कूलों ने सरकार से किस दर पर भूमि खरीदी थी और इस समय उन का बाजार मूल्य कितना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली में चार पब्लिक स्कूल हैं :—

स्कूल	स्थान
(1) माडेर्न स्कूल	वाराखम्वा रोड, नई दिल्ली।
(2) दिल्ली पब्लिक स्कूल	मथुरा रोड, नई दिल्ली '
(3) एयर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल	दिल्ली कैन्ट।
(4) सावन पब्लिक स्कूल	छत्तरपुर रोड, नई दिल्ली।

(ख) व्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कूल का नाम	आवंटित क्षेत्र	प्रति एकड़ दर	वर्तमान वाणिज्यिक दरें
दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली।	(क) 3.25 एकड़	5,000/-रु० + प्रिमियम की 5% की दर से	1,800/-रु० प्रति वर्ग गज
	2.25 एकड़	वार्षिक भूमि किराया	
		—वही—	—वही—
	(ख) 0.75 एकड़ (छात्रावास)	36,000/-रु० + प्रिमियम की $2\frac{1}{2}$% की दर से वार्षिक भूमि किराया	—वही—
	(ग) 1.50 एकड़	5,000/-रु० + प्रिमियम की 5% की दर से वार्षिक भूमि किराया	—वही—
मार्डर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।	2.26 एकड़	5,000/-रु०—वही—	3,000/-रु० प्रति वर्ग गज
एअरफोर्स सेन्ट्रल स्कूल, दिल्ली कैन्ट।	15.00 एकड़	सैनिक सम्पदा कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र से पट्टे पर।	—
सावन पब्लिक स्कूल, छत्तर पुर रोड, नई दिल्ली।	52 बीघा और 14 बिसवा।	भूमि, एस० जे० जिन्दल ट्रस्ट, 1/6, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (सावन पब्लिक स्कूल) को भाटली ग्राम पंचायत द्वारा 9 वर्षों के पट्टे पर 1.00 रु० प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त ट्रस्ट ने विभिन्न मालिकों से और भूमि खरीदी।	इस इलाके में इस समय कृषीय भूमि के प्रति बीघे का मूल्य लगभग 9,000/-रु० है।

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के अन्तर्गत नजरबन्द सदस्य द्वारा डी. डी. ए. को किस्तों का भुगतान

6746. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1976-77 में मीसा के अन्तर्गत नजरबंद अनेक संसद सदस्यों को, जो एम. आई. जी. फ्लैटों के लिए डी. डी. ए. की किस्तों का भुगतान नहीं कर सके थे, अब ब्याज समेत इन किस्तों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए मीसा में नजरबंद रहे संसद सदस्यों को ब्याज रहित किस्तों का भुगतान करने की अनुमति देगी कि वे नजरबंद रहने के कारण किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ रहे थे ;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि केवल एक मामले में (नामतः श्री हुकुम चन्द कछवाय, भूतपूर्व संसद सदस्य) एक अध्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ था कि मीसा के अन्तर्गत नजरबन्दी के कारण वे प्रारम्भिक जमा की अदायगी नहीं कर सके थे । 15-5-77 तक न तो उन से ब्याज वसूल किया जा रहा है और न ही 15-5-77 तक बाकी किस्तों पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है ।

(ख) मीसा के अन्तर्गत नजरबन्दी की अवधि तथा इसके बाद एक मास तक के लिए ऐसे मामलों में रिआयत है ।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्य के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

6747. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी खरीफ फसल मौसम के लिए धान के मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 27 जुलाई, 1980 को नई दिल्ली में राज्य के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था,

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था'

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने मुख्य रूप से कृषि फसलों की खेती की लागत सम्बन्धी मुददों पर विचार-विमर्श किया और धान तथा मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्यों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त किए । उन्होंने 1980-81 के विपणन मौसम के लिए धान के लिए अधिकांशतः 105 रु० प्रति क्विंटल से 140 रु० प्रति क्विंटल के बीच अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया । कुछ मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों ने मोटे अनाजों के लिए 117 रु० से 105 रु० प्रति क्विंटल तक अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया ।

(ग) यह सम्मेलन खरीफ धान्यों की मूल्य नीति पर विभिन्न राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए बुलाया गया था । इसने कोई निर्णय नहीं लिया ।

गुजरात में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे किसानों को नकद तथा उर्वरकों की राजसहायता

6748. **श्री डी० पी० जदेजा**

श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के सीमान्त छोटे तथा जनजातीय किसानों को नकद और उर्वरकों की राज सहायता दिए जाने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर गुजरात सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि कृषकों की बीजों, उर्वरकों आदि जैसे विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 10 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक आवश्यकता है । विस्तृत ज्ञापन, जिसकी राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है, के आधार पर निर्णय किया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "लाटरी" के माध्यम से भू-खण्डों का आवंटन

6749. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1975-76 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन कम तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को "लाटरी" के माध्यम से दिल्ली में कितने भूखण्ड दिए थे और किन-२ बस्तियों में दिए थे । तथा प्रत्येक बस्ती में कितने-२ भू-खण्ड दिये थे ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनमें से प्रत्येक बस्ती में पानी तथा मलमूत्र निकास जैसी मूल सुविधाएं, सड़कों पर रोशनी, समाजसदन, मार्केट, पार्कों के विकास तथा सड़कों का निर्माण, बरसाती नालों का निर्माण, स्कूलों के लिए भवन के निर्माण आदि के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त बस्तियों में सुविधाएं अभी तक नहीं जुटाई गई हैं तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टा किराया तो पहले ही से वसूल कर रहा है ;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1975-76 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं में संलग्न विवरणानुसार निम्न आय वर्ग के 11727 प्लाट तथा मध्यम आय वर्ग के 2684 प्लाट लाटरी द्वारा आवंटित किये गये थे ।

(ख) तथा (ग) :—आवंटन से पहले कुछ सुविधाएं दी जाती हैं । शेष यदि कोई हो, आवंटित प्लाटों के दखल की प्रगति तथा आवश्यकता को देखते हुए दी जाती है ।

विवरण

20 सूत्रि कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित निम्न आय वर्ग/मध्यम आव वर्ग के प्लाटों की स्थिति का विवरण ।

क्रमांक	योजना का नाम	निम्न आय वर्ग में आवंटित प्लाट	मध्यम आय वर्ग में आबंटित प्लाट
1.	घौण्डा	3165	—
2.	लोनी रोड	2175	—
3.	शालीमार बाग	2490	710
4.	पीतम पुरा	1192	788
5.	पच्छिमपुरी	512	371

6.	विकास पुरी	1445	337
7.	शालीमार बाग के आलाटी को सब्जी मण्डी में प्लाट	522	198
8.	पूर्वी कैलाश	11	21
9.	झिलमिल फैज-1	1	6
10.	मालवीय नगर विस्तार	49	100
11.	मस्जिद मोठ	—	1
12.	नारायणा	13	52
13.	पंखा रोड	48	70
14.	सफदरगंज	1	3
15.	वजीरपुर फैज-I तथा	102	27
16.	II नजफगढ़ रोड	1	—
		11727	2684

आवास ऋण प्राप्त करने और उसकी अदायगी की प्रक्रिया

6750. **श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा : श्री के. लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अन्तर्गत ऋण राशि लेने और उसकी वापस अदायगी के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं ;

(ख) क्या पिछले 20 वर्षों से उक्त नियम नहीं बनाए गए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) : दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में 1963 में किए संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 56 (2) (एम. एम.) के अन्तर्गत ऋणों या ऋण पत्रों द्वारा उधार लेने और उनके पुनः भुगतान के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में नियमों का बनाया जाना अपेक्षित था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण पत्रों को जारी करने को प्रशासित करने वाले नियम 1977 में पहले ही बनाए जा चुके हैं। जहां तक ऋणों के जरिए रुपये उधार लेने का प्रश्न है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे ऋणों को जुटाने के लिए शर्तें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराई गई थी। तथापि, इस विषय पर भी अब नियम बनाए जा रहे हैं।

जोधपुर और बाड़मेर, राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

6751. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय जोधपुर और बाड़मेर में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनको टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) : बाड़मेर में कोई प्रतीक्षा सूची में 1500 आवेदक थे ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले दो वर्षों से प्रत्यक वर्ष के दौरान मौजूदा जोधपुर एक्सचेंज की क्षमता का 1000 लाइनों द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्याक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुपात

6752 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन:** क्या ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र सबंधी कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सरकार से 1 अप्रैल, 1979 तक 100% सहायता मिला करती थी,

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1979 के बाद से यह सहायता अनुपात कम करके केन्द्रीय सरकार का 50% और प्रत्येक राज्य का 50 प्रतिशत कर दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इसके राजस्थान जैसे निर्धन राज्य इस उद्देश्य के लिये अपना 50 प्रतिशत का योगदान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू आदि जैसे मरुस्थलीय जिले प्रगति और विकास से वंचित रह गये हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्रों को विशेष सहायता देगी,

(घ) क्या वर्ष 1980-81 के लिये प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लियें किया गया धन का आवंटन वर्ष 1978-79 और 1979-80 में किये गये आवंटन की तुलना में कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) सरकार का विचार इस अकाल समस्या का स्थायी समाधान और मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास कितने वर्षों में करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केवल 50% सहायता दी गई थी । 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शीत शुष्क क्षेत्रों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए शतप्रतिशत सहायता दी गई थी । वर्ष 1977-78 के दौरान राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के गर्म शुष्क क्षेत्रों को सभी योजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता दी गई थी और वर्ष 1978-79 के दौरान वनरोपण तथा चरागाह, पशुपालन, डेरी, भूजल विकास तथा जल संचयन योजनाओं के लिए कृषि, बागवानी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-२ आधार पर वहन किया गया था ।

(ख) केवल मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुपात 1 अप्रैल, 1979 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था । यह निर्णय राज्य सरकारों को निधियों का अधिकाधिक हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास क्रार्यक्रम के लिए वर्ष 1980-81 हेतु किए गए धन के आवंटन 1979-80 के दौरान किए गए आवंटनों के बराबर है । तथापि, वर्ष

1980-81 के लिए किये गये निधियों के आवंटन कुछ राज्यों में 1980-81 में कम बजट प्रावधनों और विभिन्न जिलों में "अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र की सीमा" से अन्तर्गत लाए गए "खण्डों की संख्या" में निधियों के आवंटन के आधार में परिवर्तन होने की वजह से वर्ष 1978-79 के दौरान किए गये बजट प्रावधानों से कम हैं ।

(ङ) मरुभूमि क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है । यद्यपि इन क्षेत्रों के पूर्ण विकास के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है फिर भी चल रही योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से मरुभूमि क्षेत्रों में लोगों के आय स्तरों और उनके जीवन स्तर में अवश्य ही सुधार होगा ।

नये चीनी कारखानों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

6753. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये चीनी कारखानों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों से चीनी के उत्पादन और उसका मूल्य कम करने पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त चीनी कारखानों के लिये किस सीमा तक लाभकारी होंगे ;

(ग) इन नये मार्गदर्शी सिद्धात्तों को जारी करने के बाद चीनी के कितने नये कारखानों की स्थापना की गई थी ; और

(घ) इन्हें किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : भविष्य के वर्षों में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने से संबंधित थे । क्योंकि नयी लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्री इससे पूर्व कि वह उत्पादन कार्य शुरू करती है, को स्थापित करने में कई एक वर्ष लगते हैं, इसलिए केवल नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करने से चीनी के उत्पादन अथवा उसके मूल्यों पर कोई तुरन्त प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) : मार्गदर्शी सिद्धान्त नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उद्यमियों के लिए सहायक सिद्ध होंगे ।

(ग) : 4 जुलाई, 1980 को नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के बाद कोई नया चीनी यूनिट स्थापित नहीं किया गया है ।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

मास्को ओलम्पिक में भाग लेने वाले व्यक्ति

6754. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए कितने खिलाड़ी सोवियत संघ गये हुए हैं ;

(ख) खेलो में भाग लेने के लिए कितने गैर खिलाड़ी अधिकारी सोवियत संघ गये हुए हैं ;

(ग) दर्शकों के रूप में खेल देखने के लिए कितने भारतीयों को सोवियत संघ जाने दिया गया ; और

(घ) ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले विभिन्न खिलाड़ियों को किस प्रकार की और कितनी सहायता तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : 94 सदस्यों का एक दल XXII वें ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए मास्को गया। 94 सदस्यों के इस दल में चीप-डी-मिशन, सहायक चीफ-डी-मिशन. प्रबन्धकों, टीमों के प्रशिक्षकों इत्यादि सहित 75 खिलाड़ी/प्रतियोगी और 19 अधिकारी शामिल थे।

(ग) मंत्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) खिलाड़ियों और सम्बधिन्त अधिकारियों की यात्रा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह धन-राशि 10 लाख रुपए के लगभग हो सकती है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल संस्थान के सहयोग से भाग लेने वालों के लिए प्रशिक्षण शिविरों की भी व्यवस्था की थी।

उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

6755. **श्री चिन्तामणि जैना** क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनकी उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए सिफारिश की है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितने केन्द्रों को स्वीकृति दी है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : सूचना निम्नलिखित है। :

	उड़ीसा सरकार द्वारा सिफारिश किए गए स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	केन्द्रों की संख्या
1978-79	25	1633	18	650
1979-80	(केन्द्रों की संख्या दर्शाए बिना छः और स्वैच्छिक एजेंसियों के आवेदनपत्रों की सिफारिश की गई थी)		(एक और स्वैच्छिक एजेंसी, को, जिसे 1978-79 से पहले 30 केन्द्र मंजूर किए गए थे, जारी रहने की अनुमति दी गई थी।)	
1980-81	7 (केन्द्रों की संख्या दर्शाए बिना एक और स्वेच्छिक एजेंसी के आवेदन-पत्र की सिफारिश की गई थी)	240	—	

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् और राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान के लिये मनोनयन

6756. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के सदस्य मनोनीत करने तथा राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान के निदेशकों की नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई मानदंड निर्धारित किया है तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के सदस्य सरकार द्वारा खेल को प्रोत्साहन देने वाले और खेलों की उन्नति, संगठन तथा प्रशासन में सुविज्ञ व्यक्तियों; खेल लेखकों/खेल टीकाकारों; शैक्षिक संस्थाओं में खेलों की उन्नति में सुविज्ञ शिक्षाविदों, संसद सदस्यों राज्य खेलकूद परिषदों के प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रालय तथा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में से मनोनीत किए जाते हैं ।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाणा के निदेशक की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएं निम्नलिखित है :—

कला अथवा विज्ञान में कम-से-कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री, जिम्मेदार पद पर दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव और खेलों का पर्याप्त ज्ञान । आयु, 45 वर्ष से कम, किन्तु विशेष मामलों में ढील दी जा सकती है ।

अम्बाला के महाविद्यलयों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध करना ।

6757. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा के अम्बाला जिले में स्थित महाविद्यालयों के पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच चल रहे विवाद की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विवाद के हल के लिये कोई निर्देश दिये हैं ।

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के निदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

खेतीयोग्य, परती भूमि का ब्यौरा और उसका उपयोग

श्री प्रभुनारायण टंडन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती योग्य तथा परती भूमि के क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार परती भूमि के उपयोग के लिये मास्टर प्लान बनाने का है ; और

(ग) क्या किसी देश ने इस प्रयोजन के लिये सहायता की पेशकश की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनथान) (क) कृषि योग्य तथा परती भूमि का राज्यवार क्षेत्र विवरण मे दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण

कृषि योग्य तथा परती भूमि का राज्यवार क्षेत्र—1976-77 (अन्तिम)

(000 हैक्टार)

राज्य	कुल परती भूमि	कुल कृषि योग्य भूमि
आन्ध्र प्रदेश	3,863	15,695
असम	230	3,288
बिहार	2,659	11,716
गुजरात (ख)	811	12,444

हरियाणा	104	3,786
हिमाचल प्रदेश	57	785
जम्मू व कश्मीर	101	1,060
कर्नाटक	2,656	12,751
केरल	59	2,449
मध्य प्रदेश	1,865	22,600
महाराष्ट्र	1,648	21,128
मणिपुर	(क)	164
मेघालय	329	1,100
नागालैंड	—	114
उड़ीसा	875	7,521
पंजाब	66	4,237
राजस्थान	4,217	25,897
सिक्किम	उ०न०	उ०न०
तमिलनाडु	1,963	8,542
त्रिपुरा (ख)	7	337
उत्तर प्रदेश (ख)	1,494	21,078
पश्चिम बंगाल	362	7,085
संघ राज्य क्षेत्र	619	1,467
अखिल भारत	23,985	185,324

(क) — 500 हैक्टार से कम

(क) —वर्ष 1974-75 से संबंधित है।

उ०न० — उपलब्ध नहीं।

रेडियो आइसोटोपों तथा तथा रेडियेशन के माध्यम से विकसित फसल-बीज

6759. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ने रेडियो आइसोटोपों तथा रेडियेशन जैसी परमाणु तकनीकी को मिलाकर फसल-बीज विकसित किये हैं,

(ख) क्या भारतीय किसानों को इस बारे में कोई प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में प्रयोग में लाये जा रहे बीजों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन)—(क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, परमाणु, अनुसन्धान प्रयोगशाला तथा देश में अन्य कुछ अनुसन्धान संस्थान/केन्द्रों ने नाभिकीय तकनीक के उपयोग द्वारा नई फसल की किस्में विकसित हैं।

(ख) नयी किस्मों के विकास हेतु नाभिकीय तकनीकों का उपयोग एक अत्यन्त विशिष्ट तथा परिस्कृत कार्य है जिसे कि केवल एक योग्य विशेषज्ञ कुशलपूर्वक तथा प्रभावी ढंग से कर सकता है। अतः इस संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(ग) नाभिकीय तकनीकों को उपयोग में लाकर विकसित की गयीं कुछ फसलों की किस्में निम्नलिखित हैं :—

गेहूं—एन पी 836, शरबती, सोनारा, पूसा लेरमा ।

जौ—आर डी बी-1

चावल—जगन्नाथ, आई आई टी 48, आई आई टी 60

फ्रेंच बीन—पूसा पार्वती

टमाटर—पूसा लाल मीरूति, एस-12

अण्डी—अरूणा

मूंगफली—टी जी सीरीज

कपास—एम सी यू-7

बाल पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

6760. **श्री के० मालन्ना:** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बाल पुस्तक न्यास ने कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं :—

(ख) उनमें से कितनी पुस्तकें भारतीय भाषाओं में थी; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें अनबिकी पड़ी हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)—(क) से (ग) बाल पुस्तक न्यास एक निजी संगठन है और सरकार इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में सूचना की अपेक्षा नहीं कर सकती ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

6761 **श्री पी० रामगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

डेरी परियोजनाओं के लिए विश्वकोष सहायता

6762. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व कोष हमारे देश में डेरी विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) विश्व बैंक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पशु तथा डेरी विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय डेरी की आपरेशन फ्लड-2 नामक परियोजना के लिए ऋण मौहय्या कर रहा है ।

इलक्ट्रोनिक स्विच फैक्ट्रियां

6764. **पी राजगोपाल नायडु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष इलैक्ट्रोनिक स्विच फैक्टरियों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी स्थापना के लिए जगह का निर्णय कर लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव (क) नए कारखाने लगाकर इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज उपस्कर तैयार करने की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के एक प्रस्ताव की प्रारम्भिक स्तर पर जांच हो रही है : इसके अलावा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने की मौजुदा उत्पादन क्षमता को छोटे इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंजों को 10,000 लाइनें प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.5 लाख लाइनें प्रति वर्ष तक ले जाने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज तथा ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज तैयार करने का प्रस्ताव शामिल है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए सवाल पैदा नहीं होता।

जिला अमृतसर, पंजाब में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

6765. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जिला अमृतसर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार अमृतसर में टेलीफोन केन्द्र की क्षमता वढ़ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अमृतसर टेलीफोन प्रणाली में 1987 शेष अमृतसर राजस्व जिले में 136.

(ख) जी हां

(ग) एक्सचेंज	विस्तार	वर्ष
अमृतसर मुख्य एक्सचेंज	600 लाइनें	1980-81
डेहर्टा एक्सचेंज	100 लाइनें	1980-81

1983-84 के दौरान 3300 लाइनों की क्षमता वाला एक नया सहायक एक्सचेंज अल्मर्ट रोड पर भी खोला जा सकता है।

गेहूं और चावल की फसल वाले क्षेत्र में कमी

0766. **श्री जैनुल बशर** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं और चावल को फसल वाले क्षेत्र में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गेहूं और चावल के फसल क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : वर्षा तथा मौसम की परिस्थितियों के कारण चावल तथा गेहूं की बुआई के क्षेत्रों में कमी-वेशी होती रहती है। 1967-68 से 1978-79 तक की अवधि में चावल की बुआई के क्षेत्र में प्रति वर्ष 0.82 प्रतिशत व गेहूं की बुवाई के क्षेत्र में 3.16 प्रतिशत की दर से मिश्रित वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ) छठी योजना के दौरान चावल तथा गेहूं की फसलों के क्षेत्र में मामूली वृद्धि होने की संभावना है तथा वृद्धि प्राकृतिक प्रसार से हो सकती है। छठी योजनावधि के दौरान चावल तथा गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

बनारस विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विधि संकाय में अध्यापक

6767.**श्री जैनुल बशर :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में 700 से अधिक छात्रों के लिए 44 अध्यापक हैं तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय में 700 से अधिक छात्रों के लिए केवल 20 अध्यापक ही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में (श्री बी० शंकरानन्द) (क) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में इस समय में 33 अध्यापक और 575 छात्र हैं और एल०एल०बी पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए पंजीकरण अगस्त 1980 में होगा, जबकि दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्यापकों तथा छात्रों की संख्या क्रमशः 21 और 732 है।

(ख) विश्वविद्यालय के नियम और अधिनियमों और कानूनों के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत यह देखना दोनों विश्वविद्यालयों के कार्यकारी परिषदों का कार्य है कि स्टाफ की सख्या आवश्यकता के अनुसार चुनें। अतः यह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का ही केवल काम है कि वे अपने विधि संकायों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अध्यापकों की संख्या निर्धारित करें।

जगजीवन टी०बी० सेनेटोरिया, देहरी-आन-सोन (रोहताश) में टी०बी० रोगियों के लिए शय्याओं का आरक्षण

6768. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने जगजीवन टी०बी सेनेटोरियम, देहरी आन-सोन (रोहतास) में आवास, इलाज तथा खुराक के लिए 250 रुपये मासिक निर्धारित राशि पर टी०बी० रोगियों के लिए 12 शय्याएं आरक्षित करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो यह निर्धारित राशि कब निश्चित की गयी थी;

(ग) क्या इलाज और रहने आदि पर होने वाले अधिक व्यय को देखते हुए इस निर्धारित राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इस समय इस सेनिटोरियम में प्रतिमास 250 रु० प्रति विस्तर की दर से 6 विस्तर आरक्षित किए गए हैं। इन दरों में चिकित्सा सुविधा, खुराक तथा विस्तर शुल्क शामिल हैं।

(ख) जी हां। तारीख 17-3-1975 से।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

पटना, बिहार में पेयजल

6769. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने पेयजल उपलब्ध करने के लिए सहायता देने के लिए केन्द्रीय सहकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) तथा (ख) पेयजल पूर्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को चलाने के लिए राज्य योजनाओं में निधियों का नियतन किया, जाता है तथापि, केन्द्रीय सरकार ने पता लगाये गये उन ग्रामों के लिए जहाँ पेयजल की समस्या अपेक्षाकृत विकट थी, यथाशीघ्र पेयजल की व्यवस्था करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विहार राज्य सहित सभी राज्यों को शतप्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विहार को दी गई निधियां इस प्रकार है।

वर्ष	लाख रु० में
1977-78	242.80
1978-79	504.20
1979-80	650.45

फिर भी, विहार सरकार ने पटना नगर सहित सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कृषि मंत्रालय से 1916.82 लाख रुपए की मांग की थी। वित्त मंत्रालय ने विहार सरकार को शहरी और ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 1980-81 में 624 लाख रु० दिये थे।

रोजगार के लिए लकड़ी तथा बन संसाधनों का विकास

6770. **श्री के प्रधानी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार क्षमता पैदा करने हेतु देश में लकड़ी तथा वन संसाधनों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) जी हाँ।

(ख) गांव की बेकार भूमि और पंचायत की भूमि में वृक्षारोपण करने तथा उजड़े क्षेत्रों में पुनर्रोपण करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "सामाजिक वानिकी कार्यक्रम" नाम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उजड़े वनों के पुनर्रोपण के तहत बागान लगाने के लिए 50 प्रतिशत और गांव की बेकार भूमि तथा पंचायत की भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए 75 प्रतिशत सहायता दे रही थी वर्ष 1977-78 से प्रति हैक्टार वास्तविक खर्च के आधार पर अधिक से अधिक 1000 रु० की सहायता दी जाने लगी। छठी पंचवर्षीय योजना में "ग्रामीण ईंधन के बागान" नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शामिल की गई है। इस कार्यक्रम से न सिर्फ उजड़े वन क्षेत्रों का पुनर्नवीकरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए काफी रोजगार भी पैदा करेगा।

इसके अलावा, भारत सरकार संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान कर रही है। इससे भी काफी रोजगार पैदा होगा।

उड़ीसा में चिल्का झील और समुद्री तट में मत्स्यग्रहण में कमी

6771. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पिछले कुछ माह के दौरान उड़ीसा के समुद्री तट और चिल्का झीलमें मछलियों की भारी कमी के उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखाहै;

(ख) क्या इसका प्रभाव उन मछुआरों और मत्स्यपोत के मालिकों पर भी पड़ा है जो काफी समय से इस कार्य में लगे हुए थे, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी० स्वामीनाथन) (क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में समुद्र तट के क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में गिरावट आने के बारे में केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा है लेकिन केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान से प्राप्त आंकड़े से पता चलता है कि उड़ीसा के तटवर्ती जल से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में गिरावट आई है। 1980 के पूर्वार्ध में पकड़ी गई मछलियों की मात्रा 9885 मीटरीटन थी, जबकि 1979 में उसी अवधि में यह मात्रा 13450 मीटरीटन थी। तथापि, चिल्का झील से पकड़ी गई मछलियों की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा चिल्का झील से पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में किसी प्रकार गंभीर रूप से गिरावट आने की खबर नही मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने 1979-80 के दौरान परम्परागत समुद्री मछुवाओं को भुगतान करने के लिए राजसहायता के रूप में 2 लाख रुपए तथा यंत्रीकृत नावों के लिए राज सहायता के रूप में 4.95 लाख रुपए मंजूर किये हैं।

रेलवे डाक सेवा, ओलोवकोट, केरल में कर्मचारियों की संख्या तथा स्थान

6772. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा, ओलोवकोट, केरल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है तथा वहां पर स्थान भी पर्याप्त नहीं है :, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं। फिर भी, कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा की जा रही है। जहां तक 1954 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता का प्रश्न है, उसके स्थान पर 1578 वर्ग फीट जगह उपलब्ध है।

(ख) ओलोवकोट रेल डाक सेवा इस समय रेलवे भवन में कार्यरत है। चूंकि इस भवन का विस्तार करना संभव नहीं है अत; नई रेल डाक सेवा को रेलवे प्लेटफार्म पर संस्थापित करने की संभावना की जांच रेलवे द्वारा की जा रही है। डाक विभाग के प्राधिकारी भी रेलवे स्टेशन के नजदीक कोई एवजी भवन किराये पर लेने के लिए प्रयत्नशील हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था द्वारा निधियों को बिना खर्च किये ही छोड़ दिया जाना

6773. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था द्वारा अनुसंधान कार्यों को न किये जाने के कारण पिछले कुछ समय से सर्वेक्षण को दी गई काफी बड़ी धनराशियों को बिना खर्च किये ही छोड़ा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान छोड़ी गई निधियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौटाई गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि
1977-78	22·56 लाख रुपये
1978-79	39·79 लाख रुपये
1979-80	10·40 लाख रुपये

प्रत्येक वर्ष के परिशोधित बजट आवंटनों की तुलना में ये राशियां क्रमश: 3·6 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत तथा 1·5 प्रतिशत मात्र बैठती है। ये राशियां राष्ट्रीय गौरव के शोध-कार्य से संबंधित क्रियाकलापों में शिथिलता आने के कारण नहीं लौटाई गई बल्कि मुख्य बात तो यह थी कि इस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि यह धनराशि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के नाम अलग रख दी गयी थी। तथापि, 1978-79 के दौरान अपरिहार्य कारणों से कुछ मौलिक निर्माण कार्य तथा स्मारकों के विशेष मरम्मत कार्य नहीं किये जा सके।

पौष्टिक लवण

6774. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक को पौष्टिक बनाने के लिये अनुसंधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां पौष्टिक लवण बनाने का विचार है और कब तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : देश में व्याप्त आयरन की कमी (एनीमिया) को दूर करने के लिए नमक को आयरन से प्रबलीकृत करने की सम्भावना पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप दो उपयुक्त विधियों का विकास किया गया है, जिनका आयरन युक्त नमक को प्रवलीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भोजन की परिवर्तनशीलता पर प्रबलीकृत नमक की प्रभावकारिता तथा पौष्टिकता के महत्व पर प्रभाव डालने वाली पर्यावरण संबंधी अन्य परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए तथा जनता पर प्रबलीकृत नमक के लाभकारी प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक योजना को कार्यान्वित किया गया है। उपर्युक्त दो विधियों से प्रबलीकृत नमक का परीक्षण के तौर पर उत्पादन करने का कार्य शुरू किया गया है और निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से फील्ड-परीक्षण शुरू किए गए हैं :—

1. राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद।
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
3. अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान ; कलकत्ता।
4. शिशु स्वास्थ्य संस्थान, मद्रास।

आशा है कि इन फील्ड परीक्षणों के परिणाम इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जाएंगे। प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर प्रबलीकृत नमक का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित करने सहित ऐसे नमक का वितरण करने से संबंधित प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली प्रशासन में सुपरवाइजर/इन्सपेक्टर (शारीरिक शिक्षा) के पदों को भरा जाना

6775. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री शारीरिक शिक्षा सुपरवाइजरों की स्वीकृत संख्या के बारे में 2 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस बीच सुपरवाइजरों/इंसपेक्टरों (शारीरिक शिक्षा) के चार रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 12 जोनों में पुरुष उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है जिससे महिला उम्मीदवारों को उनके अवसरों से वंचित कर दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो यह विसंगति दूर करने के लिए क्या कार्यवाही निश्चित की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) संदर्भित चार पदों का अभी सृजन नहीं किया गया है ।

(ख) बजट संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है । दिल्ली प्रशासन द्वार इन पदों का सृजन चालू वर्ष में किए जाने की आशा है ।

(ग) और (घ) : सन् 1970 में दिल्ली नगर निगम से 7 पुरुष निरीक्षकों (शारीरिक शिक्षा) और एक महिला निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) के स्थानान्तरित हो जाने के परिणाम-स्वरूप पुरुष तथा महिला पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के बीच इस समय अधिक पुरुष पर्यवेक्षक/निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) उपलब्ध होने के कारण कुछ असन्तुलन है । दिल्ली प्रशासन को आशा है कि महिला पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के अधिक पदों का सृजन करके इस असन्तुलन को दूर किया जा सकेगा ।

गोडावण (बसटर्ड) के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

6776. **श्री मनफूलसिंह चौधरी :**

श्री एस० बी० सिंदनाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जयपुर में गोडावण (बसटर्ड) के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करने का विचार है ; और

(ख) इस दुर्लभ पक्षी को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) टूरिज्म एण्ड वाईल्डलाइफ सोसाइटी आफ इंडिया, जयपुर, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, का नवम्बर, 1980 में जयपुर में गोडावण (बसटर्ड) के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का विचार है ।

(ख) ग्रेट इंडियन बसटर्ड के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

(1) ग्रेट इंडिया बसटर्ड को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पक्षी के शिकार करने, उसे मारने तथा पकड़ने पर प्रतिबन्ध है तथा इसके उलंघन करने पर कठोर दण्ड का प्रावधान है ।

(2) भारत 1976 से वन्य प्राणि एवं वनस्पति की खतरे में पड़ी हुई जातियों से सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन का सदस्य है । ग्रेट इंडियन बसटर्ड इस सम्मेलन के परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है, जिसके अन्तर्गत इस जाति का वाणिज्यिक रूप से शोषण करने तथा निर्यात करने पर प्रतिबन्ध है ।

(3) महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने विशेषरूप से इस दुर्लभ पक्षी को संरक्षण देने हेतु आश्रयस्थलों की स्थापना करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

(4) बम्बई नैचुरल हिस्टरी सोसायटी ने खतरे में पड़ी हुई जातियों, जिसमें ग्रेट इंडियन बसटर्ड भी शामिल है, के सर्वेक्षण के लिए एक परियोजना तैयार की है, जिसे सरकार ने स्वीकृत कर लिया है।

(5) सरकार ने इस जाति के "कैप्टीव ब्रीडिंग" के लिए कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यवाही की है।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज में कर्मचारियों की कमी

6777. **श्री रामजी भाई श्रावणि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में और विशेषतः जूनागढ़, पोरबन्दर राजकोट, जामनगर सुरेन्द्र नगर, भावनगर तथा अमरेली जिलों में स्थित विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों की कमी है और वर्तमान कर्मचारी टेलीफोनों से सम्बन्धित वर्तमान कार्यभार को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो और कर्मचारी भर्ती करने के लिए कदम उठाये गये हैं ;

(ग) इस समय वहां कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

(घ) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कितने कर्मचारियों को रखने की स्वीकृति है, और

(ङ) क्या इस बारे में विभागों और मंत्रियों को कर्मचारियों तथा उनके संगठनों और संसद सदस्यों से बहुत से अभ्यावेदन और पत्र प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जूनागढ़, पोरबन्दर, राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, तथा अनरेली जिलों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों सहित गुजरात के विभिन्न एक्सचेंजों तथा कार्यालयों में कर्मचारियों की नाम-मात्र कमी है। वहां उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा टेलीफोनों का संचालन संतोषजनक ढंग से हो रहा है।

(ख) पहले से ही चुने गए कुछ उम्मीदवार प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। अधिक नियुक्तियां की जा रही हैं।

(ग) गुजरात सर्किल में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए मंजूर किए गए कर्मचारी जो ऊपर (क) में दिया गया है विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ङ) स्टाफ संघों से पत्र प्राप्त हुए थे, जिनका ब्यौरा विवरण-3 दिया गया है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रतिवेदनों और पत्रों की तुरन्त जांच पड़ताल की जाती है। जहां कहीं भी औचित्य पाया जाता है भर्ती का कार्यक्रम इन प्रतिवेदनों को दृष्टि में रख कर तैयार किया जाता है ; इसके अतिरिक्त स्टाफ की स्थिति का व्यापक पुनरीक्षण और उस पर उचित कार्रवाई करने लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और मंडलीय अध्यक्षों की बैठकों में भी विचार विमर्श किया जाता है।

विवरण-1

गुजरात सर्किल में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का ब्यौरा

क्रम सं०	काडर का नाम	कार्यरत कर्मचारियों की सं०
1.	जूनियर एकाउंट आफिसर	32
2.	जूनियर इंजीनियर	471
3.	टेलीफोन इंस्पेक्टर	268
4.	रिपीटर स्टेशन सहायक	247
5.	स्वचल एक्सचेंज सहायक	10
6.	वायरलैस आपरेटर	22
7.	एच. एस. जी. क्लर्क	12
8.	एल. एस. जी क्लर्क	100
9.	टी. एस. क्लर्क	1289
10.	वरिष्ठ सुपरवाइजर	15
11.	जूनियर सुपरवाईजर	340
12.	आशुलिपिक	7
13.	जूनियर एकाउंटेंट	1
14.	लाइन इंस्पेक्टर	34
15.	सब इंस्पेक्टर	450
16.	तकनीशियन	1126
17.	केबिल स्पलीसर्स	95
18.	मोटर ड्राईवर	67
19.	ड्राफ्ट्समैन	10
20.	लाइन मैन	2462
21.	वायर मैन	190
22.	टेलीफोन आपरेटर	3826

विवरण-2

गुजरात सर्किल के प्रत्येक एक्सचेंज के लिए स्वीकृत कर्मचारी

क्रम सं०	काडर का नाम	जूनागढ़ एक्सचेंज	पोरबन्दर एक्सचेंज	सुरेन्द्र नगर एक्सचेंज	जामनगर एक्सचेंज	भावनगर एक्सचेंज	अमरेली एक्सचेंज	राजकोट एक्सचेंज
1.	जूनियर इंजीनियर	13	5	7	18	21	7	31
2.	जूनियर सुपरवाइजर	8	7	10	14	14	4	23
3.	टेलीफोन आपरेटर	121	81	104	157	135	43	237
4.	टेलीफोन इंस्पेक्टर	4	4	4	11	9	2	16
5.	सब इंस्पेक्टर	8	5	7	13	9	3	20
6.	लाइनमैन	32	22	26	72	66	17	110
7.	तकनीशियन	15	15	11	47	36	10	72

विवरण-3

कर्मचारी यूनियनों से प्राप्त पत्र

1. भावनगर मंडल में लाइनमैनों की कमी के संबंध में लाइनमैन तथा चतुर्थ श्रेणी संघ के महासचिव का दिनांक 1-5-1979 का पत्र ।

2. गुजरात सर्किल में तकनीशियनों की कमी के संबंध में राष्ट्रीय यूनियन तार इंजीनियरी कर्मचारी श्रेणी-iii, गुजरात सर्किल का दिनांक 14-6-1980 का पत्र ।

3. जूनियर सुपरवाइजरों के नए पद सृजन करने के संबंध में सर्किल सचिव, अखिल भारतीय तार इंजीनियरी कर्मचारी यूनियन श्रेणी-iii का दिनांक 13-7-1980 का पत्र ।

4. डाक-तार विभाग में कर्मचारियों की कुल मिलकर कमी के संबंध में श्री एस०कुमारन, श्री योगेन्द्र शर्मा तथा श्री भूपेश गुप्त संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में उठाया गया तारांकित प्रश्न सं० 344 जिसका उत्तर 2-7-1980 को दिया गया था ।

5. डाक-तार विभाग में कर्मचारियों की कुल मिलाकर कमी के सम्बन्ध में श्री के० ए० राजन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4033 जिसका 14-7-80 को उत्तर दिया गया था ।

6. संचार मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के लिए मद सं० 3० जो श्री सुशील भट्टाचार्यजी, संसद सदस्य द्वारा डाक-तार सेवाओं में अक्षमता के कारणों को कम करने/कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में था, उठाया गया ।

एशियाई खेलों सम्बन्धी समिति

6778. **श्री अरविन्द नेताम : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एशियाई खेलों के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा समिति के निदेश पद क्या हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां । खेल आयोजित करने की तारीखों (31 अक्तूबर, 1982 से 14 नवम्बर, 1982) तथा खेले जाने वाले खेलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । यह निर्णय किया गया है कि 12 खेल नई दिल्ली, 6 पास ही में राई और नौकायन बम्बई में आयोजित किए जाएं । विभिन्न खेल-कूदों के लिये स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है और बनाए जाने वाले स्टेडियमों की योजनाओं तथा डिजाइनों को पूरा किया जा रहा है । अपेक्षित उपकरणों की सूची तैयार कर ली गई है । भारतीय पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को तैयार करने की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : जी हां । एक संचालन समिति यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त की जा रही है कि खेलों के संचालन के लिए अपेक्षित सुविधाएं निर्धारित स्तरों के अनुसार तथा समय पर प्रदान की जांए, इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत धन का उपयोग सरकार द्वारा अनुमोदित ढंग से किया जाए तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को समन्वित किया जाए । संचालन समिति में वे प्राधिकारी हैं जो 1982 के एशियाई खेलों के प्रबन्ध तथा सुविधाओं के प्रावधान से सम्बन्धित हैं ।

स्कूलों में प्रयोगशालाओं की सुविधायें

6779. **श्री ए० के० राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आमतौर से गांवों में तथा विशेष रूप से पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रयोगशालाओं के अभाव में छात्रों को विज्ञान की शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके लिये विशेष अनुदान देने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार इन प्रयोजनों के लिए कोई निर्धारित सहायता नहीं देती है। ऐसी सुविधाएं राज्य की ओर से दी जाती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार अपनी संसाधनों में से ही बजट प्रावधान करती है तथा एक मुश्त अनुदान केन्द्र से प्राप्त होता है।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

6780. **श्री के० लकप्पा : श्री एच० एन नन्जे गौड़ा :**

श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(कं) क्या खुली बिक्री की चीनी के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसके कारण देश भर के हिन्दुस्तानी किस्म के बहुत से होटल तथा हलवाई-दुकानें बन्द हो गई है ;

(ख) क्या सरकार की चीनी की दोहरी मूल्य-नीति इसके लिये उत्तरदायी है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) : गत कुछेक महीनों के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली है। क्योंकि मुक्त बिक्री की चीनी के वितरण और मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए भारतीय स्टाइल के होटलों और हलवाइयों की दुकानों, जिनसे यह आशा की जाती है कि वे अपनी चीनी की सप्लाई खुले बाजार से प्राप्त करेंगे. पर मूल्य के प्रभाव के बारे में सरकार के पास कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) : जी नहीं। दोहरी नियंत्रण नीति, दिसम्बर, 1979 न पुनः लागू किया गया था, अतीट में काफी समय तक लागू रही है। मुख्यतया 1979-80 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में भारी कमी और गुड़ और खण्डसारी जैसे अन्य स्वीटनिंग तत्त्वों की कम उपलब्धता और उनके ऊंचे मूल्यों के कारण में वृद्धि हुई कही जा सकती है।

(ग) : भारत सरकार ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कई एक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं :— (1) मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा कम करना, (2) स्टाक रखने की सीमा को सख्ती से लागू करना; (3) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के माध्यम से जमा माल को बाहर निकलवाने के कार्य में तेजी लाना; (4) जिन मामलों में स्टाक की प्रयत्क्ष सुपुर्दगी के साथ-२ सौदे न किए गए हो वहां एक थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता द्वारा दूसरे थोक विक्रेता को चीनी बेचने पर प्रतिबंध लगाना; (5) फैक्ट्रियों द्वारा मुक्त बिक्री की

चीनी की बिक्री और प्रेषणों के बारे में सूचना पर निगाह रखना; (6) मान्यता प्राप्त व्यापारियों द्वारा 10 दिनों की अवधि के अन्दर स्टाक बेचने की व्यवस्था करना; (7) मई और जून, 1980 में मुक्त में मुक्त बिक्री की चीनी के अतिरिक्त कोटे जारी करना; और (8) 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय करना।

सरकार द्वारा हाल ही में मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए जो और कदम उठाया गया है वह यह है कि 14-7-80 से चीनी और खण्डसारी के मान्यता प्राप्त व्यापारियों के लिए स्टाक रखने की सीमा को और कम कर दिया गया है। एक आदेश भी निकाला गया है जिसके अधीन खण्डसारी उत्पादकों को 15-7-80 तक के अपने स्टाक की घोषणा करने और 30-9-80 तक उत्पादित स्टाक सहित अपने समस्त स्टाक को हर हालत में 31-10-80 तक बेच देने की अपेक्षा की गई है। आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें प्रत्येक मास के दौरान अपने स्टाक का कम से कम 20 प्रतिशत स्टाक बेचना होगा।

राजथान में सिंचाई कुंओं के पुननिर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

6781. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले के अनेक गांवों में लूणी नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त और नष्ट हुए सिंचाई कुंओं की मरमम्त के लिए केन्द्रीय सहायता में से कितनी सहायता दी है ;

(ख) ऐसे कितने किसानों को सहायता ऋण दिया गया था जो सीमेंट के न होने के कारण कुंओं का निर्माण नहीं कर सके थे ; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार संबंधित किसानों को सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) (क) : राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने 1369 कुंओं के निर्माण तथा मरमम्त के लिए 46,07,100 रु० की रकम मंजूर की है।

(ख) सिवाना क्षेत्र में 82 कृषकों को, जिनके कुंए आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे, अभी सीमेंट दिया जाना है।

(ग) राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत सीमेंट का नियतन आरक्षित कर रखा है।

प्रोटेक्टिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, दिल्ली

6782. **श्री केशवराव पारधी :**

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटेक्टिव थ्रिफ्टएण्ड क्रेडिट सोसाइटी, दिल्ली ने ऋण मंजूर करते समय प्रत्येक ऋण के लिये अलग-२ प्रतिभूति प्राप्त की थी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

(ख) क्या इस समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक को शुरू करने वाले सदस्यों की सूची पेश की थी ; यदि हां, तो बैंक ने कितने सदस्यों की और समिति की देय राशियों का बकाया दिखाया और प्रत्येक सदस्य की और मूलधन और व्याज की अलग-२ कितनी राशियां बकाया हैं ;

(ग) क्या बैंक ने समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग, दिल्ली के पास

मध्यस्थता का मामला दायर किया है और इस विभाग के जांच अधिकारी के पास भी एक मामला लम्बित है ;

(घ) यदि हां, तो मामले का अन्तिम निर्णय कब तक दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) से (ङ) प्रोटिक्टिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी के उप-नियम संख्यां 36 के अनुसार सोसाइटी द्वारा ऋण मंजूर करने के लिये प्रायः एक या अधिक जमानतें ली जाती हैं ।

2. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली प्रशासन के रजिस्ट्रार को दी गयी सूचना के अनुसार सोसाइटी ने बैंक को शुरू करने वाले सदस्यों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की है ।

3. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक ने 7-1-80 को सोसाइटी तथा दो गारन्टीकर्त्ताओं के विरुद्ध रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के पास मध्यस्थता का मामला दायर किया था तथा मध्यस्थ ने 7-7-80 को 36,943.27 रुपये के देय (26,499.97 रुपये मूलधन तथा 30-6-79 तक 10,443.30 रुपये ब्याज की रकम) की वसूली के लिये अपने निर्णय की घोषणा की थी ।

4. दिल्ली कोआपरेटिव सोसाइटीज, एक्ट 1972 की धारा 55 के अधीन 12-10-1979 को जांच के आदेश दिये गये परन्तु सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा रिकार्ड पेश न करने के कारण जांच शुरू नहीं हो सकी । अन्तत : जांच अधिकारी का स्थानानान्तरण हो गया और 23-5-80 को नये जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी । उन्होंने 31-5-80 को सोसाइटी के सचिव को गिरफ्तार करवाकर 9-6-80 को सोसाइटी के रिकार्ड को अपने कब्जे में ले लिया । जांच-का कार्य जारी है । जांच पूरी होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि सोसाइटी के रिकार्डों की गहराई से जांच होनी है ।

सरकारी आवास की समीक्षा

6783. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए मकानों की समीक्षा कर ली है ;

(ख) इस प्रकार की पिछली समीक्षा कब की गई थी ;

(ग) क्या सरकार ऐसे नए नियमों को बनाने की सोच रही है जिससे सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद भी मकानों को अपने पास रख सकें ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की रियायत की शर्तें क्या होंगी ; और

(ङ) क्या सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिए गए सरकारी परिसरों के किराये में वृद्धि करने का विचार है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क)तथा (ख) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए गए आवासों को समीक्षा करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं । तथापि, अधिकारियों की पात्रता तथा आवासों के कुर्सी क्षेत्रफल की समय पर समीक्षा की जाती है । ऐसी ही एक समीक्षा 1975 में की गई थी । पुनः सितम्बर, 1978 में टाइप-'ए', 'सी' के कुर्सी क्षेत्र की समीक्षा की गई तथा संशोधन किया गया । इसी प्रकार सामान्य पूल में परितुष्टि-स्तर की समीक्षा

के फलस्वरूप, सरकार ने 1000 रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में मुख्यतः निचले टाइप 'ए', 'बी', तथा 'सी' क्वाटरों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(ग) तथा (घ) : सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारियों को सरकारी वास रखे रहने के लिए समर्थ बनाने सम्बन्धी नए नियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय परिषद् जे० सी० एम० की सिफारिश पर किसी अधिकारी, जो कि अन्यथा सामान्य पूल वास के आवंटन हेतु पात्र है, के सेवा-निवृत्त होने पर उसके आश्रित पुत्र। अविवाहित पुत्री। पत्नी को तदर्थ आवंटन की भूतपूर्व रिआयत (पहली मई, 1978 से जो समाप्त की गई थी) को बनाए रखने का प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

(ङ) जैसा कि पूरक नियमावली में निर्धारित है। सरकारी आवासी की लाइसेंस फीस प्रत्येक पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित की जाती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत लाइसेंस फीस पुनः आगणित कीजा रही हैं तथा संशोधित लाइसेंस फीस पहली अप्रैल, 1980 से प्रभावी होगी।

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मन्जूर करने की डाक तथा तार महानिदेशक की शक्ति

6784. **श्री एच०एन० नन्जेगौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार बोर्ड सदस्यों जिनमें महानिदेशक शामिल है, के पास बिना बारी के टेलीफोन मंजूर करने की शक्तियाँ हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति बिना बारी के कितने टेलीफोन मंजूर कर सकता है तथा उनमें से प्रत्येक के द्वारा 1-1-80 से 30-6-80 तक कितने टेलीफोन मंजूर किये गये ;

(ग) क्या दिल्ली टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक को बिना बारी के टेलीफोन मंजूर करने की ऐसी कोई शक्ति मिली हुई है और यदि हां, तो उसके द्वारा 1-1-80 से 30-6-80 तक मंजूर किये टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन अधिकारियों द्वारा बिना बारी के प्राथमिकता कैसे-२ मामले में किन-२ श्रेणियों को दी जाती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की मंजूरियों पर कोई सीमा की पाबंदी नहीं है। चूंकि प्रत्येक मामले का निपटान गुण दोष के आधार पर किया है अतः आकड़े नहीं रखे जाते हैं 1-1-80 से 30-6-80 की इस अवधि के दौरान इन अधिकारियों द्वारा गैर ओ वाई टी श्रेणी में कोई भी बिना नम्बर के टेलीफोन मंजूर नहीं किया गया है और अन्य श्रेणियों में टेलीफोन नियमों के अनुसार केवल कुछ मामलों में मंजूरी दी गई थी।

(ग) महाप्रबन्धक को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिकता देने की शक्ति नहीं है। परन्तु वह विशेष परिस्थितियों में ओ वाई टी तथा विशेष श्रेणियों में प्राथमिकता की मंजूरी दे सकता है। इस प्रकार की मंजूरियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) प्राथमिकता देने संबंधी नियमों का एक विवरण संलग्न किया जा रहा है।

विवरण

टेलीफोन आवंटन नियम 1980 का सार

4.1 ओ वाइ टी श्रेणी

वरीयता (क) डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी की टेलीफोन की मंजूरी

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी

गैर ओ वाई टी-विशेष

वरीयता (क) डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी की टेलीफोन की मंजूरी

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी

गैर ओ वाई टी-सामान्य

वरीयता (क) डाक तार महानिदेशालय द्वारा बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी

4.2—खंडों में आवंटन—जिन स्थानों पर प्रतीक्षा सूची है तथा टेलीफोन समाप्त करने, टेलीफोन काटने तथा टेलीफोनों का अंतरण करके क्षमता उपलब्ध है तो किल/जिलों के अध्यक्ष उस क्षमता का उपयोग निम्न प्रयोजन से कर सकते हैं ;

(एक) बगैर नम्बर प्राथमिकता पर निदेशालय द्वारा मंजूर किए गये कनेक्शन देने के लिए।

(दो) प्राथमिकता श्रेणी अर्थात् ओ वाई टी —एस तथा गैर ओ वाई टी एस एस से स्वविवेक द्वारा गुणावगुण के आधार पर कनेक्शन प्रदान करना।

(तीन) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की सिफारिशों पर लोक हित में प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने के लिए अपेक्षित ओ वाई टी सामान्य के अन्तर्गत कनेक्शन प्रदान करना।

पंजाब विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र

6785 **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों या राज्यों के जिलों में स्थित महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किए गये हैं या किए जा सकते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कब तक किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 39 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार, अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण और उन कालेजों का उल्लेख कर सकती है जिनके संबंध में अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार ने इस धारा के अन्तर्गत अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है जिसमें ऐसी क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण किया गया हो जिनके भीतर विश्वविद्यालय कार्य करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ इस समय एक अन्तर-राज्य निकाय के रूप में, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कानून द्वारा अन्य व्यवस्था किए जाने तक, उक्त अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत उन निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार का सम्बद्ध पक्षों के परामर्श से विद्यमान पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाने का है। प्रस्ताव है।

श्री मनीराम बागड़ी—अध्यक्ष जी, नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राजनारायण जी ने कल से महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी है।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, केरल में एक अध्यादेश के विरोध में वहां के मुसलमान नौजवान अल्पसंख्यक लोग प्रदर्शन कर रहे थे। केरल की सरकार ने उन पर गोली काण्ड करके 4 मुसलमान मार दिये और अनेक घायल हो गये। वहां स्थिति बहुत खराब है··· (व्यवधान) यह एक बहुत महत्त्व का सवाल है···

अध्यक्ष महोदय– मैंने नियम 377 के अधीन श्री दनातवाला को एलाऊ कर दिया था।

श्री राम विलास पासवान—अध्यक्ष जी, मैंने एक एडजार्नमेंट मोशन दिया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—मैंने एडमिट नहीं किया। (व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये (व्यवधान)

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ और सदस्य सदन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय—मैंने अनुमति दे दी है, श्री बसु

श्री ज्योतिर्मय बसु:—महोदय, मैंने विशेषाधिकार के दो प्रस्तावों की सूचना दी है, एक श्री खुशवंत सिंह के विरुद्ध·····

अध्यक्ष महोदय—मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु:—दूसरे फाइजर एण्ड कम्पनी के एक प्रतिनिधि : श्री शाह आये

अध्यक्ष महोदय—यह भी मेरे विचाराधीन है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, दिल्ली में एक साथ अन्धे लोग आमरण अनशन कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : 377 में आपको एलाऊ किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में यह शामिल हो रहा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय—श्री चन्द्रजीत यादव

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़)—जो प्रश्न श्री रामविलास पासवान ने उठाया है····· व्यवधान

अध्यक्ष महोदय—मैंने श्री चन्द्रजीत यादव को बोलने के लिए कहा है

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं कह रहा हूं कि राम विलास पासवान ने नेत्रहीनों के अनशन को जो प्रश्न उठाया है उसे मैं समझ रहा हूं।

अयक्ष महोदय—मैंने अनुमति दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—मेरा कहना है—···

अध्यक्ष महोदय—आपको अपनी बारी पर कहने का मौका मिलेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण)—मैं आपका ध्यान·····

अयक्ष महोदय—किसी नियम के अधीन ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती—भारत भर के कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखने हेतु, दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय—इस पर पहले ही 377 की अनुमति दी गई है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)—मैंने पहले ही अध्यक्ष द्वारा निर्देश 117 के·····

अध्यक्ष महोदय—मैं जांच करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)—नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड के महासचिव के अनशन पर स्थगन प्रस्ताव—

** *कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।*

अध्यक्ष महोदय—अनुमति नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमुगाओ)—कानून और व्यवस्था के ऐसे प्रश्न पर सभा में विचार करने की भी परंपरा रही है जिसमें अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के मामले आते हैं। इस सन्दर्भ में हमने केरल में मुसलमानों पर गोली चलाये जाने के बारे में ध्यान आकर्षण की सूचना—

अध्यक्ष महोदय—उसकी पहले ही शुक्रवार को अनुमति दी गई है। यह 377 के अधीन सूचना दी गई है। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे, श्री योगेन्द्र मकवाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र

असम निवारक अधिनियम 1980

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)—मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

असम विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत असम निवारक निरोध अधिनियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) राष्ट्रपति का 1980 का अधिनियम संख्या 5) जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल टी 1201/80।

असम भूमि अन्य संक्रामण (विनियमन) अधिनियम 1980

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं;—

असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत असम भूमि अन्य संक्रामण (विनियम) अधिनियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) राष्ट्रपति का 1980 का अधिनियम संख्या 1) जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 1202/80)

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने चौधरी चरणसिंह के खिलाफ एजोर्नमेंट मोशन दिया था। उसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय— हम उसकी जांच करेंगे। उस पर विचार हो रहा है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर—पूरा महीना हो गया है। कब तक उस पर विचार करेंगे। अब सेशन भी समाप्त होने को आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय—इसमें टाइम लगता है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर—कब तक इस को करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)—बनारस में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, गोली चलाई गई और लाठी चार्ज हुआ और उसमें 26 आदमी बुरी तरह से घायल हो गये हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह राज्य का विषय है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हरिजनों पर लाठी चलाई जा रही है...(व्यवधान)...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व)—मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने जो विषय उठाया है, क्या वह गम्भीर बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय—अब हम ध्यान आकर्षण सूचना पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनाली तेल शोधन शाला के मद्रास बन्दरगाह के बीच भारतीय तेल निगम की पाइप लाइन से एक लाख रुपये मूल्य के स्नेहक तेल की हर रोज हो रही चोरी का समाचार।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, माननीय श्री विजय कुमार यादव तथा अन्य सदस्यों ने मद्रास शोधनशाला से मद्रास बन्दरगाह तक जाने वाली इंडियन आयल कार्पोरेशन की पाइनलाइन से प्रतिदिन 1 लाख रुपये के मूल्य के स्नेहक तेल की कथित चोरी की ओर ध्यान आकर्षिक किया है। इस सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

2. मद्रास शोधनशाला 9.3 किलोमीटर लम्बी स्नेहक तेल पाइपलाइन द्वारा मद्रास बन्दरगाह से जुड़ी हुई है। इस पाइपलाइन पर एक मध्यवर्ती प्वाइन्ट से एक पाइपलाइन टोन्डियारपेट में आई०ओ०सी० के ल्यूब ब्लैंडिंग प्लांट को जाती है। इस पाइपलाइन की चार किलोमीटर लम्बाई भूमि के नीचे हो और 5.3 किलोमीटर की लम्बाई भूमि के ऊपर है। अपनी कुछ लम्बाई के दौरान यह पाइप लाइन रेलवे की सम्पत्ति से गुजरती है। इस पाइपलाइन के रास्ते पर कई स्थानों पर रेलवे सम्पत्ति के अन्दर और उसके बाहर झुग्गी-झोपड़ी के झुण्ड हैं।

3. यह सत्य है कि कुछ वर्षों से कुछ बदमाश इस पाइपलाइन में छेद करके ल्यूब वेस तेल की चोरी करते रहे हैं। इस प्रकार के छुटपुट उदाहरण 1976 से आई०ओ०सी० के नोटिस में आए थे परन्तु केवल 1978 में यह चोरी बड़े पैमाने पर होने लगी थी। आई०ओ०सी० के प्रबन्धकों ने 1976 मे यह मामला पुलिस आयुक्त के साथ उठाया था और तब वे उसके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा है और बाद में पुलिस के महानिरीक्षक तथा राज्य सरकार के गृह विभाग के साथ यह मामला उठाया था। यद्यपि इस प्रकार की चोरी को रोकना पुलिस का सामान्य कर्तव्य है परन्तु तमिलनाडु सरकार का विचार है कि प्रभावी रूप से नियन्त्रण के लिए विशेष गश्तीदल की आवश्यकता है। तदनुसार आई०ओ०सी० इस काम पर लगाये जाने वाले विशेष पुलिस दल पर व्यय की पूर्ति के लिए सहमत हो गया था और 51 व्यक्तियों की टुकड़ी के लिए 1977-78 से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 2.89 लाख रुपये द रहा है। इस व्यवस्था के बावजूद चोरी जारी है और आई०ओ०सी० को ल्यूब वेस तेल की चोरी से 1978-79 में 16 लाख रुपये की और 1979-80 में 18 लाख रुपये की हानि हुई थी।

4. फरवरी 1980 में आई०ओ०सी० ने मत्रालय को लिखा था कि चूंकि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आई० ओ० सी० के प्रयत्नों से कोई प्रभावी औपचारिक कार्यवाही नहीं हुई है, अतः यह मंत्रालय राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाए। इस मंत्रालय ने तुरन्त तमिलनाडु सरकार को लिखा था कि इस प्रकार की चोरी की रोकथाम के लिए उसके पास उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाए।

5. जो कुछ ऊपर बताया गया है उससे पता चलता है कि आई०ओ०सी० प्रबन्धक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा इस मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्थिति की गम्भीरता से अवगत कराया है। मैं इस बात से बहुत चिन्तित हूं कि इस सम्बन्ध में किये गये सभी उपाय अपर्याप्त रहे हैं इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन के अध्यक्ष तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शीघ्र ही मद्रास जाएं तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श कर स्थिति का मौके पर मूल्यांकन करें। यह अधिकारी

मुझे यह रिपोर्ट करेंगे कि यह चोरी बिना पकड़े इतनी देर कैसे होती रही है। वह मुझे यह भी सलाह देंगे कि इस चोरी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा)—सभापति जी, यह तेल की चोरी का जो मामला है, यह बहुत ही गंभीर है। जैसा कि सभापति जी सब लोग जानते हैं कि देश में तेल की कमी बराबर बताई जाती रही है और हजारों करोड़ रुपया सरकार का तेल के आयात पर खर्च हो रहा है। इस साल का जो बजट है उसमें भी पांच हजार करोड़ रुपए के तेल के आयात की बात कही गई है और जो अखबारों में रिपोर्टें आ रही हैं कि भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के द्वारा तेल के आयात के मामले में और जो तेल देश में है उसके बटवारे के मामले में जो चोरियां हो रही हैं उस मामले में काफी घोटाला है और यह सारे देश में बड़े पैमाने पर है। ब्लिट्ज ने लिखा है आयात के मामले में तेल निगम के अधिकारियों का कमीशन बंधा हुआ है और वह लगभग तीन सौ करोड़ रुपए का कमीशन इससे अर्न करते हैं। मेरी इस सिलसिले में जो जानकारी है, वह अखबारों के जरिए है।

वैसे जवाब में मंत्री महोदय ने बहुत सी बातों को बताया है। खुद उनके जवाब में सभापति जी आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के कुछ उदाहरण 1976 में नोटिस में आए हैं और 1978 में यह चोरी बड़े पैमाने पर होने लगी थी। आखिर में जो अंतिम पैरा है उसमें यह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में किये गये सभी उपाय अपर्याप्त रहे हैं यानी 1976 से चोरी का यह मामला चल रहा है और चार साल हो गए चार सालों से लगातार चोरी का मामला सरकार की जानकारी में होते हुए भी सरकार यह कह रही है कि वह असमर्थ है।

सरकार को खबर नहीं मिली कि सच्चाई क्या है। इस बार भी चोरी का मामला जो प्रकाश में आया है वह तब आया जब चोरी करने वाला जो गिरोह था उसके अन्दर आपस में झगड़ा हुआ और उस वजह से वे पुलिस थाना गए और पुलिस जब घटना स्थल पर गई तो उसने पाया कि तेल की जो पाइप है उस पर झोपडी बनी हुई है और उसके अन्दर पाइप के नीचे 6 फीट गहरा पक्का हौज बना हुआ है, उसमें सूराख किए गए हैं और उन सूराखों से तेल निकालने के लिए उसमें चीजों को फिट किया गया है। वहां बैरल पाए गए वहां बालटियां पाई गई। खुद पुलिस के लोगों का कहना है कि लगभग पचास बैरल डेली तेल के चोरी होते होंगे और एक बैरल की कीमत लगभग दो हजार होती है। इस तरह उसका एस्टीमैट है कि एक लाख रुपये तेल की चोरी उस पाइप लाइन से हो रही होगी और यह सिलसिला 1976 से चला आ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार पांच मील जो तेल का पाइप है वह जमीन से ऊपर है और चार मील जमीन के नीचे है इस पांच मील तेल के पाइप की हिफाजत भी 1976 से जानकारी रहने के बाद भी सरकार करने में अपने को समर्थ नहीं पा रही है। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक योजना भारतीय तेल निगम के अधिकारियों को इसकी सुरक्षा के लिए दी थी जिस में शायद 21 लाख रुपए सालान का खर्च आता था लेकिन निगम के अधिकारियों ने इसको अस्वीकृत कर दिया। जिस समय इस चोरी का पता चला और खबर छपी तो उसमें यह भी कहा गया कि केवल छः पुलिसमैन को इस पांच मील लम्बी जमीन के ऊपर जो तेल की पाइप है उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सोंपी गई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 1976 से जानकारी

रखते हुए भी जो उचित कदम उठाया जाना चाहिये था नहीं उठाया गया। इसमें केवल पुलिस का सवाल नहीं है। भारतीय तेल निगम के अधिकारी भी खुद इस चोरी के मामले में फंसे हुए हैं और उनकी भी सांठगांठ है और इस चोरी से जो आमदनी होती है और उसमें उनका भी हिस्सा रहता है। यह केवल मद्रास के इलाके की बात नहीं है। खुद आपको भी जानकारी होगी कि जहां कहीं से भी तेल की पाइप लाइन गई है वहां यह चोरी होती है, खुद जहां से तेल सप्लाई किया जाता है, वहां तेल निगम के अधिकारियों की मदद से——

सभापति महोदय—आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसके सम्बन्ध में हो उसके सम्बन्ध में जो भी आपको जानकारी हो वह आप दें वर्ना इसको बहुत व्यापक बना देने से आप मंत्री महोदय से यह आशा करें कि वह आपके सवालों का जवाब दें तो यह उनके लिए सम्भव नहीं होगा। इस सवाल तक ही आप अपने आप को सीमित रखें।

केवल आप सवाल ही करें।

श्री विजय कुमार यादव : 1976 में जब इसकी जानकारी सरकार को हुई तो सरकार ने वहां जो झोपड़ियां मौजूद थीं, उनको हटाने की कोई कार्रवाई की या नहीं की ?

जो मुझे जानकारी है पुलिस ने एक योजना बनाकर आपको भेजी थी, भारतीय तेल निगम के पास भेजी थी जिसमें 21 लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई थी। क्या यह सही है कि उस योजना को तेल निगम के अधिकारियों ने अस्वीकृत कर दिया था ?

इस गोलमाल में भारतीय तेल निगम के अधिकारियों का जो हाथ है, इस सारे घोटाले की जांच पड़ताल करने के लिए क्या मंत्री महोदय संसद सदस्यों की एक कमेटी बनाएगे ताकि इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं उनको दूर किया जा सके और सही सही बातों का पता लगाया जा सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सभापति महोदय, जहां तक इस पिलफ्रेज की जांच के लिए कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके लिए पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कह दिया है कि आई०ओ०सी० के चेयरमैन और हमारी मिनिस्ट्री के सीनियर आफिसर्ज एक दो दिनों में मद्रास जा रहे हैं। वहां जाकर वे पूरी तहकीकात करेंगे, इन्क्वारी करेंगे, और वापस आने के बाद वे जो रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को देखते हुए मुझे आगे जो भी इकदम करना पड़ेगा, कार्यवाही करनी पड़ेगी, वह मैं करने के लिए तैयार हूं।

माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें आई०ओ०सी के आफिसर्ज भी शामिल हुए हैं। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मुझे मालूम नहीं है कि इसमें आई०ओ०सी० के आफिसर्ज शामिल हैं या नहीं। इसमें पैट्रोलिंग करने वाले पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, यह कहना भी मुश्किल है। एनक्वायरी की रिपोर्ट आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं और कहना ठीक भी नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि 9.3 किलोमीटर लम्बी पाइप-लाइन और एबाव दि ग्राउंड 5.3 किलोमीटर लम्बी पाइप-लाइन के पैट्रोलिंग केलिए सिर्फ 6 कांस्टेबिल काम कर रहे हैं। यह सही नहीं है। मैंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर बताया है कि 51 कांस्टेबल काम कर रहे हैं। यह पाइप-लाइन मद्रास में है। पाइप-लाइन की हिफाजत करने के लिए हम अपनी अलग फोर्स नहीं रख सकते। यह मद्रास की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मद्रास

गवर्नमेंट के साथ 1976 से कारेसपांडेंस कर रहे हैं मेरे पास सब डीटेल्ज हैं। हर महीने, दो महीने हमने पुलिस कश्निर को लिखा है और आई जी पुलिस को लिखा है, होम सेक्रेटरी को लिखा है हमारी मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट आफ तमिलनाडू को भी लिखा है, मगर उसके बावजूद पिलफ्रेज हो रहा है। मैंने यह मान लिया है कि बड़े पैमाने पर पिलफ्रेज हो रहा है। इस लिए इसके लिए कुछ सीरियस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं अपने आफिसर्ज को वहां भेज रहा हूं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह की जायेगी। अगर कुछ ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता होगी, तो हम करने के लिए तैयार हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि मद्रास के पुलिस डिपार्टमेंट ने 21 लाख रुपये की कोई योजना बनाई है। वह योजना अभी मेरे पास नहीं आई है। मुमकिन है कि आई०ओ०सी० के पास आई हो। उस योजना पर भी हम ध्यान देंगे। पिलफ्रेज को रोकने के लिए जो भी कार्यवाही करनी चाहिए, वह करने के लिए हम आगा-पीछा नहीं देखेंगे।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय ने कोई अवधि निर्धारित की है कि जो उच्च-स्तरीय जांच वह करायेंगे, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाये ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वे लोग दो रोज में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक या दो हफ्तों में मेरे पास रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, हमारे पेट्रोलियम मंत्री कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे और उन्होंने राज्य को सुप्रबन्ध ढंग से चलाया था। उस समय भी अनेक हिंसात्मक आन्दोलन होते थे लेकिन उन्होंने किसी केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को कभी हानि नहीं होने दी। आज मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को 2·89 लाख रु० की राशि कैसे दी गई। मान लीजिये आज यह पाइपलाइन के लिए है तो कल डाक और तार व रेल आदि के लिए हो सकती है। इसी तरह यदि तमिलनाडु की मांग होती रही तो क्या सरकार देने की स्थिति में होगी ?

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वह राशि वसूलेगी जो कि तमिलनाडु सरकार को दी जा रही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या एक झोंपड़ी में अन्ना द्रमुक का झंडा था या नहीं था। मेरे ख्याल से आई०ओ०सी० के अधिकारियों या पुलिस का इस मामले में हाथ नहीं। मेरे विचार से अन्ना द्रमुक के लोगों को भारत सरकार की सम्पत्ति लूटने की छूट मिली हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार तमिलनाडु सरकार को बता देगी कि यदि ऐसी कार्यवाहियां न रोकी गईं तो उसे बर्खास्त कर दिया जायेगा। जब तक मंत्री जी से ऐसा पत्र नहीं जाता तब तक वे इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोचेंगें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमने कितना माल भेजा और वहां कितना प्राप्त हुआ। उससे हानि का अनुमान हो सकता है।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार उस लूट में भागीदार है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : बिल्कुल ठीक है, महोदय, यही बात है। दुर्भाग्य से राजनीतिक दल लूटने वाले लोगों को छूट दे रहे हैं। चुराई हुई सम्पत्ति अन्य लोगों को बेची जाती हैं। जब तक उन लोगों का पता नहीं लगा लिया जाता, यह चोरी नहीं रुक सकती। ऐसी सम्पत्ति खरीदने वालों को भी दंड मिलना चाहिए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या तेल में मिलावट थी और क्या तेल की किस्म घटिया थी ? जब तक भारत सरकार कठोरता नहीं बरतती तब तक तमिलनाडु में सरकार की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं। मंत्री जी इन बातों का उत्तर दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं किसी राज्य में जो भी सम्पत्ति है रेल लाइन या पाइप लाइन है, सम्पत्ति चाहे राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है दुर्भाग्य से हुआ यह है कि जब हमारे अधिकारी 1976-77 में वहां गये और स्थानीय पुलिस से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि भारी संख्या में चोरियां हो रही हैं। अतः पूरी लाइन की निगरानी करनी जरूरी है जिसके लिए अलग कर्मचारियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक आप धन नहीं देते तब तक लाइन की सुरक्षा करना सम्भव नहीं। इन परिस्थितियों में हमें पैसा देना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा यह मांग करना अनुचित था। केवल 2·89 लाख रु० मांगे थे। राज्य सरकार स्वयं यह खर्चा वहन कर सकती थी। भारतीय तेल निगम प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का व्यापार करता है अतः उनके लिए तेल पाइप लाइनों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उनके लिए यदि 2.89 लाख मांगे गये हों तो सोचा गया कि दे दिये जाने चाहिए। हम यह पैसा 1977-78 से दे रहे हैं। इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर चोरियां हो रही हैं। ये लुटेरे पाइप लाइन में छेद कर देते हैं और ल्यूब या तेल ले जाते हैं। वे कच्चे तौर पर छेद बंद कर देते हैं फिर जब उन्हें तेल की जरूरत होती है, वे उसे खोलकर तेल ले लेते है यह बड़ी मात्रा में होने के कारण हमनें राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया। हमने शायद 2 दर्जन पत्र लिखे हैं। हमने आई०जी० पुलिस और गृह सचिव को भी लिखा है। लेकिन चोरियां जारी हैं। अतः मैं अपने दो अधिकारियों, भारतीय तेल निगम के सभापति और मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य अधिकारी वहां व्यक्तिगत रूप से पाइप-लाइन देखने के लिए भेजने का निर्णय किया है जो वहां राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से चर्चा करके उपचारात्मक उपाय सुझायें और भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैंने पूछा था कि क्या उन झोपड़ियों पर 'अन्नाद्रमुक' के झण्डे लगे हुए हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में कहा है कि झोपड़ियां दोनों ओर बनी हुई हैं। मैंने मद्रास और अन्य स्थानों का अनेक बार दौरा किया है। जहां कहीं भी गन्दी बस्तियां हैं वहां 'अन्ना-द्रमुक' तथा अन्य राजनैतिक दलों के झण्डे लगे हुए हैं। मैं उन विशेष झोपड़ियों के बारे में नहीं जानता कि वहां अन्ना द्रमुक के झण्डे लगे हुए हैं अथवा किसी अन्य दल के। जहां तक दूषण का संबंध है मैं यह कह सकता हूं कि वह इतना अधिक नहीं है क्योंकि वे लोग तेल निकालकर पाइप लाइन का सुराख बन्द कर देते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वह तेल कहां बेचा जाता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे बताया गया है कि वह गैर कानूनी तौर पर बेचा जाता है। कुछ एजेंट उसे पेट्रोल पम्पों को न बेचकर कुछ अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वे तेल कैसे बेचते हैं। यह जांच का विषय है। क्योंकि इन सब बातों का पता लगाना मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय : आप ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो यह लूट जारी रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जी, हां।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मानवीय सभापति जी, आयल कार्पोरेशन में बहुत बड़ा घपला है। अभी बरौनी और हल्दिया के बीच में जो पाइप-लाइन चलती है, थोड़े दिन हुए उसमें

भी एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था और फिर मद्रास और मनाली के बीच की पाइप-लाइन का रैकेट आया है। आज आयल सोना है, आयल की प्राइसेज इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी चोरी के लिए बड़े-बड़े गैंग तैयार हो गए हैं लेकिन यह गैंग स्वत: चोरी करलें-यह बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए जरूरी है कि आयल कार्पोरेशन का स्टाफ उसमें शामिल हो और यह भी जरूरी है कि स्थानीय पुलिस उसमें शामिल हो। जब तक यह तीनों इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं होंगे तब तक इतने लम्बे समय तक चोरी चल नहीं सकती है। कभी एक बार चोरी हो जाए, हजार, दो हजार या दस हजार लीटर ल्यूब्रिकेटिंग आयल, डीजल या पेट्रोल चोरी चला जाए लेकिन लगातार वर्षों तक चोरी चलती रहे, बिना इन तीनों की मिली-भगत के, ऐसा नहीं हो सकता है।

एक बात और है कि जो पाइप-लाइन चलती है उसमें एक सिग्नल लगा होता है और जब कोई पिलफ्रेज होती है तो वह सिग्नल घंटी देकर सूचना देता है, कहां-कहां पिलफ्रेज हो रही है और कितने किलोमीटर पर हो रही है इसकी भी सूचना देता है इस तरह से तुरन्त कार्यवाही की जाती है। मैं नहीं जानता मद्रास और मनाली रिफाइनरी के बीच में सिग्नल है या नहीं लेकिन मैं यह जानता हूं कि बरौनी से कानपुर और हल्दिया से बरौनी के बीच में जो लाइन है उसमें सिग्नल लगा हुआ है जिससे कि तुरन्त पता चल जाता है। लेकिन यहां पर बहुत घपला है। एक ही घपला नहीं है, आयल कार्पोरेशन के जो डिपो हैं वहां ल्यूब्रिकेटिंग आयल की फिलिंग होती है ड्रम्स और टिन्स में और खाना-पकाने की गैस की जो फिलिंग सिलिन्डर्स में होती है वह भी कम होती है। अभी बनारस में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के डिपो में उत्तर प्रदेश के वेट्स एण्ड मेजर्स डिपार्टमेन्ट ने रेड करके चेकिंग की थी जिससे पता चला कि ड्रम्स में जिनकी मात्रा होनी चाहिए थी। उनका चालान भी किया गया लेकिन उन्होंने जुर्माना भुगता या क्या कार्यवाही हो रही है—यह मुझे मालूम नहीं है।

तो कहीं-न-कहीं मेन-फिलिंग-प्वाइन्ट से लेकर जो ऑयल कारपोरेशन के सैल्स डिपो हैं, इनमें बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। यह ऑयल कारपोरेशन का रैकेट सीमित नहीं है, असीमित है और इससे इस देश की करोड़ों-करोड़ों रुपये की पूंजी प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही है, समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं यह मांग करते हुए सवाल पूछना चाहता हूं कि इन सारे मामलों की ओर बहुत से मामले जो प्रकाश में आयें तथा जो प्रकाश में आए हैं, उन सारे मामलों की एक हाई-पावर इन्क्वायरी होनी चाहिए, एक सी० बी० आई० की इन्क्वायरी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर यह मामला साफ होगा। क्यों कि इसमें आई० ओ० सी० के चेयरमैन से लेकर आई० ओ० सी० के चपरासी तक इस रैकेट में इन्वाल्व्ड हैं। यह कोई मामूली रैकेट नहीं है, इसमें देश की करोड़ों-करोड़ों रु० की पूंजी बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से केवल एक सवाल करना चाहता हूं और दूसरा कोई नहीं कि क्या वे इस सारे मामले की, इस सारे काण्ड की सी० बी० आई० की जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सभापति महोदय, सी० बी० आई० की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्टेटमेंट में साफ कह दिया है कि कितने ल्यूब-ऑयल का नुकसान हुआ है। करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा है कि यह जो पिलफ्रेज हो रहा है, मैं मानता हूं कि चन्द दिन पहले या चन्द साल पहले बिहार में भी एक-दो ऐसे पिलफ्रेज के इन्सिडेंट्स हुए

हैं, वाक्यात हुए हैं, लेकिन उसके बाद नहीं हुए हैं। पिलफ्रेज आम तौर पर नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। यह पिलफ्रेज सिर्फ इसी लाइन पर हो रहा है। 1976 में जो पिलफ्रेज हुआ था, उसको मैंने मान लिया है। इसलिए हम अपने अफसरों को भेज देंगे और उनकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन यह कहना कि चेयरमेंन से लेकर एक अदना आदमी जो आई० ओ० सी० में काम कर रहा है, इसमें शामिल है, मैं समझता हूं कि फेयर नहीं है। क्योंकि चेयरमैंन का इससे सम्बन्ध नहीं है, वहां के अफसरों का इससे सम्बन्ध नहीं है ; मेरे पास नोट्स हैं कि कितने लोकल अफसरों ने कमिश्नर को लिखा है, होम-सैक्रेटरी को लिखा है, आई० जी० पी० को लिखा है, बल्कि इतना ही नहीं इस लाइन को प्रोटैक्ट करने के लिए जो भी खर्चा होगा, वह खर्चा देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पिलफ्रेज में आफिसरों का हाथ है, यह कहना अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मालूमात हुए बगैर किसी पर दोष देना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही होगी।

श्री जैनुल बशर : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत सी मालूमात दे सकता हूं। अभी मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बिहार में भी एक मामला पकड़ा गया है। यह आई० ओ० सी० के स्टाफ को क्लीयर क्यों कर रहे हैं, उसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते हैं ? यहां एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे भी शामिल हो सकते हैं, तो मंत्री जी उसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते हैं—यह मैं जानना चाहता हूं ?

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आप जब किसी पदाधिकारी पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई गम्भीर आरोप लगाते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो इस सदन के अध्यक्ष हैं या जो कोई सभापति हों, उनको आप दिखा दीजिए कि ये मेरे पास प्रमाण हैं और इनके आधार पर मैं ये आरोप लगाता हूं। यदि आप संभावनाओं के आधार पर इस तरह के आरोप लगाना शुरू करेंगे तो कोई भी करैक्टर एसोसियेशन से बरी नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि प्रमाण के साथ आप आरोप अवश्य लगायें, लेकिन वे प्रमाण आप दिखा दें, चाहे मंत्री महोदय को या जो कोई सभापति हों या इस सदन के जो अध्यक्ष हैं, उसके बाद आप जो आरोप लगाना चाहें, लगाइए।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया।"...

सभापति महोदय : दवा का दोष है या वैद्य का दोष है ?

श्री नवलकिशोर शर्मा : दोनों का दोष है। वैद्य मरीज की बीमारी को नहीं पकड़ सका और दवा कारगर नहीं दे सका, इस लिए दोनों का दोष है।

मैं अर्ज कर रहा था कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, अपने वक्तव्य में, कि 1976 से छुट-पुट वारदातों की सूचना आई० ओ० सी० को मिली और उसके बाद आई० ओ० सी० ने इस चोरी को रोकने के लिये प्रयत्न किया और ज्यों-ज्यों प्रयत्न किया चोरी बढ़ती गई। पुलिस से कहा, मद्रास गवर्नमेन्ट से कहा तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया दीजिये हम 51 आदमियों की टोली तैनात करेंगे। आई० ओ० सी० ने उसे मन्जूर भी कर लिया, फिर भी 1977 में 16 लाख की चोरी हुई और 1978 में 18 लाख की हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में पब्लिक सैक्टर की हालत बड़ी अजीब है। हालांकि मैं पब्लिक सैक्टर का बहुत बड़ा हिमायती हूं, मुझे

गलत न समझा जाय, लेकिन पब्लिक सैक्टर के इन्तजाम में जो कमी है, यह घटना उसकी ओर इंगित करती है। आज मंत्री महोदय कहते हैं कि हम चेअरमैन को भेज रहे हैं, वे दो दिनों में चले जायेंगे। अच्छा हुआ अखबार वालों ने इस मसले को अखबारों में छाप कर देश का ध्यान आकर्षित किया और उसके फलस्वरूप संसद में यह मामला आया। अगर संसद में यह मामला नहीं आता, तो आई० ओ० सी० के चेअरमैन जैसे अब तक सोते रहे, वैसे ही सोते रहते। सवाल 16 लाख या 18 लाख रुपये की चोरी का नहीं है, सवाल यह है कि इन्तजाम के मामले में हमारी कितनी जागरूकता है, पब्लिक फण्ड्स के बारे में, सार्वजनिक चीजों के बारे में, पब्लिक मैनेजमेन्ट के बारे में, हमारा क्या दृष्टिकोण है। उसके प्रति जो हमारी उदासीनता है, यह उस बीमारी का द्योतक है, जो आज पब्लिक सैक्टर में चोरियों के बारे में अनेक शिकायतें आती हैं। यह ठीक है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज करोड़ों और अरबों रुपयों का कारोबार करती हैं, इस लिए मंत्री महोदय भले ही कह दें कि अरबों रुपये के कारोबार में अगर थोड़ी-बहुत चोरी हो गई तो कौन ध्यान देगा, लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि यह उस का द्योतक जरूर नजर आता है जिस की तरफ मैं आप की तवज्जह दिला रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आई० ओ० सी० के चेअरमैन पहले क्यों नहीं गये, इसका क्या कारण है? मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि जब कालिंग एटेन्शन एडमिट हो गया तो शायद मंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने जाने का फैसला किया। मैं जानता हूं—पब्लिक सैक्टर के काम में इन्टरफीअर करना मंत्री जी का काम नहीं है। उनका काम केवल नीति सम्बन्धी सिद्धांत और मार्गदर्शक नियम बनाना है। उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दैनिक प्रशासन में दखल देन का कोई अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इस का मतलब यह नहीं है कि आगे भी नहीं करेंगे।

श्री नवलकिशोर शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि आइ० ओ० सी० के चेअरमैन या उच्च अधिकारी इस मामले में पहले क्यों नहीं गये? क्या मंत्री महोदय इसके बारे में अपने आप को सन्तुष्ट करेंगे? मैं किसी को इण्डिक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि वह गाइड-लाइन्ज के तौर पर ऐसी हिदायतें जरूर जारी करें कि ऐसे मामलों को देखा जाना चाहिए, पिलफ्रेज हो, चोरी हो, इस तरह के जो धन्धे हैं, उन को तुरन्त रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी बात—मंत्री महोदय ने यह कहा है कि 16 लाख तथा 18 लाख की चोरी हुई है। मेरे मित्र—यादव जी अब इस ध्यानआकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे और अखबारों में भी आया है कि 1 लाख रुपये रोज की चोरी होती है, यह भी हो सकता है कि इस में कुछ एक्जाजरेशन हो या यह भी हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा की चोरी होती हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यह 16 लाख या 18 लाख की जो बात है यह आन-दि-लोअर-साइड है, तो मंत्री महोदय जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उस का मापदण्ड क्या है, जिस से उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि 16 लाख तथा 18 लाख की चोरी हुई है?

क्या वे संतुष्ट हैं कि आई० ओ० सी० ने जो उन को इन्फार्मेशन दी है, वह सही है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई वेमेंट की जांच-पड़ताल का भी कोई तरीका है जैसा मेरे मित्र श्री जैनुल बशर ने इसके बारे में कहा है। यह सारा मामला अब तक क्यों ऐसे ही पड़ा हुआ है।

तीसरी बात यह जानना चाहूंगा कि ये जो चोरी की घटनाएं होती हैं और मंत्री महोदय ने स्वयं मंजूर किया है कि कोई गैंग है जो एक जगह पाइप तोड़ लेता है और उसमें से तेल निकाल कर फिर सील कर देता है और दोबारा फिर उस काम को करता है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जब गैंग निगाह में था, तो राज्य सरकार को स्पेसीफिकली क्यों नहीं यह काम दिया गया कि वह इसका पता लगाए । इस बात से आप इन्कार करते हैं कि सी० बी० आई० को यह मामला देंगे लेकिन अगर राज्य सरकार इस चोरी के मामले को डिटेक्ट नहीं कर पाई, उस गैंग को नहीं पकड़ पाई, तो फिर इस गैंग को पकड़ने के लिए सी० बी० आई० को यह मामला क्यों नहीं दिया जाता ? यह ठीक है कि आज आप इस चीज को यह कह कर जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने दो आदमियों की एक टीम भेज दी, दो आदमियों की कमेटी बना दी और वह कमेटी जब रिपोर्ट देगी, तो हम एक्शन लेंगे । पहले गैंग का पता नहीं चल रहा है, तो उसके क्या कारण हैं । अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है, उसकी मशीनरी गैंग को पकड़ने में या उसका पता लगाने में फेल हो जाती है, तो फिर यह मामला सी० बी० आई० को क्यों नहीं दिया जाता ?

ये मेरे चन्द सवालात हैं, जिनका उत्तर अगर मंत्री जी दे सकें, तो दें । एक बात और है जो मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि पब्लिक सेक्टर अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है और जो वेस्टेंड इन्ट्रेस्ट्स हैं, वे पब्लिक सैक्टर को बदनाम करने में लगे हैं । पब्लिक सेक्टर को कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है । हम देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक सेक्टर पर जो हमले होते हैं, वे न हों । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में वे क्या कर रहे हैं क्योंकि उन के मंत्रालय में भी पब्लिक सेक्टर का बहुत कुछ हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है । क्या वे इस बात की कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो इनएफीशियेन्ट मेनेजमेंट है, वह न हो भविष्य में। नये वातावरण में हम पब्लिक सेक्टर में रिजल्ट लाना चाहते हैं । क्या वे इस बारे में हाऊस को री-एस्योर करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं कि वे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें ।

(इति)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, माननीय सदस्य, जो एक बहुत सीनियर हमारी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ने बहुत से प्रश्न मुझसे पूछे हैं ।

सभापति महोदय : और प्रश्न गम्भीर भी हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : गंभीर भी हैं और मैंने अपने स्टेटमेंट में माना है कि ये गंभीर प्रश्न हैं लेकिन सवाल यह है कि यह पाइप लाइन जो है, वह मद्रास में है और माननीय सदस्य को मालूम है और सदन को भी मालूम है कि पाइप लाइन की हिफाजत करना पाइप लाइन की प्रोटेक्शन करना पब्लिक सेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है । अगर ऐसी बात हो जाए, तो फिर हर पब्लिक सेक्टर की अन्डरटेकिंग के पास अपनी ही प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए । यह तो हो नहीं सकता । स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रेस्पोंसीविलिटी होती है कि इस को प्रोटेक्ट करे और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कार्यवाही करनी थी, वह हमारे अफसरों ने की । जब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, हमारे लोगों को इतने कान्टिजेन्ट को वहां पर लगाना है और आप हमें पैसा दीजिए तो हमने उनको पैसा दे दिया लेकिन उसके बाद भी यह चीज चल रही है ।

अब जहां तक यह सवाल है कि पब्लिक सेक्टर का मिसमेनेजमेंट है, तो पब्लिक सेक्टर का दोष कैसे हो सकता है जब पाईपलाइन के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर की नहीं

है, तो उसका दोष कैसे हो सकता है । पब्लिक सेक्टर यह तो कहेगा कि यह हमारी पाईप लाइन है, यहां से हम तेल भेज रहे हैं, उसकी हिफाजत आप कीजिए । उस काम को स्टेट गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया । अब सवाल यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कार्यवाही की है या नहीं की । माननीय सदस्य का इम्प्रेशन यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और यह पिलफ्रेज बढ़ता गया है । मेरे पास इसके आंकड़े हैं ।

जनवरी से लेकर दिसम्बर 1979 तक जो उन्होंने वहां केसिज पकड़े हैं वे 76 केसिज हैं जिनको कि उन्होंने रजिस्टर किया है और 156 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उन्होंने कार्यवाही की जिसमें 121 लोगों का कंवीक्शन हुआ । जनवरी से लेकर जुलाई तक जो पांच-छह महीने हैं इनमें 85 केसिज डिटेक्ट करके रजिस्टर किये गये । 170 लोग उन्होंने पकड़े और 40 लोगों का कंवीक्शन अब तक हो चुका है और अदालतों में कार्यवाही चल रही है । अब स्टेट गवर्नमेंट कार्यवाही कर रही या नहीं कर रही है लेकिन जितना भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वह इफेक्टिव नहीं है, यह हम मानते हैं । इसलिए इफेक्टिव तौर पर पूरा पिलफ्रेज, 100 परसेंट पिलफ्रेज रोकने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए, यह दिल्ली में बैठ कर तो आप और हम नहीं कर सकते हैं । हमारे आफिसर वहां पर जा रहे हैं और वहां जाकर के वहां के आफिसरों से बात करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेन्टेटिव्ज से भी बात करेंगे । जहां-जहां पिलफ्रेज हुआ है, कैसे हुआ और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए यह सब देखेंगे । पूरे पाईप लाइन का भी इन्स्पेक्शन करेंगे । उसके बाद वे आई० ओ० सी० के चेअरमैन को रिपोर्ट देंगे ।

अब तक आई० ओ० सी० का चेअरमैन वहां क्यों नहीं गया है ? इसका मुझे मालूम नहीं है कि चेअरमैन कितने मर्तवा वहां गये हैं । वैसे तो जहां-जहां हमारी रिफाइनरीज हैं, जहां-जहां डिपोज हैं, पूरे तौर पर उनको रखने का उनका काम है । हमेशा वे जाते रहते हैं । मुमकिन है कि वे मद्रास भी गए हों । इस सिलसिले में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं दे सकता हूं । लेकिन इंक्वायरी करके बहुत से हमारे लोकल आफिसर्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के लिए वहां हैं । बहुत से लोकलआफिसर्स ने आई० ओ० सी० के चेअरमैन को रिपोर्ट दी है और आई० ओ० सी० के चेअरमैन ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है ।

यह कहना गलत है कि अखबार में आने के बाद हमारी आंखें खुलीं या कालिंग अटेंशन आने के बाद हमने आंखें खोलीं । यह 1976 से चल रहा है और हमारे आफिसर्स ने जो कोरे-स्पोन्डेंस की जो रिपोर्ट पुलिस को, आई० जी० को और पुलिस कमिश्नर को कीं वे ये हैं— 7-4-78, 1-6-78, 13-12-78, 19-7-78, 19-7-79, 28-7-79, 19-11-79, 4-12-79, 3-6-1980। महीने दो महीने से हमारे आफिसर्स रिपोर्ट भेजते रहे हैं । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना तमाम हमारे आफिसर्स के करने के बाद भी पिलफ्रेज रुका नहीं है, वह बढ़ा है । इसलिए हम कहते हैं कि रुटीन तौर पर इसे हम नहीं देख सकते हैं । इसके लिए कोई सीरियस कार्यवाही होनी चाहिए । इसलिए हमारे आफिसर्स की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गुप्तचरों ने कोई संकेत दिए हैं या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र पटिल : यह लाइन छोटी ही हैं अर्थात 9·3 किलोमीटर लम्बी और इस पर गुप्तचर तैनात नहीं किए गए हैं ।

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 क और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, इसमें मेरा विरोध है : सभापति जी मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब विधेयक पेश किया जाता है तो उसका विरोध नहीं होता है । लेकिन इस विधेयक से एक विशेष परिस्थिति है । सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है 30 दिसम्बर 1979 को और उस फैसले के अनुसार यह आदेश दिया गया कि दिल्ली में मकानों या अन्य जायदादों के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका निर्धारण करते समय दिल्ली के रेन्ट कंट्रोल एक्ट को ध्यान में रखना चाहिए ।

सरकार ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाई की जाएगी । एक सवाल पूछा गया था 18 जून 1980 को और श्री योगेन्द्र मकवाना ने उत्तर दिया था । सवाल था :

क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कर योग्य मूल्य न बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय दिया है ? मंत्री महोदय का जवाब था :

उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में कहा है कि सम्पति का उचित भाटक मूल्य केवल दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही निश्चित की जा सकती है । न्यायालय के इस निर्णय को निगम द्वारा लागू किया जा रहा है ।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करने का तरीका कौन सा अपनाया जा रहा है ? सरकार जो कानून ला रही है उसका नतीजा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रख दिया जाएगा और सरकार ने कानून को जो रूप दिया है उसको आप पढ़ें । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस कानून को इस रूप में पेश न करें । इसे वापिस ले लें । कोई जल्दी नहीं है । यह कानून गम्भीर विचार विनिमय के बाद लाया जाना चाहिये । हम किस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं, इसको आप देखें । इस संशोवन विधेयक की धारा 3 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है :

"**स्पष्टी करण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिये "वह कुल वार्षिक भाटक जिस पर ऐसे गृह या भवन उसके अनुलग्नकों सहित और ऐसा कोई फर्निचर्स जो उपयोग के लिए पट्टे पर उठाया जा सकता है या उसके उपभोग के लिए पट्टे पर युक्तियुक्त रूप से उठाये जाने की प्रत्याशा की जा सकती है" पद का अर्थ उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे गृह या भवन के लिए प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य वास्तविक भाटक है और सदैव से ही भाटक समझा जायेगा या जहां प्राप्त या, प्राप्त किये जाने योग्य वास्तविक भाटक उस मानक भाटक से कम है.....।"

यह कौन तय करेगा कि रिसीवेबल रैंट कौन सा है ? क्या यह अफसरों को मनमाने अधिकार देने का तरीका नहीं है ? क्या यह भेदभावपूर्ण नहीं होगा ? क्या इस प्रावधान का लाभ उठा कर नागरिक परेशान नहीं किए जाएंगे ?

जिस सवाल का मैंने हवाला दिया था उसी में एक प्रश्न पूछा गया था ;

क्या बराबर छत्तदार क्षेत्र के मकानों के कर योग्य मूल्य भिन्न हो सकते हैं ?

दिल्ली नगर निगम के अनुसार समान छत्तदार क्षेत्र के भवनों के कर योग्य मूल्य भिन्न

हो सकते हैं और इस मूल्य में केवल एक और कमरा बना लेने पर ही यथास्थिति वृद्धि की जा सकती है।

सवाल पूछा गया था कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अगर कोई एक कमरा बनाए तो कहीं तो उसे 380 रुपया देना पड़े और कहीं 1080 रुपया और मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है। जो मकान किराए पर दिया जाता है उसके बारे में अगर अधिक टैक्स लिया जाए तो समझ में आ सकता है लेकिन जिस आदमी ने अपने रहने के लिए मकान बनाया है क्या उस पर भी जायदाद के कर की दर वही रखी जानी चाहिये—

श्री मूल चन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

क्या सदस्य महोदय इस समय ये बातें उठा सकते हैं। यह तो पुनःस्थापना की स्थिति है। उनका भाषण तो केवल वैधानिक औचित्य पर होना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हें इस समय भी सिद्धान्त की बात कहने का अधिकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मैं चाहता तो इस कानून को बनाने के बारे में सदन की संवैधानिक क्षमता को चुनौती दे सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मुझे कहने का पूरा अधिकार है कि इस कानून को जिस स्वरूप में पेश किया जा रहा है वह नितान्त अस्पष्ट है।

वह भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होगा - उसे पारित करने का अर्थ न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखना होगा, बल्कि अधिकारियों को इस तरह के अधिकार देना होगा, जिनका उपयोग नागरिकों के विरुद्ध हो सकता है -- खासकर उन नागरिकों के विरुद्ध, जिन्होंने अपनी कमाई से अपने रहने के लिए मकान बनाये हैं। मेरा निवेदन है कि यह मामला गहरा, पेचीदा और उलझा हुआ है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के नागरिकों की राय लेनी चाहिए। इस बारे में दिल्ली के पार्लियामेंट के मेम्बरों की सलाह भी नहीं ली गई है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बिल को जल्दी पास करने की कोशिश न करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक सदस्यों द्वारा दी गई सलाह का संबंध है, जब विधेयक पर चर्चा की जायेगी तो सदस्यगण अपने सुझाव स्वतः देंगे और हम उन पर विचार करेंगे। उन्होंने मेरे द्वारा संसद में दिये गये उत्तरों को उद्धत किया है मैं उन पर आज भी कायम हूं। जहां तक न्यायालय के निर्णय का संबंध है उसे क्रियान्वित किया जायेगा परन्तु उसे निष्प्रभावी बनाने के लिये मैं यह विधेयक पुनःस्थापित कर रहा हूं। इस विधेयक के प्रभावी होने पर ही स्थिति में परिवर्तन होगा। वर्तमान स्थिति यह है और उसे सभा का प्रत्येक सदस्य जानता है कि नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम की आय सम्पत्ति कर से ही होती है। यदि यह कर समाप्त किया जाये तब इन दो निकायों की क्या स्थिति होगी। प्रत्येक संस्था को किसी आय की आवश्यकता होती है और वह किसी न किसी प्रकार का कर लगाकर पूरी की जाती है। यहां इसका साधन सम्पत्ति कर है। यदि वर्तमान स्थिति को जारी रखा जाये तो नई दिल्ली नगर पालिका को लगभग 2 करोड़ रुपये वार्षिक और दिल्ली नगर निगम को 5 करोड़ रुपये वार्षिक की हानि होगी। इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका को 15 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। अतः इस स्थिति में इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक पुनःस्थापित किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में (व्यवधान) मैंने इस विधेयक को पुनःस्थापित करने के कारणों का पूरा ब्यौरा दे दिया है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस चरण में कोई आपत्ति न

उठायें। जब यह विधेयक सभा में चर्चा के लिये आयेगा तब वह इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह जो भी बातें उस समय उठायेंगे हम उन पर आवश्यक विचार करेंगे।

सभापति महोदय : आप इस मामले में खुले मन से सोचें।

श्री अटल बिहारी वाजपेय : खुले मन का अर्थ खाली मन नहीं है। खुला मन खाली नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय : कहने का तात्पर्य यही था कि मन खाली न हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेय : यहां के लिये कोई राज्य विधान सभा नहीं है और संसद को ही सभी कानून बनाने होते हैं। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पूरे विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये तैयार हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा वो उचित समय पर ही किया जा सकता है। इस समय यह सुझाव देना ठीक नहीं है। जब वह स्थिति आयेगी तो हम सभा में उस पर विचार करेंगे। ऐसा करना मेरे लिये नहीं सभा के लिये है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमान् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है.....

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसमें कहां तक सफल हूंगा यह तो आप ही बतायेंगे। मैं नहीं जानता कि मेरे माता-पिता ने मेरे लिये यह नाम क्यों चुना क्योंकि मैं इसे गलत ही समझता हूं।

सभापति महोदय : मैं तो केवल यही करना चाहता था कि आप इतनी अधिक प्रकाश न डाल दें कि लोग अंधे ही हो जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि : **

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन बातों का उल्लेख कार्यवाही वृतांत में नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय : एक वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री पी० शिवशंकर : उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया अनुच्छेद 121 देखें जिसमें स्पष्ट है कि संसद में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये आचरण पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जायेगी.....

श्री पी० शिवशंकर : असंगत बातों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : ऐसे असंसदीय वाक्यों की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : यह सभा का अपमान है और उसकी गरिमा के विरूद्ध है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इन टिप्पणियों को जिन्हें जांच करने पर संसदीय पाया गया है और जो सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं निकाल दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौन-२ सी ?

सभापति महोदय : मैं आपकी तरह साथ-२ तो नहीं बोल सकता । प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जायेगा और जो ठीक होंगे उन्हें रखकर शेष कार्यवाही में शामिल नहीं किये जायेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस शब्द का संशोधन कर सकता हूं** इसके स्थान पर "दिमाग की कमी" रखा जा सकता है । मैं इतना ही कर सकता हूं अब मैं विषय की ओर आता हूं ।

सभापति महोदय : आप तो यह कहते हैं कि आप विषय के निकट आ रहे हैं जबकि मुझे लगता है कि आप उससे दूर से दूर तर होते जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे और अपने बीच की दूरी नपवा लीजिये मैं तो आपके बिल्कुल निकट हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपने निर्देश दिया कि जो कुछ सदन में कहा गया है उसमें से यदि कुछ असंसदीय है या सदन की मर्यादा के खिलाफ है तो उसे निकाल दिया जायेगा । मेरा निवेदन यह है कि क्या निकाला जा रहा है क्या रखा जा रहा है यह सदन को पता होना चाहिए ।

सभापति महोदय : हां, पता होना चाहिए । लेकिन यह संभव नहीं है, कोई भी यहां चेयरमैन हो, जब बहुत सारे मेम्बर्स एक साथ बोलने लगें तो प्रत्येक सदस्य किस पृष्ठभूमि में बोलें, क्या बोले, क्या हटाना होगा, कहां तक हटाना होगा, उस सम्बन्ध में तुरंत निर्णय दे सकें, यह किसी के लिए संभव नहीं होगा । उस के लिए केवल जीनियस की जरूरत नहीं है, सुपर जीनियस की जरूरत होगी, वह आकर के यह कार्य सम्पादन कर सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कभी कभी ऐसा होता है कि सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाता है लेकिन अखबारों में छाप दिया जाता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : निकालने के बारे में जो फैसला हो वह सदन में होना चाहिए, चैम्बर में नहीं ।

सभापति महोदय : नहीं, चैम्बर में नहीं होगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या निकाला जा रहा है, अखबारों को क्या पता ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई ऐसी बात निकाली जा रही है जो अनपार्लमेन्टरी नहीं है, तो सदस्यों को कहने का मौका होना चाहिए ।

सभापति महोदय : आप नियम 380 पढ़ने की कृपा करें :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मान हानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें ।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम बिल्कुल ठीक है ।

श्री जेवियर अराकल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या अध्यक्षपीठ के विनिर्णय पर चर्चा हो सकती है ।

श्री सतीश अग्रवाल : कोई विनिर्णय नहीं दिया गया है । सभापति जी ने केवल नियम पढ़कर सुनाया है नियम बिल्कुल स्पष्ट है और आपके द्वारा निर्वचन भी स्पष्ट है । स्वविवेक भी आपका है, आपके पास शक्ति भी है । कौन से शब्द निकाले गये हैं, यह बताया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट का चुका हूं । (**व्यवधान**) जब नियम भी स्पष्ट हैं, निर्वचन भी ठीक किया गया है और आपको हर जीच स्पष्ट है, तो फिर मुझ से यह आपका प्रश्न क्यों ?

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसे शब्दों को निकालने का आपका स्वविवेक है । लेकिन आपको इसका प्रयोग सभा में करना है ताकि आप सबको स्पष्ट कर सकें कि अमुक शब्द निकाले गये हैं । (**व्यवधान**)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान के अनुच्छेद (2) के अधीन श्री शिव शंकर द्वारा आपत्ति की गई थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं किया जा सकता । गत सप्ताह ही श्री शिवशंकर ने स्वयं न्यायाधीश श्री वास्तव के आचरण का उल्लेख किया और जब यह प्रश्न उठाया गया तो विनिर्णय दिया गया था.....

श्री पी० शिवशंकर : वे न्यायाधीश नहीं थे ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : अध्यक्षपीठ से उस समय विनिर्णय दिया गया था कि सभा में न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन से भिन्न आचरण पर चर्चा की जा सकती है । श्री बसु ने ठीक यही कहा । इस पर पूर्वनिर्णय है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे भंग न करें ।

सभापति महोदय : मैं किसी विनिर्णय को बिल्कुल भी भंग नहीं कर रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे । यहां संविधान के अनुच्छेद 121 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलने के स्थान व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा संविधान के अनुच्छेद 121 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है और उसे सुनने के लिये आप शपथ-बद्ध हैं ।

अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय मे संसद में कोई चर्चा न होगी मैं "अपने कर्त्तव्य पालन" शब्दों को दोहराता हूं—और मैं यह बराबर कह चुका हूं कि इसका कर्त्तव्य पालन, न्यायिक कृत्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं ।**

(**व्यवधान**)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

यह मेरा आरोप है। (व्यवधान) कृपया इस देश में न्यायपालिका की रक्षा कीजिये।

श्री पी० शिव शंकर : उन बातों को निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए कुछ टिप्पणिया की हैं।

सभापति महोदय : पहले मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को सावधान करना चाहता हूं। उन्हें इतना प्रकाश नहीं डालना चाहिये कि यहां सब अंधे ही हो जायें। वे मेरे कान में फुसफुसा रहे हैं कि इस ओर के लोगों की बात नहीं सुननी चाहिये। मुझे सबकी बात सुननी होगी। मुझे निष्पक्ष होकर काम करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे एक और निवेदन करना है। अभी एक दूसरे दिन माननीय विधि मंत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव के बारे में सभा में**..... .....(व्यवधान)।

सभापति महोदय : "लाइज" (झूठ) शब्द असंसदीय है। आप इसे तुरन्त वापस लीजिये। (व्यवधान) इस स्थिति पर केवल अनुमति मांगी जाती है। आप सभी प्रश्न उठा रहे हैं। इस चरण में कोई बहस नहीं हो सकती है; कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो विधि मंत्री से कह रहा हूं कि वे दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं, इसलिये न्यायिक प्रणाली को सुधारने से पहले वे अपने आपको सुधारें। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें कही हैं जो वे इस सभा के बाहर कहने का साहस नहीं रखते हैं। श्री श्रीवास्तव ने अपने पत्र में उनकी इन सब बातों का खण्डन किया है। (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : उनकी कलई खुल गई है मेरा उन्हें "राजनीतिज्ञ श्रीवास्तव" कहना प्रमाणित हो गया है क्योंकि उन्होंने पत्र की एक प्रति आपको उपलब्ध की है।

सभापति महोदय : मैं नियम पढ़कर सुना देता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं स्वयं पढ़ चुका हूं। कृपया आप कष्ट न करें।

श्री पी० शिवशंकर : केवल एक प्रश्न है, विधायी सक्षमता का है। सभी फालतू बातें उठाई गई हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन्हें निकाल दिया जाये। उनका कोई आधार नहीं है। उनके आपत्ति उठाने से न्यायपालिका के प्रति उनका सम्मान प्रकट हो गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है; "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शत) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब सब समाप्त हो गया। मैं पिछली बातें दोहराना नहीं चाहता। लेकनि मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्षपीठ ने अनुचित कार्य किया है। मैंने "मत-विभाजन" के लिये कहा और आप आगे कार्यवाही करते रहे। श्री वाजपेयी ने कहा कोई मत-विभाजन नहीं" चाहिये। मैं सहमत हो गया लेकिन अध्यक्षपीठ को तुरन्त मेरी आवाज सुननी चाहिए थी। मत-विभाजन का अर्थ है तुरन्त मत-विभाजन।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया अन्यथा कोई कारण न था कि मैं मत-विभाजन का आदेश न देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आप पर आक्षेप नहीं किया है। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में बेगुसराय जिले के डाकखाने के डाकियों और श्रेणी चार के कर्मचारियों की वर्दिया और वेतन

सभापति महोदय : श्रीमती कृष्णा साही।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप व्यवस्था को छोड़िये, नियम 377 के तहत अपना वक्तव्य दीजिये। व्यवस्था की पहले ही काफी झड़ी लग गई है, अब आप और झड़ी मत लगाइये।

श्रीमती कृष्णा साही : मै नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं—

बिहार में बेगूसराय जिला डाकघर के पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच वर्षों से वर्दी नहीं दिये जाने की वजह से क्षोभ फैल गया है। गर्म वर्दी जाड़े के लिये जनवरी में पटना से आई परन्तु वितरण नहीं हुआ। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का वेतन पुनः नवम्बर माह से ही बदला है, परन्तु अभी तक उसे वेतन में नहीं जोड़ा गया है।

(दो) बिहार सरकार द्वारा मद्यनिषेध समाप्त किये जाने पर पुनः विचार करने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम सं० 377 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं—

बिहार सरकार द्वारा मद्य-निषेध पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जाना गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इससे सब से ज्यादा हानि हरिजन, आदिवासी एवं गरीब वर्ग के लोगों को होगी।

विधानसभा में सभी दलों के हरिजन, आदिवासी सदस्यों ने मद्य निषेध की मांग की थी। सभी महिला संगठनों ने भी मद्य निषेध की मांग की थी। मद्य निषेध राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य मुद्दा रहा है तथा 1920 से 1942 तक इस को लेकर आन्दोलन चला। छात्र युवा आन्दोलन ने भी बिहार में नशाबन्दी को लेकर शराब की दुकानों पर धरना का कार्यक्रम चलाया था। संविधान के नीति निदेशक तत्त्व ने भी राज्यों को नशाबन्दी के सम्बन्ध में निर्देश दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ राजस्व प्राप्ति हेतु तथा शराब के ठेकेदारों को खुश करने के लिये पुनः बिहार में मद्य-निषेध पर से प्रतिबन्ध हटा कर गरीबों को कंगाली के कुंए में ढकेल दिया है।

बिहार में शराबबन्दी से हरिजनों एवं गरीबों में खुशहाली की आशा आयी थी।

अतः बिहार सरकार से मांग है कि सरकार मद्य-निषेध पर से प्रतिबन्ध उठाने के निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा गरीबों के हित में तथा नैतिकता की दृष्टि से शराब-पान पर प्रतिबन्ध लगा दे।

(तीन) पालेकर वेतन न्यायाधिकरण की सिफारिशों का लागू किया जाना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : श्रीमन्, सूचना और प्रसारण मंत्री ने 2 अगस्त को बम्बई में कहा है कि सरकार पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के बारे में पालेकर मंजूरी न्याया-

धिकरण की सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में दबाव में नहीं आयेगी (स्टेट्समैन, 4 अगस्त, पृष्ठ 7)।

मैं जानना चाहता हूं कि उन पर क्या दबाव डाला जा रहा है।

मैं उनसे यह बताने का भी अनुरोध करता हूं कि पालेकर न्यायाधिकरण की ये सिफारिशें सभा पटल पर कब रखी जायेंगी।

(चार) केरल को शीघ्र चावल भेजने की आवश्यकता

श्रीमती सुशीला गोलापन (अलघी) : केरल सरकार का चावल का भण्डार तेजी से कम होता जा रहा है। केरल सरकार को केन्द्रीय पूल से एक लाख टन चावल की आवश्यकता है। केरल के मुख्य मंत्री इस आशय का एक आप्पतिक संदेश केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री को पहले ही भेज चुके हैं। यद्यपि केन्द्रीय कृषि मंत्री ने उत्तर भारत से एक लाख टन चावल भेजने का वचन दिया है किन्तु आज तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। तथापि दो त्यौहार अर्थात् रम जान और ओणम आने वाले हैं। इसलिये केरल के मुख्य मंत्री ने 15 अगस्त से पहले आन्ध्र के केन्द्रीय पूल से एक लाख टन चावल भेजने के लिये कहा है। अतः मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस अविलम्बनीय महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दें तथा केरल सरकार की प्रार्थना स्वीकार करें। मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करें।

सभापति महोदय : सम्बन्धित मंत्री महोदय के उत्तर देने में कोई बाधा नहीं है लेकिन नियमों के अनुसार वे उपस्थित होने या उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं।

(पांच) उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को चीनी सप्लाई

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में सस्ते दाम की दुकानों पर चीनी का घोर अभाव हो गया है। वैसे तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चीनी की आपूर्ति भी संतोषजनक नहीं रही परन्तु इस समय प्रदेश में चीनी की मात्रा बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार केन्द्र सरकार से अधिक चीनी मांगे जाने पर भी अभी तक चीनी भेजे जाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

आयात की गई चीनी का जो कोटा उत्तर प्रदेश को दिया गया है उसे भी प्रदेश में ले आने में कठिनाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वह बन्दरगाहों से अपना कोटा उठा कर ले जाए। बन्दरगाहों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कोई साधन नहीं हैं। केन्द्र सारकार को चाहिए कि वह अपने साधनों से चीनी उत्तर प्रदेश में पहुंचाये। यदि ऐसा नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार का खर्चा बहुत बढ़ जायेगा और इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साथ ही साथ काफी देर भी होगी।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त मात्रा में और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार चीनी वहां पहुंचाई जाए। कुछ ही दिनों में मुसलमानों का ईद का त्यौहार आ रहा है यदि चीनी शीघ्रातिशीघ्र नहीं पहुंचाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बिना सैवइयों और चीनी के ही ईद गुजारनी पड़ेगी।

(छ;) नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आमरण अनशन का समाचार

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : नेशनल फैडरेशन आफ ब्लाइंडमैन के अनेक प्रतिनिधि अपनी रोजगार समस्याओं के हल किये जाने हेतु प्रधान मंत्री निवास के बाहर आमरण अनशन पर हैं सरकार ने अनेक आश्वासन दिये हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं किया। यहां तक 18 मार्च, 1980

को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लठी-चार्ज किया गया। प्रधान मंत्री ने स्वयं तीन महीनों में उनके समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया था किन्तु तब से अब तक कुछ भी नहीं किया गया और भूख हड़ताल करने के अतिरिक्त उनके पास कोई शस्ता नहीं रह गया। उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनकी मुख्य मागें हैं कि एक वर्ष या इससे अधिक समय से विशेष रोजगार कार्यालय में दर्ज सभी अन्धे व्यक्तियों को तुरन्त उपयुक्त रोजगार दिया जाये और उपरोक्त की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग बनाया जाये।

यह एक मानवीय समस्या है और सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

मैं सरकार और विशेष रूप से प्रधान मंत्री का ध्यान उनकी मांगों को पूरा करने की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि भूख हड़ताल वापस ली जा सके और अंधे व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार मिल सके।

(सात) कालेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की समस्यायें

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : हमारे देश के एक लाख से अधिक कालेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राध्यापक संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ ने अपनी मांगों के समर्थन तथा शिक्षा के क्षेत्र में समान्य रूप से और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिये आज 4 अगस्त 1980 को संसद के समक्ष एक विशाल प्रतिनिधि मण्डल का आयोजन किया है। विगत में सक्षम प्राधिकारियों के साथ विभिन्न विचार विमर्श उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके।

हमारे देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं।

(1) कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वर्तमान वेतनमानों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण।

(2) भत्तों और परिलब्धियों के मामले में राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विद्यमान विषमताओं को दूर करना तथा निर्वाह-व्यय सूचकांक में पूर्ण वृद्धि को निष्प्रभाव करना।

(3) सभी प्राध्यापकों के लिये सेवा की कानूनी सुरक्षा।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी. ए. बी. तथा योजना आयोग के शिक्षा पेनल में विश्वविद्यालय तथा कालेज को प्राध्यापक संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का प्रतिनिधित्व।

(5) लाइब्रेरियनों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिये लेक्चरार का वेतनमान तथा डिमान्सट्रेटरों और ट्यूटरों का ग्रेड बढ़ाना।

(6) कालेजों और विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध और प्रशासकीय निकायों का लोक तंत्रीयकरण।

(7) शिक्षा के दूसरे और तीसरे चरण के लिये प्राध्यापकों का समान संवर्ग।

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालयों और कालेज प्राध्यापकों संगठनों के अखिल भारतीय महासंघों की अत्यन्त न्यायोचित मांगों पर अविलम्ब विचार करे तथा हमारे देश के कालेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की गंभीर समस्याओं का शीघ्र हल खोजने के लिये सभी उपयुक्त कदम उठायें।

(आठ) कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था के खराब होने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ऐसे समाचार हैं कि गत सप्ताह के अन्त में संचार

मंत्री श्री सी. एम. स्टीफन कलकत्ता गये थे। उन्हें पता लगा कि कलकत्ता के अनेक टेलीफोन प्रयोक्ताओं को बहुत परेशानी हो रही हैं क्योंकि अनेक टेलीफोन या तो काम ही नहीं करते या यदाकदा ही काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बार यह स्वीकार किया गया है कि कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था में तकनीकी दोष है। कभी-२ तो टेलीफोन निरंतर दोष रहने तथा ध्यान न दिये जाने के कारण निष्प्रयोजन हो गये। टेलीफोन एक डरावना स्वप्न हो गया है क्योंकि काम न करने वाले टेलीफोनों के लिये भी ग्राहकों को बहुत बड़ी रकमों के बिल भेजे जाते हैं। संसद सदस्यों के मामले में भी ऐसा हो रहा है।

एक प्रयोक्ता टेलीफोन तथा कुछ निर्धारित संख्या की कालों के लिये किराये के रूप में लगभग 400 रुपये देता है। अधिकारी इस बात को भूल जाते हैं कि टेलीफोन काम करने की हालत में होना चाहिये निष्क्रिय नहीं और तब ही वे किराया ले सकते हैं।

टेलीफोन, विशेष रूप से जन उपयोग के कार्यों तथा संगठनों के लिये, एक सभ्य समाज का अभिन्न अंग हो गये हैं, जब इतनी अधिक शिकायतें हैं, तब संचार मंत्री ने प्रयोक्ताओं से मिलने तथा टेलीफोनों को सुधारने के स्थान पर कलकत्ता में कहा, "यदि आपको टेलीफोन नहीं चाहिये, तो वापस कर दीजिये"

अनेक मामलों में न्यायालयों ने टेलीफोन अधिकारियों पर रोक लगाई है। संचार मंत्री को सभा के समक्ष अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण देना चाहिये।

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : सभापति महोदय.....

सभापति महोदय : उनका न केवल यहां उपस्थित होना बल्कि उत्तर देना आपके प्रति उनके सम्मान को प्रदर्शित करता है।

श्री सी. एम. स्टीफन : श्रीमन्, मैं हमेशा उनका आदर करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे मेरे पुराने मित्र हैं।

श्री सी. एम. स्टीफन : श्रीमन् में उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर यह मामला उठाया क्योंकि इससे मुझे गत सप्ताह राज्य सभा में उठाये गये इस प्रश्न—कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था—का स्पष्टीकरण करने का अवसर मिला है। राज्य सभा में एक सदस्य ने मांग की थी कि यदि कोई टेलीफोन कुछ समय के लिये काम नहीं करता है, तो उसी अनुपात में किराया वापस किया जाना चाहिये और प्रयोक्ता को छूट दी जानी चाहिये। इस पर मैंने कहा था कि यह कोई संविदा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया और मैंने राज्य सभा में कहा कि यदि टेलीफोन इसी आधार पर चाहिये, तो टेलीफोन नहीं मिलेगा। ये उनकी अपनी पसन्द है चाहे टेलीफोन रखें या वापस कर दें। केवल इतनी सी बात है।

जब मैं कलकत्ता गया, तब ये प्रश्न फिर उठा और मैंने पुनःस्थिति स्पष्ट की और छूट दिये जाने की माँग की पृष्ठ भूमि में कहा .....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप बहुत गुस्से में थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : नहीं मैं गुस्से में नहीं था।

रियायत की मांग की पृष्ठभूमि में मैंने कहा था कि इस आधार पर टेलीफोन सेवा नहीं मिल सकती और यदि इसे आधार माना जाये तो उन सदस्यों को चाहे जहां भी हो, टेलीफोन वापस करने होंगे। अगले दिन सामाचार पत्रों में आया कि यदि टेलीफोन सेवा असंतोषजनक है

तो टेलीफोन वापस कर दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मैने प्रेस सम्मेलन में बुलाकर उन्हें पृष्ठभूमि बतायी।

यदि शिकायत यह है कि सेवा संतोषजनक नहीं है तो मेरा कहना यह है कि काफी कठिनाइयां हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे संतोषजनक बनायें। हमारी जिम्मेवारी है कि कठिनाइयां दूर करें और हम जिम्मेवारी समझते हैं।

कलकत्ता में भी मैने स्पष्ट किया कि तीन चीजें है—(1) कुछ बातें हमारे बस से बाहर हैं (2) कुछ बातें जैसे त्रुटियां दूर करना हमारे बस में हैं लेकिन उनमें समय लगेगा (3) कुछ बातें जिन्हें तुरन्त दूर किया जा सकता है जैसे गड्ढे खोदना तारें काटना, ऐसे ही कार्य भी जा रहे हैं। कई बार तारों की चोरी हो जाती है जो हमारे बस के बाहर की बात है।

पुरानी मशीनों और पुरानी तारों को बदलना जरूरी है। हम यह कार्य कर रहे हैं।

इन सबके बावजूद मेरा विचार है कि इन बाधाओं के होते हुए भी श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा भरसक प्रत्यन किया जाये तो सुवा सुधर सकती है। मैंने कर्मचारियों और अधिकारियों को बुलवाकर बात की और उन्हें बताया कि लोगों के प्रति हमारा भी कर्त्तव्य है। टेलीफोन करने की बात तो मैंने रियायत के सन्दर्भ में कही थी, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने स्पष्ट किया कि विश्व में टेलीफोन सेवा के बारे में कहीं भी गारंटी नहीं और कई बार वे "डैड' हो जाते हैं और उनमें त्रुटि दूर की जाती है। मौसम के अनुसार उसमें समय लग सकता है और तार बदलनी होती है।

कलकत्ता में यदि टेलीफोन खराब हो जाता है तो हमें सरकार या निगम की अनुमति लेकर सड़क खोदनी पड़ती है। इसमें समय लगता है। पर सरकार सहयोग कर रही है। सारे नगर को भूगर्भीय रेल चलाने के लिए खोदा जा रहा है। सभी को पता है कि तार को कोई भी काट कर ले जा सकता है। यह समस्या है। इसके बावजूद भी मेच्योर होने पर प्रतिदिन 11000 ट्रंक टेलीफोन, $2\frac{1}{2}$ लाख स्थानीय कॉल मेच्योर तथा $1\frac{1}{2}$ लाख एस टी डी मेच्योर होने पर, कलकत्ता में लगाये जा रहे हैं। इस से भी अधिक कार्य हो सकता है, यदि प्रयास अधिक किये जायें। मेरा वहां जाने का प्रयोजन यहीं था। मैंने कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की और मर्चेंट चेम्बर्स से भी मुलाकात की तथा उन्हें बात स्पष्ट की। मैं अपने मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु और कलकत्ता के अपने अन्य मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कथन में कोई बुरा इरादा न था। मैं कोई चुनौति नहीं दे रहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मामले को उघाला भी न जाये।

श्री सी. एम. स्टीफन : यह भी नहीं। समाप्त करने से पहले मैं बसु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री स्टीफन वकील हैं। वह जानते हैं कि टेलीफोन ठीक रखने के लिए ही एक व्यक्ति 200 रु० देता है। पर यदि तीन मास में 2 मास वह खराब रहे तो वह कैसे किसी व्यक्ति क किराये के रु० देने को कह सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है।

श्री सी. एम. स्टीफन : बात साफ है। यदि 16000 टेलीफोन खराब हो जाते हैं तो मेरे आदमी उन्हे ठीक करने के लिए अधिक प्रयत्न करेगे। पैसा जो दिया गया है, उसे वापस तो नहीं किया जा सकता। वापस की जाने वाली राशि का अनुमान लगाया जा सकता। ऐसा तो कभी नहीं होता।

सभापति महोदय : आशा है आप माननीय सदस्यों के अनुरोध पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

यदि प्रेस आपका वक्तव्य गलत न छापता तो यह प्रश्न नहीं उठता। आशा है आपका यह स्पष्टीकरण ठीक ठीक छापा जायेगा और जो आपने यहां कहा है उसमें शुद्धि की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री सी०एम० स्टीफन : हम भेदभाव नहीं करते। श्रीमती साही ने भी कुछ बात कही थी। उस पर भी ध्यान दिया जाये। वह समाचार पत्रों में नहीं आई। केवल श्री बसु द्वारा दी गई सूचना का जिक्र है। मैं श्रीमती साही को विश्वास दिलाता हूं कि मामले पर विचार हो रहा है। यदि उनका कहना सही है तो यह एक भूल है जिसे दूर किया जायेगा।

सभापति महोदय : अब अगली मद पर विचार करें।

श्री राम जेठमलानी : इससे पहले मुझे 377 के अधीन मामला उठाना है। माननीय अध्यक्ष ने मुझे इसे उठाने की अनुमति दी है। मैं उन्हें उनके चेम्बर में मिला था।

सभापति महोदय : आप बोलना चाहते हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं 377 के अधीन बात करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह कल की कार्य सूची में शामिल है।

श्री राम जेठमलानी : आप कृपया मुझे आज अवसर दे दें।

सभापति महोदय : मुझे पृष्ठभूमि का पता नहीं। वह कल की कार्य सूची में है। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

रेल अभिसमय समिति के बारे में संकल्प-जारी

सभापति महोदय : अब हम रेल अभिसमय समिति सम्बन्धी संकल्प पर आगे विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, रेलवे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिस पर 5,023·9 करोड़ रुपये का कैपिटल एट चार्ज है और आज तक का टोटल इनवेस्टमेंट 6,185·7 करोड़ रुपये हैं। इसमें करीब 15 लाख आदमी काम करते हैं। आप उस देश की हालत का अन्दाजा लगा सकते हैं, जिसमें 1950 से लेकर 1980 तक तीस सालों में कुल 7500 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। कहा जाता है कि रेलवे हमारी लाइफ-लाइन है और हमारी समृद्धि का प्रमुख साधन है, मगर इन फिगर्ज से मालूम होता है कि रेलवे का काम किस गति से आगे बढ़ रहा है।

आज रेलवे का मैनेजमेंट कैसा है ? उसमें डैमेजिज और लासिज के रूप में हमको हर साल करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। जहां तक रेलवे के एक वैगन के एक दिन के यूटिलाइजेशन का सम्बन्ध है, वह जापान में 92·4 किलोमीटर और अमरीका में 81·7 किलोमीटर है, लेकिन भारत में वह केवल 70·3 किलोमीटर है।

मैं रेलवे मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का यह सबसे बड़ा राजकीय उपक्रम कई सालों से बराबर घाटे में चल रहा है। आज तक उसमें निरन्तर घाटा ही घाटा नजर आ रहा है। प्रश्न यह है कि उसमें हर साल करोड़ों रुपये का घाटा क्यों हो जाता है। यह घाटा 1966-67 में 18.2 करोड़, 1967-68 में 31.53 करोड़, 1968-69 में 7·86 करोड़, 1969-70 में 9·83 करोड़ और 1970-71 में 19·84 करोड़ रुपये था। मैंने पिछले दस साल के आंकड़े देखे हैं। हर साल घाटा होता है। पीछे दो सालों में मुनाफा हुआ है।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : 1976 का भी बताइये ।

श्री मूल चन्द डागा : 1976 में मुनाफा हुआ है । वह एफिशेंसी के कारण हुआ ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : किसी भी कारण से हुआ, वह क्यों नहीं बताते हैं । उस उक्त मैं रेलवे मिनिस्टर था ।

श्री मूल चन्द डागा : हिन्दुस्तान में 30 सालों में केवल 7500 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है । मैं एक बात कहता हूं कि जो पब्लिक अंडर टेकिंग्स कमेटी की या और दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट हैं उनका अनुपालन रेलवे नहीं करता । आप देखें कि आप कितना लास उठाते हैं हर साल । रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा आफिसर्स हैं 7446 और उनकी परसेंटेज ज्यादा है । इस विभाग के अंदर एमेनिटीज के लिए रुपया दिया जाता है, हाउस फैसिलिटीज के लिए रुपया दिया जाता है । फिर भी रेलवे में घाटा किस कारण से होता है । यह आप देखें तो आप को मालूम पड़ेगा कि कम्पेन्सेशन में रेलवे को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है । रेलवे दुर्घटनाएं 77-78 में 866 हुई और उसके बाद 1978-79 में 931 हुईं 1977-78 394 व्यक्ति इसमें घायल हुए और 153 मरे । उसके अन्दर आपको कम्पेन्सेशन देना पड़ा । तो ये जो रेलवे के खर्च हैं जिसमें करोड़ों रुपये कम्पेन्सेशन में देने पड़ते हैं, पिल्फ्रेज होता है, चोरियां होती हैं, डकैयिां होती हैं, लोग मरते हैं और इसकी वजह से रेलवे को कितना घाटा होता है । करोड़ों रुपये तो हर साल आपको कम्पेन्सेशन में देने पड़ते हैं । बाकी और आँकड़े बताकर मैं समय नहीं लूंगा ।

मेरा यह कहना है कि रेलवे की एफिश्येंसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता । आज हम बोनस देने को तैयार हो गए । देना चाहिए । खूब दीजिए रेलवे वालों को । लेकिन जो रेलवे के बारे में पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी और दूसरी कमेटियों ने रिपोर्ट दी है उसको अगर कोई देखे तो कहेगा भागवान ही मालिक है जब रेलवे में इस तरह से भ्रष्टाचार है, पिल्फ्रेज है, चोरियां है, स्टोरेज में लास है । यह 1978-79 की लेटेस्ट रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि रेलवे की लाखों रुपये के घाटे में उसके अधिकारियों ने डाल दिया । अगर मैं उन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ूं तो उसमें बहुत समय लग जाएगा । लेकिन पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है उससे मालूम होता है कि रेलवे अधिकारियों ने कितने रुपये का घाटा जानबूझ कर अपने खुद के लाभ के लिए करा दिया । तो उनमें से किसी एक के खिलाफ़ भी कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ ? 70 लाख रुपये का एक आफिसर ने आर्डर नहीं दिया और यह एक कम्पनी से माल खरीदने के सम्बन्ध में हुआ । इतना बड़ा घाटा रेलवे को उठाना पड़ा । तो इस प्रकार से जो आपका रेलवे का ऐडमिनिस्ट्रोशन चलता है उस पर आप गौर फरमायें । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में जो उन्होंने चार बातें दी हैं उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई या यों ही यह रेलवे बोर्ड बैठा है चुपचाप ? रेलवे बोर्ड के काम के सम्बन्ध में यह रेलेवे कन्वेंशन कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने रेलवे बोर्ड पर अपने ब्यूज दिए हैं और बतलाया है कि रेलवे बोर्ड का क्या काम है, क्या इसके फंक्शंस हैं, किस प्रकार वह काम करता है । मैं थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूं :

"समिति को यह देखकर खेद हुआ कि रेल प्रशासन के प्रतिदिन के मामले के संबंध में रेल प्रयोक्ता द्वारा रेलवे बोर्ड को प्रति वर्ष 33000 और रेल कर्मचारियों द्वारा 50000 तक प्रतिवेदन

दिये जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि रेल प्रयोक्ताओं के और कर्मचारियों के प्रतिवेदन पर तुरन्त क्षेत्रीय स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता"

कन्वेन्शन कमेटी ने पावर्स डेलिगेट करने के लिए कहा था लेकिन उस पर भी कोई कंपलायन्स नहीं की गई। रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने अपनी फोर्थ रिपोर्ट में लिखा है :

इस सम्बन्ध में समिति इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहती है कि रेलवे बोर्ड में अत्यधिक कर्मचारियों की संख्या के बारे में संसद की दोनों सभाओं में आलोचना होती रहती है। इस बारे में कुछ खास नहीं किया गया है। यह समिति का प्रतिवेदन है।

हमारी क्या पर्फार्मेन्स है ? आप मानेंगे कि इतनी बड़ी पब्लिक अण्डरटेकिंग होने के बाद भी इस प्रकार से काम होता रहे तो फिर ठीक है, आप बजट बनायेंगे उसमें फेयर्स बढ़ाइये लेकिन यह जो रेलवे ट्रैफिक इंक्वायरी कमेटी की रीसेन्ट रिपोर्ट है इसमें उन्होंने कहा है :

अधिकांश विकसित देशों की अपेक्षा भारतीय रेलों में परिसम्पदा का बेहतर उपयोग होता हैं। लेकिन चीन और सोवियत संघ की रेलों से तुलना करने पर लगता है कि काफी सुधार की गुंजाइश है"।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमसे कुछ भी कहला लें लेकिन मैं तो कहता हूं गवर्नमेन्ट को दस साल के लिए डिवीडेन्ड नहीं लेना चाहिए और रेलवे को रेलवे लाइन बनानी चाहिए जिसकी मांग हो रही है। रेलवे लाइनों के साथ साथ रेलवे एफीशिएन्सी भी बढ़नी चाहिए, करप्शन भी दूर होना चाहिए और रेलवे का जो काम करने का तरीका है वह भी अच्छा होना चाहिए। इस रिपोर्ट में बतलाया गया है :

भारत के एक गरीब देश होने के नाते जहां पूंजी एक दुर्लभ स्रोत है, यह अवांछनीय है कि उपक्रम में निवेशित पूँजी पर लाभ न कमाया जाये। समिति अनुभव करती है कि सामान्य कुशलता के ढंग से कार्य करते हुए रेलों को प्रभारित पूंजी पर 10 प्रतिशत लाभ कमाना चाहिये।

उन्होंने दो बातें बतलाई हैं। एक तो सवर्वन ट्रेन्स जो चलती हैं उनमें घाटा होता है, मेहरबानी करके आप उस घाटे को बसूल कीजिए सीजनल टिकट से लास होता है, उसको भी रिकवर करना चाहिए। केवल शहर वाले लाभ उठायें—ऐसा नहीं होना चाहिए।

जैसा मैंने शुरू मे कहा, डिविडेण्ट को दस साल के लिए बन्द कर देना चाहिए और पिछड़े इलाकों में तथा दूसरी जगह रेलवे लाइनें बनाई जानी चाहिए। अहमदाबाद से दिल्ली तक अगर ब्राडगेज बना दी जाए तो उससे बहुत लाभ पहुंचेगा। एक तो उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और दूसरे देश की संस्कृति का आपस में मेल होगा। इसलिए दस साल तक डिविडेन्ड बन्द कर केरेलवे लाइनों के विकास की गति को तेज किया जाना चाहिए।

अन्त में एक प्रार्थना और करूंगा कि यह आपकी खुद की रिपोर्ट है कि सर्विस में एफीशिएन्सी आनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि 1976 का जो आपका रेलवे का रिकार्ड है उसी के अनुरूप कदम उठाकर रेलवे में एफीशिएन्सी लाई जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चिन्तामणि जेना।

श्री कमलापति त्रिपाठी : महोदय, वह तो पहले ही बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : श्री जेना क्या आप बोल चुके है।

श्री चिन्तामणि जेना—जी नहीं।

सभापति महोदय : "चिंतामणि' नाम से दो अलग-अलग व्यक्ति हैं। चार या पांच व्यक्ति चाहे एक ही विषय पर बोलना चाहें लेकिन वे अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए। अब आप संक्षिप्त रूप में बोलें।

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : सभापति महोदय मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किये गए दो संकल्पों का समर्थन करता हूं। इस संबंध में रेल मंत्री और इस पावन सभा के विचारार्थ दो बातें रखता हूं।

रेलवे ने कर्मचारियों को बोनस देने की बात सिद्धांत रूप में मान ली गई है। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपक्रम है। मैं रेल कर्मचारियों को बोनस देने की बात मानता हूं लेकिन मेरा कहना है कि उच्च अधिकारियों को बोनस न दिया जाये।

इसके साथ-साथ श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। यह उन पर बहुत अन्याय है और अवांछनीय है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इस पर ध्यान दें। रेल मंत्री जी हमारे पत्रों का उत्तर देते हैं लेकिन आप हैरान होंगे कि जब हम उच्च अधिकारियों को पत्र लिखते हैं तो वे संसद सदस्यों को जवाब तक नहीं देते।

सभापति महोदय : लेकिन रेल मंत्री तो हमारे पत्रों का पूरा पूरा जवाब देते हैं।

श्रीचिंतामणिजेना : मैं रेल मंत्री जी का ध्यान रेलवे में भारी प्रशासनिक व्यय की ओर दिलाता हूं मेरा अनुरोध है कि गत दो-तीन वर्षों में विभाग में उच्च अधिकारियों की संख्या में हुई वृद्धि पर ध्यान दें। विशेष रूप से खुर्जा और खड़गपुर प्रभाग की ओर विशेष ध्यान देंगे। डिवीजनल प्रबंधक की पद वृद्धि की गई है और बहुत से उपमहा प्रबंधक तथा सहायक महा प्रबंधक हैं लेकिन कार्य बहुत असन्तोष जनक है। आप बताये कि श्रेणी तीन और चार के कितने कर्मचारी इस डिवीजन में रखे गये हैं।

अंत में मैं वैगनों को लाने ले जाने की बात करता हूं जब हम वैगनों को अलाट करने की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि चूंकि यह बात प्रथम श्रेणी में नहीं आती इसलिए उसे माना नहीं जा सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन इस बात को समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि कुछ प्रकार की चीजों के लिए अन्य स्थानों पर वैगनों को एलाट करने में प्राथमिकता दी जाती है। मंत्री जी कृपया इसकी जांच करें। कुछ वस्तुओं के लिए जो पहली श्रेणी में नहीं आती अन्य स्थानों पर वैगन देने में प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में मैं मंत्रीजी का ध्यान साल पत्तों और 'सबाई रोण की ओर दिलाता हूं। जो प्रथम श्रेणी में नहीं आते लेकिन मेरा कहना है कि चूंकि इन्हें गरीब आदिवासी तैयार करते हैं जिनके जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं इसलिए इन्हें ले जाने के लिए प्रथम श्रेणी में मानना चाहिये और वैगनों के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लाभांश और बोनस कर्मचारियों को देने के मामले में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाये। वे प्रतिदिन बोनस के लिए 12,10 या 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन उच्च अधिकारी केवल 6 से 8 घंटे तक काम करते हैं और बहुत ही सुविधाएं मिलती हैं।

काफी लम्बे समय से भर्ती किये गये गैंगमैनों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को स्थाई नहीं किया गया हैं रेल बजट पर अपने उत्तर के समय मंत्रीजी ने इस बात पर जोर

दिया था और विश्वास दिलाया था कि वह मामले की जांच करेंगे लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस बात को प्राथमिकता दी जाये।

श्री टी०आर शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं मंत्रीजी के विचारार्थ निम्नलिखित थोड़े सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली यह कि 600 से अधिक भारतीय रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ और दूसरी यह कि बहुत-सी रेलवे लाइनें जो पहले अलग-अलग निकायों के नियंत्रणाधीन थीं, उन्हें भी भारत सरकार के अधीन लाया गया। रेलवे प्रशासन अब केवल सरकार के अधीन है, यह वास्तव में एक भारी बात है।

रेलवे प्राधिकारियों को कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। पहली बात यह है कि हमारे यहां भिन्न प्रकार (गेज) की लाइनें हैं यथा बड़ी लाइन, मीटर गेज और छोटी लाइन जो बहुत खर्चीली व्यवस्था है। इन लाइनों को एक ही किस्म की लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए, रेल डिब्बों को भी जो कतिपय मामलों में बहुत ही खराब हालत में हैं, सुधारने के लिए अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए और रेलवे यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए

अब इस बात पर विचार करना है कि भारत सरकार के राजकोष को कितना लाभांश देना होगा और उसे निर्धारित कैसे किया जाएगा। रेलवे में बहुत से सुधार एवं विकास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा रेलवे लाइन अब एक-सी बनाई जा रही हैं, यह भी आवश्यक है कि कई स्थानों में रेलवे उपरिपुलों तथा निचले पुलों का भी निर्माण किया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है जिसे आरम्भ किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में विद्युत रेलगाड़िया चालू करके रेलवे लाइन को परिवर्तित करना बहुत आसान है। रेलवे बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिए कि सभी त्रुटियां दूर की जायें और रेलवे प्रशासन के कार्यकरण में मितव्ययता बरती जाये।

आप रेल-भाड़ा बढ़ा चुके हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को लाये ले जाये जाने वाले माल का भाड़ा बहुत अधिक है। यदि इसे और अधिक बढ़ाया गया तो वह सामान्यतया आम आदमी के हित में नहीं होगा, इसलिए अब अतिरिक्त आय रेलवे भाड़े बढ़ाकर प्राप्त नहीं की जानी चाहिए, उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन में मितव्ययता करके रेलवे खर्च को कम करके और रेलवे प्रशासन का कुशल कार्यकरण से।

यदि अधिकतर रेलवेज को नयारूप दिया जाये और यात्रियों को और अधिक सुख-सुविधाएं दी जायें तो बहुत लाभदायक होगा। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह सच है कि सरकार को कुछ लाभांश प्राप्त करना होता है क्योंकि यह एक बड़ा उपक्रम है। फिर सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जो रेलवे तथा उसके ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माल भाड़ा और यात्री किराया किसी प्रकार असामान्य तौर पर बढ़ाए बिना यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेलवे प्रशासन में कुशल कार्य संचालन द्वारा और रेल गाड़ियों को ठीक समय पर चलाकर पूरी मितव्ययता बरती जाए। यदि ऐसा कुशलता से तथा मितव्ययता पूर्वक किया जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि रेलवे बोर्ड लोगों पर भारी बोझ डाले बिना अपना प्रशासन आराम से चला लेगा। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को आरम्भ किया जाए।

और जल्दी पूरा किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी पहलुओं पर जिन्हें मैंने अभी आपके समक्ष स्पष्ट किया है विचार करेंगे।

एक चीज और है। दरों के पुनरीक्षण के मामले में कोई निर्णय लेते से पहले यह आवश्यक है कि आप यात्रियों के प्रतिनिधियों, व्यापारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करें। उनकी राय मालूम करने के बाद ही अन्तिम निर्णय लेना उचित है। जल्दी में लिया गया कोई निर्णय ज्यादा लाभप्रद नहीं हो सकता।

अन्त में मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि माल भाड़ा तथा यात्री किराया दरों में कोई अनावश्यक वृद्धि न की जाए। यह सच है कि रेलवे को चलाने के लिए कुछ वृद्धि आवश्यक है किन्तु लोगों पर कोई अनुचित भारी बोझ नही लादा जाना चाहिए ! काम तो करना ही है, इसलिए मैं रेलवे मंत्री जी से जोरदार अपील करता हूं कि यदि कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करनी है तो उसे रेलवे प्रशासन में केवल मितव्यता बरत के और उसके कुशल कार्यकरण से हासिल किया जा सकता है और न कि माल-भाड़ा और यात्री किराए में वृद्धि करके।

धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : इस संकल्प का समर्थन करने में मैं अन्य सदस्यों के साथ हूं। इस समिति का वित्तीय पहलू अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा। तथापि मैं कुछ बातों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिन पर वह विचार करे। रेलवे से दक्षिण की यात्रा करना बहुत खतरनाक हो रहा है, इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल में आवश्यक वृद्धि की जानी चाहिए।

पश्चिम घाट रेलवे काफी हद तक दक्षिण के विकास में मदद देगी, मैं जानता हूं इस मामले में कार्यवाही तो शुरू हो चुकी है किन्तु गति बहुत धीमी है।

मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया कि नारगोरकाइल और थिरुनवेल्जी लाइन पर अभी गाड़ियां चलनी शुरू नहीं हुई हैं यद्यपि उसे बड़ी लाइन में बदला गया है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है केरल में मलावार की ओर रेलवे लाइन का विकास। यह उपेक्षित क्षेत्र है, इसे मंत्री जी की विशेष ध्यान की अपेक्षा है।

पालघाट में रेल सवारी डिब्बा निर्माण कारखाने के बारे में निर्णय मंत्री जी के विचाराधीन है। हमें आशा है इस मामले में भी अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक केरल में रेलवें विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इसके लिए वहां काफी क्षमता है। वहाँ बिजली आवश्यकता से अधिक है, अपेक्षित जनशक्ति भी वहां है। इन बातों पर विचार किया जाए और इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

रेलवे स्टेशन पर कुलियो की हालत की ओर मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना है। इस काम में हजारों कुली कई वर्षों से लगे हुए हैं किन्तु कोई सुरक्षा नहीं है। उनका जीवन बहुत दयनीय है। इन लोगों के लिए कोई लाभकारी योजना बनाई जानी चाहिए।

गुरुवायूर तक रेलवे लाइन पहले ही विचाराधीन है। सर्वेक्षण किया जा रहा है। शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

कोचीन से मदुराई तक रेल लाइन पहली पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश इसे समाप्त कर दिया गया।

मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री ज़ी अगले बजट में हमारे कुछ अनुरोधों को अवश्य मंजूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमतीकृष्णासाही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री ने जो संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हम सब जानते हैं कि रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी उद्योग है। एशिया में इसका स्थान प्रथम है, यदि मैं यह कहूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे संसार में संभवतः इसका स्थान चौथा है। जब यह इतना बड़ा सरकारी उपक्रम है, तो इसका दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। इसकी सक्षमत के आधार पर देश में औद्योगिक वातावरण पैदा किया जा सकता है। आज जब सब सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, तब यदि रेलवे अपनी सक्षमता को सावित करता है, तो वह अन्य सभी उद्योगों से लिए एक आदर्श उपस्थित करता है।

जहां तक रेलवे उपक्रम का लाभांश सामान्य राजस्व में देने की वात है, आज इस पर प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है कि क्या इस लाभांश से रेलवे की और उन्नति की जाये, और विकास किया जाये, या इसको सामान्य राजस्व में दिया जाये। जिन पिछड़े इलाकों में आज भी रेलवे लाइन नहीं है, वहां नई लाइनें विछायी जायें हमारी उन्नति के लिए यातायात के साधन ही इनफ्रा-स्ट्रक्चर है, जिसके विना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आखिर सब जगह हवाई जहाज नहीं जा सकते हैं। रेल ही एक ऐसा साधन है, जो गांव तक भी पहुंच सकता है।

अभी बहुत खुशी की बात है, मंत्री महोदय का वक्तव्य कल मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को रेल की सुविधा देने के लिए, यातायात बढ़ाने के लिए वैगन बनाने की क्षमता को और बढ़ाया जाय, जैसे पहले अगर 8 हजार से कुछ ज्यादा वैगन तैयार होते थे तो अब 15 हजार किए जाएंगे। इस ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, संभवतः उनको जानकारी भी होगी कि मौकामा में एक बहुत बड़ा वैगन का कारखाना है जो कि अपना एक स्थान रखता है और उसकी क्षमता भी काफी अच्छी है। यदि मंत्री महोदय उस तरफ ध्यान दें और उद्योग विभाग के साथ कोआडिनेशन करके उस फैक्ट्री की उन्नति और उसका विकास किया जाये तो वहाँ जो हमारा टार्गेट है उसमें उसका एक अंश योगदान हो सकता है अभी हम वैगन्स के उत्पादन में पीछे रह गए हैं, उस टार्गेट को भी एचीव कर सकते हैं यदि पूरी तरह उसका एक्सपेंशन किया जाए। पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद् तक उसमें हमें सहयोग मिल सकता है। आज पावर प्लान्ट्स के लिए कोयला ढोना है या जहां सूखा पड़ा है वहां अनाज पहुंचाना है, सभी जगह की तमाम तरह की मांगें हैं उनको उससे पूरा किया जा सकता है। इन सब सामानों को ढोने के लिए वैगन की ही जरूरत है। इसलिए ऐसे समय में हमें देखना चाहिए कि रेलवे की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाय और किस तरह से उस क्षमता का सदुपयोग किया जाय।

अभी रेलों के आधुनिकीकरण की जरूरत है। इस पर बड़ी पूंजी लगेगी। तो क्या यह नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी को उठाया जाय जिस से कि रेलों का आधुनिकीकरण किया जा सके और रेल को एक नया जीवन दर्शन दिया जा सके ?

हम लोग रोज लेवर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, कभी पूंजी की जो उत्पादकता है उसकी ओर भी हमें देखना चाहिए जो कि बहुत आवश्यक है। जो भी सरकारी उपक्रम हैं और

विशेषकर रेलों में जो हमारी पूंजी लगायी जाती है उस पर कैसे हम को लाभ हो यानी प्रोडक्टिविटी आफ कैपिटल जो है इस पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे औद्योगिक नक्शे में जरूर परिवर्तन आएगा और हम जन समृद्धि की ओर जाएंगे।

रेलवे बोर्ड को बहुत से लोगों ने कहा कि एबालिश करना चाहिए। मैं इसको एबालिश करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं कहती हैं कि यह रहे लेकिन इसके कार्यकलापों में परिवर्तन की जरूरत है। पुराने ढंग से चलने वाली जो इसकी पद्धति है और जो उनके काम करने के तरीके हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर जो बहुत ज्यादा खर्चा है उसको कंट्रोल करना चाहिए।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कुछ रियायतें दी जाती हैं उनका सामान ढोने में जिससे 250 करोड़ रुपये का सालाना घाटा होता है। वह जो रियायतें बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी जाती हैं वह नहीं देनी चाहिएं जिससे कि हमारा यह जो घाटा है उसमें कमी आ सके। अब ईस्टइंडिया कम्पनी नहीं भारत में जनता जनार्दन कम्पनी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी बात—बड़े-बड़े सैलून हैं, उनके रख रखाव पर, अखबारों में ऐसा देखा था, कहां तक सच है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जनता की एक प्रतिनिधि होने के कारण इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, उन 'सैलूनों' के रखरखाव पर पचास हजार रुपये खर्च आते हैं और 1500 सैलून हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे यहां जरूरत इस बात की है कि रेलों का आधुनिकीकरण हो, गरीबों को किस तरह से रेल की सुविधा पहुंचाई जाय, यातायात को कैसे बढ़ाया जाये, इन सभी बातों पर हमारे मन्त्री महोदय भी बड़ी गंभीरतापूर्वक सोचते हैं और यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं भी उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं कि क्यों नहीं ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड के कार्यकलापों में भी आमूल परिवर्तन किया जाय और सैलून व्यवस्था को समाप्त किया जाये।

एक बात अन्त में कहना चाहती हूं कि हमारे बिहार प्रान्त से राजधानी के लिए डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अभी तक नहीं है जब कि हिन्दुस्तान के और प्रान्तों की राजधानियों से सीधे, डायरेक्ट सुपर फास्ट ट्रेन यहां आती है, बिहार से कोई ऐसी गाड़ी नहीं आती। इसके लिए हमारी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है, बार-बार हम लोग अनुरोध करते आ रहे हैं, इस बार मुझे भरोसा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि पटना जो बिहार की राजधानी है वहां से एक सुपर फास्ट ट्रेन चलनी चाहिए और जोगबनी से कटिहार की जो लाइन है उस का कन्वर्शन ब्राडगेज में होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं जिसे माननीय रेलवे मंत्री जी ने सभी के समक्ष एक समिति जिसे रेलवे अभिसमय समिति कहा जाता है, स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया है। यह समिति एक अद्वितीय संस्था है जो पिछले कई वर्षों से रेलवे-वित्तों के विशेषकर सामान्य राजस्वों में रेलवे द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की दर अवधारित करने के सम्बन्ध में बहुत लाभप्रद कार्य कर रही है। समिति का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है किन्तु मुख्य रूप से उसकी सिफारिशें वित्त के सम्बन्ध में होती हैं।

जैसा कि नई रेलवे लाइनों की मांग के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं, श्री कृष्ण कान्त की अध्यक्षता में पिछली समिति ने 25 नई रेलवे लाइनों का जिनका निर्माण किया गया, पुनरीक्षण किया और सिफारिश की थी कि देश के सभी क्षेत्रों में और अधिक रेलवे

लाइनें बिछाई जायें। वर्ष 1977 में जब पिछली समिति ने अपना कार्य आरम्भ किया तो उसने अपने तत्काल ध्यान के लिए चार विषयों का चयन किया जो निम्नलिखित है :

1. भारतीय रेलवे में कर्मचारीवृन्द सम्बन्धी नीति और उसका प्रशासन।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे की भूमिका भविष्य के लिए सापेक्ष महत्व।
3. भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार तथा कदाचार।
4. यात्री-बुकिंग तथा आरक्षण।

पिछली समिति ने भारतीय रेलवे से सम्बन्धित चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं पर दो लाभप्रद प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। इससे प्रदर्शित होता है कि उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसकी सिफारिशों का भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जब डीजल-अर्थव्यवस्था, पेट्रोल-अर्थव्यवस्था, तेल-अर्थव्यवस्था के पैर लड़खड़ा रहे हैं ऐसी स्थिति में देश रेलवे से ही कुछ उद्धार की आशा कर सकता है।

मुझे याद है कि 1976 में जब पंडित जी ने अपना पहला रेलवे बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे को उसकी कठिन परिस्थितियों से उबारना चाहता हूं और जिसकी उम्मीद भी नजर आ रही है। 1976 और 1977 में उन्होंने रेलवे की स्थिति में काफी सुधार किया। किन्तु उसके शीघ्र बाद उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई किन्तु 1980 में जनता ने कांग्रेस (आई) को सत्तारूढ़ करके रेलवे को कठिन परिस्थिति से मुक्ति दिलाई क्यों कि जनता शासन के दौरान कई नई योजनाएं खटाई में पड़ गईं और प्रगतिशील निर्माण कार्य बन्द कर दिये गये।

मैं समझता हूं रेलवे अभिसमय समिति महत्वपूर्ण मामलों को लेगी और रेलवे मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि छटी पंच वर्षीय योजना में जो अभी चल रही है, और अधिक राशि आवंटित करें ताकि रेलवे अभिसमय समिति अपना पूरा ध्यान दे सके। परसों मैं वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरमन से बातें कर रहा था। उन्होंने कहा कि वह नई रेलवे लाइनें खोलने के लिए रेलवे को जितने धन की आवश्यकता हो अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वह उसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। इस मौके का लाभ उठाना चाहिए जब कि वित्त मंत्री रेल मंत्रालय की सहायता करने को तैयार हैं तथा इस पेशकश को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि विकास निधि के लिए धन के आवंटन का विशेष रूप से नई रेल लाइनों के लिए मंजूरी देने और उनके निर्माण का पूर्ण रूप से पुनर्वावलोकन किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री डागा ने कहा है स्वतंत्रता के बाद 32 वर्षों में केवल 7500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है। यह कोई बड़ी उपाधि नहीं है। यदि हम रुपये का मूल्य 19 पैसे मान लें, जैसाकि बताया गया है, तो ज्ञात होगा कि नियतन में कमी आई है। इसलिए रेल लाइनों के निर्माण पर अधिक राशि खर्च किये जाने की आवश्यकता है ताकि उन सब राज्यों और क्षेत्रों में जहां रेल लाइनों का विस्तार नहीं हो पाया है। रेल लाइनों का विस्तार हो सके।

मैं उन सब माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए नई रेल लाइनों की मांग की है, हालांकि इसके लिए यह उचित अवसर नहीं है। यह वाद विवाद रेल अभिसमय समिति के बारे में है तथा यह नई रेल लाइनों की मांग करने का अवसर नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की नई रेल लाइनों की मांग का समर्थन करता हूं। रेल लाइनों का निर्माण

इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश से केरल तक और अरुणाचल से गुजरात तक सब क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण हो तथा उन क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये जिनमें रेल लाइनों का निर्माण नहीं हुआ है जब यह 7500 किलोमीटर रेल लाइन विछाई गई। मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नागल-तलवाड़ा रेल लाइन की मंजूरी देने का बचन दिया है, जिसका 1974 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र द्वारा उद्घाटन किया गया था।

भारतीय रेलवे को बहुत भारी वहन करना पड़ता है। इन भारों में से एक भार सामाजिक भार है। यह भार बहुत अधिक है और इसके लिए अन्य देशों में सामान्य राजस्व से योगदान दिया जाता है। हमारी रेलों को भी इसके लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम हमारी रेलवे छात्रों तथा अन्य वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तो सामान्य राजस्व और सामान्य बजट से भी उसे अंशदान मिलना चाहिए।

महोदय इन शब्दों के साथ और इस अनुरोध के साथ कि रेल सेवाओं को और वेहतर बनाया जाये, मैं रेलवे बोर्ड के सदस्यों, विशेषकर अधिकारियों, जो कि रेल लाइनों के निर्माण, रखरखाव और रेल संचालन के उत्तरदायी हैं, के कार्य की सराहना करता हूं। वे अच्छा काम कर रहे हैं, परन्तु काम में और सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि रेल यात्रा अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और शीघ्रगामी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री को संकल्प प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, रेलवे शत प्रतिशत वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है। इसके सामाजिक दायित्व हैं और जैसा कि आप को ज्ञात है, उनके इसके वित्तीय साधनों पर भार पड़ता है। आप को ज्ञात है कि रेलवे को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए काम करना पड़ता है। जहां तक भाडे का प्रश्न है, इसमें लागत के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु रेलवे को अपना सामाजिक दायित्व पूरा करना पड़ता है। इस बात पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान रेल टैरिफ जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाऊंगा, जिस पर सरकार तथा रेल विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि नई लाइनों के निर्माण सम्बन्धी नीति पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। मैं प्रतिवेदन का पैरा 13 और 14 जो कि पृष्ठ 47 पर हैं, उद्धृत कर रहा हूं :—

"13 भारत में रेल लाइनों की लम्बाई, जनसंख्या अथवा थल क्षेत्र की दृष्टि से न केवल विश्व के आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देशों की तुलना में बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से मलेशिया, अल-जेरिया या मिस्र की तुलना में और थल क्षेत्र की दृष्टि से श्रीलंका की तुलना में, कम है।

14. रेल लाइनों की लम्बाई में वृद्धि की गति का गत 30 वर्षों में धीमी होने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि परिवहन के वैकल्पिक साधन जैसा कि सड़क परिवहन होने के कारण रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त पूंजी लगाना आवश्यक नहीं समझा गया। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि भविष्य में रेलवे की विकास आवश्यकताओं, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि रेलवे परिवहन का अधिक दक्ष साधन है, की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।"

अतः इस संदर्भ में, मेरा विचार है कि रेलवे को अपनी नीति पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए और नीति में नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा अधिक रेल लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में, मेरा निवेदन है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे को देश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में भी भूमिका निभानी चाहिए। अतः पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां खनिज पाए जाते हैं, रेल लाइनों के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए तथा क्षेत्री असंतुलन दूर करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है हमने पहले भी सभा का तथा माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि वहां विभिन्न रेल लाइनें बनाए जाने की आवश्यकता है तथा इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। जब तक रेल लाइनें नहीं बनाई जाती, हम अपनी खनिज पट्टी का विकास नहीं कर सकते। अभी हाल में जब कि वाणिज्य मंत्री एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा था खनिज का भारी भण्डार जमा हो गया है, जिसका निर्यात नहीं किया जा सका है। पारादीप पत्तन का विकास नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि रेल लाइनों का विकास किया जाना चाहिए तथा विशेष रूप से बन्सपान-देतारी रेल लाइन को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उस रेल लाइन का एक भाग इस वर्ष पूरा किया जा रहा है। शेष भाग को भी पूरा किया जाना चाहिए।

इसी तरह सम्भलपुर-तेलचर तथा दो अथवा तीन अन्य रेल लाइनें हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

मैं रेल टैरिफ जांच समिति के निष्कर्ष, जो कि उसी पृष्ठ 47 पर पैरा 11 में दिए गए हैं, उद्धृत कर रहा हूं :—

"भारतीय रेलवे ने अपनी संचालन दक्षता में सुधार किया है तथा 1976-77 और 1977-78 में उसकी संचालन दक्षता सबसे अच्छी रही है। भारतीय रेलवे की दक्षता अधिकांश विकसित देशों की तुलना में अधिक है। तथापि सोवियत संघ और चीन रेलवे से तुलना करने पर यह ज्ञात हुआ है कि और सुधार की गुंजाइश है।"

अतः रेलवे में संचालन दक्षता में सुधार करने और मितव्ययिता लाने की काफी आवश्यकता है ताकि हम अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकें तथा रेलवे के लिए आगामी 20 वर्षों में 3600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है तथा यह राशि अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ये आंकड़े तो 1978-79 के आधार पर हैं। वास्तव में धन का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने व्यवस्था करने का वचन दिया है। अत. रेलवे के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मान्यवर, मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि इस वहस पर मैं क्या उत्तर दूं ? अभी कृपा करके हमारे दण्डवते जी और वर्मा जी आ गये हैं। इन दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।

मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि मैं वहस पर क्या जवाब दूं ? जब कोई सवाल उठा ही नहीं तो फिर जवाब कैसे दूं ? वही सारी बातें दोहराई गयी हैं जो बजट के समय दोहराई गयीं थीं। तीन दिन बजट पर वहस हुई, डिमांड पर अलग वहस हुई फिर एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हुई। तीन-चार दिन उस सदन में भी बहस हुई।

मान्यवर, सारी बातें वही कही गयीं। इससे लगता है कि माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जब कभी भी रेलवे का कोई मौका पेश होता है, कोई मामला सामने आता है तो उसमें लाइनों की बात जरूर सामने आती है। महन्ती जी कह रहे थे कि पैसे की फिक्र न करो। अगर पैसे की फिक्र न करें तो लाइन कहां से आयेंगी ? वही बातें दोहराई गयीं कि लाइनों को बढ़ाओ। अपोजिशन की ओर से भी जितनी बातें कही गईं वे भी वही बातें कही गयीं। उन्होंने भी अपनी बातों को दोहरा दिया। उन बातों को मैंने नोट कर लिया है, पहले भी नोट कर लिया था, अब भी नोट कर लिया है। हमारा विभाग देखेगा कि जो सुझाव आये हैं उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए। हम उनको क्रियान्वित करने की चेष्टा करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन चीजों पर विचार किया।

मान्यवर यह एक बड़ा साधारण सा प्रस्ताव है कन्वेन्शन कमेटी का। एक प्रकार से पार्लियामेंट का रेलवे के फाइनेन्सिज के ऊपर कंट्रोल है। इसका मुख्य काम यह है कि जनरल रेवेन्यु में क्या डिविडेन्ट दिया जाए उसके बारे में सिफारिश करते हैं। जब से फाइव इयर प्लान चले हैं तब से उसके संदर्भ में भी ये मामले को देखते हैं और अपना सुझाव देते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि रेलवे फाइनेंसिज जनरल फाइनंसिज से 1924 में अलग किये गये। तब तक कोई न कोई तरीका था रेलवे के फाइनेंसिज को देखने का। लेकिन 1949 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पार्लियामेंट ने एक कनवैंशन कमेटी बनाई और तब से यह बनी आ रही है। इसके जरिये एक तरह से पार्लियामेंट का रेलवे फाईनेंसिज के ऊपर कंट्रोल रहता है।

सबको मालूम है और मैं कह भी चुका हूं कि पांच हजार करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा रेलवे में जनरल रेवेन्यूज का लग चुका है। डिविडैंड कह लें, इंटरेस्ट कह लें, कांट्रीब्यूशन कह लें जितनी रकम दी गई है अगर उसको जोड़ लिया जाए तो यह करीब तीन हजार करोड़ से ज्यादा हो जाती है। जब से कनवैंशन कमेटी बनी तब से इन्होंने डिविडेंड और कॉंट्रीब्यूशन को इंटरेस्ट के रूप में फिक्स कर दिया और यह पहले चार परसेंट हुआ करता था फिर पांच परसैंट हुआ और अब छः परसैंट है। इसी को इंटरेस्ट भी समझ लें डिविडेंन्ड भी समझ लें। ऐसा होता था कि जब हमारे पास डिविडैंड देने के लिए पैसा नहीं रहता था तो हम जनरल रेवेन्यू से कर्ज लेते थे और जैसा कहा जाता है कि मियां की जूती और मियां के सिर वही यहां भी होता था। उनसे कर्ज लेते थे और वही उनको वापिस कर देते थे और वह कर्ज हमारे ऊपर जुड़ता जाता था। उस पर इंटरेस्ट चलता था। कनवैंशन कमेटी ने बड़ी कृपा की और सिफारिश की कि अगर पैसा न हो डिविडैंड देने के लिए तो आप मत दें। उसको डैफर्ड डिविडैड कह दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। उससे बड़ा भारी बोझा रेलों पर पड़ता जा रहा था, कर्जा उन पर बढ़ता चला जा रहा और फायदा कुछ नहीं होता था। हमको जो कुछ मिला हुआ है पांच हजार करोड़ नान-पेएबल, उसको हम वापिस नहीं करते हैं तो छः परसैंट इस पर देते चले जाएं। इस प्रकार से कनवैंशन कमेटी का जो काम है वह हमारे द्वारा दिए जाने वाला डिविडेंड फिक्स करना है और हमारे फाइनेंसिज पर निगाह रखना है।

पाराशर जी कह रहे थे कि जो कनवैंशन कमेटी भंग हुई है लोक सभा के भंग होने के साथ साथ, उसने अपने स्कोप के बाहर जाकर काम किया। यह उसका काम नहीं था कि रेलवे का करप्शन कैसे दूर हो या जनरल मैनेजर्ज जो है उनको डैलीगेशन आफ पावर कैसे हो या खरीद फरोख्त जो होती है उस में जो गड़बड़ी होती है वह कैसे दूर हो। ये सब की सब चीजें

मेट्सकमेटी और पी०ए०सी० देख लेती है। इस कमेटी का काम खाली इतना है कि हमारा डिविडैंड जो हमें देना है, बताए कि कितना हो और रिलीफ मिल सकता है तो रिलीफ देने की सिफारिश कर दे। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी रियायत अब तक दी गई है वह कंटिन्यू करेगी और आगे जो यह कमेटी बनेगी वह भी कृपा कर कुछ न कुछ रियायत देगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की है और मैं इसका स्वागत करता हूं कि जनरल रेवेन्यूज को रेलवे से एक पैसा भी डिविडैंड नहीं लेना चाहिए और डागा जी ने तो कह दिया है कि दस वरस के लिए नहीं लेना चाहिए। इस तरह से जो पैसा बचे उसको रेलों के डिवेलेपमेंट में लगाया जाए, नई लाइनें बिछाई जाएं। इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। जो कमेटी बनेगी वह रिकमेंड करे और फिर वित्त मंत्री या योजना आयोग या भारत सरकार उसको मानती है या नहीं मानती है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। हमारे ऊपर बहुत मांग आ गई है। दो कमेटियां बनी थी। उन लोगों ने जो बहुत से सुझाव दिए हैं उनमें एक्सपेंशन की बड़ी मांग हुई है देश में और उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। पाराशर जी कह रहे थे कि मैं वित्त मंत्री जी से बातचीत करूं। मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। इसमें सन्देह नहीं कि रेलों के पास जितना पैसा हो उसको उसे एक्सपेंशन के कामों में लगाना चाहिए। अब जो आपने कहा है और अगर छुट्टी मिल जाती है तो कुछ पैसे बच भी सकते हैं। जहां तक हो सके, इकानोमी बचत, करनी चाहिए, ताकि हम रेलवे का एक्सपेंशन कर सकें।

मुझे और विशेष नहीं कहना है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, हमने उन्हें नोट कर लिया है और हम जो कुछ कर सकेंगे, वह करेंगे। जहां तक कन्वन्शन कमेटी का सम्बन्ध है, उसके बारह सदस्य स्पीकर द्वारा नामीनेट किए जाते हैं। वह लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त कमेटी है। इससे रेलवे के फिनांसिज पर पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाता है और रेलवे को भी इस कमेटी से कुछ रियायत मिल जाती है। वह कमेटी सब स्थितियों को देखकर अपनी सिफारिशें करती है। उसकी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस भी होती है और जानकारी भी हासिल होती है।

आपके माध्यम से सदन से मेरा प्रस्ताव है कि वह इस संकल्प को स्वीकार करे, ताकि कन्वेन्शन कमेटी जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि अब तो छठी फाइव-इयर प्लान का मामला सामने आ रहा है। पुरानी कमेटी पिछली लोक सभा के साथ ही चली गई। जल्दी से यह कमेटी बने और जल्दी से हमारा डिविडेंड तय हो जाए, तो रेलवे को काम करने में आसानी होगी।

मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी आज्ञा से मुझे बैठे बैठे बोलने का अवसर मिल गया मैं प्रो० मधु दण्डवते को भी धन्यवाद देता हूं कि वह भोजन करके आ गए। हम तो यहां भूखे बैठे रहे। उनके यहां आने से शोभा हो गई, क्योंकि अपोजीशन के सब सदस्य गायब थे और मैं सोचता था कि मैं जवाब किसको दूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त तथा अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिश करने के लिए इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त और अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए बनाई जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण की अधिकतम राशि के बारे में सांविधिक संकल्प

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 12 दिसम्बर 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत एक सौ तीस करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निश्चित किए जाने का जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी समय ऋण के रूप में ले सकता है, अनुमोदन करती है"

सभापति महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : –

"कि असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 12 दिसम्बर 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत एक सौ तीस करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निश्चित किए जाने का जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्धत किसी समय ऋण के रूप में ले सकता है, अनुमोदन करती है।" श्री रवीन्द्र वर्मा।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर)– सभापति महोदय, जो संकल्प माननीय मंत्री ने सभा के समक्ष रखा है, सीधा सा ही लगता है। कम से कम उन्होंने तो यही आभास दिया है। मैं चाहता था कि मेरे मित्र राज्य बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति का एक विवरण भी प्रस्तुत करते जिसमें बोर्ड के कार्यकरण का भी ब्यौरा होता। साथ ही इसके प्रबंध तथा उन कारणों का भी ब्यौरा होना चाहिए था जिनसे कि उन्हें सभा के समक्ष लाना पड़ा और अधिकतम सीमा बढ़ाकर 130 करोड़ रुपए करने के लिए कहना पडा।

दुर्भाग्यवश असम विधान सभा सुप्त अवस्था में है। इस अवसर पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम सब इसकी आशा करते हैं कि विदेशियों की समस्या पर समझौता हो जाएगा जिसके कारण राज्य और देश को गत दस मास से तनाव का सामना करना पड़ रहा है। हमें आशा है कि दोनों पक्ष समझौते की भावना से प्रेरित होकर इसका कोई हल निकालने के प्रयास करेंगे। चूंकि असम विधान सभा कार्य नहीं कर रही है, इसलिए इस संकल्प पर विचार करने की जिम्मेदारी इसी सभा पर आती है।

1948 के अधिनियम में अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए थी और जैसा कि मंत्री महोदय के व्याख्यात्मक ज्ञापन में बताया गया है इसे बाद में बढ़ाकर 1973 में 95 करोड़ रुपए कर दिया गया था और अब इसे और बढ़ाकर 130 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मुझे कहना पड़ता है कि सभा को इसके कारण न बताकर मंत्री महोदय ने समझदारी का परिचय नहीं दिया है। फिर भी मुझे आशा है कि वह इस संकल्प के पारित किए जाने से पूर्व अपने उत्तर में ग्राह्य कारण अवश्य बतायेंगे।

राज्य बिजली बोर्ड वाणिज्यिक उपक्रम होते हैं और वास्तव में उनका दोहरा उद्देश्य तथा भूमिक होती है। पहली यह कि वह वाणिज्यिक उपक्रम हैं और दूसरी वे आवश्यक लोक हित सेवा हैं अतः इन बोर्डों के प्रबंधकों को इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है।

असम अधिनियम की धारा 69 की उपधारा में बोर्ड के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित अपने लेखे भेजे जिन्हें राज्य विधान मण्डल में प्रतिवर्ष रखा जाना होता है और क्योंकि आजकल राज्य विधान मण्डल कार्य नहीं कर रहा है अतः उन्हें इस सभा में रखा जाना चाहिए था। इसी अधिनियम में बोर्ड के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह अपने वार्षिक लेखाओं आदि का एक विवरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे।

इस जानकारी के अभाव में हमें संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा दिए गए वक्तव्यों और प्रस्तुत किए गए विवरणों आदि का सहारा लेना पड़ेगा इसलिए यदि हम राज्य बोर्डों पर पूछे गए प्रश्नों के उनके उत्तरों को देखें, जो बहुत मुश्किल काम है, तो स्थिति बहुत ही अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण नजर आएगी। आशा है कि मंत्री महोदय अपने उत्तरों में मेरे द्वारा अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे।

पहली बात तो यह है कि गत वर्ष इसी सभा में श्री अनन्तराम जायसवाल ने एक प्रश्न में राज्यबिजली बोर्डो द्वारा राज्यवार उठाई गई हानियों का ब्यौरा मांगा था जिसके उत्तर में मंत्री ने बताया था कि असम के मामले में जहां 1975-76 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं वहां 1976-77 तथा उसके बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

25 मार्च 1980 को इस सभा में त्रुटि पूर्ण प्रबंध तकनीकों के कारण बिजली की हानि संबंधी एक प्रश्न पूछा गया था। उत्तर के साथ संलग्न विवरण में पन बिजली और ताप बिजली घरों द्वारा प्रति किलोवाट घंटे की औसत उत्पादन लागत जो वित्तीय वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक के लिए बताई गई थी। आसाम के बारे में पुनः यही कहा गया था कि 1974-75 के बाद आंकड़े सामान्यतः उपलब्ध नहीं हैं।

29 जुलाई, 1980 को, अर्थात केवल एक सप्ताह पूर्व श्री हरिनाथ मिश्र ने एक प्रश्न (संख्या 6054) में अन्य बातों को छोड़कर पूछा था कि (ख) प्रत्येक बोर्ड द्वारा किया गया वित्तीय निवेश तथा गत 5 वर्षों में प्रत्येक बोर्ड को कितनी लाभ अथवा हानि हुई? उत्तर से संलग्न विवरण में मंत्री ने बकाया ऋणों के आंकड़े दिये हैं और ब्याज, मूल्य ह्रास आदि के लिए भुगतान के लिए 15 बोर्डों को उपलब्ध अधिशेष दिखलाया है और 1978-79 के लेखों के बारे में जो असम मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर के बारे में पुनः यही बताया गया है कि वे प्राप्त नहीं हुए। मंत्री महोदय द्वारा यह सूचना 29 जुलाई, को दी गई थी। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि इस सांविधिक संकल्प की सूचना तब तक अवश्य दे दी गई होगी क्योंकि इसकी प्रतियां हमें

मिल गई थीं फिर भी 29 जुलाई, को मंत्री महोदय के पास असम राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1978-79 के लेखे उपलब्ध नहीं थे। अतः मैं आवश्यक सूचना देने संबंधी उनकी कठिनाई समझ सकता हूं। फिर भी मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आज उनके पास लेखापरीक्षित लेखे आदि जैसे आवश्यक तथ्य हैं और क्या उन्होंने उनकी जांच आदि करली है ताकि वह यह समझ सकें कि क्या राज्य विजली बोर्ड द्वारा जो मांग की गई है वह उचित है अथवा नहीं क्योंकि इस समय तक हमें जो जानकारी उपलब्ध है उससे उनकी मांगे कतई उचित नहीं लगती। क्या मंत्री महोदय ने यह समझा था कि बिना आवश्यक सूचना दिए वे सीधे सभा में आकर बिजली बोर्ड के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए कहेंगे और सभा उनकी यह मांग मान लेगी।

जहां तक इस राज्य का संबंध है वहां बिजली बोर्ड भी अन्य राज्यों की तरह धांधली की स्थिति में है यहां पर अनेक बार यह मांग की गई है कि राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए और उन पर अधिक कड़ी निगरानी रखी जाए मैं इस समय राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने संबंधी गुण-दोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस संबंध में मेरे मित्र श्री डागा विशेषज्ञ हैं। परन्तु मैं नहीं जानता था कि क्या मंत्री महोदय वह जानकारी यहां दे सकेंगे जो अब तक नहीं दे पाए।

असम की स्थिति निःसन्देह बहुत गम्भीर है क्योंकि वहां बिजली पैदा करने के साधन इतने अधिक हैं जितने देश के अन्य किसी राज्य के पास नहीं हैं। वहां के पन बिजली स्रोतों से देशभर के लिए आवश्यक बिजली का 25 प्रतिशत वहां हो सकता है क्योंकि वहां ब्रह्मपुत्र नदी घाटी योजना है। फिर भी जहां तक असम राज्य बिजली बोर्ड का संबंध है उसका काम केवल ताप बिजली के उत्पादन तक ही सीमित है। संस्थापित क्षमता 161·78 मेगावाट थी। 1977 में उत्पादन 102·27; 1979 में 120·90 था। परन्तु आसाम में उपभोक्ताओं को, घरेलू तथा किसानों, वाणिज्यिक, लघु तथा बड़े उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की औसत दर देश भर में सबसे अधिक है। वहां सप्लाई के आंकड़े इस प्रकार हैं कृषि के लिए 21, घरेलू 51, वाणिज्यिक 63, लघु उद्योग 27, तथा बड़े 34·89 और ईंधन अधिकार जो असम में लागू है देशभर में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में यह है 7, उड़ीसा में 1, गुजरात में 0·75 राजस्थान में 0·4 जबकि असम में यह 10 है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य है। मैं यह भी बता दूं कि जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है असम सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या राज्य बिजली बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ? अतः मैं इस समय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार को योजना के साधनों के उपयोग, ईंधन प्रबंध, सामान प्रबंध, पारेषण, क्षति आदि की पूरी पूरी जांच करनी चाहिए और बोर्ड के कार्यकरण की भी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सरकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सक जब वे बाद में पूछे जायेंगे। इन सब को देखते हुए, मुझे भय है कि उत्तर "उपलब्ध नहीं" का कारण यह है कि उन्हें बहुत सारी चीजें छिपानी हैं। ऐसी स्थिति अवश्य समाप्त होनी चाहिए।

हम इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के इच्छुक हैं और यदि हमने इसके पक्ष में मतदान नहीं भी किया तो आप हमें याद दिला सकते हैं कि आप इसे पास करवा लेंगे जैसा कि उस दिन माननीय वित्त मंत्री ने कहा था। महोदय, उनके जैसे स्वभाव और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से ऐसी प्रत्यशा नहीं थी। अतः हमें यह याद नहीं दिलाई जाए कि यदि हमने इसके पक्ष में मतदान

नहीं भी किया तो आप इसे पास करवा लेंगे । हम इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे परन्तु हम इस अवसर को राज्य बिजली बोर्ड की स्थिति की समीक्षा करने में सदुपयोग करना चाहते हैं ।

धन्यवाद

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं इस विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के बारे में कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं । उन्होंने कतिपय आंकड़ों को भी उद्धरित किया है—कितनी बिजली पैदा की जाती है, इत्यादि । मैं इस अवसर का उपयोग इस बात पर बल देने में करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को देखें कि न सिर्फ आसाम बल्कि पूरे देश में बिजली बोर्ड अपना कार्य सुचारु रूप से करें । अब क्या हो रहा है ? पर्याप्त निधियों के आवंटन किये जाने के बावजूद वे पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं । यह शिकायत न सिर्फ आसाम में है बल्कि सर्वत्र है । विशेषकर आसाम में, जब हम वहां की स्थिति देखते हैं तो हमें काफी दुःख होता है । पिछले 10-11 महीनों से वहां कैसी स्थिति रही है इसे आप जानते हैं । वहां जो स्थिति है उसे हम सभी जानते हैं । विकास का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है । सारा कार्य बिल्कुल ठप्प है ।

अब मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को अवश्य शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस मसले को हल करने के लिए पहल की है । लेकिन, दुर्भाग्यवश इंडियन एक्सप्रेस के आज के अंक में 'असम छात्रों का आन्दोलन पुनः शुरू करने की धमकी' शीर्षक के अन्तर्गत एक रिपोर्ट छापी है कि कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं । महोदय, इस आन्दोलन के कारण आसाम को पहले ही काफी हानि उठानी पड़ी है । विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हो रही है । हालांकि, माननीय मंत्री महोदय का इससे संबंध नहीं है और उनका संबंध सिर्फ प्रस्ताव से है । परन्तु, यह सार्वजनिक उत्तर दायित्व का प्रश्न है और संसदीय कार्य मंत्री भी यहां मौजूद हैं । मैं इन मन्त्रियों से सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को देखें कि आसाम आन्दोलन पुनः न हो ।

समझौते के बारे में कुछ गलतफहमी लगती है । मुझे यह मालूम नहीं है । कल मैंने राज्य पाल के मुख्य सलाहकार श्री एच० सी० सरीन द्वारा दिया गया एक वक्तव्य पढ़ा था । उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर वे आन्दोलनकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं । चाहे वे कुछ भी हों, इस मसले को हल करने के लिए कुछ सदिच्छा होनी चाहिए । जब तक सरकार की ओर से सदिच्छा और उचित समझ नहीं होगी तब तक इस मसले को हल करना संभव नहीं है ।

किसी को भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । वे कतिपय स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, परन्तु गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को भी उन्हें देखना चाहिए । गृह मंत्री ने कहा है कि समझौता हो गया है और वे बन्दियों को मुक्त करने और आसाम प्रसामान्य क्षेत्र अधिनियम तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को वापस लिए जाने का कदम उठा रहे हैं ।

उन्होंने कतिपय वक्तव्य दिए हैं । उसके बावजूद प्रेस रिपोर्ट :

"श्री सरीन ने आसाम प्रसामान्य क्षेत्र अधिनियम, 1955 तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियों) अधिनियम, 1958, दो महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं के वापस लिए जाने की घोषणा की ।

20 कर्मचारियों को पुनः बहाल कर लिया गया है और 140 अन्य कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं।"

सिर्फ बन्दियों को अभी रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने प्रेस में एक वक्तव्य दिया कि वे उन्हें रिहा नहीं करने जा रहे हैं, अर्थात् उन व्यक्यिों को जो हिंसा में संलग्न थे। यह उनके वक्तव्य के अनुसार है। इसमें आगे कहा गया है कि सिर्फ बन्दियों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है और सामूहिक जुर्माने के वापस किए जाने के प्रश्न पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

इसे क्यों रोक रखा गया है ? मुझे कठिनाइयों का अनुभव है क्योंकि मैंने तेलांगना आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैं उक्त आन्दोलन में सक्रिय था और मैं भी एक बन्दी था। इसलिए मैं उन गरीब व्यक्तियों के मामले का पक्ष ले रहा हूं। आन्दोलन गलत है या सही, मैं यह कह रहा हूं कि पूरा आसाम इससे प्रभावित है। इसलिए मैंने कहा कि यह एक नाजुक प्रश्न है। इन व्यक्तियों से निपटते समय काफी धैर्य की जरूरत है। हमें झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि समझौते के अनुसार सभी बन्दियों को मुक्त किया जाए। किसी प्रकार की पूर्व-शर्तें नहीं होनी चाहिए। मैं इन व्यक्तियों को पक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी कष्ट सहा है और मुझे लोगों की भावनाओं का पता है। उस समय उन्हें क्या हुआ था ? मुझे नहीं मालूम कि सामूहिक जुर्माने के प्रश्न को क्यों स्थगित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आशंका है कि कहीं कुछ गलतफहमी है।

सभापति महोदय : श्री राव, यह कैसे संगत है ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय, बिजली बोर्ड ने 95 करोड़ निवेश किए हैं।

सभापति महोदय : स्थिति इस प्रकार होगी। आप कतिपय ऐसे मुद्दें उठा रहे हैं जिन्हें माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं अपनी अनुभूति उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और कुछ नहीं।

सभापति महोदय : यह अनुत्तरित ही रहेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : वे चाहे उत्तर दें या नहीं। इसलिए मैंने बोलने से पहले कहा था कि माननीय मंत्री का इससे संबंध नहीं है। परन्तु, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ मौजूद हैं। आप से मेरा अनुरोध सिर्फ यह है कि वे मेरा विचार आसाम सरकार को संसूचित कर दें क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व तो है ही। सब कुछ इससे संबंधित है। जबतक आन्दोलन समाप्त नहीं किया जाता है और सामान्य स्थिति नहीं लाई जाती तबतक आसाम का विकास नहीं किया जा सकता। 130 करोड़ रुपया जो आप दे रहे हैं उसे भी खर्च करना संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं इस अवसर का सदुपयोग अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में लगा रहा हूँ। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी स्थिति बनाई जाए कि 11 अगस्त को वार्ता शुरू किया जाए।

महोदय, अब मैं बिजली-बोर्ड पर बोलूंगा। मुझे बतलाया गया है कि ब्रह्मपुत्र में अधिक तम बिजली तैयार की जाती है। यह न सिर्फ भारत को सप्लाई कर सकती है बल्कि पूरे एशिया को। मुझे ऐसा बताया गया है। ट्रांसमिशन की समस्या है। आसाम में इतनी क्षमता व्याप्त है। अतः हमें उसका उपयोग करना चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊर्जा की कमी के कारण हम अपनी स्कीमों को पूरा नहीं कर रहे हैं। सबकुछ ऊर्जा पर निर्भर करता है। चाहे आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। या कृषि का विकास करना चाहते हैं। अथवा कोई अन्य कार्य, आपको ऊर्जा

पर निर्भर रहना होगा। ऊर्जा के बिना समाज में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि कल प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों से अपील की है कि वे इस बात को देखें कि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन हो। जबतक बिजली पैदा नहीं की जाती तबतक कुछ भी नहीं किया जा सकता। अतः, यदि आप आसाम के लोगों की हालत सुधारना चाहते हैं तो आप को इसका सुनिश्चय करना होगा कि उन्हें बिजली मुहैया की जा रही है।

हाल में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न उठा था। पंजाब, हरियाणा और केरल को छोड़ कर, जहां शत प्रतिशत विद्युतीकरण है, दुर्भाग्यवश अन्य राज्यों में प्रतिशत सिर्फ 30 से 40 तक ही है। बिजली के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति बचनवद्ध है। महोदय, हमारी जनसंख्या का अस्सी प्रतिशत गांवों में रहते हैं। अतः जब तक गांव में रहने वालों की दशा नहीं सुधरती तबतक आप इसे उत्थान नहीं कह सकते हैं। उस सन्दर्भ में यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराई जाए। छठी योजना में यदि आप 80 प्रतिशत गांवों में बिजली उपलब्ध करा दें तभी आप उद्योग और कृषि के विकास का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि आसाम में ग्रामीण लोगों—उनमें से अधिकांश आदिवासी हैं और उनका वर्षों से उपेक्षा होता आ रहा है और अन्य राज्य से आये लोग उन पर हावी रहे हैं—की बिजली की आवश्यकता पूरी की जाए ताकि हम आसाम के ग्रामीण लोगों की दशा सुधार सकें।

धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो कदम आपने उठाये हैं, वे सराहनीय हैं। असम के अन्दर आज कुल गांव 21995 हैं और उनमें से अभी 18555 गांव इलैक्ट्रिफाई होने बाकी हैं। असम में पर कपिटा कंजम्पशन आफ इलैक्ट्रिसिटी बहुत ही कम है। वह केवल 33·82 है। असम की हालत इससे और ज्यादा खराब नहीं हो सकती है। असम के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कुल कर्जा 31 मार्च 1978 तक 3175 लाख था। यह बहुत भारी रकम है। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में एक सैकशन है जो कहता है कि जब कभी भी बोर्ड का बजट बने तो वह घाटे का बजट नहीं होना चाहिये और घाटे को पूरा करने के लिए टैरिफ को बढ़ा दिया जाना चाहिये। इसलिए फाइनेंस कमिशन ने भी 1978 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें यही कहा था।

फिनांस कमीशन ने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की क्या हालत हो रही है।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम के अर्न्गत, हाल में उसका संशोधन किए जाने तक, बोर्डों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे बिना घाटे के अपना काम चलाएं और इसके लिए समय-समय पर प्रशुल्क का समायोजन करें। इस तरह से समय-समय सर नियत किए जाने वाले प्रशुल्क में कुछ उपभोक्ता श्रेणियों की अन्य पक्षों द्वारा आर्थिक सहायता किए जाने का तत्व भी अन्तर्निहित होता है जिससे कि वांछनीय सामाजिक-आर्थिक नीति का अनुपालन किया जा सके। हर बोर्ड में—किसी एक बोर्ड में नहीं—लासिज हो रहे हैं। फिनांश कमीशन ने कहा है :—

तथापि यह महसूस करना आवश्यक है कि बेहतर और कुशल प्रबन्ध से वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है तथा प्रशुल्क में वृद्धि तभी की जानी चाहिए जब यह नितान्त आवश्यक हो। उदाहरण के तौर पर बहुत से राज्यों में वर्तमान प्रजल क्षमता और ईंधन के उपयोग से काफी

सुधार किया जा सकता है। मैं एक मेम्बर के नाते भी कह सकता हूँ और मुझे इस काम की जानकारी भी है कि बोर्ड्ज ठीक ढंग से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज पर करोड़ों रुपयों का कर्जा है। भगवान् ही जानता है कि सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी एथारिटी किस प्रकार का को-आर्डिनेशन करता है। कोटा में पूंजीपतियों को बिजली छः पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से दी गई है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : दो पैसे।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य बता रहे हैं कि दो पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। वह बोर्ड लासिज पर लासिज सफर कर रहा है। एक करोड़ रुपये का नुकसान एक साल का होता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा नहीं है, जिसको लास नहीं हो रहा है। आसाम के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक्युमुलेटिड इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी 32·46 करोड़ रुपये है। क्या इन बोर्डों पर सरकार का कोई नियंत्रण है या नहीं ?

बड़े-बड़े लोग इन बोर्डों के चेयरमैन बनते हैं- पालिटीशन्ज बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का ए बी सी भी नहीं जानते हैं। इस पद पर टेकनीशन को नियुक्त करना चाहिए। बोर्ड में सारे सेक्रेटरीज रख दिए जाते हैं—इंडस्ट्री, पावर और फिनांस सेक्रेटरी। जहां तक उनकी अटेंडेंस का सम्बन्ध है, सिर्फ एक टैकनिकल मेम्बर हाजिर होता है और रेजोल्यूशन पास कर दिए जाते हैं। मीटिंग में 25 परसेंट मेम्बर भी नहीं आते हैं। वे घर बैठ कर अटेंडेंस दर्ज करा देते हैं और उनको टी ए और डी ए मिल जाता है। हर एक बोर्ड में यह हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि रेल और पावर को प्रायर्टी दे कर उनमें सुधार किया जाये।

इस संकल्प का विरोध कौन करेगा, लेकिन बोर्डों का चैकिंग किया जाना चाहिए। चेयरमैन को तीन हजार रुपए तन्खाह दी जाती है। बंगला और नौकर दिए जाते हैं। कोई कहने वाला नहीं है। ये नए राजा-महाराजा बन गए हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में राजा-महाराजा अलग हैं। भगवान् ही उनसे इस गरीब देश की रक्षा कर सकता है। डिफीटिड पालिटीशन्ज को, जो चुनाव में हार जाते हैं, चेयरमैन बना दिया जाता है। उनको शानदार बंगला, चार छः नौकर मिलते हैं, ओवर-स्टाफिंग है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हारे हुए पालिटीशन्ज मिनिस्टर भी बन जाते हैं। श्री प्रणव मुकर्जी का उदाहरण हमारे सामने है।

श्री मूलचन्द डागा : हमने यह आपसे ही सीखा है। यह जनता पार्टी की देन है।

आसाम में बिजली का पर-कैपिटा कनजम्प्शन बहुत कम है। उसकी हालत खराब है। आप वहां बिजली का विकास कीजिएगा। लोन दीजिएगा लेकिन आप उस पर थोड़ा लगाम लगाइएगा। पिछले वर्षों में बोर्ड की क्या परफार्मंस रही है, मेरे पास उसके आंकड़े हैं लेकिन मैं वह सारा डाटा देकर समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा अवसर है कि हम आसाम के बारे में कुछ और भी बात कर सकते हैं···

सभापति महोदय : नहीं, कुछ और नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : वैसे तो हम उसी पर बात करेंगे···

सभापति महोदय : उससे क्या होगा कि आप कुछ बात कहेंगे, मंत्री महोदय के पास उस का जवाब नहीं होगा। वह तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जवाब दे सकेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं दो मिनट उसके लिए समय लूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आसाम के अंदर जो आन्दोलन शुरू हुआ अगर उसकी पूरी समीक्षा की जाय तो उसकी जड़ में आर्थिक कारण मिलेगा।...(व्यवधान)... बिजली से ही सम्बन्धित है। मुख्य कारण आर्थिक कारण है। वहां के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के कारण ही खास तौर से यह आन्दोलन शुरू हुए, विदेशियों को निकालने की बात शुरू हुई। आज जो इतना आन्दोलन चल रहा है, अभी वह आन्दोलन समाप्त भी नहीं होने पाया कि फिर अखबारों में इस तरह की खबरें निकल रही हैं— "असम में विदेशियों की घुसपैठ जारी, बंगलादेश से 15 हजार परिवार आए," इस तरह की चीजें फिर शुरू हो रही हैं। इसको रोकने की दिशा में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए नहीं तो आप चाहे जितनी तरक्की करें अगर इस प्रकार से घुसपैठ वहां जारी रहेगी तो उसका कोई भी लाभ वहां के लोगों को नहीं पहुंच पाएगा। अभी माननीय श्री राव साहब ने कहा कि आन्दोलन के समाप्त होने की दिशा में कुछ कदम उठाया जा रहा था जिस पर कि दोनों पक्ष सहमत भी हो गए थे लेकिन फिर कुछ गड़बड़ी आ रही है। आज के अखबारों में इस तरह की बातें आई हैं। सरकार को एक बहुत ही अच्छा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि सारी कठिनाई दूर हो तभी हम विकास का भी कार्यक्रम आगे बढ़ा सकेंगे और जो हम लोन वगैरह बिजली के लिए दे रहे हैं वह तभी ठीक ढंग से उपयोग में आ सकेगा जब वहां शांति का वातावरण रहेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जितने भी डिटेनूस हैं उनको सबको फ्री करदे और जो कुछ भी पहले समझौता हुआ है जिसमें कि मणिपुर के मुख्य मंत्री ने मुख्य भूमिका अदा की थी उसका ठीक ढंग से पालन होना चाहिए।

आज आसाम के अंदर बिजली के अभाव के कारण खास तौर से उद्योगों का विकास वहां नहीं हो पा रहा है। जब तक वहां का विकास नहीं होता तब तक वहां से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम वहां बिजली का उत्पादन बढ़ाएं। ब्रह्मपुत्र जैसी एक बहुत बड़ी नदी वहां है, अगर इस नदी के पानी का ठीक ढंग उपयोग किया जाय तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां सिंचाई में भी सुविधा हो जायेगी और उससे बिजली भी काफी मात्रा में उत्पन्न होगी जो कि वहां के औद्योगिक विकास के लिए और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त होगी और पूरे के पूरे उत्तर भारत में उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उत्तर भारत की सारी जनता को उस से लाभ होगा। इसलिए ब्रह्मपुत्र के पानी को ठीक ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है ताकि विद्युत का उत्पादन हो सके। आसाम में अगर विद्युत का उत्पादन हम ठीक ढंग से करते हैं तो वहां हम कागज का उद्योग, रबड़ का उद्योग और बहुत से छोटे-२ उद्योगों का विकास कर सकते हैं जिस का नतीजा यह होगा कि वहां जो हमारे तमाम नवयुवक बेकार और बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा और वहां का उत्पादन भी बढ़ेगा। वहां की अर्थ-व्यवस्था सुधरेगी और गरीबी दूर होगी।

वहां पर रेलवे लाइन्स और सड़कों का भी विकास नहीं हुआ है जिस की वजह से वहां औद्योगिक प्रगति में काफी बाधा पड़ती है। मैंने रेल मंत्री से भी इस बात के लिए अभी जो बहस हो रही थी, उसमें निवेदन किया था। मैंने उन से कहा था कि रेलवे लाइन का वहां पर विकास किया जाए। लेकिन उस हिस्से में जो रेलवे लाइन का विकास किया जाए उसमें रेलवे का एलेक्ट्रिफिकेशन भी साथ-२ होना चाहिए क्योंकि उससे खर्चा कम होगा और साथ ही जो डीजल की वजह से परेशानी पैदा हो रही है वह परेशानी भी दूर होगी। वह बिजली वहां तभी दे सकेंगे

जब कि बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक वहां करने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं यह कहता हूं कि वहां रेलवे लाइन बनायी जाय और उस पर विद्युत की रेलगाड़ी चलायी जाए ;

मान्यवर, ब्रह्मपुत्र के पानी के इस्तेमाल की जो बात कही गई उससे जहां सिंचाई की सुविधा होगी, विद्युत उत्पादन का कार्य होगा वहीं बाढ़ से उस तमाम क्षेत्र को बचाया जा सकेगा जो क्षेत्र आज बाढ़ से डूब जाते हैं जिसके कारण फसलें नष्ट हो जाती है और लोगों की जानें भी चली जाती हैं साथ ही जानवर भी मरते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ब्रह्मपुत्र के पानी का सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए और इस दिशा में सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, जैसाकि डागा जी ने कहा, आसाम में बहुत सारे गांव ऐसे रह गए हैं जहां पर बिजली नहीं गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण की जहां तक बात है, वैसे तो सारे उत्तर भारत की इस सम्बन्ध में उपेक्षा हुई है जिसमें आसाम भी शामिल है, मैं चाहूंगा इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए ताकि उस पूरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया जा सके। इसी प्रकार से हम वहां की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। हरिजन बस्तियों तथा आदिवासियों के क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दें। जो प्रस्ताव यहां पर आया है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं इसकी सीमा और बढ़ाई जाए। इतना ही दे देने से विकास कार्य पूरा नहीं होगा। आज जो वहां की स्थिति है उसमें हमारा कर्त्तव्य है कि तेजी के साथ विकास कार्यों को बढ़ाया जाए। पुरानी 95 करोड़ से 130 करोड़ की लिमिट तक आप बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं इसको और आगे बढ़ाना चाहिए।

चूंकि आप वृद्धि कम कर रहे हैं इसलिए मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं किन्तु जो कुछ आप बढ़ा रहे है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) ; सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संकल्प के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि असम राज्य बिजली बोर्ड पर 15-3-80 तक बकाया ऋण राशि 85.93 करोड़ रुपए थी और इसके अलावा मार्च, 1982 तक की अवधि में अपनी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए 108 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान है तो जब 1982 तक 108 करोड़ का अनुमान है फिर 130 करोड़ की मांग करना किस प्रकार से मंत्रीजी ने उचित समझा, इसको वे बताने की कृपा करेंगे। मैं समझता हूं जितने पैसे की आवश्यकता है उतना ही पैसा लेना चाहिए। समय-२ पर राज्य विधान सभा या लोकसभा में बजट के समय जितने ऋण की आवश्यकता होती है उसकी सीमा के सम्बन्ध में स्वीकृति मिलती आई है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से मन्त्री जी से जानकारी चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि असम में, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी बताया है, एलेक्ट्रिसिटी की सबसे कम खपत है। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बराबर एक घाटे का सौदा है। वैसे तो केवल असम ही नहीं, सभी राज्यों में एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे की स्थिति में चल रहे हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि बहुत बड़े-बड़े सफेद हाथी इन बोर्डों में बिठा दिए जाते है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक टेक्निकल मेम्बर बिठा दिया जाता है, एक फाइनेंशियल मेम्बर

बिठा दिया जाता है और कुछ अन्य प्रकार के मेम्बर बिठा दिए जाते हैं जिसकी वजह से कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं, किसी पर आप कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते कि कौन से महकमे का काम खराब हो रहा है, किस प्रकार की खरीददरी हो रही है, कितना सामान है—कोई उसकी देख-रेख नहीं होती है जहां भी बोर्ड स्थापित किए गए हैं – वह चाहे रेलवे बोर्ड हो, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या अन्य प्रकार के बोर्ड हों, वहां पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी से हटने का मौका मिला है। अगर कहीं पर कोई एक मेम्बर हो जैसे चीफ इंजीनियर हो, उस पर इस प्रकार की जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि अमुक लाइनें तैयार होनी चाहिए और बिजली सप्लाई होनी चाहिए तथा उसमें किसी तरह का घाटा या बदइन्तजामी नहीं होनी चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन किसी बोर्ड में जो सदस्य बैठे होते हैं उनके ऊपर आप इस प्रकार की कोई बात नहीं डाल सकते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने सभी जगह बोर्ड तो स्थापित कर दिए जैसे रेलवे बोर्ड है उसमें कोई नहीं देखता कि किस सेक्शन में काम खराब है, कहां गाड़ियां ठीक से चल रही हैं और कहां ठीक से नहीं चल रही हैं, कितना सामान कौन उठाकर ले जा रहा है जैसाकि कलकत्ता में अभी दो तीन रोज पहले अखबार में देखा होगा कि डिब्बे के डिब्बे जो जाते हैं उनके पार्ट्स तक गायब हो जाते हैं।

इस प्रकार की रेलवे बोर्ड की हालत है। करोड़ों रुपए का सामान बोर्ड के द्वारा खरीद लिया जाता है जो अनावश्यक होता है और वह पड़ा रहता है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि उन बोर्ड्स की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाए। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से करने के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था फिक्स कीजिए, जिससे जितने भी बड़े-२ मैम्बर्स बोर्ड में बैठते हैं, उनकी कोई न कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि कोई टैक्नीकल मैम्बर है, तो उसकी टैक्नीकल जिम्मेदारी होनी चाहिए, यदि कोई फाइनेंशियल मैम्बर है, तो उसकी फाइनेंस की जिम्मेदारी होनी चाहिए और खरीददारी के संबंध में काम करने वाला मेम्बर है, तो उसकी खरीददारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब इस प्रकार की व्यवस्था आप करेंगे, तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक होगी आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे करोड़ों रुपए तक पहुंच गए हैं, इसके बावजूद भी यदि हमें इसी प्रकार की व्यवस्था से देश को आगे बढ़ाना है. तो मैं समझता हूं कि देश को पछताना पड़ेगा कि इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के हाथ में सारी व्यवस्था देकर के हमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को देखने की आवश्यकता है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऋण के द्वारा वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कीमों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा दूसरे उद्योग धन्धे लग रहे हैं,उनको पूरे तरीके से बिजली सप्लाई की जाए और नए उद्योग धन्धे स्थापित किए जायें।वहां पर एक्सट्रा बिजली पैदा की जाए ! ब्रह्मपुत्र के द्वारा जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं उतनी पैदा करके हम बिजली सप्लाई करें। उससे उस क्षेत्र का निश्चित तरीके से विकास होगा तरक्की होगी।

आज वहाँ पर लोगों के एजीटेटिड होने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर अन-एम्पलायमेंट की बहुत बड़ी प्रावलम है। उनकी गरीबी की बहुत बड़ी प्राबलम है। उनकी सारी प्राबलम्स को सुधारने के लिए ऋण लेकर जितनी बिजली सप्लाई कर सकते हैं, उतनी करनी चाहिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा कल-कारखाने स्थापित करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे स्थापित

करने चाहिए, ताकि उनको एम्प्लायमेंट मिल सके और लोगों की गरीबी, और बेकारी दूर हो, खेतीबाड़ी में भी तरक्की हो। इस तरह से यदि आप प्रावधान करेंगे तो निश्चित तरीके से वहाँ की तरक्की होगी। आप जो ऋण लेने के लिए यहां पर संकल्प लाये हैं, वह हम पास भी कर देगें, तब भी उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं होगा, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कम से कम पैसे में बिजली कैसे सप्लाई हो सकती है, इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए वहां पर हाइड्रो की बहुत गुंजाइस है, उसको आपको करना चाहिए और थर्मल पावर की व्यवस्था आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना, चाहता हूं कि वहां पर कितनी विजली की क्षमता है, कितनी वहां पर पैदा हो रही है, कितनी लीकेज है, कितनी चोरी है, कितनी पिलफ्रेज हो रहा है, इन सारी बातों पर यदि आप ध्यान देगें, तो आप को अन्दाज लगेगा कि किस प्रकार से व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय.....

श्री हरिकेश बाहर : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं यह अवश्य करूंगा।

प्रो एन. जी. रंगा : मैंने केवल दो बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : रंगा जी, आप श्री वर्मा के बाद बोलें। गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी जाए।

सभापति महोदय: अब कोरम हो गया है। श्री आर० एल० पी० वर्मा अब आप बोलिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: मान्यवर ऊर्जा मंत्री महोदय ने जो संकल्प रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आज वहां का युवा वर्ग जरा सा संघर्ष के पथ पर है। पिछले 33 वर्षों की आजादी के बाद से जो भी रुपया बजट में रखा गया उससे भी गांवों में बिजली नहीं लगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी वहां नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सारा पूर्वोत्तर भारत बहुत उपेक्षित रहा है। इस दृष्टिकोण से और इस आन्दोलन के प्रभाव से भी जो माननीय मंत्री महोदय ने 130 करोड़ रुपया केवल वहां के विद्युतीकरण के लिए दिया है इसके लिए वस्तुतः वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि इस दरम्यान में भी उस क्षेत्र में कुछ विकास होगा। विद्युतीकरण के द्वारा गांव गांव में विजली जाएगी। इसके द्वारा वहां उद्योग बढ़ेगे, सिंचाई का काम होगा और नाना प्रकार के विकास के काम वहां बढ़ाये जा सकते हैं।

लेकिन आज जो राज्यों में विद्युत परिषद् हैं, इलेक्ट्रिसिटी वोर्ड्स हैं सब इतने डिफेक्टिव हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इतनी मनमानी करते हैं, स्वच्छंद भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए बिजली कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाती। विजली आम तौर पर बन्द रहती है। विजली की कोई गारन्टी नहीं है कि उद्योग को, खेतीवाड़ी को, सिंचाई के काम को विजली सही ढ़ंग से मिल सकेगी। गारन्टी से इन क्षेत्रों को विजली नहीं मिलती।

विद्युत की गारन्टी न होते हुए भी टैक्सों की वसूली कर ली जाती है। इसलिए इस दिशा में विद्युत वोर्डो का संगठन ठीक करना चाहिए। यह चीज पूरे देश के लिए जरूरी है। मेरा तो यह सुझाव होगा कि डेमोक्रेटाइजेशन आफ द इलेक्ट्रिसिटी वोर्ड को लोकतंत्रीयकरण

करना चाहिए। अभी स्टैट की ओर से सात लोगों को नामिनेट किया जाता है। वे किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मनमाने ढ़ंग से ही उनको नामिनेट कर दिया जाता है। ये मैम्बर जनता की क्या तकलीफें हैं, बिजली कहां लगनी चाहिये, कौन क्षेत्र बैकवर्ड हैं, कहां अधिक सुविधाये हैं, किसी बात का ख्याल नहीं करते हैं। जहां अधिक सुविधायें होती हैं वहीं बिजली दे दी जाती है। इस तरह की चीजों को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए जरूरी है कि विद्युत परिषदों का लोकतंत्री करण हो। दो मैम्बर विधानसभा से जाने चाहिए दो इंजीनियर होने चाहिए, दो एम्पलायीज के प्रतिनिधि होने चाहिए और एक मैम्बर किसानों में से होना चाहिए। और एक मैम्बर विशेषज्ञो में से या वैसा कोई आदमी होना चाहिए। सामाजिक जीवन के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनके जो जानकार होते हैं, इस तरह से उनके प्रतिनिधि वहाँ आ सकेंगे और जो लोगों के साथ ज्यादतियां होती है, उनको रोक सकेंगे। असम में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यो में भी अगर इस व्यवस्था को मंत्री महोदय लागू कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

विद्युत वोर्ड जो वसूली उनको करनी होती है,उसमें भी फीसाही बरतते है। कर्मचारीगण उपभोकताओं के साथ सबंन्ध स्थापित करलेते हैं और इस तरह से समानान्तर भ्रष्टाचार का स्रोत चलाते हैं। जो आमदनी उपभोक्तओं से उनको होती है उसकी वजह से विद्युत वोर्ड घाटे में जाते हैं। यही वजह है कि सभी जगहों पर विद्युत वोर्ड आज घाटे में जा रहे हैं। विहार में 130 करोड़ की राशि बकाया पड़ी हुई है जो वसूल नहीं हो पा रही है। असम में तथा दूसरी जगहों पर भी यही स्थिति है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

विद्युत की जो दर है वह कहीं अधिक है और कहीं कम है। अलग अलग राज्यो में अलग अलग दरें हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र में यूनिट का चार्ज एक समान होना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि इन बोर्डों के क्रियाकलापों का पुनरीक्षण होना चाहिये और इन में सुधार लाया जाना चाहिये।

असम में जन आन्दोलन हुआ, विद्यार्थियों का आक्रोश भड़का। वहां पर आपको जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसको युद्ध स्तर पर करना चाहिये। छोटे छोटे उद्योगों को आपको रियायती दरों पर बिजली देनी चाहिये। वहाँ के लोगों को राहत पहुंचाई जानी चाहिये, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे वहा की शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो। लोगों को सन्तोष हो, इस तरह के काम आपको करने चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर): यदि किसी मंत्री को इस बात की चेतावनी दी जानी है कि इस सभा के निर्णय को वह सदा ही नहीं निश्चित समझ सकते और यह कि कोई प्रस्ताव बहुत तकनीकी और बहुत साधारण है और उसके लिए संसद सदस्यों को जानकारी की जरूरत नहीं तो यह वाद विवाद ही प्रर्याप्त चेतावनी है। आशा है कि हमारे वर्तमान मंत्री/मंत्रालय सदैव ध्यान रखेंगे कि अपने प्रस्तावों के सहित आते समय वे आवश्यक समझेंगे कि सभा को जानकारी देना जरूरी है और उस बारे में सभा के सभी वर्गों के सदस्यों की राय और ज्ञान के संबंध में जानकारी लेना आवश्यक है। मैं मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया मुझे काफी जानकारी मिली।

असाधारण बात तो यह है कि केवल आसाम की ही अवहेलना नहीं हुई है बल्कि आसाम के लोगों की भी बुरी तरह उपेक्षा की गई है। चार वर्षों तक उन्हें अपने राज्य के बिजली बोर्ड

संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई मेरे बहुत से मित्रों को शिकायत है कि बिजली बोर्डों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते। यह किसका उत्तरदायित्व है। यह स्थानीय सरकार का दायित्व है। लेकिन उससे भी अधिक केन्द्रीय सरकार का दायित्व है।

मैं प्रधान मंत्री विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाये और भूटान, नेपाल और बंगला देश जैसे पड़ौसी स्वतंत्र सरकारों से सम्पर्क रखा जाये। ब्रह्मपुत्र के जल साधनों का लाभ उठाने के लिए उन्हें किन-किन देशों से वार्ता करनी होगी ताकि बिजली का उत्पादन और विकास कर सकें।

मैं नहीं समझता कि 300 करोड़ काफी होंगे हम सुपर तापीय बिजल घर बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में हजारों करोड़ रुपये खर्च रहे हैं। पर बिजली बहुत सस्ती है। हमें ब्रह्मपुत्र से पन बिजली विकास कार्यक्रम कराना चाहिए। अतः प्रधान मंत्री से अपील है कि वे कुछ समय निकाल कर इस मामले में पड़ौसी देशों से बात करें और योजना आयोग को भी कहें कि भारत में या बाहर जितने धन की भी आवश्यकता हो वह आसाम को और सारे पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र को पन बिजली विकास के लिये दिए जायें। अब वे आसाम और पूर्वोत्तर और राज्यों की ओर ध्यान दे रहे हैं मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्रधान मंत्री इस बात से खुश नहीं हैं कि हमने काफी प्रयत्न किए हैं वह चाहती हैं कि हम और प्रयत्न करें और निकट भविष्य में वे सफलता के प्रति आशावादी हैं। इस समझौते के बारे में जब मैं उन्हें धन्यवाद देने गया तो उन्होंने कहा: प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। अभी काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। शांति से बैठने से पूर्व हमें उन पर काबू पाना है।" वह तो इतनी सचेत हैं।

इसके साथ ही मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत तथा अन्य स्रोतों के विकास पर जोर देना चाहता हूं। आशा है विदेश मंत्री यथा सम्भव अपनी शक्ति वैसे ही बचा कर रखेंगे जैसा वह विश्व के विभिन्न भागों में शांति बनाये रखने के लिए करते हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह जो संकल्प है, उसमें तो विरोध करने की कोई बात नहीं है। "देर आयद दुरुस्त आयद"—देर से ही सही, यह अच्छा काम किया गया है। लेकिन मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि जिन देशों में विकास का पूंजीवादी मार्ग अपनाया जाता है, उनमें कुछ इलाके और कुछ व्यक्ति काफी आगे बढ़ जाते हैं और अन्य पीछे रह जाते हैं। हमारे देश के कई भागों की सदा से उपेक्षा की जाती रही है। मैं रंगा साहब से सहमत नहीं हूं कि आसाम के लोगों का दोष है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे देश में आज भी ऐसे इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं। उनके संतुलित विकास की ओर भारत सरकार ने—चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार—ध्यान नहीं दिया है।

नतीजा यह हो रहा है कि आज बहुत सारी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं। कहीं झारखंड आन्दोलन चल रहा है, कहीं त्रिपुरा में आन्दोलन चल रहा है, कहीं आसाम में चल रहा है, कहीं मणिपुर में आन्दोलन चल रहा है। पिछड़े हुए इलाकों की जो समस्याएं जटिल बनी हुई थीं वह आज इनको भड़का रही हैं। इस दिशा में अगर विद्युत के विकास के लिए वहां कोई काम किया जा रहा है तो वह सही है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि विद्युत बोर्डों की व्यवस्था खास कर हमारे बिहार में अच्छी नहीं है। वहां ऐसा मालूम होता है कि विद्युत बोर्ड वहां का केवल एक उजला हाथी है जिसके अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली का संकट बिहार में बना हुआ है। रूरल

एलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि राज्य के आन्तरिक अधिकारों का हनन किए बगैर विद्युत बोर्डों के विकास की दिशा में जैसे आसाम में ध्यान दिया गया है वैसे ही बिहार में भी ध्यान दिया जाए। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ही नहीं अन्य राज्यों के विद्युत बोर्डों के कार्य-संचालन की दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उस के जरिए विद्युतीकरण हो और उससे देश का विकास हो सके। बिना तेजी से विद्युतीकरण किए देश की तमाम विकास की योजनाएं जो हम चलाना चाहते हैं जिसके लिए हमने संकल्प किया है, वह सफल नहीं होंगी। इसलिए जो कुछ किया गया है वह प्रशंसनीय काम है। जो आवश्यकताएं हैं इनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का मैं समर्थन करता हूं। असम में बिजली बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है। इस बोर्ड की प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लेखे प्रस्तुत किये जाते हैं और उनकी लेखा परीक्षा की जाती है। बड़े खेद की बात है कि बार-बार स्मारक भेजने के बाद भी असम राज्य बिजली बोर्ड के लेखे हमें नहीं भेजे गये। वहां काफी समय से गड़बड़ी चल रही है। शायद यही कारण हो सकता है। हमारे पास 1977-78 तक के अस्थायी लेखे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अधिनियम की धारा 69 (4) के अधीन बोर्ड के लेखों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है। उपधारा में लिखा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यह लेखे जांचे जाने चाहिए। अतः आपने स्थिति को ठीक ढंग से नहीं सम्भाला।

श्री विक्रम महाजन : वर्ष 1977-78 के अस्थायी लेखे मिल गये हैं। असम सहित बिजली बोर्डों के लेखों में गड़बड़ है।

मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कुछ किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने हाल ही में सभी मुख्य मंत्रियों से आवश्यक उपाय करने को कहा है। हाल ही के विद्युत मंत्री सम्मेलन में हमने उन्हें बताया कि केन्द्र उनकी हर तरह से मदद करेगा लेकिन वे अपनी जरूरतें बता दें। यदि हम उस में लगें तो काफी लम्बा समय लग जायेगा। वे वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था, टैरिफ आदि को देखते हैं। प्रधान मंत्री स्वयं मामले में गहरी रुचि ले रही हैं। असम में चूंकि राष्ट्रपति शासन है, इसलिए हमें आपके समक्ष आना पड़ा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमने 40 करोड़ रु० की सीमा क्यों लगाई है और राशि अधिक क्यों नहीं रखी। इसका कारण यह है कि बिजली विकास के लिए रखी जाने वाली राशि राज्य की सभी योजनाओं का ही एक भाग होती है। इन संसाधनों को जुटाते समय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कमाये जाने वाले लाभ पर भी ध्यान दिया जाता है और शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों, जीवन बीमा निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम या बाजार से ऋण लेकर की जाती है। अतः कुछ विद्युत बोर्डों के लिए, जो आंतरिक रूप से साधन नहीं जुटा पाते, काफी वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती हैं।

इस समय असम बिजली बोर्ड ने बाजार, जीवन बीमा निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 31 मार्च, 1980 तक लगभग 92 करोड़ रुपये लिए हैं। 1982-83 में अनुमान है कि अतिरिक्त ऋण लगभग 64 करोड़ रु० के होंगे। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अगले दो वर्षों

में ऋण 40 करोड़ रुपये के होंगे। इसीलिए हमने 40 करोड़ रु० मांगे हैं। 2 वर्षों बाद राज्य सरकार और भी प्रस्ताव कर सकती है। संकल्प में प्रस्ताव है कि 95 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर को बढ़ा कर 130 करोड़ रुपये किये जाने का प्रस्ताव है ताकि बिजली बोर्ड की जरूरतें पूरी हो सकें। नये राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के बाद सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक भविष्य की योजना का सम्बन्ध है, हमने असम के लिए काफी क्षमता तापीय तथा पन बिजली की मंजूरी दी है। 1985-86 में कुल क्षमता दुगुनी हो जाएगी। इस समय क्षमता 161 5, मेगावाट है जो 1985-86 में 498 मेगावाट हो जायेगी और 150 करोड़ रु० से अधिक का निवेश किया जायेगा। अगले 5-6 वर्षों में असम में ये नई योजनाएं ली जायेंगी। कई नई योजनाओं की हम जांच कर रहे हैं जिनसे नई क्षमता पैदा होगी। इस समय हमारा अनुमान है कि पन बिजली क्षमता लगभग एक हजार मेगावाट है। हम इसे और विकसित करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की बात कही है। अगले 2-3 वर्षों में हम असम के 40% गांवों में 59 करोड़ रुपये लगा कर बिजली पहुंचा देंगे। हरिजन बस्तियों के लिए अलग राशि रखी गई है। श्री हरिकेश बहादुर ने हरिजन बस्तियों की बात उठाई थी। हरिजन बस्तियों के लिए रखी गई राशि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से अलग है।

प्रो० एन० जी०रंगा : हरिजन तथा जनजातीय।

श्री विक्रम महाजन : जी हां, उनके लिए भी। हम असम के संसाधनों के भरसक विकास की व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्र सरकार उत्सुक है कि पहले से मंजूर परियोजनाएं पूरी कर ली जायें। वास्तव में असम को पड़ोसी राज्यों से भी सहायता मिलती है। वहां 220 कि० वा० लाइनें हैं। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पन बिजली हेतु संसाधन हैं, जिनकी जांच करके परियोजनाओं को यथा संभव शीघ्र मंजूर किया जा रहा है। प्रधान मंत्री असम समस्या सुलझाने के लिए और वहां के आर्थिक विकास हेतु बहुत प्रयत्न कर रही हैं। मैंने शायद सभी बातों का जवाब दे दिया है और मैं सिफारिश करता हूं कि संकल्प पास किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत एक सौ तीस करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निश्चित किये जाने का जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी समय ऋण के रूप में ले सकता है, अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जाये।"

अभ्रक खान उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु गतिविधियों में वृद्धि के लिए अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946 बनाया गया था और 23 अप्रैल, 1946 से लागू किया गया था। अधिनियम में व्यवस्था थी कि देश से निर्यात होने वाले सभी अभ्रक पर $6\frac{1}{4}$% से अनधिक दर से सीमा शुल्क के रूप में यथा मूल्य उपकर लगाया जाये जो केन्द्रीय सरकार द्वारा

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाये। उपकर की वर्तमान दर जो 15-7-1974 से प्रभावी है यथा मूल्य $3\frac{1}{2}\%$ है।

अभ्रक खान उद्योग मुख्यतया आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान में केन्द्रित है और उसमें 9000 श्रमिक काम करते हैं। वर्षों से कल्याण निधि का उपयोग इन श्रमिकों के कल्याण के लिए किया सुविधाएं देने में किया जाता है जिनमें चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्पत्ति सम्बन्धी संस्थाएं खोलना, रियायती दर पर आवास, पेय जल, शिक्षा छात्रवृत्तियां तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना मुख्य है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 से केन्द्रीय अधिनियम को अधिकार मिला है कि अधिनियम का प्रयोजन पूरा करने हेतु नियम बनाएं। अधिनियम में इस समय यह व्यवस्था नहीं कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाये जैसा कि 26-1-1950 से बनाए जाने वाले सभी नियमों के सम्बन्ध में व्यवस्था है।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (5वीं लोक सभा) ने इस पहलू पर विचार किया जिस ने अपने 14वें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की कि सरकार को सभी अधिनियमों की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उनके अन्तर्गत बने नियमों को संसद के समक्ष रखे जाने का उपबन्ध है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) ने विशेष रूप से इच्छा व्यक्त की कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 में त्रुटि को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाये। इसी कारण यह विधेयक सभा के विचारार्थ लाया गया है। विधेयक का उद्देश्य अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि की धारा 6 की उपधारा (3) में यह व्यवस्था करना है कि अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखा जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : अपने मित्र माननीय श्रम मंत्री द्वारा विचार के लिए पेश किए गए विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

जैसा मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि यह विधेयक एक साधारण संशोधन विधेयक है इसमें धारा 6 का संशोधन करके केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को अधिनियम के प्रयोजनार्थ लागू करना है। जैसा मंत्रीजी ने स्पष्ट किया है यह विधेयक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिश के अनुरूप लाया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति स्पष्टतः अनुभव करती है कि सरकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है और संसद को न केवल उन नियमों से परिचित होने बल्कि उनकी जांच करने ताकि अधिनियम के कार्यकरण का अनुमान लगाया जा सके, का भी अधिकार होना चाहिए। जिससे यह देखा जा सके कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम से श्रमिकों का कल्याण कैसे हो सकता है।

इस संशोधन के कानून बन जाने से संसद को अवसर मिलेगा कि कल्याण संबंधी कानून के उपेक्षों के अनुरूप सरकार द्वारा किए गए उपायों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा है इस विधेयक से हमें अभ्रक खान श्रम श्रमिकों की समस्याओं को विशेषकर कल्याण संबंधी समस्याओं को देखने का अवसर मिलेगा।

जब मैं दूसरी ओर बैठता था तो कई बार इस प्रकार के साधारण विधेयक के मामले में भी माननीय सदस्य अनेक समस्याएं पैदा कर देते थे जिनका विधेयक से दूर का भी संबंध नहीं

होता था। मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि सभा में उपहास हो लेकिन मैं इस अवसर का लाभ मूल अधिनियम के प्रयोजनार्थ निधि के संबंध में कुछ टिप्पणियां अवश्य करूंगा।

जैसा मंत्रीजी ने कहा है हमारी अधिकतर अभ्रक खाने, बिहार, आंध्र और राजस्थान में हैं। यह निधि श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई है। मुझे कहने में झिझक नहीं कि यह श्रमिक सबसे अधिक कठिनाई और जोखिम भरे कार्यों में लगे हुए हैं। अन्य खान श्रमिकों की भांति अभ्रक खान श्रमिकों का कोई सुदृढ़ संगठन नहीं। अतः चाहे ऐसे श्रमिकों की संख्या अधिक न हो, संगठन प्रभावी न हो सरकार को उनको राहत देने के लिए उपाय करने चाहिए। कोयला खान उद्योग की तरह इन खानों में अधिकतम स्वामित्व निजी क्षेत्र का है।

प्रो० एन० जी० रंगा : लगभग सभी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी हां, एक या दो अपवाद हो सकते हैं लेकिन सभी निजी लोगों के पास है। इससे अलग स्थिति पैदा हो जाती है। कोयला खानों में तो सरकार नियोजक भी है और देखरेख भी करती है। नियोजक के रूप में सरकार का दायित्व उदाहरण सामने रखना है और समाज के देखरेख के लिए भी उसका अतिरिक्त दायित्व है। कोयला खानों में उसका दोहरा दायित्व है लेकिन अभ्रक खान निजी हाथों में होने के कारण सरकार को श्रमिकों के कल्याण हेतु अधिक देख भाल करनी चाहिए।

इस क्षेत्र में इसकी भूमिका निगरानी करने की हैं; अतः सरकार के लिए आवश्यक है कि वह उचित विधान बनाकर यह सुनिश्चित करें कि कार्य की शर्तें, सुरक्षा, जांच सम्बन्धी तंत्र, न्यूनतम मजदूरी और उसका समय-समय पर पुनरीक्षण तथा कर्मचारियों की पदोन्नति और उनका कल्याण सुनिश्चित करे।

बिना वेतन और कार्य को शर्तों पर ध्यान दिये कल्याण के बारे में सोचना सम्भव नहीं है। जैसा कि श्रम मंत्री ने कहा है यह मामले आपस में जुड़े हुए हैं। उन्हें न केवल मंत्री होने का अपितु मजदूर संघ के कार्य का भी अनुभव है इसलिए मेरा विश्वास है कि वह मेरी तरह यह मानेंगे कि कल्याण का सिद्धांत एक समेकित सिद्धांत है। इसे वेतन तथा विधान से पृथक नहीं किया जा सकता और न ही इसे सुरक्षा से भिन्न माना जा सकता है। अतः मैं वेतन के प्रश्न का उल्लेख करूंगा क्योंकि मेरे मित्र जानते हैं कि अभ्रक खान मजदूरों के वेतन बहुत ही कम हैं। उनका वेतन 1976 में निश्चिम किया गया था। मैंने कोयला खान मजदूरों की संगठित शक्ति का उल्लेख किया था और बताया था कि उन्होंने किस प्रकार अपने न्यूनतम वेतनों को काफी अधिक निश्चित किया जाना सुनिश्चित किया। जब जनता सरकार सत्तारूढ़ थी तब कोयला खान मजदूरों के पुनरीक्षित वेतन लागू किए गए थे जो एक कोयला खान श्रमिक के न्यूनतम वेतन 100 से भी अधिक रुपए प्रतिमास से भी अधिक थे। आज उसका न्यूनतम मासिक वेतन, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते और उपस्थिति बोनस सहित 538 रुपए है जबकि भूमि के अन्दर काम करने वाले अप्रशिक्षित मजदूर को केवल 6·96 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और अर्द्धप्रशिक्षित मजदूर को 8·70 रुपए और प्रशिक्षित मजदूर को 10-44 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं जबकि भूमि के ऊपर काम करने वाले मजदूर को मात्र 5·80 रुपए, अप्रशिक्षित मजदूर को 7.25 रुपए और प्रशिक्षित मजदूर को 8.70 रुपए ही मिलते हैं। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं अभ्रक खानें काफी संख्या में हैं, वहां मजदूर को भूमिगत कार्य के लिए करीब 37·38 रुपए साप्ताहिक और खुली खानों में काम करने वाले मजदूर को 37·08 रुपए साप्ताहिक वेतन मिलता है। ये

वेतन 1976 में निश्चित किए गए थे अतः यह उचित समय है कि श्रम मंत्री अभ्रक खानों के मजदूरों के न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित करने की ओर ध्यान दें।

मैं वेतन पुनरीक्षिण के लिए लाए गए प्रस्तावों का विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए 5·80 से 6·65 की प्रस्तावित वृद्धि 1976 से अब तक रुपए के मूल्य में हुए ह्रास को देखते हुए कुछ भी नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि मेरे मित्र इससे सहमत होंगे कि वास्तव में उनके वास्तविक वेतन में इस प्रकार कमी होती है न कि वृद्धि।

दूसरी ओर यदि अभ्रक के मूल्यों को देखा जाए क्योंकि मूल्यों का संबंध वेतन से ही होना चाहिए तो मूल्य बढ़ते ही रहे हैं। उसका निर्यात 1977.78 में 14,911 टन से बढ़कर 197980 में 18,859 टन हो गया है। इसका मूल्य 1978.79 में 18·75 करोड़ से बढ़कर 19·23 करोड़ और 1979-80 में 23·03 करोड़ हो गया था। यदि मेरे मित्र यह कहें कि चूंकि शुल्क मूल्य अनुसार होता है अतः मूल्य बढ़ने पर शुल्क बढ़ेगा ही तो इससे मैं सहमत हूं। परन्तु मैं तो यह बताना चाहता हूं कि जब मूल्य बढ़ने पर शुल्क बढ़ता है तो वेतन भी उसी क्रम में बढ़ना चाहिए। यदि 4 वर्षों में वेतन नहीं बढ़ते तो उसे वास्तविक वेतन में कटौती माना जाएगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभ्रक की इकाई मूल्य वसूली भी गत तीन वर्षों में बढ़ी है।

जैसा मैंने शुरू में कहा था, जहां वेतन कम होते हैं वहां कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। एक ओर जब कभी वेतन वृद्धि की मांग की जाती है तो हमें बताया जाता है कि इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। इसका उत्तर यही है कि मुद्रा स्फीति तभी बढ़ेगी यदि महंगाई भत्ते अथवा वेतन में वृद्धि की जाए परन्तु दूसरी ओर यदि वेतन की मात्रा में आप वृद्धि नहीं करना चाहते तो मजदूरों को राहत कार्यों द्वारा ये लाभ दिए जा सकते हैं। उनके जीवनस्तर में तथा उनके जीवन में सुधार लाया जाना चाहिए और उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। परन्तु इसमें भी शायद कुछ कठिनाई है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है, अधिनियम के अधीन जमा की गई राशि आवास, जलपूर्ति, चिकित्सा आदि पर खर्च की गई है इस संबंध में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यद्यपि कम लागत आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय अथवा मानक प्राक्कलन का 75 प्रतिशत भाग खान मालिकों को दे दिया जाता है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि खान क्षेत्रों में मकानों की संख्या श्रमिकों की संख्या के अनुरूप है। मेरा विश्वास है कि मेरे मित्र इस उपबंध का प्रयोग न केवल प्रोत्साहन के रूप में परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो खान मालिकों को पर्याप्त आवास सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करने के लिए भी प्रयोग में लायेंगे।

जलपूर्ति भी एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की अत्यधिक कमी है। इसलिए मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि इस वर्ष के बजट में प्रावधान कुछ कम कर दिया गया है क्योंकि 1979-80 में 1·52 लाख रुपए का प्राक्कलन पुनरीक्षित करके 1·16 लाख रुपए हो गया जो 1980-81 में और कम करके 1·06 लाख रुपए कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलती है क्योंकि जल पूर्ति की आवश्यकता में कोई कमी नहीं आई है अतः यह प्रावधान अपर्याप्त है और मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए।

दुर्घटनाओं के बारे में मैं यही कहूंगा कि इनकी ओर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। आकड़ों को देखते हुए हम पाते हैं कि अभ्रक खानों में औसतन 5-6 घातक दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 5-6 व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते हैं। मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार विधवाओं यतीमों

और आश्रितों को 1979-80 में 2770 रुपए अनुदान स्वरूप दिए गए। मैं इस राशि को बहुत ही कम समझता हूं। कोयला खानों में जब कभी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा औसतन 20,000 रुपए से भी ऊपर बैठता है—अर्थात 20,00 और 30,0000 रुपए के बीच। जीवन तो सभी को प्यारा होता है चाहे वह कोयला खान में काम करता हो अथवा अभ्रक खान में। अतः इस संबंध में कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। चाहे वह अनिवार्य सामूहिक बीमा योजना हो अथवा दुर्घटना बीमा योजना जिसे प्रबंधकों के लिए लागू करना अनिवार्य हो और वह यह सुनिश्चित करें कि दुर्घटना मृत्यु हो जाने पर अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उचित मुआवजा परिवार को दिया जाए। जीवन बीमा निगम द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं और मंत्री महोदय के लिए अनिवार्य सामूहिक बीमा योजना के इस प्रस्ताव को लागू करना सम्भव होना चाहिए।

स्वास्थ्य के संबंध में मुझे यही कहना है कि डाक्टरी परीक्षा अनिवार्य होना चाहिए... (व्यवधान)

कोई बात नहीं। मैं यह सब बातें उनके द्वारा विचारार्थ कह रहा हूं इसे आलोचना न सझा जाए।

जहां तक अभ्रक खान मजदूरों की डाक्टरी परीक्षा का संबंध है, अप्रैल 1979 से यह लागू कर दी गई थी परन्तु वर्तमान उपबंध 5 वर्षों में एक बार सामुहिक डाक्टरी परीक्षा के लिए हैं। मैं जानता हूं कि यह श्री गणेश है परन्तु वह यह नहीं मानेगे कि इसका क्रम बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह उद्योग काफी जोखिम-भरा है। और मजदूरों को क्षय रोग हो सकता है क्योंकि फैल्डस्पार', 'सिलिकेट' आदि के कण श्वास द्वारा उनकी छाती में चले जाते हैं जिससे उन्हें क्षयरोग, सिलिकोशिस, न्यूमोकोट्रासिस आदि जैसे रोग हो सकते हैं अतः उनकी नियमित रूप से डाक्टरी, जांच, आवश्यक उपाय और उपचार सुनिश्चित किए जाने चाहिएं।

मेरे मित्र के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जो चिकित्सालय बने हुए हैं, वहां निवासी इलाज के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं। यह अच्छी बात है परन्तु वे काफी नहीं हैं उन्हें इन सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास करने चाहिएं।

जहां तक रोगात्मक पहलू का सम्बन्ध है मेरे मित्र को पता होगा कि उनके मंत्रालय के अधीन एक संस्थान "फासली" है जिसका मुख्यालय में बम्बई में है और जो ऐसे औजार आदि तैयार कर रहा है जिससे मजदूरों का इन रोगों का शिकार होना कम हो जाता है और उन्हें अधिक सुरक्षा मिलती है। जैसे आवरण, ऐनकें आदि। ये उपकरण शायद उन्होंने देखे होंगे—वे बहुत उपयोगी हैं, देश में बनते हैं और बहुत सस्ते हैं। उन्हें इसके उत्पादन और प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय न लेता हुआ अन्त में उपकर के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है आज 6-1/3 प्रतिशत की अधिकत दर का उपबंध है। और इस समय निश्चित दर 3-1/2 प्रतिशत है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय इस दर में वृद्धि चाहते हैं? मेरा विश्वास है कि दर वृद्धि के लिए उन्हें अनेक बातों को ध्यान में रखना होगा और मंत्रिमण्डल में इसे स्वीकृत कराने में उन्हें काफी कठिनाई होगी। यदि वह ऐसा सोचते हैं तो अधिकतम दर के अन्दर-अन्दर वह कुछ वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि मजदूरों के कल्याण के लिए ऐसा करना शायद आवश्यक हो।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि कल्याणकारी निधि के मामले में हमें यह देखकर कोई खुशी नहीं हुई कि उसकी इतिशेष में वृद्धि हुई है। 1977-78 में आय 75 लाख और व्यय 65 लाख था। 1978-79 में आय 89 लाख और व्यय 69 लाख था। 1979-80 में अनुमित आय 90 लाख और अनुमित व्यय 80 लाख था। 1980-81 में अनुमित आय 100 लाख और अनुमित व्यय 80 लाख है। 1977-78 में इति शेष 1·02 लाख से बढ़कर 1980-81 में 1·51 लाख रुपए हो गया। मेरा विश्वास है कि मजदूर संघ के नेता होने के नाते मन्त्री महोदय यह अनुभव करेंगे कि इस प्रकार की निधि के लिए यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है।

मैं अधिक समय न लेते हुए मन्त्री महोदय द्वारा पेश किए गए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अभ्रक खान मजदूरों के कल्याण के लिए उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) —सभापति महोदय, माइका लेवर वेलफेयर फंड एक्ट के सेक्शन 2 में इस प्रकार का प्रावधान है—

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में एक सीमा शुल्क निर्यात सेवा अभ्रक पद, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, मूल्यानुसार सवा छः प्रतिशत से अनधिक दर से अनुगृहीत और संगृहीत किया जाएगा।"

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो शेष इकट्ठा किया जाता है वह माइका में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में खर्च करने की पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो अभी बताया और जिस प्रकार की वचत बताई गई है, हर साल जो इकट्ठा होता है उसमें जो खर्च का प्रावधान होता है, हरसाल उसके अंदर बचत रखी जाती है। उससे क्या होता है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज माइका माइन्स के मजदूरों के सम्बन्ध में चालू की जानी चाहिए उसमें हर साल कटौती कर दी जाती है और ऐसे सवालों पर कटौती की जाती है जो मजदूरों के वेलफेयर से सम्बन्ध रखते हैं : सरकारी अधिकारियों या दूसरे काम करने वाले लोगों का खर्चा तो हर साल बढ़ता जाता है, उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है, पचास परसेंट से ज्यादा खर्चा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर किया जाता है और जो मजदूरों की सहायता के काम हैं चाहे वह मकान बनाने का सवाल है, चाहे शिक्षा में उनको स्कालरशिप देने का सवाल है चाहे उनके लिए पीने के पानी का सवाल है, चाहे सड़क बनाने का सवाल है, इन सारे मामलों में जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें कटौती की जाती है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जिससे कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। आज से दस साल पहले हमारे यहां माइका माइन्स में पन्द्रह हजार मजदूर काम करते थे। लेकिन आज यह पोजीशन है कि जहां तक माइका का सम्बन्ध है, हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा माइका पैदा होती है। राजस्थान से जितनी माइका उपलब्ध है उसका 95 प्रतिशत भीलवाड़ा से ही उपलब्ध होती है लेकिन जहां तक माइका माइन्स में काम करने वाले मजदूरों का सम्बन्ध है, आज 15 हजार मजदूरों के स्थान पर केवल 5-6 सौ मजदूर ही वहां पर रह गए हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी एजेंसी, मिटको जोकि माइका के सम्बन्ध में व्यवस्था करती है, उसकी खरीददारी की व्यवस्था करती है वह, राजस्थान के भीलवाड़ा से जो माइका निकलती है उसकी खरीददारी में बहुत कम दिलचस्पी लेती है। बिहार तथा अन्य प्रान्तों में जहां बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, मिटको उनसे माइका खरीदने और उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करती है लेकिन छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खदानें खोदकर जो माइका पैदा करते हैं उसकी खरीददारी के सम्बन्ध में

किसी तरह की कोई व्यवस्था नही हैं जिसके कारण आखिर में उनको मजबूर होकर बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ बहुत कम दाम पर माइका बेचनी पड़ती है। मैं रेलवे मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं हालांकि उनके डिपार्टमेन्ट की यह बात नहीं है, फिर भी लेवर वेलफेयर की बात आप करते हैं और इसी से आपको शेष मिलता है, जितना ज्यादा माइका निकलेगा उतना ही ज्यादा सेस भी आपको मिलेगा और उसी के द्वारा लेवर वेलफेयर एक्टिविटीज भी बढ़ सकेंगी। इसलिए माननीय श्रम मन्त्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और माइका की खदानें जो बन्द पड़ी हैं वह चालू की जायें ताकि एम्प्लायमेंट बढे और मजदूरों को काम मिल सके।

सेक्शन (3) के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी वेलफेयर एक्टिविटीज की जायेगी लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी एटिविटीज चलती हैं उसमें ज्यादातर पैसा स्टाफ पर ही खर्च कर दिया जाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्टाफ पर कितना खर्चा किया जायेगा उसका परसेंटेज निर्धारित हो जाय तभी वेलफेयर एक्टिविटीज की व्यवस्था ठीक हो पायेगी।

हमारे यहां माइका की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के टी बी तथा अन्य बीमारियां हो जाती हैं। उनके लिए जो छोटे २ अस्पताल चलते हैं उनमें पूरी व्यवस्था नहीं होती हैं और अन्य टी बी सेनिटोरियम्स में भी उनको स्थान नहीं मिल पाता है जिसके कारण बिना इलाज के ही वे समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे माइका की खदारों में काम करने वाले मजदूरों की दशा ज्यांदा से ज्यादा सुधर सके। उनकी वेलफेयर एक्टिविटीमू पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

जहां तक माइन्स में सेफ्टी का सम्बन्ध है, साल में एक बार सेफ्टी वीक तो जरूर मना लिया जाता है लेकिन खदानें कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसकी ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। इस सम्बन्ध में देख भाल करने वाले लेवरडिपार्टमेन्ट के जो रीजनल लेवर कमिश्नर हैं वे अजमेर में रहते हैं। वह इतना निकम्मा डिपार्टमेन्ट है कि कभी भी खदानों को नहीं देखता है, मालिकों से वे मिले रहते हैं, मजदूरों को मिनिरम वेज तक नहीं मिलती है। झूठे हस्ताक्षर कराकर थोड़े पैसों में मजदूरों को टरका दिया जाता है। श्रम मन्त्री से मेरा निवेदन है कि आप ने बहुत अच्छे कानून बना दिए लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट जो काम करता है वह किस तरीके से काम करता है ? उदाहरण के लिए 5 रु० 80 पैसे मिनिमम वेज जो आपने तय कर रखी है वह भी मजदूरों को नहीं मिलती है और इस संबंध में जब शिकायत की जाती है तो भीलवाड़ा के जो एल०वी०ओ० या रीजनल लेवर कमिश्नर हैं वे खदानों में जाकर लीपा-पोती कर देते हैं, आगे कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। इस प्रकार से जो मजदूरों का शोषण हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि पेमेंट आफ वेजेज के संबंध में जो अलग-अलग अथोरिटीज बनी हुई और जो वैलफेयर का काम माइका माइन्स के इन्सपेक्टर्स या जो अधिकारियों को दिया हुआ है, उनको देखना चाहिए कि मजदूरों कों मिनिमम वेज मिलती हैं या नहीं मिलती हैं लेकिन इन्सपैक्टर्स लोग देखते नहीं हैं और वहां इसीलिए झगड़े होते हैं आपने जो सैक्शन 5 (क) और (ख) में आपने अधिकारियों को प्रावधान दिए हुए हैं, उनके साथ साथ इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ा जाना चाहिए। माइका माइन्स लेबर वैलफेयर में जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूरों के

हित के लिए जो काम करते हैं, उनको यह भी देखना चाहिए कि मजदूरों को पूरा पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था कानून के अन्दर होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रपोजल्स हमने अपनी कमेटी की तरफ से भी सरकार के पास भेजी है, लेबर डिपार्टमेन्ट के पास भेजी है, मगर उसके संबंध में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट के अन्दर कर दिया जाए कि इन्सपैक्टर्स या वैलफेयर आफिसर्स उनको मिनिमम वेज दिलवाएगी और पेमेन्ट आफ वेजेज के संबंध में कार्यवाही करेंगे, तो उससे जो लोग आज वेजेज से महरूम रह जाते हैं, जिनको कम वेतन मिलता है, वे प्राप्त कर सकेंगे। वहां की लेबर यूनियन्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वे लोग प्राविडेंट फण्ट या ग्रेच्युटी भी प्राप्त कर सकें कुछ इस प्रकार के अधिकार यदि आप वैलफेयर एक्टीविटीज में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको दें तब जाकर मजदूरों के हितों की रक्षा हो सकेगी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं और जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, वे उनके ऊपर ध्यान देंगे और आईंदा इस प्रकार का जब कभी मौका आए तो इस प्रकार का प्रावधान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, पांचवी लोक सभा, ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में इच्छा व्यक्त की थी कि सरकार को यह पता लगाने के लिए कि किस किस अधिनियम में अधिनियमाधीन बनाए गए नियमों को सभा पटल पर रखने का उपबन्ध है सभी अधिनियमों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

तो आप कमेटी की पालना इस प्रकार करते हैं कि चौथी लोक सभा में पेश किया और 7वीं लोक सभा में आह अमेण्डमेन्ट लेकर यहां आये हैं इसके लिए मैं श्री टी अन्जैय्या साहब को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चौथी लोक सभा आपको कोई दो बार डायरेक्शन देदे और उसके बाद आप पांचवी और छठी लोक जभा में लाये, सातवीं लोक सभा में लायें।

प्रो० एन०जी० रंगा—यह पहली सरकार थी जो इस बारे में लापरवाह थी।

श्री मूलचन्द डागा : फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात तारीफ की है कि 1946 में जो एक सोशियो-इकानामिक लेजिस्लेशन बन गया, जो माइका-माइन्ज-वेलफेअर-फण्ड, 1946 है, उसके बाद यह बड़ी अजीब बात है कि 1946 से लेकर 1980 तक बिना रूल्ज बनाए काम चलता रहा। कितना गजब का ये लोग काम करते हैं। आप इसके सारे प्रविजन्ज को पढ़ें, 1946 में लेजिस्लेशन बना लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसमें पार्लियामेन्ट के सामने कुछ नहीं लाना था, केवल सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सामने जाना था, लेकिन वह भी नही हुआ। सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम तो इनको ही करना था।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज कल एक्जीक्यूटिव अथारिटीज पार्लियामेन्ट के राइट्स पर एन्क्रोचमेन्ट कर लेती हैं और इस प्रकार एन्क्रोचमेन्ट करती हैं, आर्टिकल 309 की बात छोड़ दीजिये, सारी सर्विसज के अन्दर इन्होंने रूल्ज का अमेण्डमेन्ट किया और जहां स्वीटेबिल हुआ, वहां अपने लोगों को लगा दिया, इन्होंने इस तरह से एक्जीक्यूटिव एजेन्सीज का एक बिल 1946 में पास किया। हमारी सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी कहती है कि इसके नीचे आप इस क्लाज को इंक्लुड कीजिए। आज 9 साल के बाद अंजय्या साहब इसको लेकर आए हैं। यह बहुत धन्यवाद की बात है, उनकी मेहरबानी है।

यह सारा काम 1946 से चल रहा है। सभापति महोदय, कैसे यह सारा काम चलता

रहा है यह भगवान जाए सभापति जी आप तो महाराष्ट्र सेसेम्बली के स्पीकर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे एक्जीक्युटिव हमारे राइट्स पर एन्क्रोचमेंट करती है। आप जरा इनसे कहिए। भगवान इन माइका वर्कर्स की रक्षा करे। माइका माइंस वर्कर्स आंध्र में हैं, राजस्थान में हैं।

मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं भी पांच-साल के लिए वेल्फेअर फण्ड बोर्ड का मेम्बर रहा हूं। उसका मेम्बर बनने में एक आराम है कि जो मेम्बर बन जाता है वह टी०ए०, डी०ए० बना सकता है। जितने भी बोर्ड के मेम्बर बनते हैं उनके टी०ए०, डी०ए० खूब बनते हैं। मैं एक लेबर कालोनी का डवलपमेंट देखने गया। वहां की उसी दिन सफाई हुई थी। वरना वहां के मजदूरों की दर्दनाक हालत थी।

हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने काफी श्रम किया है, बड़ी कृपा की है यह अमेंडमेंट बिल लाए हैं। मगर मैं उनसे कहता हूं कि यह एक आर्टिकल निकला है, माइका माइन्स के मजदूरों के बारे में, जरा वे इस आर्टिकल को पढ़ लें। हमारे वेल्फेअर फण्ड के बारे में कोई कानून नहीं है। यह वेल्फेअर फण्ड इसलिए होता है कि उसका बीस परसैंट आफिसर के घर में खर्च होता है। उसके यहां सर्वेंट रहते हैं। वेल्फेअर फण्ड से रीडिंग रूम बना रखे हैं। मैंने उनमें देखा कि कुछ अखसार रखे हैं, एक जगह मैंने देखा कि साप्ताहिक हिन्दुस्तान रखा हुआ था। वे कौन पढ़ता है! वे आफिसर के चिल्ड्रन पढ़ते हैं। बच्चों की एक प्रसिद्ध मैगजीन चन्दामामा मैंने वहां देखी। मैंने पूछा कि यह कौन पढ़ता है? क्या यह मजदूर पढ़ते हैं? एक लेबर ने मुझे दबी जबान में बताया कि आज आप आये हैं इसलिए यहे यहां आज टेबल पर रख दी गयी है वरना यह आफिसर के घर पर उसके बच्चों के काम आती हैं।

मैं कहा करता हूं कि ये जो वेल्फेअर फण्ड के आरगेनाइजेशन काम करते हैं वे लेबर डीलर्स के लिए काम करते हैं। उन लेबर डीलर्स के लिए जो कि चंदे पर रहना चाहते हैं। वे ही इन फन्ड्स में पार्टिसपेट करते हैं। मजदूरों की जिन्दगी को देख देख कर के तो मुझें तरस आता है। ये तथा कथित ट्रेड यूनियन उस फण्ड का लाभ उठाते हैं। यह मैं ठीक कह रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप यह अमेंडमेंड बिल लाये हैं।

सभापति महोदय ; डागा जी यह अमेंडमेंट बिल है, आप जनरल विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : 1946 के बाद यह जो अमेंडमेंड बिल आया है उसके लिए तो मैंने पहले धन्यवाद कर दिया। लेकिन ऐसे मौकों पर मजदूरों के लिए ध्यान खींचा जाना चाहिए।

माइका माइन्स में जो वर्कर्स काम करते हैं वे टी बी के पैशेन्ट होते हैं। उनको टी० बी० बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि उनकी रहने की हालत, खाने की हालत और पीने की हालत बहुत खराब होती है। आप रोज कुछ न कुछ लेबर के लाभ के लिए लाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बार बार मैं कहना नहीं चाहता लेकिन उनकी हालत बहुत ही चिन्ताजनक है, दयनीय है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ अधिक उनकी हालत के बारे में कहूं।

प्रो० एन०जी० रंगा : महिला कर्मकारों की दशा तो और भी खराब है।

श्री मूल चन्द डागा : आप यह सवार्डिन्ट लैजिस्लेशन लेकर आए हैं लेकिन जितने भी रूल बने हुए हैं उनको भी तो आप टेबल पर रख दें ताकि उनकी कमेटी चांज कर ले। हम यह नहीं कहेंगे कि आप देरी से क्यों रख रहे है। हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे इस पर। जो आपका धर्म है उसको आप कर दें। जो दान करना है अभी कर दें।

श्री रीतकाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : माइका माइनिंग के काम में जो श्रमिक नियोजित हैं उनके वास्ते जो उपबन्ध हैं और उन में जो संशोधन आप कर रहे हैं, उसका तो मैं समर्थन

करता हूं लेकिन मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आपको एक कम्पिहैसिव बिल ले कर हमारे सामने आना चाहिए था ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के अधिकारियों को ही सारी पावर्ज डैलीगेट कर दी जाएं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए

माइका माइन ओनर्ज अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रबन्ध कर लेते हैं कि उनके नाजायज कामों पर कोई पाबन्दी नहीं लग पाती है और मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है । आज मजदूरों की हालत जो माइनिंग करते हैं, चिन्तनीय है । मेरे क्षेत्र में मुख्यतः माइका माइनिंग का काम माइका प्रासैसिंग का काम होता है । माइनिंग के काम में जहां पहले दस पंद्रह हजार श्रमिक लगे हुए थे कोडरमा क्षेत्र में और गिरीडीह, हजारी बाग, मुंघेर का जो करीब डेढ़ सौ किलोमीटर का बैल्ट है, उस में जहाँ आज केवल दो तीन हजार से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर रहे है । माइका का जो उत्पादन है वह इस कारण से दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए जो उपाय अभी उपलब्ध हैं, जो व्यवस्था है वह नितान्त असन्तोषजनक है, अपर्याप्त है । इस कारण से मजदूर वर्ग में असन्तोष बहुत बढ़ता चला जा रहा है । वे संगठित भी नहीं हो पाते हैं । इसका कारण यह है कि माइका माइंज सुदूर जंगलों में चालीस, पचास, साठ, सत्तर मील दूर दूर होती है और वे युनाइट नहीं हो पाते हैं और यूनियनबाजी भी अधिक नहीं हो पाती है । जो माइन ओनर्ज हैं वे उनको जैसा चाहते है अपने इशारे पर नचाते हैं । यही कारण है कि परमानेट लेबर बहुत कम संख्या में हैं, दस पंद्रह परसेट ही है और बाकी तमाम जो लेबर है वह अस्थायी है । अस्थायी उस को इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी मजदूरी कम देनी पड़े और प्राविडेट फंड आदि की सुविधायें उनको प्राप्त न हो सकें । इसका नतीजा यह है कि माइनों से उत्पादन जो होता है वह गिरता जा रहा है और जो विदेश मुद्रा प्राप्त होती थी उस में गिरावटें आ रही हैं 1968 में 32200 मैट्रिक टंज का जहां उत्पादन हुआ था वहां वह 1970 में गिर कर 32000, में 1973 में 26000, 1978, में 16000, 1979, में 8000 और सम्प्रति 6500 मट्रिक टन रह गया । माइका के उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई है । इसका कारण यह कि जो मजदूर अभ्रक खनन के कार्य में लगे हुए, हैं, उन्हें अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो सुविधायें मिलनी चाहिए, वे उन लोगों को उपलब्ध नहीं हैं ।

अभ्रक खान श्रम का कल्याण संगठन का मुख्यालय करमा में है वहां एक हास्पिटल है । वहां एक कल्याण प्रशासक और एक उपायुक्त हैं । कमिश्नर इलाहाबाद में रहते हैं । मजदूरों के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह अपर्याप्त हैं । अधिकारी वहां पर पंद्रह बरस से पड़े हुए है । किसी का स्थानान्तरण नहीं होता है । उन्होंने भ्रष्टाचार का एक जाल बिछा रखा है, जिसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है । जो अभ्रक श्रम कल्याण प्रशासक हैं, वे वहां पर पंद्रह बरसों से बैठें हुए हैं । वह कोआपरेटिव का 41 लाख रुपया खा गये हैं । उन्होंने तीन लाख रुपये बिस्किटों के नाम पर खर्च कर दिये । उन्होंने कुछ रुपया खर्च करके मजदूरों को बिस्किट दे दिये और बाकी रकम को हज्म कर गये । मैने इस बारे में कई बार लिखित रूप से कहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है ।

नियम और उपनियम बनाने की पावर दिल्ली में है । स्थल पर जा कर कोई नहीं देखता है कि मजदूरों के काम करने, रहने और खाने आदि की क्या स्थिति है । उनके गांवों में सड़कें

नहीं है, विजली की व्यवस्था नहीं है। बच्चों की पढ़ाई और टी वी के इलाज की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

अबरक खानों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति सदा अपेक्षा बरती गई है। जो नियम बनेंगे, उनकी घोषणा शासकीय गजट में कर दी जायेगी। जब से स्वीकृत के लिए पालिमेंट में आयेंगे, तो सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। 1946 में जो कानून बना था, उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही उस पर पुनर्विचार किया गया है।

माइका के उद्योग में आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कई लाख मजदूर काम कर रहे हैं। दुनिया का 80 प्रतिशत माइका यहां पैदा होता है। उसकी स्थिति हीरे-जवाहिरात की तरह है। वह 2 से लेकर कर छः हजार रुपये प्रति-किलो के हिसाब से विकता है। उसकी वहुत बुद्धिमत्ता से जांच की जाती है। प्रासेसिंग के काम में भी लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। उनके लिए भी चिकित्सा तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। अभ्रक पर लगाई गई माइका एक्सपोर्ट ड्यूटी के द्वारा 1968 से आज तक 100 करोड़ रुपये से अधिक केन्द्रीय सरकार के कोष में गये होंगे। लेकिन उस रकम में से मजदूरों के फायदे के लिए कुछ नहीं खर्च किया गया है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अबरक मजदूरों का काम और टेकनीक दूसरे मजदूरों से भिन्न है। उन लोगों को पांच से साढ़े दस रुपये तक की मजदूरी मिलती है। अमरिका और इंगलैंड आदि देशों में अभ्रक ले जाकर उसका प्रासेसिंग किया जाता है। वहां के इंजीनियर वही काम करते हैं, जो यहां के अनपढ़ मजदूर करते हैं, लेकिन उनको 200 रुपये प्रति दिन की मजदूरी मिलती है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि माइका वेज बोर्ड बनाया जाना चाहिए। मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाये कि उन लोगों का कल्याण और सर्वांगीण विकास किस तरह हो सकता है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, बड़ी खुशी है कि 1946 के बाद आज जब इस बिल पर फिर से विचार करने का मौका मिला है तो यह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो मजदूरों के प्रति खुद हमदर्द रहे हैं, उनके मन में काफी समवेदना उनके लिए है। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे ढंग से वे उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे। माइका माइन्स एक्ट के सेक्शन 2 के सम्बन्ध में और लोगों ने कहा है, मुझे भी इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि इनके स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वह बहुत ही अपर्याप्त हैं। अक्सर वे टी वी के शिकार हो जाते हैं जो इसमें काम करने वाले हैं और जो उनको सुविधाएं दी गई हैं वह समुचित नहीं हैं। उनके काम का आधुनीकरण होना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य को बचाया जा सके और वे सबल रह सकें। उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो तरह-तरह के कुप्रभाव पड़ते हैं और अनेक बीमारियों के जो वे शिकार हो जाते हैं उससे उनको बचाया जा सके इसके लिए समुचित उपाय होने चाहिए। जो अस्पताल या दवाखाने वहां हैं वे बहुत ही अपर्याप्त हैं और उससे उन मजदूरों का हित नहीं हो पाता। यही कारण है कि बहुत ही कम आयु में वे मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। और ऐसी हालत में जब वे मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं तो उनके बच्चों या आश्रितों की देखरेख करने वाला कोई होता नहीं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मजदूर ही हमेशा मारा गया है। यही कारण है कि इस पार्लियामेंट के अन्दर तमाम बिलों पर विचार हुए, 1946 के बाद तमाम इतने कानून बने, सबके सवालों पर विचार हुआ लेकिन जिनकी समस्याओं की उपेक्षा की गई वे मजदूर हैं। ऐक्ट में तीसरे नम्बर पर उनके एजूकेशन की बात कही गई है

कि एजूकेशन की सारी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। अगर एजूकेशन की सारी फैसिलिटीज माइका माइन्स के मजदूरों को मिलती हैं, उनके बच्चों को मिलती हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मजदूर का लड़का क्यों मजदूर ही होता है ? माइका माइन्स के मजदूर का लड़का अफसर या साहब क्यों नहीं होता ? उससे बड़ा अधिकारी क्यों नहीं होता ? इससे अपने आप यह साफ है कि एजूकेशन की सुविधा उनको मिलती नहीं है और बाकी जितनी भी सुविधाओं की चर्चा की गई है वह भी उनको नहीं मिलतीं। लास्ट में उनके स्टैंडर्ड आफ लिविंग को इम्प्रव करने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं उनका रहन-सहन का स्तर क्या है ? वे देश के लिए काम करते हैं, देश की उन्नति के लिए काम करने वाला मजदूर होता है लेकिन उसे 'उसके बदले में कुछ मिलता नहीं है। जैसा कि और साथियों ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने और विदेशी मुद्रा की होड़ में देश को आगे बढ़ाने में मजदूर का बहुत बड़ा हाथ रहा है लेकिन उसका रहन-सहन का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस निधि का सारा का सारा खर्चा जो है, सेक्शन 2 के (बी) और (सी) को देखें, उसका ज्यादातर हिस्सा प्रशासन पर खर्च होता है, इनके वेलफेयर के लिए वह खर्च नहीं होता। इस चीज को मंत्री महोदय को देखना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में माइका की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में माइका उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा उससे कमायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए सर्वे के पर्याप्त साधन नहीं हैं जिससे सारे देश के अन्दर इसका सर्वे किया जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर पर्याप्त मात्रा में माइका उपलब्ध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से अध्ययन करायेंगे और जहां भी माइका अवेलेबल होगा वहां से इसको निकालने का काम शुरू करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिल सकेगा।

इसके साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि बिचौलियों की, ठेकेदारों की जो प्रथा है इसे समाप्त करके इस प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कर देना चाहिए जिससे उनके शोषण का काम बन्द हो सके। सरकार यदि इसे अपने हाथों में ले लेगी तो सरकार का ज्यादा फायदा होगा और बड़े-बड़े लोग जो इससे फायदा उठाते हैं और जो गरीबों का शोषण करते हैं वह शोषण की प्रवृत्ति समाप्त होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री टी० अंजय्या : सभापति महोदय, अभी यहां पर हमारे बहुत से सदस्यों ने माइका माइन्स की सारी चीजों के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया कि मजदूरों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। यह सही है कि माइन्स में काम करने वाला मजदूर जब सुबह जाता है तब शाम को वह वापिस आयेगा या नहीं—यह कहना मुश्किल होता है। इस देश में जो एक्सप्लायटेशन माइन्स में हो रहा है वह हम सभी जानते हैं। कोल माइन्स को जबसे सरकार ने अपने हाथ में लिया तबसे मजदूरों को मकानात के बारे में, कम्पेन्सेशन के बारे में तथा अन्य वेलफेयर स्कीम्स के बारे में तमाम सहूलियतें मिल रही हैं बहुत से लोग कहते हैं कि जबसे सरकार ने कोल माइन्स को अपने हाथ में लिया है तबसे कोल की प्राइसेज बढ़ गई हैं, यह ठीक है और मैं इस बात को मानता हूं लेकिन इस देश में उन मजदूरों का जो एक्सप्लायटेशन होता था वह तो बन्द हो गया है। वैसे ही और माइन्स की भी बात है। मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सिवाय पैसा कमाने के और कोई बात नहीं सोची जाती। कोई भी

मिल मालिक यह बात नहीं सोचता कि मजदूरों के लिए मकानात बनाये जायें और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या अन्य सहूलियतें दी जायें। जितनी मल्टी-नेशनल इण्डस्ट्रीज हैं वे थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन, टाटा, बिड़ला जैसे बहुत से बड़े-बड़े इण्डस्ट्रिलिस्ट हैं उन्होंने आज तक कभी मकानात बनाने की बात नहीं सोची। वे सोचते हैं कि और पैसा आये तो दूसरी इण्डस्ट्रीज लगा कर और ज्यादा पैसा कमाया जाए।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लेवर ऐक्ट्स 30-40 साल से चल रहे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया और न ही नए ढंग से कोई बात सोची गई। हमने लेवर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंशन करके नए ढंग से सोचने का प्रयास किया है ताकि उचित चेंजेज लाए जा सकें। हमारे देश में बड़े-बड़े लोग लेवर मिनिस्टर रह चुके हैं जैसे कि नन्दा जी, संजीवैया जी, खाडिलकर जी, बाबू जगजीवन राम जी और हमारे रवीन्द्र वर्मा जी इत्यादि लेकिन इस बात को किसी ने नहीं सोचा कि वर्किंग क्लास में किस तरह तब्दीली लाई जाए। आज फारेन कन्ट्रीज में जाकर देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, किसी कन्ट्री की लोग बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मजदूर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि वहां पर कोल माइन्स में काम करने वाले मजदूर कितनी कैलरीज और विटामिन्स खाते हैं और हमारे देश के मजदूर क्या खाते हैं। वहां पर कोलमाइन में जाकर मजदूर के जिस्म पर क्या असर होता है और हमारे देश में क्या असर होता है—इसको कोई नहीं देखता है।

मैं यह बात भी कहता हूं कि हमारे देश में ट्रेड यूनियन्स में फूट है और ट्रेड यूनियन लीडर्स में फूट का फायदा वे लोग उठाते हैं।

वेजेज के बारे में यहां पर कुछ लोगों ने कहा है। हमारे यहां वेजेज के इंप्लीनेन्टेशन की जो मशीनरी है, आप जानते हैं उसमें काफी डेफेक्ट है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने डिपार्टमैंट के काफी लोगों को इस काम पर लगाया है, वे लेबर लाज को देख रहे हैं और हम काफी चेंजेज करने की बात सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगले सेशन में इस सम्बन्ध में बहुत से अमेन्डमेन्ट्स लाये जायेंगे ताकि प्रोडक्शन और इण्डस्ट्रियल पीस की गारन्टी लाई जा सके। एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्रियल, दोनों ही क्षेत्रों में पीस लाने और वेलफेयर करने के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना है और करना है। इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन अभी तो सिर्फ, पार्लियामेन्ट के सामने जो रूल्स नहीं रखे जाते थे, इस सम्बन्ध में जो अमेन्डमेन्ट है वह आपके सामने रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि माइका माइन्स ऐसी इण्डस्ट्री है जिसका सारा माल खोद-खोद कर फॉरेन जा रहा है और सस्ते में जा रहा है, एक वक्त आयेगा कि हमको महसूस होगा कि हमारा सारा नेशनल वेल्थ सस्ते में चला गया। एक दफा खड्डा खोदने के बाद उसमें दोबारा पैदा नहीं हो सकता, जो निकल गया वह निकल गया। मैंने आन्ध्र में देखा है—जब मैं लेबर मिनिस्टर था, चेअरमैन भी था—कि एक वक्त आयेगा, जब हम अपने बच्चों को बतायेंगे कि यहां पर भी एक माइका माइन थी।

एक बात देखता हूं—चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, जब हम एक्सपोर्ट की फिगर्स को देखते हैं तो मालूम होता है कि हम टनों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन कम दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि टैक्स को बचाने के लिये जो माइन्ज के ओनर हैं, वे प्रोडक्शन को कम बता रहे हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इन बातों के लिये मैं माइन्ज के मिनिस्टर साहब से बात करूंगा.....

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : बगैर प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट हो रहा है।

श्री टी० अंजैय्या : जो फिगर्स मुझे मिली हैं उनके मुताबिक प्रोडक्शन कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। मालूम नहीं किस तरह से स्मगलिंग हो रहा है ? यह किस तरह से हो रहा है, इन सारी बातों को देखना है।

माइका माइन्ज में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी बहुत कम तनख्वाह है। हमारे रविन्द्र वर्मा साहब ने इस सिलसिले में कुछ कोशिश भी की थी, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं उनके दिल में हमेशा वर्कर्स के लिये कुछ करने की इच्छा रहती है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस मामले में जो काम करना है वह एक-दो दिन में होनेवाला नहीं है, क्योंकि ये जितनी कानून हैं, ये सब 30-40 साल पुराने हैं। ब्रिटिश के जमाने में एक काम यह हुआ कि वे जाते-जाते हम लोगों को एक्ट्स और रूल्ज में फंसा कर चले गये। एक अफसर एक रूल देता है तो दूसरा दूसरा-रूल बताता है। इसीलिये मैंने अफसरों से कहा है कि प्रोडक्शन की बात करो, उन्नति की बात करो, इण्डस्ट्रीयल-पीस की बात करो। अगर रूल्ज और एक्ट में तरमीम करनी है तो हम उसको जरूर करेंगे।

इस बिल के अन्दर कुछ नहीं है, कई दिनों से यहां पर कई बातों की चर्चा हो रही है। जैसे माइका माइन्ज के लोगों के लिए आपने कहा कि बहुत सी बातों के बारे में अमेण्डमेंट होने चाहिये। यह ठीक है लेकिन इस वक्त तो वेल-फेअर फण्ड के बारे में है, रूल्ज के बारे में जो जरूरी था, उतना ही रखा गया है। इसलिए मेम्बर साहबान ने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये एक नया एक्ट लाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम जरूर लायेंगे। मिसाल के तौर पर यह एक्ट भी 1946 में बना था, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो 30-40 साल पुराना न हो। आपने वर्कर्स की बेजेज के बारे में कहा – यह ठीक है, उनके लिये वेज पालिसी का निर्णय करना है। बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है – हम चाहते हैं कि नेशनल बेज पालिसी बने, इण्डस्ट्री-वाइज वेज पालिसी लायें। इसके लिये एम्पलायर लोगों से हम बात-चीत कर रहे हैं। आप जानते हैं— फैक्ट्री एक्ट के अन्दर किसी भी मालिक को, जिसे फैक्ट्री चलानी है, उसको इन कानूनों पर चलना पड़ेगा। हमें उसको बताना होगा कि तुम्हें हाउसिंग स्कीम को बनाना जरूरी है। वे करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री तो बना लेते हैं, लेकिन अब उनको मजदूरों के रहने के लिये मकान वगैरह भी बनाने होंगे। मजदूरों के लिये हम ऐसी कोशिश करें, एक ऐसी पालिसी लायें जिसमें एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री में जो सुविधायें मजदूरों को मिलनी चाहिये, वे जरूर मिलें।

इस बिल पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो वेलफेअर फन्ड बने हैं, उनमें बहुत पैसे की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उतना खर्च नहीं हुआ है। इसलिए अगर काम नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दिलचस्पी नही है। हमें इसमें पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिये और जो पैसा वसूल हुआ है, चाहे माइका माइन्ज से हो या कोल से हो, वह खर्च होना चाहिये। कई जगह मैंने देखा है कि माइन्ज में फर्स्ट-एड का इन्तजाम भी नहीं है। अगर कभी कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है तो मालिक से अगर मजदूर को अस्पताल ले जाने के लिये कार मांगते हैं, तो वह भी नहीं मिलती है। दूसरी कई बातें हैं—इन तमाम बातों के लिए एक्ट में तरमीम लाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है—इन तमाम चीजों को लाने में हम आगे बढ़ रहें हैं और आगे लायेंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बिल आपके सामने आया है, उसको आप स्वीकार करें और मैं दरख्वास्त करता हूं कि बिल के कन्सीडेशन मोशन को मन्जूर किया जाय।

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा "कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।" प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री टी० अंजय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि विधेयक को पारित किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।" अब श्री कमला मिश्र मधुकर ।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (मोतीहारी) : सभापति महोदय, आपने एक बात कही है कि प्राइवेट मालिक मजदूरों को बहुत लूटते हैं । यह आपने कबूल किया है और कबूल करने के बाद भी यह जो बिल लाये हैं वह इस तरह से है जैसे कि हिन्दू समाज में जब यज्ञ होता है तो पण्डित लोग नैवेध, अक्षत और पुष्प डालते हैं और कुछ चन्दन डालते हैं और समझते हैं कि तमाम देवताओं की पूजा कर दी । यह भी इसी तरह से है । आपको माइका माइन्स मजदूरों के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए था ।

मजदूरों का इतना शोषण होता है । उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में, उनकी शिक्षा के संबंध में, उनके भविष्य के संबंध में, उनकी दवा-दारू के संबंध में, उनके मकान के संबंध में, तमाम चीजों के संबंध में आपको बिल लाना चाहिए था । अंग्रेजों के जमाने में यह कानून बनाया गया था । उसमें पैबंद जोड़कर आप यह बिल ला रहे हैं । लाना आपको कंप्रीहेसिव बिल चाहिए था । तमाम समस्याओं से बारे में सम्यक् रूप से विचार करने के बाद आप बिल लाते तो आपकी बड़ी तारीफ होती । अब भी उसको ही लाइए ।

इस बात को आपने भी कबूल किया कि मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत सारे कानून पास हैं लेकिन उन कानूनों को अमल में नहीं लाया जाता । अब क्या गारटी है कि जो बिल आप पास करने जा रहे हैं, इस विधेयक के पास होने के बाद इसको भी अमल में लाया जाएगा । मैं अपने जिले, प्रान्त की बात कहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं हरिजन कल्याण और श्रमिक कल्याण की हैं लेकिन उन सब में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । जो रकम उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके लिए वह है उसमें से आधी अफसरों को चली जाती है । इसको कई मेंबरों ने कहा है, आपकी पार्टी के मेम्बर श्री डागा ने भी कहा है कि अफसर लोग श्रमिकों के लिए जो खजाने से पैसा मिलता है उस पैसे को लूटते हैं । इसलिए मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि जो कानून आप मजदूरों के कल्याण के लिए बनाते हैं उनके अमल के बारे में गारन्टी कीजिए । मैं समझता हूं कि यह गारन्टी आपके राज में होने वाली नहीं । समाजवादी मुल्कों में जो कानून बनते हैं उनमें कहा जाता है उनको अमल में लाने की हम गारन्टी करेंगे । जब तक आप इनको अमल में लाने की गारन्टी नहीं

करेंगे। तब तक इन पर अमल होना सम्भव नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में आप गारन्टी कीजिए।

यह जो माइका खदान हैं उनमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगी हुई है। उनमें सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अगर वे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के हाथों में रहेंगी तो वे इनमें लूट मचाते रहेंगे। उनको सरकारी हाथों में लिया जाना चाहिए। तभी मजदूरों को भी राहत मिलेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं अपने माननीय मित्र, श्री अंजय्या को इस विधेयक के लिए बधाई देता हूँ। यह बात स्वयं उनके लिए तथा कांग्रेस (इ) पार्टी के लिए एक गौरव का विषय है कि प्रतिपक्ष ने और श्री वर्मा जैसी हस्ती ने जो पूर्व सरकार के श्रम मंत्री थे और जो कई दशकों से कर्मकारों, किसानों और सभी गरीब लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं तह दिल से उनका समर्थन किया है।

मैं इत बात से भी प्रसन्न हूं कि कई रचनात्मक सुझाव भी दिए गए हैं। मेरा माननीय मित्र श्री अंजय्या से अनुरोध है कि वह प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ दल की ओर से दिए गए दो सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

एक सुझाव मंजूरी गोर्ड बनाए जाने के बारे में है। ऐसा बोर्ड बनाना उचित ही है। दूसरा सुझाव श्री अंजय्या ने स्वयं ही दिया है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना उचित ही है। अभ्रक के निर्यात का तो पहले ही राष्ट्रीकरण किया गया है। परन्तु मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अब उत्पादन का भी राष्ट्रीकरण होना चाहिए। मेरे माननीय मित्र ने स्वयं कहा है कि ये लोग आंकड़ों में हेरफेर कर लेते हैं। जहां तक कि निर्यात उत्पादन से अधिक दिखा दिया जाता है। इस विषमता का कैसे स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इस समस्या का एक ही हल है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण तो कर देते हैं परन्तु मंजूरी बोर्ड नहीं बनाते हैं तो कर्मकारों का तो शोषण होता ही रहेगा और वे उसी दशा में काम करते रहेंगे जैसाकि वे अब कर रहे हैं। इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि इन दोनों सुझावों पर शीघ्र गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

जिस प्रकार इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है मुझे आशा है सरकार उसकी प्रशंसा करेगी और संसद के अगले सत्र में ऐसे सभी विधेयक पेश करेगी जो श्रमिकों के कल्याणार्थ आवश्यक हैं। मुझे आशा है कि कार्य मंत्रणा समिति इतना समय देगी जिसमें ये विधेयक सभा के समक्ष लाये जा सके और दोनों द्वारा पास किए जा सकें।

श्री टी० अंजय्या : पहली बातों को दोहराना ठीक नहीं है। जैसा हमारे दुजुर्ग नेता प्रो० रंगा ने कहा है हर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना मुश्किल है। एक बात मैं समझ सकता हूं। जहां एक्सप्लायटेशन हो रहा है, क्लीजर्ज हो रहे हैं, मिलों को सिक बनाया जा रहा हैं, वर्कर्स को वेजिज कम दी जाती हैं, वहां पर इसके बारे में सोचा जा सकता है। आप तो जानते ही हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में काफी सिक मिलों को लिया गया है। टैक्सटाइल मिलों को भी लिया गया है। बहुत से मिल मालिक आप जानते हैं बहुत बड़ा फायदा उठा लेते हैं, बैंकों से कर्ज ले लेते हैं, शेयरहोल्डर्ज को डुबो देते हैं और उसके बाद मिल को या फैक्ट्री को बन्द कर देते हैं। आप तो यह जानते ही हैं कि हम सौ से ज्यादा और शायद दो तीन सौ सिक मिलें लेकर चला रहे हैं। बंगाल में भी कुछ इण्डस्ट्रीज को लेकर चला रहे हैं। लेकिन हर चीज को नेशनलाइज करना हमारा मकसद नहीं है। जहां क्लोजर होता है, एक्सप्लायटेशन होता है, वहां हम को सोचना पड़ता हैं। यह एक पालिसी मैटर है। हम इसके बारे में सोच भी रहे हैं। माइका माइंज

के लिए नए अमैन्डमैंट लाने की जरूरत है। नया कानून जब पार्लियामेंट के सामने आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि माइका माइन वर्कर्ज के साथ जो आपको हमदर्दी है, वही हमदर्दी गवर्नमेंट की भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी बिल लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत किया

श्री हरिकेश बहादुर : शिक्षक बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, मेरा शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वह उनकी शिकायतों पर ध्यान दें और उनकी कठिनाइयां दूर करें।

मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियमों के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाये गये और 18 जून, 1980 को सभा पटल पर रखे गये मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1980 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

यह बहुत ही सरल और औपचारिक संशोधन है और उस त्रुटि को दूर करने के लिए लाया गया है जो तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने पर उत्पन्न हो गई है जिससे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को दिया जाता था। मंत्रियों के (सम्बलमों तथा भत्ते) नियमों के नियम 9 (2) के अनुसार :

"वास्तविक यात्रा व्यय : यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को तत्समय देय आनुषंगिक व्यय के लिए भत्तों तक सीमित होगा यदि वास्तविक यात्रा व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया जाये।"

अत: नियम 9 (2) के अधीन आकस्मिक प्रभार जो मंत्रियों को अनुज्ञय थे और जो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मिलने वाले प्रभारों के समान थे। तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के लागू होने पर प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आकस्मिक प्रभार समाप्त कर दिए गए। इसके स्थान पर यात्रा भत्ते की व्यवस्था जून 1974 से कर दी गई जो मुख्यालय से रवानगी से वापसी तक की अनुपस्थिति की पूरी अवधि के लिए है। चूंकि यह नियम मंत्रियों पर भी लागू होता था अत: यह संकल्प लाया गया है।

नियम 11 (2) के अनुसार :

'मंत्रियों के सम्वलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन अधिनियम, 1977 के आरम्भ के पश्चात् इस नियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखा जाएगा और ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा जब तक कि उसका रूपभेद सहित अथवा इसके बिना, संसद की प्रत्येक सभा द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाये और केन्द्र सरकार द्वारा उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित न कर दिया जाये।"

अत: मैंने यह संकल्प पेश किया है।

यह सीधा सा संकल्प है और इसमें कोई वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इसके विपरीत मंत्रियों को पहले से कम मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि दिल्ली और मद्रास की दूरी 2,192

किलोमीटर हो और यात्रा में 2 दिन 40 मिनट लगते हों और इसके लिए यदि प्रथम श्रेणी के अधिकारी को 35 पैसे की दर से 67·65 आकस्मिक प्रभार देय हो तो नए नियमों के अनुसार मंत्रियों के मिलने वाला दैनिक भत्ता दो दिन का 60 रुपये देय होगा अर्थात् 16.65 रुपये कम। इसी प्रकार दिल्ली और बम्बई की दूरी यदि 1388 किलोमीटर हो और यात्रा में 24 घण्टे लगें तो 48·65 रुपये के आकस्मिक प्रभार के मुकाबले दैनिक भत्ता केवल 30 रुपये देय होगा। दिल्ली और कलकत्ता की दूरी 1,441 किलोमीटर है और यात्रा में एक दिन-10 घण्टे लगते हैं। आकस्मिक प्रभार 50·40 रुपये के मुकाबले दैनिक भत्ता केवल 45 रुपये देय होगा।

अतः सभी मामलों में मंत्रियों को पहले से कम ही मिलेगा।

इस संकल्प द्वारा मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 9 (1) 10, 13, 17, 24 और 25 के उपबन्धों में संशोधन किए गए हैं। इन्हीं नियमों में आकस्मिक प्रभारों और दैनिक भत्ते का उल्लेख है।

नियम 9 (ख) में मंत्रियों के आकस्मिक प्रभारों और दैनिक भत्ते का उल्लेख है और नियम 10 और 13 में भी ऐसा ही है। नियम 17 दैनिक भत्ते के बारे में है। नियम 24 और 25 उपमंत्रिवों के सम्बलमों आदि के बारे में है। अतः यह सीधा सा संकल्प है और त्रुटि दूर करता है।

इन शब्दों के साथ मैं यह संकल्प पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सभा के सदस्यगण इसका अनुमोदन करेंगे।

प्रो० मधुदण्डवते : वह स्पष्ट करें कि इसे भूतलसी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा।

प्रो०एन० जी० रंगा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमें जब 51 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है तो पता नहीं मंत्रियों को क्यों 31 रुपये दिये जाते हैं।

सभापति महोदय : आपके सुझाव का उस ओर स्वागत किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाये गये और 18 जून, 1980 को सभा पटल पर रखे गये मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1980 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि संकल्प में, —

"अनुमोदन करती है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

निम्नलिखित रूपभेदों के अध्यधीन अनुमोदन करती है—

(क) नियम 2 में, प्रस्तावित नियम 9 में, "दो वैयक्तिक सेवकों" के स्थान पर "एक वैयक्तिक सेवक" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) नियम 5 में, प्रस्तावित नियम 17 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्—

"परन्तु यह भी कि यदि मंत्री की यात्रा और उसका रुकना केवल शासकीय प्रयोजन के लिये हो तो दैनिक भत्ता मांगा और लिया जा सकता है।"; और

(ग) नियम 6 में, प्रस्तावित नियम 24 में,—

"प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी सेवक" के स्थान पर "मंत्री" प्रतिस्थापित किया जाये।

सभापति महोदय : यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि स्वयं मंत्री महोदय इसे प्रस्तुत करने में लिहाज महसूस कर रहे हैं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि ऐसा समय आ गया है जिसमें मंत्री पद स्थायी नहीं रहा, विशेषकर इस आयाराम गयाराम के जमाने में। मंत्री पद स्थायी नहीं है और यह पता नहीं है कि कब मंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मंत्री मंत्रीपद के आदी हो जाएं क्योंकि पता नहीं कब उन्हें हमारे जैसा सामान्य सदस्य बनना पड़ जाए।

आजादी के पहले गांधी जी कहा करते थे कि मत्री को 500 रुपये से अधिक नहीं लेना चाहिए और वे स्वयं दूसरे दर्जे में यात्रा किया करते थे। परन्तु गांधीजी के दिन चले गए और आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। परन्तु उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों को सादा रहने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब कोई मंत्री नया क्वाटर लेता है तब तब उस मकान में डेढ़ लाख से 2 लाख रुपये तक फर्नीचर पर खर्च किया जाता है। क्या यह नियमों के अन्तर्गत है ? यदि वह वहां 2 या 3 वर्ष तक रह जाता है तो फिर उसके पश्चात् उसके लिए कहीं और रहना मुश्किल होता है। इसलिए, उसे इस प्रकार जीवन शुरू नहीं करना चाहिए, उसे अपने पल्ले से खर्च नहीं करने दें परन्तु सामान्य नियमों के अन्तर्गत जो कुछ भी खर्च किया जाए उसमें उसे सादा और खुशहाल जीवन बिताना चाहिए न कि अस्थायी रूप से राजकुमारों जैसा जीवन।

प्रो० एन० जी० रंगा – आराम तलबी जीवन।

श्री टी० आर० शमन्ना—महोदय, मैंने अपना संशोधन तीन भागों में प्रस्तुत किया है। पहला यह कि मंत्री गाड़ियों में अपने साथ दो सेवक ले जा सकता है। यदि मंत्री को यह डर है कि एक सेवक ले जाने के बावजूद उस पर हमला किया जा सकता है तो उसे चार सेवक ले जाने दिया जाए। अन्यथा, दो के स्थान पर एक ही सेवक ले जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि वे पहले दर्जे में क्यों सफर करते हैं। उन्हें किसी की सेवाओं की जरूरत हो सकती है। अत: उनके साथ एक के स्थान पर दो सेवक जाने दें। मेरे संशोधनों में एक यह है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही युक्तियुक्त है। यदि मंत्री को किसी के हमले का डर है तो उसे सफर के दौरान अपने साथ एक से अधिक व्यक्तियों की सहायता लेनी चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन मंत्रियों के भत्ते के सम्बन्ध में है. यदि कोई मंत्री सरकारी ड्यूटी दौरे पर जाता है तो उसे भत्ता, इत्यादि मिलनी चाहिए परन्तु जब वह निजी कार्य अथवा पार्टी कार्य से दौरा करता है। तो उसे भत्ता लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही सरल और युक्तियुक्त संशोधन है। मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए।

मेरा तीसरा संशोधन उप मंत्रियों के सम्बन्ध में है। कुल मिलाकर आप उन्हें किसी प्रकार की शक्ति तो देते नहीं हैं। वे मंत्री के लिए सिर्फ मंत्री होते हैं। परन्तु आप उन्हें अधिकारियों स्तर पर क्यों रख रहे हैं, कम से कम सफर के मामले में उन्हें मंत्री के स्तर पर क्यों नहीं रहने दिया जाए ? अधिकारियों के वेतनमान के स्थान पर उन्हें मंत्रियों को वेतनमान दिया जाए।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि पूरा उद्देश्य यह है कि मंत्री सादा जीवन बिताने की कोशिश में उनका कार्य राजकुमार अथवा नवाब के बजाए सेवा का होना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव का समर्थन करने और श्री शमन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय ने क्यों यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इसके लागू हो जाने के बाद दैनिक भत्ता वही रहेगा और प्रासंगिक प्रभाव प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मिलने वाले प्रभार से कम होगा। क्या केन्द्रीय मंत्री की हैसियत प्रथम श्रेणी के अधिकारी से कम है ?

एक माननीय सदस्य : बराबर।

श्री चिन्तामणि जेना : बराबर कैसे हो सकता है ?

मुझे आशंका है कि इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्री विभिन्न राज्यों का दौरा नहीं करेंगे। जब तक वे विभिन्न राज्यों का दौरा नहीं करेंगे तब तक वे राज्यों की समस्याओं से वाकिफ नहीं होंगे। यदि वे समस्याओं से वाकिफ नहीं होंगे तो उसका समाधान कैसे करेंगे ?

अत: मेरे विचार में इस संशोधन से जिसे माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है, मंत्रियों के दैनिक भत्ता तथा अन्य प्रभार बढ़ जाएंगे। मंत्रियों का दैनिक भत्ता बढ़ना चाहिए ताकि यह संसद सदस्यों के समकक्ष हो सके। चूंकि वे प्रथमत: सदस्य होते हैं, और आपको मालूम होगा कि अनेक राज्यों में मंत्रियों का दैनिक भत्ता केन्द्रीय मंत्रियों के दैनिक भत्ते से बहुत ज्यादा है। राज्यों में मंत्रियों को रोड माईलेज मिल रहा है। परन्तु यहां ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। मैं श्री शमन्ना से सहमत हूं कि केन्द्र में उप मंत्रियों को मंत्रियों और संसद सदस्यों की तुलना में कम दैनिक भत्ता मिल रहा है। उन्हें प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष दैनिक भत्ता मिल रहा है ;

एक उप-मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री को एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष कैसे रखा गया है ? रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए मंत्रियों को प्रासंगिक प्रभार के रूप में प्रथम दर्जे का दो भाड़ा मिलना चाहिए।

जब भी हम मंत्रियों से किसी स्थान का दौरा करने का अनुरोध करते हैं तो वे दौरा करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। अब जबकि उनके साथ राज्य अतिथि जैसा व्यवहार किया जाता है फिर भी उन्हें सर्किट हाऊस में तथा ड्राईवर को टिप देना पड़ता है, इसलिए दौरे पर वे 50 से 100 रुपये तक खर्च करते हैं। वे राज्यों में दौरे पर जाने से इसलिए कतराते हैं कि उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि मंत्रि राज्य की भीतरी समस्याओं से वाकिफ नहीं हो पाते हैं और समस्या का समाधान करना मुश्किल हो रहा है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्रियों के दैनिक भत्ते और प्रासंगिक प्रभार को बढ़ा देना चाहिए।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगसराय) ; सभापति महोदय, जो हमारे माननीय मंत्री श्री मकवाना साहब ने संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

मंत्रियों का वेतन, टी० ए०, डी० ए० बढ़ाया जाये, इसमें कोई आपत्ति नहीं।

मुझे कहना यह है कि पहले हम संसद सदस्य हैं, उसके बाद ही मंत्री होते हैं। जब तक एम० पी० नहीं होंगे, तब तक मंत्री नहीं होंगे। अभी जो मंहगाई बढ़ी है, उससे मजदूर लोग बहुत परेशान हैं इसलिए उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। किसान व अफसर सभी काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि मंहगाई बढ़ी है, हम लोगों को ज्यादा सुविधायें दी जाएं और इसी प्रकार सभी संस्थानों के लोग या कामगार भी कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जायें, सही बात भी है मंहगाई को देखते हुए होना भी चाहिए लेकिन

हम लोग जो संसद सदस्य हैं, उनकी हालत मजदूरों से भी बहुत खराब है, क्योंकि जो किरानी का काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके तो काम के घण्टे निश्चित हैं कि उनको

10 से 5 बजे तक निश्चित घण्टे काम करना है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई आफिस आवर्स नहीं हैं जब मन में आता है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग तकरीबन 10-15 लोग हमारे घर पर हर समय, हर वक्त आते रहते हैं और उन सब के रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है और बहुत से लोगों को खाना तक भी खिलाना पड़ता है। यह तो सभी को मालूम है कि हम लोगों को 500 रु० तनख्वाह मिलती है और सैशन में 51 रु० मिलते हैं। यह जो हमको 500 रु० मिलते हैं, रकम बहुत मामूली सी है यह अच्छा होगा यदि, सभी सदस्यों की राय हो तो इसको आनरेरियम कहा जाए क्योंकि आज की मंहगाई को देखते हुए यह एक बहुत छोटी रकम है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब सैशन नहीं होता है, या चालू भी रहता है। यदि कहीं आग लगी है, अपने निर्वाचन क्षत्र में, तो दौड़ कर जाइए, कभी बाढ़ आती है तो दौड़कर जाइए, अगर वहां हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा होता है, तो क्षेत्र में दौड़कर जाइए और यदि आपस में कोई कास्ट-रायेट हो गया है, तो भी पहुंचिए —मतलब यह कि यदि ऐसा कोई मौका आता है, तो हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल पहुंचना जरूरी होता है। संसद सदस्यों की कोई छोटी कस्टिचुएन्सी नहीं रहती हैं, उसमें एसेम्बली की छः-सात कांन्स्टीचुयेंसीज शामिल होती हैं।

कैसे कांस्टिट्युरंसीज छः हैं। लेकिन हमको पूरे देश के स्तर पर सभी बातों को देखना और सुनना पड़ता है। जब हम कस्टिचुएंसीज में जाते हैं तो अकेले कभी जाना नहीं होता हमारे साथ काफी लोग जाते हैं।

सभापति महोदय : आप अगली बात जारी रखें। अब हाफ एन आवर है।

आध घंटे की चर्चा

अमेरिका से एन्टीनायटिक्स ओषधियों का निर्यात

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करें।

श्री ज्योतिमय बसु।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है और मैं इसे इस शताब्दी का निगम अपराध की संज्ञा दूंगा जिसके द्वारा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा फर्में भारत समेत अनेक देशों को भारी खतरनाक दवा का निर्यात कर रही हैं।

मैं कैलीफोर्निया से प्रकाशित होने वाली "मदर जोन्स" नामक पत्रिका को धन्यवाद देता हूं। इसने ऐसे, तथ्य प्रकाशित किए हैं जो विध्वंशकारी, अविश्वसीय हैं और इसे "शताब्दी का निगम अपराध" की संज्ञा दी गई है और इस संज्ञा से ही इसकी विषय-वस्तु का पता चल जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुराष्ट्रीय और बड़े उद्योगपति तथा धूर्त तीसरी दुनियां, विशेषकर भारत, को घटिया चिकित्सीय उपाय, घातक दवाएं जो कारसीनोजेन्स, टोम्सिक पेस्टीसाईडस, इत्यादि नाम से जाने जाते हैं वेचते हैं। इन्हें स्वयं अमेरिकियों के लिए अयोग्य और प्रतिबन्धित करार कर दिया गया है।

मैं उससे कुछ उद्धरण पढ़ता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उद्धरित करता हूं :

"इसके अन्तर्गत 1·2 बिलियन डालर मूल्य का असुरक्षित माल प्रत्येक वर्ष बाहर भेजा जाता है; यूनाईटेड एस्ट्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक विलीय सहायता देता है।"

इसमें कहा गया है :

"8000 टन गेहूं और जौ जिसमें कार्बनिक मरकरी फुन्गीसाईड, जिसके प्रयोग पर संयुक्त

अमेरिका में प्रतिबन्ध है, मिलाया हुआ था, खाने से 1972 में 400 इराकी मर गए 5000 व्यक्तियों को हस्पताल में भर्ती कराया गया"।

एक रासायनिक कीटनाशक दवा लेप्टोफोश, जिसे पर्यावरण सुरक्षा एजेन्सी (इपीए) द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए कभी भी पंजीकृत नहीं किया गया था, को खोलने पर मिश्र में 1000 भैंस और अनेक किसान मर गए। इसे 30 देशों में निर्यात किया गया है। जब डाल्कन इन्ट्राटेरीन डेवाइस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 17 महिलाओं की जाने ली तब विनिर्माता ने इसे घरेलू बाजार से वापस ले लिया। इसे विदेशों में भेजा गया और इसका कतिपय देशों में अभी भी प्रयोग हो रहा है और इस देश में भी—

अनेक अन्य मामले हैं। इसमें कहा गया है :

"एक संश्लिष्ट पुरुष हारमोन, जिसने अमेरिकी बच्चों के विकास को बढ़ने न दिया, ब्राजील में आसानी से उपलब्ध हैं जहाँ इसे बच्चों के लिए भूख बढ़ाने वाली दवा के रूप में प्रयोग किए जाने की सिफारिश की गई है....."।

निःसन्देह, भारत भी उनकी सूची में है।

"एक आपत्तिजनक गर्भनिरोधक जिस का अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि शिकारी कुत्तों और बन्दरों में इससे ट्यूमर हो गया था, 70 देशों में बेचा गया जहाँ इसे बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। इसे चुप चाप किया जाता है, राष्ट्रों के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार में इस पर ध्यान नहीं गया है। यह डम्पिन्ग रासायनिक और उपभोक्ता सामग्रियों तक सीमित है.....यहाँ तक कि पूरी तकनीक डम्प कर दी जाती है।

भारत का यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। इसमें आगे कहा गया है :

"हमारी छानबीन से यह पता चला है कि हमने जो सोचा था उससे अधिक एक्सपोजिन्ग डम्पिन्ग खतरनाक है। एक बैठक में मेरे एक मित्र ने उन्हें 'तस्कर' कहा है।' डम्परों और दवा तस्करों में एक मात्र अन्तर यही है कि उत्पाद विपरित दिशा में भ्रमण कर रहे हैं।

"एक दूसरा फर्क भी है : सरकार डम्परों का उत्पादन करती है....."

यहाँ मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे हमें इस बारे में यथासंभव सजग करें। क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह मालूम है कि काला और रंगीन टी० बी० से विकिरण खतरा होता है। रंगीन टी० बी० से और अधिक विकिरण खतरा होता है। अमेरिका में प्रिसटन विश्वविद्यालय में प्रयोग द्वारा यह साबित किया गया है। फिर सरकार रंगीन टी० बी० क्यों बनाने जा रही है ? हमें नहीं मालूम।

".....डम्परों को दिए गए सरकारी संरक्षण से इस पर पर्दा पड़ जाता है।

यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, खतरनाक उत्पादों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु डम्प कर दिया जाता है। गैर-विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, दलालों, निर्यात कर्ताओं के लिए....."।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे हमें इसं बारे में बताएं कि इस देश में क्या हो रहा है—कैसे हो रहा है।

ट्रिब्यून जो इस देश का एक पुराना और महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, ने अच्छा कार्य किया है और लिखा है : 2 जनवरी, 1980 के सम्पादकीय में :

"इसलिए यह मान लेना तर्क संगत है कि जब ऐसे "असुरक्षित" उत्पाद का निर्यात नहीं किया जा सकता तो इन बहुराष्ट्रीय निगमों के भारतीय सहायक इन्हें स्थानीय रूप से उत्पादन करने लगते

हैं। सबसे बुरी बात यह है कि औषध फर्मों समेत भारती उद्योग पर निजी विदेशी पूँजी का प्रभाव विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम के बावजूद कम नहीं हुआ है"। आप 2 जनवरी के ट्रिब्यून का संस्करण प्राप्त करने की कोशिश करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन बड़े बहुराष्ट्रीय फर्मों को 500 उत्पादों—कीटनाशक दवाएं, इत्यादि— को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों से हटा लेना पड़ा परन्तु उन्होंने इसे भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सर्वसत्ता प्राप्त है, वे सिर्फ कार्यकारी आदेश से इसे बंद करवा सकते हैं परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे बंद करने का प्रस्ताव भी नहीं किया क्योंकि बैलेन्स आफ पेमेन्ट का प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति इसे वस्तुओं की सूची में रख सकते हैं जिससे इनका निर्यात अवैध हो जाता। परन्तु श्री कार्टर ने कुछ शब्द कहने के सिवा कुछ भी नहीं किया :

"कार्टर ने निर्यात की नैतिकता के बारे में एक दो शब्द कहे; उन्होंने स्पष्ट रूप से सुरक्षित उत्पादन को गैर-अमेरिकियों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा। वस्तुतः, उनकी कार्यवाही से डम्पिन्ग समर्थकों को ही खुशी हुई है। उन्हें हमें मित्र कहा जाता है। अब हम एक और उद्धरण पर चर्चा करते हैं।

".....जब कभी अमेरिकी रेगुलेटरी एजेन्सी द्वारा किसी उत्पाद पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तब विदेशी सरकारों को सूचित किया जाता है। अधिसूचना पद्धति राज्य विभाग निपटाती है जिसकी इस विषय पर नीति इस प्रकार है :

कोई भी देश किसी अन्य के स्वास्थ्य के स्तर का निर्णायक नहीं हो सकता। प्रत्येक सरकार अक्सर अपना स्तर और सुरक्षा मानक स्वयं तैयार कर सकती है।

"वस्तुतः जिन देशों में हमारे प्रतिबंधित और खतरनाक उत्पादों को डैम्प किया जाता है वहाँ विनियमानक एजेन्सी, जाँच प्रयोग शालाएं अथवा पूर्ण सज्जित सीमा शुल्क विभाग नहीं हैं।"

अतः, यह स्थिति है। हम जो वस्तु खरीद रहे हैं वह जहर के सिवा और कुछ नहीं हैं। महोदय, आगे कहा गया है :

"विश्व जनीन निगमें, पूरे विश्व में फैले सहायक कार्यालयों, उच्च तकनीक और बाजार पद्धति के कारण अनेक सरकारी विनियमनकारी उपायों को चमका दे देते हैं।

डम्पिग को कानून बनाकर एक शब्द में "निर्यात के लिए अवैध" घोषित किया जाना चाहिए और जो भी उत्पाद खतरनाक पाए गए हों उन पर यह लागू होना चाहिए....."

अन्य देशों में लाभ खतरे को दबा देता है—उदाहरण के लिए—कतिपय दवाएं ट्रापिकल बीमारियों का इलाज करती है या कीटनाशक दवाईयाँ मलेरिया के मच्छरों को मारती हैं। ऐसे मामलों में जब विदेशी सरकारों को खतरा से अवगत कराया जाए तभी उत्पाद को उस देश में निर्यात किया जाना चाहिए"।

मैं उक्त लेख को माननीय मंत्री महोदय को उधार दे सकता हूं।

पुनः यह कहा गया है :

"जर्मनी सबसे कम .....टौम्सिक कीटनाशक दवाओं को डम्प करती है...और बेबी फार्मूला का डम्प करने में स्विटरजर लैण्ड का मुकाबला कोई अन्य देश नहीं कर सकता। तथापि, यह अनुमान करना कि विदेशी क्रेता टौम्सिनों तथा खतरनाक उत्पादों का आयात उस देश से करेंगे जब वह अन्य देश में उपलब्ध नहीं होगा, हास्यास्पद है।"

"अमरीकी सरकार और अमरीकी औषध कम्पनियां गर्भ-निरोधकों के विक्रय में योजना-बद्ध तरीके से तथा जानबूझकर दोहरी नीति अपनाते हैं। असुरक्षित गर्भाशयन्तर युक्तियां, एम्ट्रोजन की खतरनाक अधिक मात्रा वाली गर्भ-निरोधक गोलियां....."आदि।

यह एक अत्यन्त गंभीर बात है। वास्तव में हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं थोड़ा समय और लूंगा।

"बंगला देश में जन्मदर में तीव्र वृद्धि"

"एक चुटकुला होता था कि यदि आप एक एस्पीरीन की टिकिया अपने घुटनों के बीच में रखें तो गर्भ नहीं रहेगा। अब एक नया मोड़ दिया गया है; गर्भ-निरोधक गोलियों से गर्भ ठहर सकता है—यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के तीसरी दुनियां के लिए 'गर्भ-निरोधक बाढ़' कार्यक्रम के अधीन उसका प्रयोग करें।

"बाढ़ से अभिप्राय यह है कि हर महिला गोली ले सकती है चाहे उसे इसकी जरूरत हो या नहीं बंगला देश में अंतराष्ट्रीय विकास एजेन्सी की गोलियां लेने वाली लगभग 90% महिलायें.....आदि, आदि।

"जान्स हापकिन्स विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर श्री हेनरी मोजले, जिन्होंने बंगलादेश में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के गर्भ-निरोधक बाढ़ कार्यक्रम का अध्ययन किया है, का विश्वास है कि गर्भ-निरोधकों के द्वारा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की संभावना 'चिन्ता का विषय' है।"

इस प्रकार ये अमरीकी दानव अत्यधिक खतरनाक और घातक चीजें बेच रहे हैं, जो वे अपने देश में नहीं बेच सकते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विटजरलैंड तथा अनेक अन्य पूंजीवादी देशों के मामले में यही स्थिति है।

उदाहरण के लिये अपजॉन कम्पनी के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। ऐसी अनेक अन्य कम्पनियां हैं। चूंकि आप घंटी बजा चुके हैं, मैं केवल महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करूंगा।

"गत वर्षों में ऐसा रुख रहा है....."

अमरीकन साइनामिड और फाइजर का भी। "कि कीटनाशकों तथा अन्य प्रतिबन्धित और अत्यधिक निर्बन्धनों वाले उत्पादों के निर्माता अपना उत्पादन विदेशों में अन्तरित कर रहे हैं। हरकुलिस इंकारपोरेटेड निकारगुआ में टोक्साफीन बना रही है और अमरीकन साइनामाइड कम्पनी ने ब्राजील में एक कीटनाशक संयंत्र लगाने की घोषणा की है।" वे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। यह जानकर भय उत्पन्न होता है।

मैं कलकत्ता गया हुआ था, तब फाइजर कम्पनी से शाह नामक एक व्यक्ति मेरे घर पर आये थे और चूंकि वे मुझसे नहीं मिल सके, इसलिये मुझ पर दबाव डालने, मुझे भ्रम में डालने के लिये एक पत्र छोड़ गये। मैंने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। बहु-राष्ट्रीय निगम इस प्रकार दबाव डालने वाली लॉनी तैयार करके काम कर रहे हैं।

एक माननीय : आपके घर न जाना ही अच्छा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु . क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अमरीका सरकार, जर्मन सरकार तथा अन्य पूंजीवादी देशों की सरकारों ने कितनी बार कुछ दवाइयों और उपकरणों के प्रयोग की अवांछनीयता की उन्हें सूचना दी है?

अमरीकी सीनेट की एक समिति है। मैं दिनांक 11 अप्रैल, 1978 के लोक-सभा वाद-विवाद के पृष्ठ 99 से निम्नलिखित उद्धत कर रहा हूं :

"अमरीकी फार्मास्युटिकल्स कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना और अमरीकी न्यायालयों में दायर मुकदमें : यू० एस० सीनेट की समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में यह भारत सरकार के 1969 में नोटिस में आया था कि 6 यू० एस० औषध कम्पनियों अर्थात् फाइजर सिनामिड, स्क्यूब, ब्रिस्टल मेयर्स, उपजान और ओविन ने कुछ ब्रांड स्पेक्ट्रम एन्टीबायटिक्स के सामूहिक रूप से मूल्य निर्धारित करने में षड़यन्त्र किया था जिसमें उन्होंने 1954-67 की अवधि के दौरान उसकी आंतरिक तथा विदेशी खरीद के लिए अधिक दाम लिया है। भारत सरकार ने 11.10.74 को इन सभी 6 कंपनियों के विरुद्ध यू० एस० न्यायालय में दिवानी मुकदमा दर्ज किया था। भारत द्वारा खरीद पर इन कंपनियों द्वारा लिये गए अधिक दाम की राशि और इससे हुई हानि भारत अटार्नी के परामर्श से निर्धारित की जा रही है। अब यू० एस० उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि क्लैटन अधिनियम की व्याख्या के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्र भी एक व्यक्ति है और वह राष्ट्र हानि के लिए मुकदमा दर्ज कर सकता है अतः भारत सरकार द्वारा यू० एस० न्यायालयों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मामले का क्या हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है।

अब मैं इन कम्पनियों द्वारा लूट को लेता हूं। मैं अधिक समय नहीं, केवल दो मिनट ही और लूंगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही पन्द्रह मिनट ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

"1978 79 में विदेशी कम्पनियों की सहायक भारतीय कम्पनियों द्वारा आयात, लाभांशों, स्वामित्व और निर्यात तथा अन्य रूप में विदेशों को प्रेषण।"

अमरीकन कम्पनी फाइजर लिमिटेड को लीजिये।

		1978-79 लाख रुपयों में
फाइजर (संयुक्त राज्य अमेरिका)	—	
आयात	—	52.15 रुपये
लाभांश	—	87.88 रुपये
तकनीकी फीस और ब्याज	—	0.91 रुपये
कुल प्रेषण	—	140.94 रुपये
सहायक भारतीय कम्पनियों का निर्यात	—	58.20 रुपये
एंग्लो-फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न लिमिटेड)		
कुल प्रेषण	—	14.70 रुपये
निर्यात	—	5.53 रुपये
सीबा गैगी आफ इण्डिया		
कुल प्रेषण	—	449.16 रुपये
निर्यात	—	61.82 रुपये

ब्रिटिश फर्म

अलकाली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

कुल प्रेषण	—	369.44 रुपये
निर्यात	—	14.76 रुपये

बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

कुल प्रेषण	—	203.76 रुपये
निर्यात	—	47.44 रुपये

बर्रो वैन्तकॉम एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

वही स्थिति ।

ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज

कुल प्रेषण	—	239.44 रुपये
निर्यात	—	176.34 रुपये

इनके अतिरिक्त मे एण्ड बेकर, व्हीफेन्स इण्डिया लिमिटेड, साइनामिड इण्डिया लिमिटेड, पार्क डेविस, वाइथ लेबोरेट्रीज, आदि, आदि ।

मैं फाइजर के लाभ का उल्लेख करता हूं । 1976-77 में उनकी आस्तियों का मूल्य 2381.09 लाख रुपये था । 1978-79 में इनमें तीव्र वृद्धि होकर ये 2685.63 लाख रुपये हो गईं । 1976-77 में उनका लाभ 664.68 लाख रुपये था और 1978-79 में यह बढ़कर 732.98 लाख रुपये हो गया ।

मंत्री महोदय ये भी बताने की कृपा करें कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्यवाही की है । मैं आशा करता हूं कि वे अपने उत्तर में सही तथ्य और सच्चाई ही बतायेंगे ।

स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य ने विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कारनामों का व्यापक अध्ययन किया है । उन्होंने सभा के समक्ष बहुत सी चीजें रखी हैं, जिनके बारे में सभा को गंभीर चिन्ता है उन्होंने कीटनाशकों और मुख्यतः नशीले कीटनाशकों का उल्लेख किया है । इसके बाद उन्होंने साधारण और रंगीन टेलीविजन से विकीरण के कारण स्वास्थ्य को खतरे का उल्लेख किया । उन्होंने इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सभी प्रकार के निर्यात का उल्सेख किया ।

यद्यपि उन्होंने विदेशी कम्पनियों के बारे में अनेक रोचक तथ्य प्रकट किये हैं, फिर भी उन्होंने अमरीकी कंपनियों द्वारा अपना एण्टीबायटिक्स के भारत को निर्यात के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसकी हम आशा कर रहे थे क्योंकि आधे घण्टे की चर्चा मुख्यतः उनके बारे में है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उनका उल्लेख किया है । कृपा करके आप क्लेटन अधिनियम के अधीन 11 अक्टूबर, 1974 को उच्चतम न्यायालय में दायर किये गये मामले का उत्तर दीजिये । यदि आप इसका उत्तर देते हैं, तो एण्टीबायटिक्स का बहुत विशाल क्षेत्र इसके अधीन आ जायेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यह नहीं कहता कि आपने सभा का ध्यान इस ओर दिलाया है । चूंकि सभा में प्रारंभ की गई चर्चा मुख्य रूप से एण्टीबायटिक्स के बारे में है, मैं मामले को स्पष्ट करने के लिये कहना चाहता हूं कि हम अमरीका से अधिक आयात नहीं कर रहे हैं । जहां तक

एण्टीबायटिक्स का संबंध है, मैं आपको बाता दूंगा कि हम कौन-कौन से एण्टीबायटिक्स अमरीका से आयत कर रहे हैं।

श्रीमान्, गत तीन वर्षों, अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में क्रमशः 17.02 करोड़ रुपए, 17.80 करोड़ रुपए और 22.20 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के एण्टीबायटिक्स का देश में आयात किया गया था। यह देखने की बात है कि इस कुल आयात में से अमरीका से आयात किये गये एण्टीबायटिक्स का 1977-78 में मूल्य लगभग 4 प्रतिशत मात्र था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैसर्स फाइजर द्वारा लाइसेंस के अधीन उत्पादन की क्या स्थिति है—लाइसेंस के अधीन वे उन्हें कितना उत्पादन करने की अनुमति है ? (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : 1978-79 में यह लगभग 0.6 प्रतिशत था, 1979-80 में 2 प्रतिशत अमरीका से निम्नलिखित एण्टीवायटिक्स का आयात किया जाता है :

1. निओमायसिन सलफेट;
2. जेन्टामायसिन सलफेट;
3. क्लोरेमफिनीकोल पाउडर;
4. स्ट्रेपटोमायसिन सलफेट;
5. पॉलीमायसिन;
6. बेसिट्रेसिन;
7. ट्रिएक्टीयल ओलिनडोमायसिन;
8. एरथ्रोमायसिन स्लोरेट, आदि।

श्रीमान्, गत तीन वर्षों में अमरीका से एण्टीबायटिक्स की 18 खेपों का आयात किया गया था और इनमें से नमूने लिये गये थे.....(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत में अपने लाइसेंस के अन्तर्गत उनका उत्पादन कितना है ?

सभापति महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिये। हमारे पास इतना समय नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : इनमें से, 10 परेषणों से जांच के लिए नमूने भर लिये गये और जिन्हें मानक स्तर का पाया गया; ये मुख्य रूप से विख्यात निर्माताओं यथा फिजर्स, शेरिंग कारपोरेशन, अपजौन्स और अब्बोट्स के उत्पाद थे। मुख्यतः ये वे कम्पनियां हैं जो एन्टीबायटिक्स का उत्पादन कर रही हैं। और हम उनका आयात करते आ रहे हैं। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य किसी ऐसी चीज की ओर ध्यान दिलाएं जिसका भारतीय जनता पर प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ा हो..... (व्यवधान) मैं एन्टीबायोटिक्स के बारे में कह रहा हूं। वह एन्टीबायोटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोले।

श्री ज्योतिर्मय बसु : न्यायालय के समक्ष पेश की गई 11 अक्तूबर की याचिका का क्या हुआ ? और मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं : विदेशी-सरकारों को सूचनाएं दी जाती है जब कभी किसी एन्टीबायोटिक्स पर रोक लगा दी जाती है, उसे अविनियमित किया जाता है, निलम्बित किया..... (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह औषध नियंत्रण विनियम से सम्बन्धित है। मुख्य बात यह है। अन्यथा, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को उन्होंने यह प्रश्न सम्बोधित किया होता। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने श्री बसु के तर्क को नहीं समझा है क्योंकि वह इतने तेज बोले कि मंत्री महोदय सायद उनके तर्क को समझ नहीं पाये। किन्तु उनके कहने का मुख्य आशय

जो मैं समझ पाया हूं यह है कि औषध नियंत्रण से सम्बन्धित होने से यह विषय आपके मंत्रालय का है। इसलिए उनका मुख्य तर्क यह है कि कतिपय औषधियों एन्टीबाइओटिक्स तथा अन्य दवाओं का निर्माण यहां हो रहा है जिनका उत्पादन वे ही कम्पनियां अन्यत्र नहीं कर सकतीं। आपने इसका उत्तर देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आपसे संरक्षण की आवश्यकता है। मैंने एक खास प्रश्न पूछा है कि यदि किसी एन्टीबाइओटिक्स पर प्रतिबन्ध आदि लगाया जाता है तो विदेशी सरकारों को उसकी सूचना दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैंड आदि इटली की सरकारों ने भारत को कितनी बार सूचित किया है ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर दें।

प्रो० मधुदंडवते : रसायनों के आयात के बारे में क्या स्थिति है ?.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी इसे पहले ही नोट कर चुके हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं समझ सकता हूं प्रो० मधु दंडवते घुमाफिरा कर बातें कर रहें हैं क्योंकि यह उनका व्यवसाय है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन औषधियों के आयात अथवा निर्माण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति है।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सवाल है, हमारा संबंध तो केवल इतना है कि हम उस दवा की जांच करते हैं कि गोया वह इस देश में मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। लाइसेंस देना मेरे मंत्रालय का काम नहीं है।

सभापति महोदय : पूछा यह जा रहा है कि क्या इसे खतरनाक पाया गया है अथवा नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : सभापति महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एन्टीबाइओटिक्स का प्रयोग इस देश में लोगों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुभव का सम्बन्ध है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि आधे घंटे की चर्चा में खास प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने एक खास प्रश्न पूछा है कि अमरीका में विधान मंडलों ने एक प्रणाली निकाली है कि जब कभी किसी उत्पाद पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उसे निलम्बित या रद्द किया जाता है तो उसकी सूचना विदेशी सरकारों को दी जाती है.....(व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि अमरीका, पश्चिम जर्मनी और अन्य देशों से जो इस देश से ओषधियों तथा रसायनों का निर्यात करते हैं कितनी बार सूचना मिली है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इतना ही कह सकता हूं कि सभा के समक्ष विचाराधीन मामले का संबंध मुख्यतः एन्टीबाइओटिक्स से है और भारत सरकार को ऐसे किसी एन्टीबाइयोटिक्स का पता नहीं है जिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया हो इसलिए अमरीकी सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचना दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सरकार ने किसी एन्टीबाइओटिक्स पर जिसका हम आयात कर रहे हैं प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इसलिए यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न निर्यात करने के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति महोदय, मेरी गलती है। मैं स्पष्ट नहीं कर सका हूं।

एक कानून है जो कहता है कि अमरीकी सरकार को जब कभी किसी उत्पाद पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो उसकी सूचना विदेशी सरकारों को देनी होगी.....। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : औषधियों का व्यापक क्षेत्र है और एन्टीबाइओटिक्स उसका एक लघु अंश है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमें मंत्री जी को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औषधियों के आयात पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है। इस प्रयोजन के लिए, इस देश में औषधियों का आयात केवल कुछ विशिष्ट स्थानों से ही किया जाता है। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम के बन्दरगाहों पर खोले गये है और ये कार्यालय आयातित प्रेषणों से नमूने भर कर और उनका परीक्षण करके आयातित औषधियों की किस्म पर नियंत्रण रखते हैं।

यहां मैं उल्लेख कर दूं कि बहुत से एन्टीबाइओटिक्स का आयात स्टेट के मिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया जो राज्य व्यापक निगम का समनुषंगी है, के माध्यम से करते हैं और गत वर्ष आयातित एन्टीबाइओटिक्स का मूल्य लगभग 60 प्रतिशत है। यह मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं क्योंकि मेरे मित्र ने सुसंगत प्रश्न नहीं उठाये हैं। सभा सोच सकती है कि मंत्री जी सदस्य द्वारा पूछी गई जानकारी के अतिरिक्त भी दे रहे हैं किन्तु यह जानकारी मैं सोद्देश्य दे रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने सभा में एन्टीबाइओटिक्स के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया।

श्री चिन्तामणी जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह आधे घंटे की चर्चा है और साढ़े पांच बजे शुरू हुई है। नियम 55 का उपनियम (5) देखिए। अब छः बज चुके हैं। अब आप ही बताइये। क्या इस पर केवल 30 मिनट तक ही चर्चा हो सकती है या उससे अधिक समय तक ? मैं आपसे स्पष्ट विनिश्चय चाहता हूं। सभापति महोदय, यहां क्या हो रहा है ? विधान सभाओं में और यहां भी आधा घंटा और यह चर्चा आधे घंटे से अधिक नहीं चलनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप इस प्रश्न पर स्पष्ट विनिश्चय दें।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, आमतौर पर प्रथा यह है कि जब तक विषय समाप्त नहीं हो जाता ऐसी आपत्ति नहीं उठायी जाती है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इस बात के लिए जोर नहीं डालेंगे। अब मैं श्री चित्त बसु से प्रश्न पूछने के लिए कहता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट होगा और मैं चाहता हूं उत्तर भी विशिष्ट हो। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम एन्टीबाइओटिक्स अमरीका से आयात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये हैं। इस संबंध में अब मेरा प्रश्न यह है। देशभर में ऐसी सामान्य आशंकाएं हैं कि अमरीका के बहुराष्ट्रिक कम्पनियां दवाइयों और औषधियों को, जो उनके देश में उपभोग के योग्य नहीं होती हैं, विकासशील देशों तथा अविकसित देशों में जमा रखते हैं, और भारत उनमें एक ऐसा देश है जहां औषधियां इस प्रकार जमा रखी जाती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार ऐसी कोई कार्यवाही करने का है जिससे हम ऐसी दवाओं का अमरीका से आयात करना बन्द कर दें ? क्या उसका विचार ऐसी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों से दवाइयां तथा औषधियां प्राप्त

करने के प्रश्न पर कुछ कड़े प्रतिबन्ध लगाने का है ? यह पहला प्रश्न है। मेरे अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं। औषधियों का आयात बढ़ते जाता है। मैं कुछ आंकड़े उदधृत करना चाहूंगा। 1976-77 में 82 करोड़ रुपयों की औधिषयों का आयात किया गया जो 1978-79 में बढ़कर 150 करोड़ रुपए तक चला गया इसका अर्थ है विदेशों से औषधियों का आयात 100 प्रतिशत बढ़ गया है। इसलिए आयातों में नियमित और निरन्तर वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर देश में औषधियों का उत्पादन आयातों के अनुरूप नहीं हो रहा है। देश में उत्पादन 1976-77 में 150 करोड़ रुपए का था जो 1978-79 में बढ़कर 200 करोड़ रुपए का हो गया जो 33 प्रतिशत की वृद्धि है जब कि आयात में 100 की वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए, विदेशी औषधियों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, मेरे आंकड़ों के अनुसार, 1976-77 में आयात पर हमारी निर्भरता 35 प्रतिशत थी जो 1978-79 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई। देश के बाहर से अधिकाधिक औषधियों का आयात करके औषधियों की आवश्यकता पूरी करने की सरकार की प्रवृत्ति है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि औषधियों का आयात कम किया जाये और देश में उनका उत्पादन बढ़ाया जाये और उनके उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल की जाये ? ये मेरे प्रश्न हैं।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैं भूमिका नहीं बांधूंगा। सीधे प्रश्न पूछूंगा। पहला यह कि क्या सरकार औषधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक ला रही है ? दूसरा प्रश्न है : क्या सरकार औषधियों का आंशिक नियंत्रण लागू करेगी और तीसरा यह कि क्या सरकार आयातित एन्टीबाइओटिक्स औषधियों पर सीमा शुल्क में छूट देने की सोच रही है ? अन्तिम प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार एन्टीबाइओटिक्स औषधियां उचित मूल्य पर उपलब्ध करेगी ? ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं कि इन विदेशी औषधियों का परीक्षण करने के लिए भारतीय लोगों का गिनीपिग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारयीय लोगों पर ऐसे परीक्षण न करने के लिए कार्यवाही की गई है ? ये मेरे प्रश्न हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हमारे देश में एंटीबायोटिक्स ड्रग्ज बनाने के लिए नो हऊ की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स फैक्ट्री पिम्परी में है। उसकी हालत चिन्ताजनक है। आप पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके पेज 51 को देखें। इस में यह कहा गया है; कि जितनी औषधियां वहां बन रही हैं पैंसिलिन आदि उनका उत्पादन घट रहा है। विटामिन सी का कोई उत्पादन नहीं हुआ 1977-78 में यह भी उसमें कहा गया है। आगे पढें तो यह कहा गया है कि पैंसिलिन के लिए जापान मे मैसर्स टोयी-जी से और स्ट्रैप्टोमाइसीन के लिए ग्लैक्सो लैबोरेटरीज, यू के से प्राप्त नए स्ट्रेनो की प्रौद्योगिकी को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। आगे आप 52 पेज पर कहते हैं कि पैंसिलिन के विस्तार को यांत्रिक रूप से पहले ही पूरा कर लिया गया है और वर्ष 1978-79 की चौथी तिमाही में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे यहां उत्पादन होने की आशा है और हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहती है कि हम दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। यह विरोधाभास है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

हमारे यहां एक सैंट्रल ड्रग कन्ट्रोलर हैं। हमें पता नहीं वह क्या करता है। बहुत सी इकाइयों पर। एन्टीबायोटिक्स ड्रग्ज पर विदेशों में रोक लगा दी गई है और किन्हीं विशेष कारणों से ही तो वह रोक लगाई गई है लेकिन हमारे अपने देश में वे दवाइयां चल रही है, उनका उत्पादन

किया जाता है, ऐसा क्यों ? आपको मालूम होगा कि पिछले साल स्विटजरलैंड में एक केस फाइल किया गया था नैसल्ज कम्पनी के खिलाफ कि वह बेकार चीजों का उत्पादन करती है और अंडर डिवेलेप्ड देशों में जा कर उनको बेच कर मुनाफा कमाती है और इस मुनाफे की जो रेशों है वह तीन सौ परसेंट से ले.कर तीन हजार परसेंट है। जो कैमिकल्ज मिनिस्टरी है और जो हैल्थ मिनिस्टरी है ऐसा मालूम पड़ता है कि इन दोनों में आपस में कोओर्डिनेशन नहीं है। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की हालत चिन्ताजनक है। उस पर 1954 में आपने दस करोड़ रुपया खर्च किया था और उसको लगाया था। दिन प्रतिदिन वह रसातल की ओर जा रही है। विदेशों से भी आप दवाइयों का आयात करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश में नकली दवाइयों की भरमार है। प्रशासन को मालूम है कि कहां-कहां नकली दवाइयां चल रही हैं। इसके खिलाफ़ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सैकड़ों और हजारों लोगों की जाने इनके सेवन की वजह से जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर एन्टीबायोटिक्स औषधियों के यूनिट लगाए जाने की बात आपके दिमाग में है और है तो उसकी क्या योजना है ?

विदेशों में जिन दवाइयों पर रोक लगा दी गई है उनका यहां प्रचलन न हो इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ? जीवन रक्षक दवाइयां जिनको कहते हैं और जिन पर विदेशों में रोक लगा दी गई है और उनको यहां भेज कर जो मुनाफा कमाया जा रहा है, उसके बारे में आपका सैंट्रल ड्रग्ज कन्ट्रौल क्या कर रहा है, यह आप हमें बताएं। साथ ही नए यूनिट लगाने के बारे में क्या आप विचार कर रहे हैं या नहीं है यदि हां तो उसमें क्या प्रगति हुई है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि श्री चित्त बसु सहित माननीय सदस्यों ने श्री ज्योतिर्मय बसु के तर्कों को ही दौहराया है, क्योंकि उन्होंने अन्य बातें भी कही हैं, परन्तु उन्होंने ये बातें सामान्य औषधियों के बारे में कही हैं। क्या मैं पुनः यह निवेदन करूं कि आज की आधे घन्टे की चर्चा एन्टीबायटिक्स के बारे में है, सामान्य औषधियों के बारे में नहीं। उन्होंने एन्टीबायटिक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा है, मैं क्या उत्तर दूं ? ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा है, परन्तु आप न समझें.....

श्री बी शंकरानन्द : मैं समझ गया माननीय सदस्य ने औषधों के डम्प किये जाने के बारे में कहा है.....

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : एन्टीबायटिक्स।

सभापति महोदय : आप समझ लीजिए कि वे प्रश्न एन्टीबायटिस से सम्बन्धित हैं और उनके उत्तर दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यह नहीं कहता कि एन्टीबायटिक्स औषध नहीं है। औषध एक व्यापक शब्द है और इसमें एन्टीबायटिक्स भी आ जाती हैं। माननीय सदस्य की किसी ऐसी एन्टीबायटिक की ओर मेरा ध्यान दिलाना चाहिए था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिकामें प्रतिबंध लगाया गया हो और जिसे हमारे देश में भारी मात्रा में भेज दिया गया हो मैं यह समय अन्य औषधियों से संबंधित नहीं हूं। (व्यवधान).....

एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम ऐसे आयात बन्द कर सकते हैं। महोदय इस देश में किसी औषध का तब तक आयात नहीं किया जा सकता और उसे रोगियों को नहीं दिया जा सकता जब तक कि भारत का औषध नियंत्रक यह प्रमाणित न कर दे कि इस औषध का प्रयोग हानिकारक नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य यह जानकारी दे सकता है कि औषध नियंत्रक ने

प्रमाण पत्र के बिना देश में किसी औषध का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम अवश्य उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय वह अभी तक एन्टीबायटिक्स के बारे में हमारे प्रश्न नहीं समझ पाये हैं।

सभापति महोदय : वह समझ गये हैं और अपने ढंग से उत्तर दे रहे हैं।

श्री वी० शंकरानन्द : मैं समझ गया हूं। श्री पुजारी ने पूछा है कि क्या सरकार का इरादा एक व्यापक विधेयक लाने का है। मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार को कोई वास्तविक जानकारी नहीं मिलती और वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि वर्तमान नीति राष्ट्र के स्वास्थ्य के विरुद्ध है, तब तक माननीय सदस्यों के आरोपों के आधार पर उसका व्यापक विधेयक लाने का कोई विचार नहीं है। तब यदि आवश्यक हुआ तो हम अवश्य एक विधेयक लाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

श्री पुजारी ने एन्टीबायटिक्स पर सीमा शुल्क से छूट के बारे में भी पूछा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जीवन रक्षकों औषधों, जिन पर यह प्रमाणित किया गया है कि जीवन बचाने के लिए यह औषध आवश्यक है, को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। श्री पुजारी ने यह भी कहा है कि बहुत सी औषधियों जैसा कि गिनिया पिग्स का भारतीयों पर प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में कुछ समय पूर्व श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी सभा में यह आरोप लगाया था। मैंने कहा है कि किसी औषध का इस्तेमाल अनुसन्धान के प्रयोजनार्थ नहीं किया जा रहा है, जैसाकि भारतीयों का गिनी पिग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो।

श्री रामविलास पासवान शास्त्री जी ने पिम्परी में एन्टीबायटिक्स के उत्पादन के बारे में पूछा था.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह शास्त्री नहीं हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे खेद है। मेरी इच्छा है कि वह शास्त्री होते। शिक्षा मंत्री के नाते मैं उन्हें 'शास्त्री' की डिग्री दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स, पिम्परी के प्रतिवेदन से कुछ उदाहरण दिये थे। निर्माण, विक्रय और वितरण स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है।

सभापति महोदय : यह पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का काम है।

श्री बी० शंकरानन्द : फिर भी मैं कहने को तैयार हूं.....

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं समझता हूं कि आपका औषधियों से तो कोई सम्बन्ध है।

श्री बी० शंकरानन्द : निश्चित रूप से औषधियों से मेरा सम्बन्ध है मैं इस मामले में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मेरा सीधा सा प्रश्न था कि इनका हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड पिम्प्री में है और ये नकली दवाएं जितनी भी चलती हैं, दवाओं में जो एडल्ट्रेशन होता है उसका कारण यह है कि प्रचुर मात्रा में दवायें उपलब्ध नहीं हैं। तो आपके पास यह यूनिट करोड़ों रुपये की लागत का कितने सालों से बना हुआ है और वह सिक पड़ा हुआ है, वहां अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब तक अधिक उत्पादन नहीं होगा तब तक यह एडल्ट्रेशन बन्द नहीं होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं जानता कि अपमिश्रण के बारे में उनके क्या विचार हैं। मैं नहीं समझता कि औषधियों के निर्माण का अपमिश्रण से कोई सम्बन्ध है। यदि आप आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं और यदि अपमिश्रण होता है, तो व्यापारी उसका लाभ उठायेंगे। अपमिश्रण का उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यदि अपमिश्रण केवल उत्पादन में कमी के कारण होता है, तो सरकार अवश्य इस बारे में विचार करेगी।

सभापति महोदय : सभा अब कल तक के लिए स्थगित होती है।

6.18 **म. प.**

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 5 अगस्त 1980/14 श्रावण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

—०—